ISSN 0975-4083

Centre for Research Studies
REWA (M.P.)

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 2138 Impact Factor 4.875 (IIFS)
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory
ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक - 23, हिन्दी संस्करण, वर्ष-12, अप्रैल-सितम्बर 2022

2022

www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0975-4083

रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal
UGC Journal No. (Old) 2138
Impact Factor 4.875
Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715204

अंक-23	हिन्दी संस्करण	वर्ष-12	अप्रैल-सितम्बर 2022

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक (ऑनरेरी)
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
की मुख्य शोध पत्रिका

Experts & Members of Advisory Board

- Prof. Hemanta Saikia, Assistant Professor, Department of Rural Development,Debraj Roy College, Circuit House Road, Golaghat, Assam, India.Pin-785621
  jio84hemant@gmail.com
- Dr. K. S. Tiwari, Professor, Regional Director, Regional Centre Bhopal, IGNOU, Bhopal
  kripashankar19954@gmail.com
- Dr. Puran Mal Yadav, Department of Sociology, Mohan Lal Sukhadia University
  UDAIPUR – 313001 (Rajasthan)
  pnyadav1964@gmail.com
- Dr. Ram Shankar. Professor of Political Science, RDWVV Jabalpur University, (M.P.)
  rs_dubey@yahoo.com
- Prof. Anjali Bahuguna, Department of Economics, School of Humanities and Social Sciences (SHSS),, HNB Garhwal University, (A Central University), Srinagar-246174 (Garhwal)
  anjali shss@gmail.com
- Dr. Sanjay Shankar Mishra, Professor of Commerce, Govt. TRS PG College, Rewa (M.P.)
  ssm6262@yahoo.com
- Dr. Pramila Shrivastava, Associate Professor, Department of Economics, Govt. Arts College Kota (Raj),
  dr21pramila@gmail.com
- Dr Alka Saxena, D. B. S. College, Kanpur (U.P.)
  alknasexna65@yahoo.com
- Dr. Deepak Pachpore, Journalist
  deepakpachpore@gmail.com
- Dr. C. M. Shukla, Professor of History Government Maharaja College, Chhatarpur District Chhatarpur(M.P.),
  rajan.19shukla@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ आर्टस एण्ड मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेज (ISSN-0975-4083) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है।
  शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष मार्च तथा सितंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

- **researchjournal97@gmail.com,**
- **researchjournal.journal@gmail.com**
- शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00	-सदस्यता शुल्क -	
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय, नगद जमा की स्थिति में 75 रु. अतिरिक्त बैंक चार्ज जोड़ा जाय।

प्रकाशकः गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रकः ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in
दूरभाष - 7974781746

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

रिसर्च जर्नल ऑफ आर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइंसेज का 23 वां अंक अप्रैल-सितम्बर 2022 आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहां हम भारतीय लोक सेवाओं के संबंध में यह कहना चाहेंगे कि प्रत्येक प्रशासन के लिए प्रशासनिक सेवाएं आवश्यक होती हैं क्योंकि यह प्रशासन में परिपक्वता, स्थायित्व, निर्भिकता, विकास और निश्चितता लाती है । आधुनिक प्रशासनिक सेवा विकसित और विकासशील राज्यों के संदर्भ में इन तकनीकी रूप में प्रशिक्षित स्थायी अधिकारियों द्वारा निर्मित है जो प्रशासन में अपना पूरा समय व जीवनकाल लगा देते है- जिसके कारण प्रशासनिक सेवाएं राजनीति के प्रति उदासीन, निष्पक्ष, क्रियाशील, लोककल्याण के प्रति जागरूक और उत्तरदायित्व से पूर्ण मानी जाती है । नौकरशाही किसी राष्ट्र के जीवन में बाधक नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। हमारी राष्ट्रीयता राजनैतिक नेताओं और चुनाव पद्धति पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद देश की नौकरशाही है। हमारा देश ठीक-ठाक ढंग से चल रहा है, तो केवल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित नौकरशाही व्यवस्था है, जो एक खास तरीके से प्रशिक्षित है।

'नौकरशाही' की अवधारणा के आधुनिक संस्करण का विकास होता गया और ''मैक्सवेबर" ने नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए इस शब्द को विभिन्न अर्थों से मुक्त किया और इस बात पर बल दिया कि किसी संगठन के उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। इस संबंध में पिफनर महोदय ने लिखा है कि नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों के एक ऐसे रूप में व्यवस्थित संगठन है जो अधिकतम प्रभावशाली रूप में सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। देश का प्रशासन चलाने का कार्य एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह उन जिम्मेदारियों से कहीं, बड़ी है जो राजनेताओं को पांच सालों के लिए मिलती है। इसलिए एक नौकरशाह के जीवन को इस तरह से सशक्त करना जरूरी हो जाता है जिससे उसका जीवन तनाव और रोगों से मुक्त रहे, ताकि राष्ट्र अपने ही भार से दबकर चरमरा न जाए। अगर आज यह चरमरा रहा है तो इसका कारण यह है कि इसके बुनियादी ढांचे को उसकी सीमाओं से आगे खींचा जा रहा है। हमारे नौकरशाहों को हद से ज्यादा और अतर्कसंगत कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। कानूनों को लागू करने की बजाए उनको तोड़ने-मरोड़ने के लिए उनसे कहा जा रहा है। इन वजहों से एक नौकरशाह की जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण और अपेक्षाओं से भरी हो गई है। जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें बदलना एक सहज-स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह भी एक सच्चाई है कि हर सरकार अपनी पसंद के अफसरों को उन स्थानों पर रखना चाहती है, जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझती है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया में अधिकारियों की प्रतिबद्धता किसी सरकार या मंत्री विशेष के साथ होना एक शर्त बन जाती है, तो यह स्थिति चिंता की भी होती है और खतरनाक भी। नौकरशाही की प्रतिबद्धता यदि किसी के प्रति होनी चाहिए तो वह देश की जनता एवं उसके हितों के प्रति ही हो सकती है। यह सही है कि सरकारी अधिकारियों को सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है, पर उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि ऐसे निर्देश राष्ट्रीय हितों एवं सांविधानिक

मर्यादाओं के अनुरूप न हों, तो वे आदेश देने वालों को इस बारे में आगाह अवश्य कर दें। उनकी प्रतिबद्धता की कसौटी जनहित ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारें अथवा नेता इस बात को, और इस बात के महत्व को समझते नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस भावना के विपरीत काम करने वाली सरकारों को इसके दुष्परिणामों से परिचित नहीं किया गया। लेकिन इस सबके बावजूद वे यह मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके निर्देशों के पालन के अलावा भी सरकारी अधिकारियों की कुछ भूमिका हो सकती है।

सच तो यह है कि इस तरह के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर राजनीति के समीकरण इतने सीधे और सरल नहीं होते। यदि राजनेताओं का व्यवहार और सोच अपने स्वार्थों की सीमाओं से पार जा सके, तो शायद स्थिति में कुछ बदलाव आए, पर आज जैसी स्थितियां हैं, वे कोई आशा जगाने वाले नहीं हैं। हां, वे अधिकारी अवश्य आशा जगाते हैं, जो जनहित के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदार हैं।

हमारे यहां सरकार किसी भी दल की हो, पर अफसर वहीँ रहते हैं। जो तबादले होते भी हैं तो उन्ही में से जाते हैं। ऐसा नहीं है यह नौकरशाही राजनीतिक गुटबाजी से अलग है, पर पूरी अफसरशाही ही गुटबाजी में लिप्त हो ऐसा भी नहीं है। हाँ कुछ अफसरों का ग्रुप जरूर राजनीतिक गुटबाजी में लिप्त हो जाता है। यह प्रवृत्ति भी इधर हाल ही में आयी है। लेकिन नौकरशाही का मूल चरित्र अभी भी काफी हद तक राजनीतिक प्रतिबद्धता से मुक्त ही है।

यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर नौकरशाह अपने भीतर एक स्वाभाविक और सहज सुख की स्थिति में रहे। जब तक हम खुद अपने भीतर एक सुख की स्थिति में न हों हमें किसी दूसरे की जिंदगी को छूने का कोई हक नहीं है।

आशा है हमें आपका पूर्व वक्त अकादमिक सहयोग प्राप्त होता रहेगा

डॉ. अखिलेश शुक्ल
प्रधान सम्पादक

अनुक्रमणिका

01.	पुलिस कर्मियों में अवसाद एवं प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) **अखिलेश शुक्ल**	09
02.	भारतीय जनजातियों की प्राचीनता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (विभिन्न ऐतिहासिक कालों के विशेष संदर्भ में) **रश्मि दुबे**	23
03	अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं की अपेक्षाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **डिम्पल गुप्ता** **दीपमाला श्रीवास्तव**	31
04	बेतिया नगर में मलिन बस्तियाँ : समस्याँ एवं समाधान **बीरेन्द्र कुमार**	41
05	धूम्रपान : कैंसर से सहसम्बन्ध (आगरा के मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोगियों के विशेष सन्दर्भ में) **प्रियंका कुमारी**	46
06	कौशल विकास योजना : एक दृष्टि **प्रिया शुक्ला** **अरुण कुमार गौतम**	53
07	ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संन्दर्भ में दादाभाई नौरोजी एवं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन **गीता जादौन**	60
08	विभाजन के समय में मेवात (1947-1950) **भूपेश** **पूजा साह**	65
09	भारत में अघोर पंथ के मध्यकालीन इतिहास पर एक अध्ययन **नविता**	73
10	अम्बेडकर एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सीपना और उसका कार्यक्रम **राम बिहारी राम**	79
11	चकराता छावनी का ऐतिहासिक अध्ययन नगरीकरण के विशेष संदर्भ में सन् 1866 से 1990 तक **अर्जुन सिंह** **राजपाल सिंह नेगी** **धीरपाल सिंह**	85
12	रवॉई क्षेत्र के काष्ठ निर्मित मंदिर स्थापत्य में अंलकरण अभिप्रायों का अध्ययन **सपना**	96
13	बेतिया नगर के आधारभूत संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन **संजय कुमार**	103
14	मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सतना जिले के धार्मिक पर्यटन पर एक भौगोलिक अध्ययन **ए. के. सिंह, प्रिया सिंह**	108

15	बघेलखण्ड की सांगीतिक धरोहर को संरक्षित रखने में हमारा सामाजिक दायित्व एवं भूमिका **संतोष पाठक** **वाणी साठे**	116
16	भारतीय समाज में महिला चित्रकारों का योगदान **मीना**	121
17	नागार्जुन की कविताओं में भाषाई–सौन्दर्य **सुरेन्द्र प्रताप सिंह** **अंकित कुमार सिंह**	126
18	संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र की उपादेयता **बृजेश द्विवेदी**	131
19	स्वामी विवेकानन्द–भावी पीढ़ी प्रेरणा स्त्रोत **विजय दुबे** **दीपक प्रकाश कुँवर**	135
20	अजोला पिन्नाटा पूरक आहार का उपयोग करके नर्मदा निधि मुर्गियों के उत्पादन प्रर्दशन पर अध्ययन **राधा मिश्रा** **सोनू कुमार यादव** **अंजनी कुमार मिश्रा** **अमरजीत सिह** **अजय चोरे**	140
21	मनरेगा कार्य स्थल में लैंगिक असमानता (ग्राम– चमराडोल के विशेष संदर्भ में) **प्रीति रजक** **एस. एम. मिश्रा**	146
22	सतना जिले से प्राप्त कुछ विलक्षण नाग प्रतिमाएं **धीरजलाल विश्वकर्मा**	150
23	सूचना: एक आर्थिक संसाधन **प्रद्युम्न कुमार द्विवेदी**	153
24	मध्य प्रदेश खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का प्रभाव **गायत्री देवी** **आर. पी. गुप्ता**	158

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

पुलिस कर्मियों में अवसाद एवं प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

•अखिलेश शुक्ल

सारांश- पुलिस कर्मचारियों का ड्यूटी का समय ज्यादा होता है। इसके अलावा काम का दबाव, तनाव के कारण कई पुलिस कर्मचारियों को नींद न आने की बीमारी हो रही है। यह मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक यह समस्या होने पर पुलिस कर्मचारी डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। वर्तमान समाज में बढ़ती समस्याओं के कारण जहाँ एक ओर पुलिस वर्ग का दायित्व बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के अधिकार क्षेत्र की कमी और आर्थिक समस्याएँ उन दायित्वों को पूरा करने में बाधक भी बन रही हैं। वर्तमान परिवेश में जहाँ समाज में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है वहीं पुलिस प्रशासन में भी अपने कर्तव्य संबंधी कार्यो को सुचारू रूप से करने में कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। पुलिस संगठन पर सामाजिक व राजनैतिक हस्तक्षेप का दबाव अपराध में कमी करने के स्थान पर बढ़ावा देता दिखाई दे रहा है। एक पुलिस कर्मचारी को अपने कार्यकाल में अनेक व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस शोध पत्र में पुलिस की व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द- पुलिस, तनाव, अवसाद, कर्तव्य, दायित्व

वर्तमान समय में अधिकांश पुलिसकर्मी अवसाद की स्थिति में आ रहे हैं। बिगड़ा खानपान, अनियमित दिनचर्या से ज्यादातर पुलिस कर्मचारियों को नींद न आने की बीमारी हो रही है। इसका सीधा असर पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कामकाज पर पड़ रहा है। पुलिस कर्मचारी चिड़चिड़े तो हो ही रहे हैं, साथ ही उनमें डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। मनोचिकित्सकों के पास इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों को तो यह पता ही नहीं है कि वे डिप्रेशन का शिकार हैं। डॉक्टरों के अनुसार दस में से पांच पुलिसवालों में इस तरह की समस्या है। तनाव मन से संबंधी रोग है, जो मन की स्थिति और बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन के कारण तनाव होता है। तनाव से व्यक्ति में कई मनोविकार पैदा होते हैं। इससे व्यक्ति हमेशा अशांत, अस्थिर रहता है। तनाव एक द्वंद की तरह है, जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। इससे कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम के दबाव के कारण लगभग हर

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पुलिस कर्मचारी तनाव में रहता है। दिन-रात ड्यूटी के कारण पुलिस कर्मचारी चिड़चिड़े हो रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों को बात-बात पर गुस्सा आता है। काम के बोझ के कारण ही उनके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोंस असंतुलित हो जाता है। शरीर के बायोलॉजिकल क्लाक गड़बड़ा जाती है। जब नींद नहीं आती है तो कई पुलिस कर्मचारी नींद की गोलियां तक खाते हैं। लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण फिर वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मनोचिकित्सकों के पास लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ड्यूटी का समय ज्यादा होने, काम का दबाव, तनाव, नींद न आना, परिवार से दूरी की वजह से अवसाद का शिकार होने के मामले पुलिस कर्मचारियों में देखे जा रहे हैं।पुलिस कर्मियों में सामान्य रूप से डिप्रेशन के निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित होने लगे है।

- हमेशा उदास रहना।
- आत्मविश्वास की कमी होना।
- उलझन में व हारा महसूस करना।
- किसी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी।
- ज्यादातर अकेले रहना पसंद करना।
- हमेशा चिड़चिड़ा रहना, कम बोलना।
- कोई भी समस्या आने पर जल्दी हताश हो जाना।

अवधारणात्मक विश्लेषण- पुलिस समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली ऐसी कार्यकारी संस्था है,जो समाज की स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। समाज में होने वाले प्रत्येक न्यायिक व प्रशासनिक आदेश संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से कार्यपालन का उत्तरदायित्व पुलिस संगठन का ही होता है। एक लोकतंत्रात्मक समाज में पुलिस का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को आजादी प्राप्त होती है और यदि उसकी इसी आजादी और सुरक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो जनता के ध्यान में सर्वप्रथम पुलिस संगठन ही आता है। ऐसे में पुलिसकर्मी अपनी सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत समस्याओं से परे हटकर सेवा में तत्पर रहता है किन्तु विडम्बना यह है कि फिर भी जनता असंतुष्ट रहती है तथा उनकी समस्याओं को नजर अंदाज करते हुए दोषारोपण करने से नहीं चूकती।यद्यपि किसी भी समाज में पुलिस की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है किन्तु यदि समाज लोकतंत्रात्मक और धर्म निरपेक्ष हो तो पुलिस की रचनात्मक भूमिका तथा जनता के साथ सहयोगात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण संबंध की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है जिसमें पुलिस कर्मचारी को न केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी समझा जाता है बल्कि उससे जनता का मित्र, पथ प्रदर्शक व दार्शनिक जैसी भूमिका का निर्वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। लोकतंत्र में पुलिस की विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य होती है।[1] भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, संस्था को विधिक समता प्रदान की गई है। किन्तु यह आश्चर्य नहीं तो क्या है कि विधिक संबंधी व्यवस्था को नियंत्रित व सुचारू रूप से चलाने वाली पुलिस संस्था को यह अधिकार प्राप्त

नहीं है। भारत वर्ष में किसी भी संस्था के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को अविश्वसनीय नहीं माना जाता, उसके द्वारा दी जाने वाली गवाही को कानून द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है किन्तु पुलिस संगठन में यह अधिकार किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को प्राप्त नहीं है।[2] दूसरे शब्दों में कानून पुलिस वर्ग के किसी भी व्यक्ति को विश्वसनीय नहीं मानता और उसकी गवाही को न्यायालय में मान्यता प्राप्त नहीं होती। यह विडम्बना नहीं तो क्या है कि न्यायिक और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के व्यक्तियों को ही न्याय और कानूनी व्यवस्था में अविश्वसनीय माना जाता है। यह अविश्वास उस संस्था पर जो इस समाज पर नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कितना उचित है यह एक शोचनीय प्रश्न है।

समाज में बढ़ती समस्याओं चाहे वे जनसंख्या संबंधी हो, आपराधिक हो या साम्प्रदायिक किसी भी समस्या के पैदा होते ही जनता के मन, मस्तिष्क में सर्वप्रथम पुलिस की छवि ही उभरती है और जनता की यह अपेक्षा होती है कि पुलिस उस समस्या को ध्यानपूर्वक सुने। किसी भी स्थान पर अचानक उत्पन्न समस्या का समाधान करने पुलिस तत्काल पहुँचे तथा किसी भी प्रकार की असुरक्षा के वातावरण में पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो। यदि किसी आवश्यक स्थान पर पुलिसकर्मियों को पहुँचने में विलंब हो तो यह पुलिस की लापरवाही समझी जाती है और इसे पुलिस की उस कार्य के प्रति अवहेलना समझा जाता है किन्तु कार्य को समय पर न कर पाने की मजबूरी पर ध्यान नहीं दिया जाता। अनेक बार किसी घटना के घटने पर पुलिस स्टाफ की कमी कार्य पूरा न हो पाने का कारण बन जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि यदि स्टाफ में पुलिसकर्मियों की संख्या में कमी है तो प्रत्येक कार्य उचित समय पर सुचारू रूप से करना अत्यंत कठिन होगा।[3]

यदि किसी स्थान पर अपराधियों की संख्या अधिक हो और वे अपराध में लिप्त हो तो ऐसी स्थिति में यदि पुलिसकर्मी को अपराध की जानकारी प्राप्त भी हो जाए तो वह उस स्थान पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि पुलिस स्टाफ की अपेक्षा अपराधियों की संख्या भी अधिक होती है और अपराधियों की अपेक्षा उनके पास अपराध से निपटने की सुविधाएँ भी अपर्याप्त होती हैं। इसी प्रकार दंगे या सभाओं में होने वाली अव्यवस्थाए कोई दुर्घटना आदि की स्थिति में भी पुलिस थानों में कार्यरत स्टाफ की कमी के कारण भी जनता में असंतोष बढ़ता है जिसका ज्ञान जनता को नहीं होता।

पुलिस जनसंख्या अनुपात- भारत में प्रति लाख जनसंख्या में सन 2018 में पुलिस जनसंख्या अनुपात 198.65 पाया गया है जबकि यह अनुपात सन 2017 में 192.95 था भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात मणिपुर में सर्वाधिक 1314.84 पाया गया है।[4]

पुलिस क्षेत्र अनुपात- भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सन 2018 में पुलिस अनुपात 78.45 था। सर्वाधिक उच्चतम क्षेत्र चंडीगढ़ में 7719 पाया गया है। सन 2018 में 500.40 व्यक्तियों में आनुपातिक रूप में एक पुलिसकर्मी आता है, जबकि 2017 में यह संख्या 518.27 थी। दादर नगर हवेली में यह अनुपात उच्चतर स्तर पर पाया गया है, यहां 1302.26 व्यक्तियों में एक पुलिसकर्मी की तैनाती पाई गई है। सन 2018 में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1.27 पुलिसकर्मी की पदस्थापना के आंकड़े सामने आए हैं। यह स्थिति

अरुणाचल प्रदेश में उच्चतम स्तर में पाई गई है। यहां 5.75 वर्ग किलोमीटर में एक पुलिसकर्मी की तैनाती की स्थिति पाई गई है।

तालिका 01

भारत में स्वीकृत एवं वास्तविक पुलिस बल

स्वीकृत पुलिस बल		वास्तविक पुलिस बल	
सिविल पुलिस	16.51 लाख	सिविल पुलिस	13.03 लाख
सशस्त्र बल	03.17 लाख	सशस्त्र बल	02.66 लाख
राज्य सशस्त्र बल	06.27 लाख	राज्य सशस्त्र बल	04.98 लाख
योग पुलिस बल	25.95 लाख	योग पुलिस बल	20.67 लाख

भारत में उत्तर प्रदेश राज्य स्वीकृत और वास्तविक पुलिस बल की स्थिति में प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में स्वीकृत पुलिस बल 4.14 लाख है, जबकि वास्तविक पुलिस बल 2.94 लाख पाया गया है।

पुलिस बजट- भारत में सन 2018-19 में पुलिस का बजट 1,33,324.94 करोड़ का रहा है, जबकि 2017-18 में यह राशि 1,18,211 .24 करोड़ की रही है। अखिल भारतीय स्तर पर 2018-19 में पुलिस प्रशिक्षण मद में 1675.50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

महिला पुलिस - भारत में महिला पुलिस की वास्तविक संख्या 01.01.0219 की स्थिति में 1,85,696 पाई गई है, जबकि 01.01.2018 में यह स्थिति 1,69,550 कि रही इस तरह 9.52 प्रतिशत की वृद्धि यहां पर परिलक्षित होती है, जो एक सुखद संकेत है। भारत में महाराष्ट्र में महिला पुलिस की सर्वाधिक संख्या 27660 पाई गई है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस विषय पर अध्ययन Joseph. A. Schater, Southern Illionis University Carbondable, Illinois द्वारा 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ में किया गया है। इस शोध में उन्होंने पुलिसजनों के संघर्षों का अध्ययन करते हुए पुलिस छवि पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। सन् 2006 में William J. Woska. ने इस विषय पर कार्य किया है, उनके निष्कर्षों का प्रकाशन The Police Chief (New York) के अक्टूबर 2006 के अंक में हुआ है। Sanuel Walker के अध्ययन का प्रकाशन Sage Publications द्वारा सन् 2005 में किया है। North Washington esa Police Image and Ethics Commitee, द्वारा इस दिशा में कुछ शोध कार्य किये जा रहे हैं। भारत में भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भारतीय पुलिस पर अध्ययन कराये एवं प्रकाशित किये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सम्बंधित विषयों पर अरुण प्रसाद मुर्कजी, ए.पी. मोहम्मद अली, बी. रामन, बी.पी. शाह, बी.आर. लाल, बी.एल. बोहरा, किरण वेदी, अखिलेश शुक्ल आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

उद्देश्य- प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले के पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना है

अध्ययन क्षेत्र- भारत के मध्य में स्थिति रीवा जिला स्वतंत्रता पूर्व रीवा रियासत का मुख्य भाग था, जहाँ राज्य की राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद नवगठित विंध्य प्रदेश में भी इस जिले की यही स्थिति रही।[4] नवम्बर 1956 से मध्यप्रदेश का संभागीय मुख्यालय है।

मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रीवा जिला 23.11से 24.18 उत्तरी अक्षांस एवं 81.03 से 82.10 डिग्री पूर्व देशान्तर में स्थित है। रीवा जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित है। इसके उत्तर में बाँदा और इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में मध्यप्रदेश का सीधी जिला और दक्षिण-पश्चिम में सतना जिला है। रीवा जिले का कुल क्षेत्र 6314 वर्ग किमी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रतिवर्ग किमी. 374 लोग निवास करते हैं, वहीं नगरीय क्षेत्र में प्रतिवर्ग किमी. 316 लोग रह रहे हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से यह सघनता और भी बढ़ गई है। यहां प्रतिवर्ग किमी. 3119 लोग निवास कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले में प्रतिवर्ग किमी. 374 लोग निवास करते हैं। 2011 में सम्पन्न जनगणना के प्रावधिक आँकड़ों के अनुसार रीवा जिले में 2363744 लोग रहते हैं। 2001-2011 के बीच यहाँ की जनगणना में 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिले की साक्षरता दर 73.42 प्रतिशत है। रीवा जिला में पुरुष साक्षरता दर 83.67 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 62.49 है। जिले में प्रति हजार पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 930 है। 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की कुल जनसंख्या 2263744 है, जिसमें पुरुष 1224918 तथा महिला 1138826 हैं। सन् 2011 में रीवा जिले में स्त्री-पुरुष अनुपात 930 पाया गया है।

रीवा जिला में 28 पुलिस थाने हैं। अतरैला, अमहिया, बैकुंठपुर, चाकघाट, चोरहटा, सिविल लाइंस, डभौरा, गढ़, गोविंदगढ़, हनुमना, जवा, कोतवाली, लौर, मनगवां, मऊगंज, नईगढ़ी, पनवार, रायपुर कर्चुलियान, सगरा, सेमरिया, शाहपुर, सिरमोर, सोहागी, विश्वविद्यालय, त्योंथर, यातायात, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति। इनके अलावा रीवा जिले में 21 पुलिस आउट पोस्ट भी है।

अध्ययन विधि- प्रस्तुत शोध पत्र में पुलिसकर्मियों की समस्याओं का विश्लेषण करना था, इसलिए रीवा जिले के 300 पुलिसकर्मी उत्तरदाताओ का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है। तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण. साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है और तथ्यों को डायग्राम में भी प्रस्तुत किया गया है।

उपकल्पना- अनुसन्धान या अध्ययन के क्षेत्र में पूर्व कल्पना या उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका निर्माण और प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। सरल शब्दों में उपकल्पना का अर्थ होता है, एक ऐसा विचार या सिद्धांत जिसे शोधकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है, उसकी जांच करता है और प्रमाणित करता है। इस शोध पत्र की कुछ उपकल्पना इस प्रकार है-

1. पुलिसकर्मी अपने कार्य की तुलना में पाने वाले वेतन से संतुष्ट नहीं है
2. पुलिसकर्मी अपनी कार्य अवधि को लेकर संतुष्ट नहीं है
3. पुलिसकर्मी मिलने वाले अवकाश से संतुष्ट नहीं है

अध्ययन का महत्व- प्रस्तुत शोध के आधार पर पुलिसकर्मियों की वास्तविक स्थित को ज्ञात किया जा सकता है।

अध्ययन की कठिनाई- साक्षात्कार हेतु पुलिसकर्मियों की समय पर उपलब्धता व

उनसे समय प्राप्त करने मे कठिनाई आयी।

तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण- उत्तरदाता पुलिसकर्मियों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्य व वेतन की स्थिति- उत्तरदाता पुलिसकर्मियों से जब उनके कार्य के घंटे और प्रकार तथा उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते के संबंध में तथ्य एकत्रित कर उनका विश्लेषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका 02

क्या आप अपने कार्य व वेतन से संतुष्ट हैं?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	90	30 प्रतिशत
नहीं	210	70 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है-

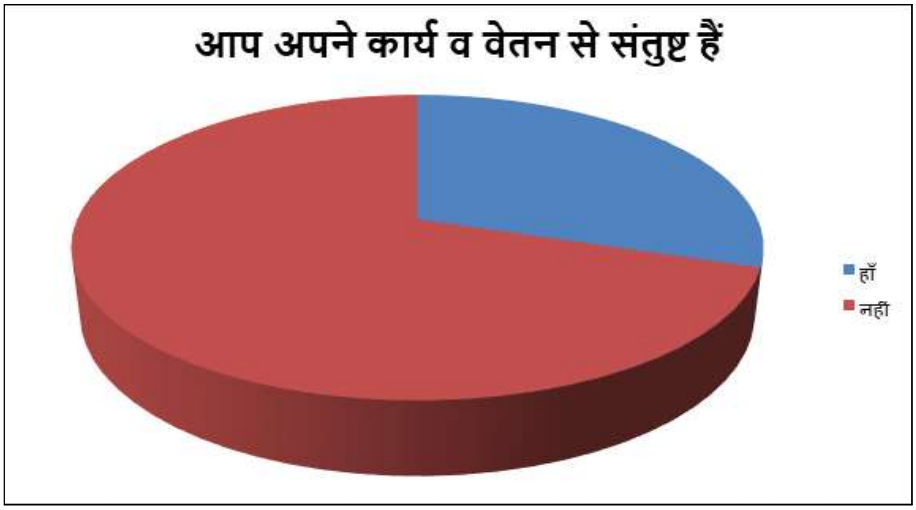

उक्त प्रश्न के उत्तर में प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 30 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही पाने वाले वेतन और भत्ते से संतुष्ट हैं, जबकि 70 प्रतिशत उत्तरदाता अपने कार्य की तुलना में पाए जाने वाले वेतन एवं भत्ते से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट उत्तरदाताओं ने प्राप्त परिलब्धियों से आवश्यकता पूर्ति करने में असमर्थता बताते हुए कहा कि बढ़ती मंहगाई के कारण संतानों की शिक्षा, गृहस्थी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 01 सिद्ध होती है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के द्वारा किये गए सर्वेक्षण में भी यह पाया गया है कि पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है-

1. लम्बी कार्यावधि।
2. कार्यावधि के दौरान अत्यधिक मानसिक तनाव।
3. कार्य स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की कमी।
4. पारिवारिक दायित्व निर्वहन के लिए समयाभाव।

5. पदोन्नति की अल्प संभावनाएँ।

बचत की स्थिति- उत्तरदाताओं से जब बचत के संबंध में प्रश्न पूछा गया तो स्थिति निम्नवत सामने आई।

तालिका 03

क्या आप अपने वेतन से बचत कर पाते हैं?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	12	4 प्रतिशत
नहीं	288	96 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है-

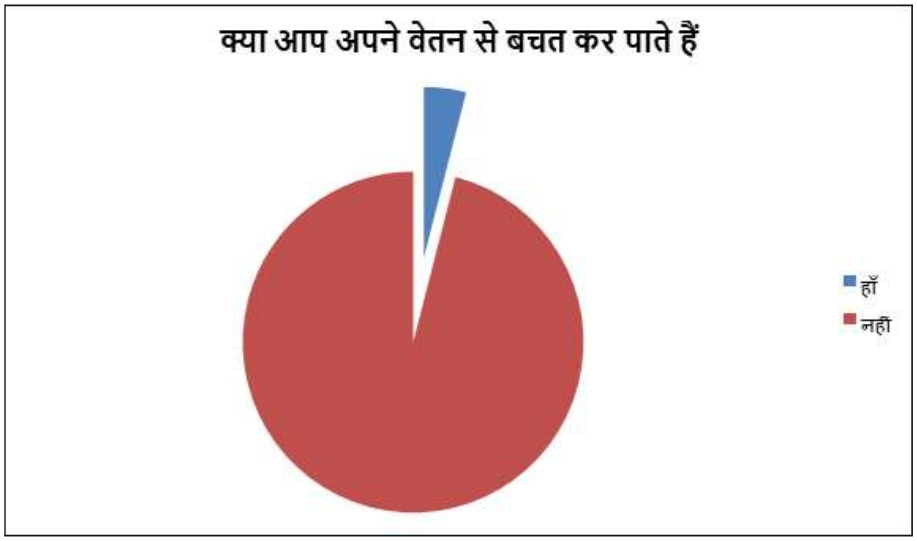

क्या आप अपने वेतन से बचत कर पाते हैं। प्रस्तुत प्रश्न के जवाब में केवल 04 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने यह माना कि वे वेतन से कुछ बचत कर पाते हैं, जबकि 96 प्रतिशत पुलिसकर्मियों द्वारा बचत के संबंध में नहीं में उत्तर प्राप्त हुआ जो प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर विचाराधीन होना आवश्यक है।

कार्यावधि की स्थिति- तमिलनाडु पुलिस कमीशन 1971 ने पुलिस की स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है, सभी पुलिस कर्मचारी कार्य की अधिकता के दबाव में हैं। उनके कार्य के घण्टे बहुत लम्बे और अनियमित हैं, उन्हें साप्ताहिक अवकाश प्राय: नहीं मिल पाता और सार्वजनिक छुट्टियाँ और त्योहारों में प्राय: उन्हे अतिरिक्त घण्टों की भी ड्यूटी देनी पड़ती है तथा सामान्यत: उन्हे अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर ड्यूटी के कारण नहीं मिलता है। वास्तविक रूप में उपर्युक्त सर्वेक्षण पुलिस अधिकारियों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त हैं परन्तु इतने वर्षों में भी इन स्थितियों में सुधार के लिए अल्प प्रयास एक शोचनीय प्रश्न है कि वस्तुस्थिति के स्पष्ट होने पर भी आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। अन्य प्रशासनिक समस्याओं के अतिरिक्त वर्तमान वेतनमान और भत्ते से संबंधित समस्या भी पुलिस वर्ग

के लिए गंभीर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस वर्ग के लिए प्रशासन ने वेतनमान में वृद्धि नहीं की है परन्तु उनकी कठिन ड्यूटी और मंहगाई को यदि ध्यान में रखा जाय तो यह वेतनमान व भत्ते अपर्याप्त हैं। वेतनमान और भत्तों से असंतुष्टि भी पुलिस वर्ग में अनुशासनहीनता की समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है।

यह स्वाभाविक ही है कि यदि व्यक्ति दिन में चौबीस घण्टे अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर है तो वह इसके लिए परिवार की सुख-सुविधाएँ और अच्छे वेतनमान की आकांक्षा रखेगा, जो उसके मनोबल और उत्साह को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है परन्तु यदि व्यक्ति अपनी ड्यूटी भी कर रहा है, अपने परिवार से दूर है और परिवार और बच्चों के लिए उसे पर्याप्त धन की भी कमी है तो वह निश्चित ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई अन्य कदम उठाएगा ही। पर्याप्त वेतनमान में कमी भी पुलिस वर्ग में असंतोष और असुरक्षा की भावना विकसित करती है।

तालिका क्रमांक 04

क्या आप अपनी कार्यावधि से संतुष्ट हैं?

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है-

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	168	56 प्रतिशत
नहीं	132	44 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

कार्यावधि से संतुष्टि के प्रश्न में 56 प्रतिशत पुलिसकर्मी संतुष्ट हैं, किन्तु 44 प्रतिशत

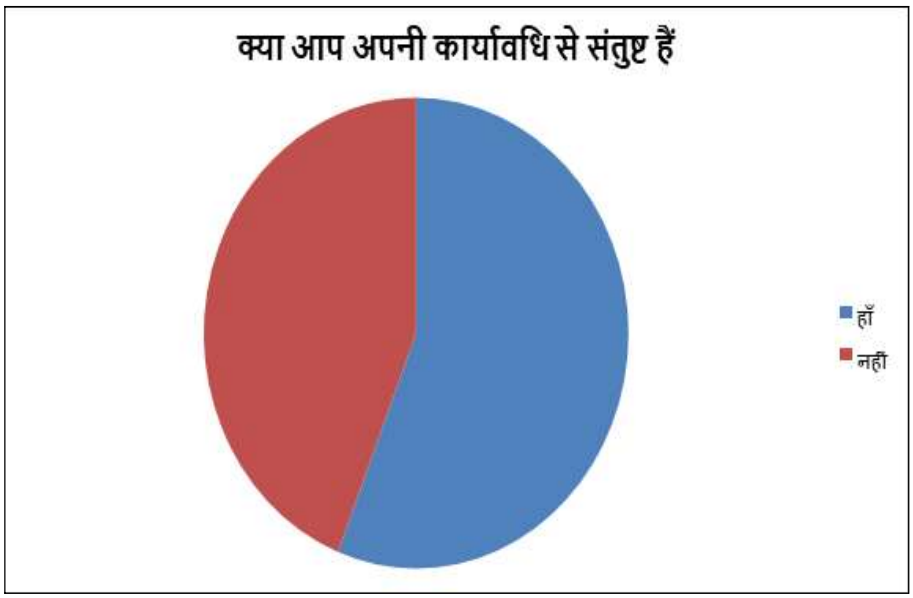

पुलिसकर्मी असंतुष्ट हैं। उनके अनुसार कार्यावधि का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है। तथ्यों के उपरोक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 02 आंशिक रूप से सिद्ध पाई गई।

अवकाश की स्थिति- सभी संगठनों में केवल पुलिस संगठन ही ऐसा है जहाँ

कार्यालयीन अवधि सुनिश्चित नहीं की गई है। प्रशासन की ओर से उन्हे सार्वजनिक अवकाश की सुविधा भी प्राप्त नहीं है। अत्यंत आवश्यक कार्य की स्थिति में भी वह अपने उच्चाधिकारियों की सहमति के बिना अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता। इस स्थिति को न्याय संगत तो नहीं का जा सकता। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी की उदासीनताए लापरवाही, अपने कार्य प्रति जागरुक न होना आदि लक्षण अस्वाभाविक नहीं कहे जा सकते और एक पुलिसकर्मी की मनोवृत्ति व मानसिकता को परिवर्तित करने में यह कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 183 के अनुसार एक वर्ष में पुलिस कर्मचारी को 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है।[5] इसके अतिरिक्त 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश भी शासन द्वारा प्रदान किया जा सकता है क्योंकि शासन के अन्य कर्मचारियों के समान अन्य सामान्य अवकाशों में अवकाश प्राप्त नहीं कर पाते और त्योहारों तथा अन्य सामाजिक उत्सवों में इनकी ड्यूटी की कार्यावधि बढ़ जाती है। पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 186 के अनुसार सामान्य और खुले मौसम में स्वीकृत बल के पांच प्रतिशत एवं बरसात के मौसम में स्वीकृत बल के दस प्रतिशत व्यक्तियों को ही अवकाश प्राप्त हो सकता है जिसके लिए निर्धारण प्रपत्र में पहले से आवेदन दिया जाता है। पैरा 188 में निर्देशित किया गया है कि अर्जित अवकाश कुल मिलाकर 240 दिनों तक खाते में एकत्रित हो सकता है किन्तु किसी भी एक समय में 120 दिनों से अधिक अवधि तक अर्जित अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। पैरा 189 में यह प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में 20 दिनों तक के लिए आधे वेतन पर अवकाश अर्जित किया जा सकता है। ऐसे अवकाश के लिए कोई सीमा नहीं है यदि उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या निजी कार्यों पर एक समय में लिया जाता है। पैरा 191 के अनुसार अवकाश समाप्ति के पश्चात् भी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में उस अवधि का वेतन उस अधिकारी को प्राप्त नहीं होता। पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 193 के अनुसार अवकाश पर रवाना होने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा छुट्टी जाने की तारीख, वापस आने की तारीख, अवकाश स्थल की जानकारी देना आवश्यक होता है और उस जानकारी प्रपत्र पर अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक या थाना प्रभारी के हस्ताक्षर होने चाहिये।

प्रशासन द्वारा प्रदान किये गए अवकाशों में पुलिस वर्ग को अन्य संस्था वर्ग की अपेक्षाकृत अवकाश संबंधी सुविधा कम है जिसके कारण उन्हें अपने परिवारजनों, ईष्ट मित्रों, सगे संबंधियों से दूर चाहे वह कोई त्योहार हो या कोई भी मौसम अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है जो उनके मानवाधिकार का हनन कहा जा सकता है। पुलिस कर्मचारी भी इंसान हैं वे भी समाज में रहते हैं तो क्या अन्य सामाजिक प्राणियों की तरह उन्हें भी सामान्य जीवन यापन का अधिकार नहीं है, यह एक गंभीर प्रश्न है? जिसके हल के लिए प्रशासन और समाज को गंभीरता से सोचना चाहिये। कठोर ड्यूटी करने के बाद भी समाज से मिलने वाला अविश्वास उनके मनोबल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

तालिका क्रमांक 05
क्या आपको अवकाश संबधी संतुष्टि है?

अवकाश प्राप्ति के संबंध में संतुष्टि के प्रश्न में 52 प्रतिशत पुलिसकर्मी असंतुष्ट हैं जबकि 48 प्रतिशत संतुष्ट हैं। पुलिसकर्मियों के अनुसार उन्हें अवकाश प्राप्ति कम से कम इतनी तो हो कि वे अपनी अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के साथ अपने मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सकें। उपरोक्त विश्लेषण से उपकल्पना क्रमांक 03 आंशिक रूप से सिद्ध होती है।

पदोन्नति की स्थिति- किसी संगठन में किसी कर्मचारी का पद बदलकर उसे उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति कहलाता है। किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता उनकी संतुष्टि तथा मनोबल के स्तर से भी प्रभावित होती है। पदोन्नति आधुनिक कार्मिक प्रशासन का महत्वपूर्ण आयाम है। पदोन्नति पद स्तर सम्मान में वृद्धि करने या योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने से सम्बद्ध है। उत्तरदाताओं से इस संबंध में जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हौ उत्तरदातों से प्राप्त तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 06
क्या आपको पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	26	09 प्रतिशत
नहीं	274	91 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

पदोन्नति के अवसर प्राप्ति के प्रश्न से प्राप्त उत्तर चौंकाने वाले प्राप्त हुए। पुलिसकर्मियों में 92 प्रतिशत ने इसका उत्तर नहीं में दिया जबकि 09 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही पदोन्नति के अवसर प्राप्ति से संतुष्ट हुए। आरक्षण और न्यायालीन प्रकरणों की स्थिति के कारण भी पुलिस कर्मियों को पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि सही समय में पदोन्नति प्राप्त हो तो पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वह अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

परिवार की आवश्यकता एवं वेतन- उत्तरदाताओं से जब यह प्रश्न किया गया की क्या उन्हें मिलने वाली वेतन से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। प्राप्त तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका 07
क्या उन्हें मिलने वाली वेतन
से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	58	19 प्रतिशत
नहीं	242	81 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रश्न में 81 प्रतिशत लोगों द्वारा यह बताया गया कि संबंधित व्यक्ति के

वेतन से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती जबकि 19 प्रतिशत लोगों के अनुसार पूर्ति हो जाती है। 81 प्रतिशत लोगों के अनुसार मंहगाई, शिक्षा का बढ़ता स्तर, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके अनुसार महीने के अंत में अनेक आवश्यक कार्यों की पूर्ति भी असंभव हो जाती है।

तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव से उत्पन्न समस्यायें- वर्तमान विज्ञान के युग में विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के साथ.साथ जहाँ एक ओर मानव को अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर इन्हीं वस्तुओं ने मानव समाज को संघर्षमय स्थिति में भी पहुँचा दिया है। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में विकास के साथ ही अपराध जगत ने भी अपने आधुनिकए वैज्ञानिक व तकनीकी स्वरूप को प्राप्त कर लिया है।

प्रत्येक संगठन के सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए उसमें वैज्ञानिक व नवीनतम तकनीकी उपकरणों का समावेश अत्यंन्त आवश्यक होता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से पुलिस में आधुनिकीकरण वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों से सुसज्जा पर योजनाएँ बनाई गई हैं और उनका क्रियान्वयन भी हुआ है किन्तु वास्तव में भारतीय पुलिस संगठन में आज भी वैज्ञानिक व तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई है और इसी साधनहीनता के कारण भारत में अपराधियों के हौसलों में वृद्धि हुई है। पुलिस की अपेक्षा अपराधी अधिक साधनसंपन्न हैं जिनके कारण उनके द्वारा किये जाने वाले अपराध भी कुशाग्र बुद्धि सेए सुनियोजित ढंग से किये जा रहे हैं साथ ही साक्ष्य मिटाने के भी पर्याप्त साधन अपराधियों को उपलब्ध हैं। विकसित संचार माध्यम ने अपराध जगत को और अधिक ताकतवर बना दिया है। इन अपराधियों व असामाजिक तत्वों की अपेक्षाकृत पुलिस की साधनहीनता समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक व शोचनीय है। उक्त संबंध में उत्तरदाताओं से जब प्रश्न किया गया तो निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर हुए।

तालिका क्रमांक 08
क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके
विभाग में तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	232	77 प्रतिशत
नहीं	68	23 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में 77 प्रतिशत कर्मचारियों ने हाँ में उत्तर दिया और 23 प्रतिशत लोगों ने नहीं में।

तालिका 09
क्या इन उपकरणों की कमी या अभाव
आपके कार्य कौशल को प्रभावित करता है?

राय	संख्या	प्रतिशत
हाँ	84	28 प्रतिशत
नहीं	216	72 प्रतिशत
योग	300	100 प्रतिशत

तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों की कमी या अभाव पुलिस कर्मचारियों की कार्य कुशलता को प्रभावित करता है। इस संबंध में पुलिस कर्मचारियों में 28 प्रतिशत पुलिसकर्मी सहमत हैं जबकि 72 प्रतिशत पुलिसकर्मियों के अनुसार इन उपकरणों का उनके कार्य कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

निष्कर्ष- प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश पुलिसकर्मियों की समस्याएं वास्तविक है और इनका निदान करना आवश्यक है। शोध के निष्कर्ष इस प्रकार रहे हैं-

- 30 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही पाने वाले वेतन और भत्ते से संतुष्ट हैं, जबकि 70 प्रतिशत उत्तरदाता अपने कार्य की तुलना में पाए जाने वाले वेतन एवं भत्ते से असंतुष्ट हैं।
- 04 प्रतिशत पुलिसकर्मियों ने यह माना कि वे वेतन से कुछ बचत कर पाते हैं, जबकि 96 प्रतिशत पुलिसकर्मियों द्वारा बचत के संबंध में नहीं में उत्तर प्राप्त हुआ जो प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर विचाराधीन होना आवश्यक है।
- कार्यावधि से संतुष्टि के प्रश्न में 56 प्रतिशत पुलिसकर्मी संतुष्ट हैं, किन्तु 44 प्रतिशत पुलिसकर्मी असंतुष्ट हैं।
- अवकाश प्राप्ति के संबंध में संतुष्टि के प्रश्न में 52 प्रतिशत पुलिस कर्मी असंतुष्ट हैं जबकि 48 प्रतिशत संतुष्ट हैं।
- पदोन्नति के अवसर प्राप्ति के प्रश्न से प्राप्त उत्तर चौंकाने वाले प्राप्त हुए। पुलिसकर्मियों में 92 प्रतिशत ने इसका उत्तर नहीं में दिया जबकि 09 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही पदोन्नति के अवसर प्राप्ति से संतुष्ट हुए।
- 81 प्रतिशत लोगों द्वारा यह बताया गया कि संबंधित व्यक्ति के वेतन से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती जबकि 19 प्रतिशत लोगों के अनुसार पूर्ति हो जाती है।
- तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में 77 प्रतिशत कर्मचारियों ने हाँ में उत्तर दिया और 23 प्रतिशत लोगों ने नहीं में।

सुझाव- पुलिस कर्मचारियों का ड्यूटी का समय ज्यादा होता है। इसके अलावा काम का दबाव, तनाव के कारण कई पुलिस कर्मचारियों को नींद न आने की बीमारी हो रही है। यह मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक यह समस्या होने पर पुलिस कर्मचारी डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश गृह विभाग पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है भारत सरकार की संस्था टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इस विषय पर सर्वेक्षण कराया जाए। मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति में निर्णय लिया गया कि पुलिसकर्मियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अब जिलों में जाएंगे। हर जिले में वे रेंज (परिक्षेत्र) के डीआईजी के माध्यम से 25-25 पुलिसकर्मियों की बैठक लेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ऋषिकुमार शुक्ला ने कहा कि मेन्टरशिप (संरक्षण) का बहुत बड़ा काम है, जो हमें जिला स्तर पर

करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के तनाव को दूर करने के लिए साप्ताहिक छुट्टी देना होगी। यह भी आवश्यक है कि आरक्षक या उप निरीक्षक भर्ती होने के बाद उसकी सेवाएं कन्फर्म करने के लिए नियमों के तहत समय पर कार्य हो। परामर्शदात्री समिति के बैठक में यह भी सुझाव आया कि सीसीटीएनएस में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाए, जिससे आधार लिंक हो जाए। इससे जब भी थाने में कोई व्यक्ति पहुंचे तो उसका आधार नंबर और अंगुली के निशान लेते ही पूरा ब्योरा कंप्यूटर पर दिखाई देने लगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इसका प्रयास चल रहा है। वहीं बताया गया कि थानों में चंद आरक्षकों को विवेचना की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जबकि सीसीटीएनएस पर विवेचकों को भी काम करना चाहिए। थानों में आने वाली हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन कई बार क्षेत्र में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और थाने में आरक्षकों के होते हुए शिकायत पर कार्रवाई में देरी होती है। परामर्श दात्री समिति में यह भी सुझाव रखा गया कि पुलिसकर्मियों से वर्षों तक एक जैसा काम ना कराया जाए और उन्हें भी अलग-अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उच्च अधिकारी अपने निरीक्षण में ड्यूटी रजिस्ट्री चेक नहीं करते और संतरी ड्यूटी, समन-वारंट तामीली, क्राइम स्क्वाड में जो आरक्षक लगे होते हैं, वे सालों वही करते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक थानों में उपस्थिति रजिस्टर देखें तो यह व्यवस्था ठीक होगी। बैठक में कहा गया कि थानों में पुलिसकर्मियों के लिए विश्राम कक्ष और महिलाओं के लिए इसका अलग से इंतजाम का सुझाव आया। इन मुद्दों पर आए सुझाव-

- गणवेश नवीनीकरण भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।
- पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।
- आवासों में गैरेज की समस्या दूर की जानी चाहिए।
- बहुमंजिला आवास भवनों में लिफ्ट लगाई जानी चाहिए।
- पुलिस आवासीय कॉलोनी में सामुदायिक भवन होना चाहिए तथा उसका रखरखाव भी नियमित रूप से होना चाहिए।
- थानों में सुविधायुक्त विश्राम कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुलिसकर्मो समय मिलने पर आराम कर सके और तनाव एवं अवसाद से मुक्त हो सके।
- थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से विश्राम कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

अवसाद से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए-

- भरपूर मात्रा में पानी पीएं
- पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें
- हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल खाएं
- जंक फूड का सेवन पूरी तरह छोड़ दें।
- सुबह की सैर, योग व प्राणायाम करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शर्मा रामकृष्ण दत्त, शर्मा सविता-भारत में मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस, पृ. 170, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली, 2003
2. भारत का संविधान, विधि एवं विधायी विभाग, नई दिल्ली, 1993
3. स्वामी, डॉ. मीनाक्षी-सामाजिक चेतना एवं विकास के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्भव, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली, 1993
4. पुलिस संगठनों के आंकड़े 1 जनवरी 2019 तक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली
5. डॉ. एस. अखिलेश- संगठन और प्रशासन, पृ. 155, 156, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा, 2017-18

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

भारतीय जनजातियों की प्राचीनताः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (विभिन्न ऐतिहासिक कालों के विशेष संदर्भ में)

• रश्मि दुबे

सारांश- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 खण्ड एक में अनुसूचित जनजातियों को इस प्रकार स्वीकार किया गया है। 'राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति समुदायों या जनजाति समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जनजातियां, जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किए जायेंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलायेंगे। डी.एन. मजूमदार के अनुसार 'जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका सामान्य नाम है जिसके सदस्य एक निश्चित् भू भाग पर निवास करते हैं, विवाह, व्यवसाय के विषयों में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं तथा जिन्होंने आदान-प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषय एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। गिलिन ने जनजाति की व्याख्या इस प्रकार की है, स्थानीय जनजातीय समूह का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है।

मुख्य शब्द- जनजाति हिन्दुकरण, जनजातीय विकास

भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जनजातियां देश की 'सांस्कृतिक धरोहर' है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जनजाति को अनेक नामों से संबोधित किया है जे.एच. हट्टन ने इन्हें 'आदिम जातियां' वेरियर एल्विन ने देश का 'मूल स्वामी', जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हुए हिन्दु तथा आर.के. दास ने इनके लिए 'दलित मानवता' आदि संज्ञाओं को उपयुक्त माना है। नृतत्व शास्त्री रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोबर्ट, टेलेंट्स, सेंजविक, मार्टिन तथा ए.वी. ठक्कर ने इन्हें 'आदिवासी' नाम से पुकारा है। टेलेंट्स, सेल्जनिक व मार्टिन द्वारा जनजातियों को 'सर्वजीववादी' नाम दिया गया। बेन्स ने इन्हें 'वन्य-जाति'की संज्ञा दी है।

जनजातीय समाज के लोग प्राचीन समय से ही हिन्दुओं के संपर्क में रहे हैं। इसके कारण जनजातियां हिन्दुकरण प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं तथा हिन्दू जातियां जनजातीयकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार हिन्दुकरण एवं जनजातीयकरण की प्रक्रियाएँ साथ-साथ जारी रहीं हैं। हिन्दू जातियों के समान

• प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्ट महाविद्यालय,सागर (म.प्र.)

जनजातियों में खेती, पशु पालन, कारीगरी या दस्तकारी तथा मजदूरी प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलाप पाए जाते हैं। वे लोग भी शिव, महादेव, भगवती, काली, लक्ष्मी, राम, हनुमान इत्यादि के भक्त हैं। वे लोग भी दशहरा, होली, दीवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि जैसे हिन्दू पर्व-त्योहारों को मनाते हैं। सहस्त्राब्दियों से साथ-साथ रहते हुए जनजातियां आज भी अपनी जनजातीय पहचान बनाई हुई है। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था हिन्दुओं से अलग तरह की है। जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके अलग हैं। विवाह नियम अलग हैं। उनकी गोत्र व्यवस्था अलग है। उनके देवी-देवता तथा पर्व-त्योहार अलग हैं। इन्हीं समुदायों को हमारे धर्म निरपेक्ष एवं जनतांत्रिक संविधान द्वारा विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए उनका संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति दिया गया है।

वैदिक तथा पौराणिक साहित्यों से ज्ञात होता है कि जिस समय इस भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ, उससे पहले से ही यहाँ पर आदिम लोग रह रहे थें। उन आदिम लोगों को आर्यों ने दस्यु नाम दिया। दस्यु आर्य नहीं थे अतः उनके लिए अनार्य शब्द का भी प्रयोग किया गया। वैदिक कालीन दस्यु तथा अनार्य मुख्यतः दो कुल के थे- i) कोल कुल तथा (ii) द्रविड़ कुल। वर्तमान समय के मुंडा एवं संथाल कोल कुल के हैं, जबकि गौंड, खोंड, उरांव, कोरवा, मालर इत्यादि द्रविड़ कुल के हैं। कोल तथा द्रविड़ दोनों कुलों की प्रजातियां दो विपरीत दिशाओं में भारत भूमि के प्रागैतिहासिक काल में आए। इन दोनों कुलों की प्रजातियों का भारत में आगमन आर्यों से बहुत पहले हो गया था। कोल कुल की प्रजातियाँ पूर्व तथा उत्तर-पूर्व से एवं द्रविड़ कुल की प्रजातियाँ उत्तर -पश्चिम से भारत में आई। ऐसा माना गया है कि कोल कुल की प्रजातियां सबसे पहले भारत में आईं। वर्तमान हिमालय क्षेत्र तथा बंगाल में फैलने के बाद विंध्य क्षेत्र की घाटियों एवं जंगलों में फैल गए। द्रविड़ प्रजाति के लोग आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत में जाकर बस गए। सिंधु घाटी संस्कृति के जन्मदाता द्रविड़ प्रजाति के ही लोग रहे होंगे। ऋग्वेद में अनेक दस्यु तथा आर्य योद्धाओं का विवरण मिलता है। मनु संहिता के अनुसार दस्यु उन जातियों एवं उपजातियों को कहा जाता है जिन्हें धार्मिक संस्कार नहीं करने के कारण जाति से बाहर निकाल दिया गया था। कोल की उत्पत्ति के संबंध में भागवत पुराण में एक और कथा का उल्लेख मिलता है। अंगीरा ऋषि के शाप से राजा बेन मथनी बन गए थे। उनकी दाईं भुजा से एक काला नाटा कद का आदमी उत्पन्न हुआ। यही आदमी निषाद बना। उनकी बाईं भुजा से तीन अन्य आदमी उत्पन्न हुए।

रामायण में भी हमें जनजातीय लोगों के संबंध मे वर्णन मिलता है। रामायण में हमें राक्षस एवं वानर जैसे जनजातीय लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वानर जाति के प्रमुख बाली एवं सुग्रीव का राज भी दक्षिण भारत में स्थित था। इसी जाति के लोग श्रीराम की सेना में थे। निषाद जाति के प्रधान गुहा ने श्रीराम को गंगा नदी पार कराई थी। वे लोग बाद में कौशल प्रदेश से जुड़ गए थे। महाभारत में भी कुछ जनजातियों का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसी कथा प्रचलित है कि शिव-महादेव किरात के रूप में अर्जुन से मिलने गए थे। वैदिक काल से ही किरात शब्द का प्रयोग अनार्यों के लिए किया जाता रहा है। धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य आँखों से महाभारत युद्ध का विवरण देते हुए संजय ने एक

सैनिक प्रधान को मुंडा बतलाया था।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में जनजाति अथवा आदिवासी शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में नहीं अपितु वृहत अर्थ में किया गया है। इस शब्द का प्रयोग उन सभी आदि मानवों के लिए किया गया है जो आर्यों के आने के पहले से ही यहां रह रहे थे। उनमें तथा आर्यों के बीच युद्ध भी हुआ था। लेकिन बाद में दोनों में मित्रता स्थापित हो गई तथा भारतीय सभ्यता में दोनों एक-दूसरें के पूरक बन गए। संकीर्ण अर्थ में जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है।

विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भारतीय जनजातियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय इतिहास को विभिन्न कालों में बांटकर देखें। अन्य स्थान के इतिहासों के समान भारत के भी इतिहास को तीन महत्वपूर्ण कालों में विभाजित किया जा सकता है- 1. प्राचीनकाल 2.मध्यकाल या मुसलमान काल 3. आधुनिक काल।

प्राचीनकाल में जनजातियां- प्राचीनकाल में भारत की जनजातियों ने या तो अपने हिन्दू पड़ोसी के साथ समझौता कर लिया या फिर वे जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में बसने चले गए। लंबी अवधि तक हिन्दू पड़ोसी के संपर्क में रह रही भारतीय जनजातियाँ एक हद तक अपने आपको हिन्दू संस्कृति में सम्मिलित कर लीं। जी.एस. धुर्ये ने अपनी पुस्तक 'द शेड्यूल्ड ट्राइब्स' (1959) में इस समस्या के ऊपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। आपके अनुसार भारत की तथाकथित सभी आदिम जनजातियां अपनी जनसंख्या में लघु स्तर या वृहत स्तर पर हिन्दुत्व को शामिल कर ली हैं। वे लंबी अवधि से हिन्दू पड़ोसियों के साथ-साथ रह रहें हैं। ब्रिटिश प्रशासक ब्राडले बर्ट, बैन, रिजले, ओमालेय सुबर्ट तथा मानवशास्त्री वैरियर एलविन का अवलोकन तथा अनुभव भी आदिवासियों को हिन्दू संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दर्शाता है। प्राचीन काल में जनजातियों की हिन्दू जातियों के साथ अंत:क्रिया हुई जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों ने हिन्दू संस्कृति को आत्मसात किया गया तथा हिन्दुओं की अधिकांश परंपराओं को स्वीकार किया। इस काल में हिन्दुओं तथा जनजातियों के मध्य मधुर आपसी संबंधों का विकास हुआ। एस.सी. राय ने अपनी पुस्तक 'मुंडा एंड देयर कंट्री' (1912) में यह दर्शाया है छठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटा नागपुर में आने से पहले मुंडाओं द्वारा कई स्थानों को निवास स्थान बनाया गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुंडाओं का प्राचीन निवास स्थान आजमगढ़ (पूर्वी उत्तर प्रदेश) रहा होगा।

जेनेरल कनिंघम (General Cunningham) ने अपने पुरातात्विक प्रतिवेदन (खंड-XVII:139) में उस क्षेत्र के सुरीज का सावर से संबंध दर्शाया है। सुरी संभवत: सभी कोल जनजातियों का उत्पत्ति मूलक शब्द है। इसके अंतर्गत पश्चिम के कुरकु तथा भील एवं पूर्व के मुंडा, संथाल, भुईयाँ हो, भूमिज, जुआंग इत्यादि आते हैं। आजमगढ़ से मुंडाओं का प्रवसन विभिन्न स्थानों पर संचार पथ का अनुसरण करते हुए हुआ। उत्तारी भारत से वे लोग दक्षिण की ओर आधुनिक बुंदेलखण्ड की ओर तथा मध्य भारत में पहुंचे। फिर पूर्वी राजस्थान की ओर गए तथा उत्तर- पश्चिम भारत पहुंचे। आधुनिक रूहेलखंड तथा अवध से होते हुए उत्तरी बिहार पहुंचे। वहां से फिर दक्षिणी बिहार आए। यहाँ पर

रोहतासगढ़ में रहे। रोहतासगढ़ से वे लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व छोटा नागपुर आए। मुंडा तथा उसके साथी भाई बंधु संथाल उस समय एक ही जनजाति के रूप में जाने जाते थे। दोनों ने एक साथ मिलकर रोहतासगढ़ में खरवार जनजाति के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के बाद ही वे लोग रोहतासगढ़ छोड़े थे। वे लोग विंध्य की जंगली गुफाओं से पीछे हटे तथा सोन नदी पार करके दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित ओमेडंडा नामक स्थान पर बसे। यही स्थान मुंडाओं का छोटा नागपुर में प्रथम निवास स्थान था। एक द्रविड़ भाषा का प्रयोग करने वाली उरांव जनजाति का आगमन मुंडाओं के जंगली सीमाओं में हुआ। इसके कारण होरो या मुंडा (वर्तमान समय की हो जनजाति) कोयल नदी के नीचे दक्षिण तरफ जाकर बस गए।

कोल (सावेर) जनजाति के संबंध में एल्विन का कहना है कि वे लोग मध्य तथा पूर्वी भारत में फैले हुए थे। 800 B.C. से 1200 A.D. तक वे लोग इस क्षेत्र के प्रबल जनजाति थे। मध्य तथा पश्चिमी भारत की भील जनजाति प्रवासित होकर उत्तर -पश्चिम में मालवा तक पहुंच गई थी। कर्नल टोड (1920) तथा अन्य के प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि भीलों को अपनी अस्तित्व की रक्षा हेतु आरंभिक कालों में राजपूतों तथा बाद में मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। धीरे-धीरे भीलों को मध्य भारत पहाड़ी क्षेत्र तथा अरावली क्षेत्र की ओर भगा दिया गया था। राजपूत लोग भीलों को उस भूमि के आरंभिक निवासी मानते हैं तथा उनके ऊपर अपना पौराणिक अधिकार भी जताते हैं। द्रविड़ जनजाति उरांव के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने मुंडाओं को पूर्व की ओर जाने के लिए बाध्य किया तथा रांची में आकर बस गए। उनका आंतरिक प्रवसन संभवतः दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के कुर्ग प्रांत से हुआ। भोजपुर तथा रोहतास जिलों का इतिहास दर्शाता है कि वहां पर क्रमशः उरांव, खर् बार, भार, तीन राजपूत भाइयों, चेरो तथा सावरों का शासन स्थापित हुआ था। उरांव मलेच्छों द्वारा रोहतासगढ़ से बाहर किए गए थे। वे लोग संभवतः चेरो जनजाति के थे। यहां पर अशोक पूर्वकाल में चेरों का शासन था। जब चेरों द्वारा उरांवों पर आक्रमण करके रोहतास गढ़ से भगाया गया, वे लोग दो दिशाओं में फैल गए।

दक्षिण भारत में केरल की उराली तथा कुरुंबा कुरुमन (शासक) थे। वे लोग आठवीं सदी तक अपना प्रभुत्व कायम रखे हुए थे। लेकिन बाद में वे लोग कोंग, चोल तथा चालुक्य राजाओं द्वारा शासन से बाहर कर दिए गए। वे लोग पश्चिमी घाट के सबसे आरंभिक निवासी रहे हैं। तमिलनाडु के कल्लार अपने आपको शूरवीर बतलाते हैं तथा चोल राज के वंशज बतलाते हैं। उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र का आरंभिक इतिहास बतलाता है कि बोडो जनजाति के लोग संपूर्ण ब्रह्पुत्र घाटी में 300 B.C. में फैल गए थे। वे लोग अंततोगत्वा गारो पहाड़ी पर जाकर बस गए लेकिन अपने प्रवसन का प्रमाण संपूर्ण उत्तर-पूर्व हिमालय क्षेत्र में छोड़ दिए हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में 300 B.C. में खस लोग फैल गए थे। आदिम प्राक्-द्रविड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जानसार बाबर क्षेत्र के कोल्ट जनजाति द्वारा किया जाता है। स्थानीय खस ब्राह्मण एवं राजपूत दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे लोग शारीरिक रूप से कश्मीरियों के समान हैं। प्रागैतिहासिक काल में वे लोग उत्तर भारत के कई हिस्सों में रहते थे। मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र के

थारु लोग पश्चिम में शारदा नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक पाए जाते हैं। श्रीवास्तव (1958) के अनुसार थारु जनजाति मध्य भारत के आदिम जनजातियों का सबसे उत्तरी विस्तार प्रस्तुत करती है। यह जनजाति हिमालय क्षेत्र में पायी जाने वाली मंगोल प्रजाति की शाखा नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से जनजातियों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय जनजातियां आरंभिक ऐतिहासिक काल में देश के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते तथा बसते रहे। ये लोग भोजन तथा उपयुक्त निवास स्थान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। इन लोगों ने अपने भ्रमण के लिए नदी के किनारों का मार्ग के रूप में सहारा लिया। इनका लक्ष्य देश में स्थित विभिन्न पहाड़ी तथा जंगल तक पहुंचना था ताकि खाद्य संकलन एवं शिकार के माध्यम से अपनी जीविका चला सकें। ये लोग पहाड़ के ढलान तथा नदी घाटी में कृषि कर्म की शुरुआत भी किए। इनके द्वारा पशुचारण, मत्स्य मारण तथा दस्तकारी कर्मों को जन्म दिया गया।

मध्य युग में जनजातियां - मुसलमान शासकों के पहले तक जनजातियां अपने स्वशासन द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती थीं। लेकिन सोलहवीं सदी के अंत में उन्हें मुसलमान शासकों द्वारा उत्पीड़ित किया जाने लगा। अंततोगत्वा उन्हें अपना स्वशासन को त्यागना पड़ा। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत करना युक्तिसंगत होगा। मुसलमानों के आने के पहले छोटा नागपुर में नागवंशी राजा मुंडा तथा उरांव के प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन सन् 1585 ई. में उन्हें मुसलमान शासकों द्वारा केवल मालगुजार (करदाता) बना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुसलमान शासकों द्वारा छोटा नागपुर के राजा के ऊपर नियमित अथवा नियतकालिका कर थोप दिए गए। राजा के लिए इसे भुगतान करना असंभव था। जब वे कर का भुगतान नहीं किए उन्हें सन् 1616 में हिरासत में ले लिया गया तथा अंत में जेल भेज दिया गया। जब वे बारह वर्ष बाद रिहा किए गए तब उन्हें वार्षिक लगान देना पड़ा। पश्चिम भारत के भील भी मुसलमान तथा मराठा आक्रमणकारियों से काफी आंदोलित रहे। मुसलमान काल में वृहत स्तर पर भीलों का धर्मांतरण मुसलमान के रूप में हुआ। सतरहवीं सदी के आरंभ में भील लोग अत्यंत आंदोलित रहे। लूट-पाट तथा आगजनी की अनेक घटनाएं भील क्षेत्र में घटित हुईं। भील सेना स्थानीय शासकों तथा मराठा आक्रमणकारियों को लूटना आरंभ कर दी थी। अशांत क्षेत्र के भीलों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें जानवर से भी बदतर स्थिति में रखा गया था तथा तरह-तरह की यातनाएं दी गई थीं। इसी अवधि में होल्कर तथा सिंध के बीच युद्ध भी हुआ था। इस लड़ाई में भीलों द्वारा अनेक स्थानीय शासकों को आतंकित किया गया था। उन स्थानीय शासकों से बड़े पैमाने पर हर्जाना वसूल किया गया था। मध्य युग में मध्य भारत की गौंड जनजातियों को भी समान स्थिति का सामना करना पड़ा था। पंद्रहवीं सदी के प्रारंभ में गौंडों का अपना गौंड राजवंश था। गौंड राजवंश की स्थापना गढ़ (जबलपुर के समीप) में की गई थी। सन् 1564 A.D. में मुगल सेना ने गढ़ को अपने अधीन कर लिया। गौंडों को मुगल सम्राटों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। 1780 तक प्राय: सभी गौंड राजवंशों का अंत हो गया था। इस समय उनके बीच मराठों का

राज स्थापित हो चुका था। जब मुगल सेना ने दक्षिण भारत में अपना आक्रमण आरंभ किया था। तब उत्तरी एवं पश्चिमी भारत के बंजारों ने उनका साथ दिया था। इसके परिणामस्वरूप इन लोगों का आंध्र प्रदेश जाना पड़ा तथा वहाँ बसना पड़ा। हिमालय क्षेत्र में भी मुसलमान शासक खस क्षेत्र को अपने अधीन लाने का हर संभव प्रयास किए। अठारहवीं शताब्दी के अंत में मुगल सेना राजा सिरमुर को पराजित करने के लिए जानसार-बाबर क्षेत्र में प्रवेश की। सतरहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में खस लोग गढ़वाल राजा के अधीन थे।

आधुनिक युग में जनजातियां - ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही भारतवर्ष में आधुनिक ऐतिहासिक युग की शुरूआत हो जाती है। जब ब्रिटिश शासक सर्वप्रथम छोटा नागपुर (तत्कालीन जंगल महल) में प्रवेश किए तब उन्हें यहां की जनजातियों को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में ब्रिटिश शासकों के साथ छोटा नागपुर में अनके प्रकार के ठेकेदारों तथा साहूकारों का आगमन हुआ। इन बाहरीं लोगों द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाने लगा। जंगलों पर ब्रिटिश सरकार तथा तथा वन ठेकेदारों का आधिपत्य स्थापित हुआ। जंगल पर जनजातीय स्वायतत्ता समाप्त हुई। वन ठेकेदार वन उपजों के कुछ अंशों को ले जाने लगे। ब्रिटिश सरकार की भूमि व्यवस्था नीति जनजातीय स्वामित्व पर प्रहार किया। महाजनों का शोषण, सूदखोरों के उत्पीड़न तथा जमींदारों की यातनाओं से तंग आकर छोटा नागपुर की जनजातियों द्वारा विद्रोह के बिगुल फूंके गए। जनजातीय विद्रोह की शुरूआत 1772 की मालर विद्राह से हो जाती है। इसका अनुसरण 1795, 1800, 1801, 1807, 1808, 1816 तथा 1821 में किया गया। बंगाल में चौर विद्रोह 1787 से 1830 के बीच हुआ। सन् 1831-32 में महान कोल विद्रोह अस्तित्व में आया। इस विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप 1833 का विनियमन ग्प्प्प को पारित किया गया। छोटा नागपुर को गैरविनियमन क्षेत्र घोषित किया गया। यह ब्रिटिश सरकार की प्रथम जनजातीय अलगाव नीति थी।

1846 का खोंड आंदोलन, 1854 का संथाल आंदोलन तथा 1869-70 का धनबाद विद्रोह गैरविनियमन व्यवस्था को और विस्तार एवं सुदृढ़ता प्रदान की। बाद में चलकर पृथक क्षेत्रों के लिए भिन्न एवं विशेष व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। सन् 1874 में अनुसूचित जिला कानून को पारित किया गया। इस कानून के तहत प्रशासक को विशाल शक्ति प्रदान की गई। इसके बावजूद भी 1887 में सरदारी विद्रोह, 1895 में बिरसा आंदोलन तथा 1914 में तना भगत आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को शक्तिपूर्वक शांत भी कर दिया गया। इस समय तक जनजातीय लोग महात्मा गाँधी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। देश के अन्य भागों की जनजातियाँ भी ब्रिटिश शासको से खुश नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम, 1919 को पारित किया गया।

ब्रिटिश शासनकाल में जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन की समस्या को भी झेलना पड़ा था। ईसाई धर्म प्रचारकों को शासकों का सहयोग प्राप्त था। ईसाई धर्म प्रचारक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जनजातीय क्षेत्र में गए तथा उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। लेकिन ईसाईकरण के कारण भारतीय जनजातियां दो वर्गो में विभाजित

हो गई – (i)जनजाति (ii)ईसाई जनजाति। उत्तर –पूर्व भारत की वृहत जनजातीय जनसंख्या का धर्मांतरण ईसाई में हुआ था। धर्मांतरण के साथ–साथ बहिष्कृत क्षेत्र की व्यवस्था इस क्षेत्र की जनजातियों के मस्तिष्क में एक पृथक पहचान बनाई।

जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के नेतागण जनजातीय बंधुओं को सहायता करने तथा उनकी स्थिति को ऊपर लाने के लिए काफी इच्छुक थे। अनेक अखिल भारतीय जनजातीय संगठनों का जन्म पूरे देश भर में हुआ। जनजातियों की सहायता हेतु भारतीय आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई (धारा 46)। ब्रिटिश सरकार की अलगाववादी नीति को अस्वीकार किया गया। जनजातीय को राष्ट्र तथा देश के अन्य लोगों के साथ विकास की धारा से जोड़ने को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय विकास के ऊपर विशाल राशि खर्च की गई। जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं का सूत्रीकरण तथा क्रियान्वयन किया गया। इसके परिणामस्वरूप जनजातियाँ देश के अन्य लोगों के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ गई हैं। विकासात्मक कार्य तथा नगरीकरण के कारण जनजातियाँ नौकरी पेशा में प्रवेश की हैं। उनके मध्य उच्च महत्वाकांक्षा का विकास हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जनजातियां अनेक विद्वानों को अपनी ओर अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए आकर्षित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारतीय जनजातियों का अध्ययन ब्रिटिश प्रशासकों तथा मानवशास्त्रियों द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत में जनजातीय अध्ययन के प्रति इस दृष्टि कोण में परिवर्तन हुआ तथा जनजातियों में परिवर्तनशीलता के साथ–साथ जोड़ने हेतु देश की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जनजातियों का अध्ययन प्रारंभ हुआ जिससे जनजातीय अध्ययन की गहन जानकारी प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हट्टन, जे. एच., सेन्सस ऑफ इण्डिया वाल्यूम 2, भाग 3,गर्वमेंट शिमला, 1931।
2. एल्विन वेरियर, द बैगाज आक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी लंदन, 1939।
3. रसेल व हीरालाल – द ट्राइब्ज एण्ड कास्टस आफ सेन्ट्रल प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, कास्मों पब्लिकेशन नई दिल्ली 1975।
4. धुरिये जी.एस., द शेडचूल ट्राइब्ज पापुलर प्रकाश, बाम्बे, 1963।
5. दास आर. के. मनीपुर ट्राइबल स्केन स्टडी इन सोसायटी एण्ड चेन्ज, :इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985।
6. मदान एवं मजूमदार, रेशेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया, : एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1921।
7. गिलिन व गिलिन, कल्चरल सोशयालाजी, : दमेक मिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1950।
8. पाण्डेय गया, भारतीय जनजातीय संस्कृति, : कंसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2007।
9. सिंह जे., आदिवासी दलित संस्कृतिः, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014।
10. श्रीवास्तव के. एस.,परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली, 2013।

11. ईश्वर के. ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, क्राउन पब्लिकेशन, रांची 2002।
12. चौधरी एस.एन. एवं मिश्रा मनीष, आदिवासी विकास उपलब्धियां व चुनौतिया, कान्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2012।
13. योजना पत्रिका, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली, फरवरी, 2016
14. जनगणना, भारत की जनगणना 2011

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं की अपेक्षाओं का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

• डिम्पल गुप्ता
••दीपमाला श्रीवास्तव

सारांश- प्रस्तुत शोध पत्र में अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं एवं उनकी समस्याओं से सम्बन्धित विषय पर चर्चा की गई है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात् शिक्षिकाओं की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं ने गम्भीर रूप लिया है। वृद्धावस्था के दौरान महिलाओं के जीवन में कई प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन समाज में लाये हैं मुख्य रूप से पहले संयुक्त परिवारों में वृद्ध लोगों का अपने परिवारों में रोब-दोब होता था, लेकिन अब संयुक्त परिवारों का रूप बहुत कम देखने को मिलता है। पहले जब अवकाश प्राप्त शिक्षिकायें जिस घर में होती थी उन्हें आदर सम्मान देते थे। आधुनिक औद्योगिकरण के कारण वह भी प्रभावित हुई है: जिसके फलस्वरूप परिवार के आकार छोटे हुए और वह पश्चिमी सभ्यता पर आधारित हो गये। इसके लिए महंगाई, महंगा जीवन स्तर मनुष्य में मनौवैज्ञानिक बदलाव एक ही व्यक्ति सभी सदस्यों की कल्पना नहीं कर सकता है। शारीरिक और मानसिक शान्ति की कमजोरी और अपूर्ण स्वास्थ्य की क्षति के बाद भी वृद्ध महिलाऐं कार्यशील रहती है। इस अवस्था में कार्य करने से उनकी जीवन प्रक्रिया और भी अधिक निराशा महसूस करने लगती है धीर-धीरे इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इस खतरे की स्थिति को समाज में देखा जा सकता है। ऐसे ही अनेक बुजुर्ग आज भारतीय समाज में है जो उम्र के अंतिम दौर में आकर एकदम अकेले हो गए है, बिल्कुल अपेक्षित और असहाय किसी को उनकी जरूरत नहीं है। बच्चों को न बड़ों को, घर को, न समाज को ऐसे में अपनी बेबसी का अहसास उन्हें अन्दर तक तोड़ देता है।अपने अतीत को याद कर दो आंसू भी तो नहीं बहा पाते हैं। ये सबके होते हुए भी उनका कोई नहीं है, जो उनके दु:ख दर्द को समझे।

मुख्य शब्द- अवकाश, शिक्षिका, औद्योगिकरण, बुजुर्ग, उम्र

प्राचीन समय में वृद्धावस्था को वरदान माना जाता था। वृद्धावस्था जीवन विकास का एक सहज और स्वाभाविक चरण है। जो सहज और स्वाभाविक है। वह कभी अभिशाप नहीं हो सकता है। ईश्वर और प्रकृति के विधान में सब वरदान है, अभिशाप

• एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आर.एम.एम. डब्ल्यू टी.टी. कॉलेज, कोटा
•• निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, आगरा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

शायद ही कोई ही यह दूसरी बात है कि वरदान को अभिशाप में बदलने के पीछे कुछ कारण हो वृद्धावस्था में जो मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये सब नकारात्मक और हानिकारक ही हो ऐसा नहीं। वृद्धावस्था अनेक गुणों की सौगात लेकर आता है। जिन्हें हम उदारता से स्वीकार करते हैं। जीवन मे जो कुछ सुन्दर सार्थक, उपयोग और चिरंतन है। वह वृद्धावस्था की देन है। वृद्धावस्था के दौरान बुजुर्गों की गति धीमी होती है। लेकिन उनके निश्चयात्मकता होती है। वृद्ध होकर मरना अनन्त पुण्य और सदाचारी संयमी जीवन का सफल माना गया है। वृद्धावस्था सामाजिक पूंजी मानी जाती है।

प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत आधुनिक समाज का पर्यावरण वृद्ध लोगों की शारीरिक भौतिक और मानसिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। अधिकांश वृद्ध लोग इस अवस्था तक पहुंचते-पहुंचते प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान और तंग आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक शारीरिक सुरक्षा, एकाकीपन आदि कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। साथ ही प्रतिष्ठा के घटने भ्रष्टाचार फैलने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासनहीनता और उच्च श्रंखलता व्याप्त हो जाने के कारण इन वृद्धजनों में निराशा और मानसिक तनाव हो जाता है। देखने सुनने की क्षमता क्षीण होने और चलते समय डगमगाने, शारीरिक ऊर्जा घटने तथा स्मरण शक्ति क्षीण होने आदि लक्षण वृद्वावस्था की सामान्य बाते हैं जो उनके जीवन को और अधिक दुखमय बना देती है। आयु बढ़ने के साथ-साथ मित्रों, जीवन साथी, शक्ति, प्रभाव, आय, स्वास्थ्य जैसी बहुत सी चीजों से वंचित रहना पड़ता है। जिसकी वजह से इन लोगों में उत्तेजना भावुकता इनका मानसिक स्तर समाज में उनके अस्तित्व जो समस्या जनक बना देता है। इससे अक्सर उनका युवा पीढी के साथ मतभेद उत्पन्न हो जाता है। क्योकि युवा पीढ़ी अत्याधुनिक ढंग से जीना चाहती है। ''पश्चिमी देशों में जवान होते ही बच्चे अलग तथा आत्मनिर्भर हो जाते है। संयुक्त परिवार तो दूर की बात, पति-पत्नी तक अलग-अलग रहते है। ऐसी हालत में बच्चों के अपने माता-पिता के साथ पहले से औपचारिक संबंध भी औपचारिक हो जाते है मदर्स ड़े या फादर्स ड़े पर कोई उपहार या फूलो का गुलदस्ता भिजवा कर हाथ जोड़ लेते है। माता-पिता कि चिन्ता थोड़ी सताती थी तो उन्हे वृद्धाश्रम 'एल्ड़र्स होम' में भरती कराने में सहायता कर देते है।''[1]

पश्चिम की चकाचौंध भरी जिन्दगी का असर भारतीय समाज और जीवन पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त परिवार का टूटना बड़े बूढ़ों की उपेक्षा, बाहरी चमक-दमक तथा समाज से दूर अपनी मर्जी का उन्मुक्त स्वछन्द जीवन बिताना आदि ऐसे ही कुछ प्रभाव है जो आज हम सब देख तथा महसूस कर रहे है वृद्धाएं नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुकी है उन्हें दिन भर कोई काम नहीं सूझता। अखबार पढ़े तो कितनी देर, रेड़ियो टी.वी. में भी दिलचस्पी घट जाती है। नींद भी कम आती है। दूसरी और वो पाती है कि उनके मान-सम्मान में दिन प्रतिदिन घटोत्तरी हो रही है अब कोई उन्हे पूछता ही नहीं है, ना ही कुछ बताता है धीरे-धीरे ये सब स्थितियां शक, अविश्वास तथा चिड़चिड़ेपन का रूप ले लेती है आधुनिक समाज में वृद्धों के लिए अनेक समस्याये खड़ी हुई है।

जब वृद्ध महिलाओं की अच्छी प्रकार से देखभाल नहीं हो पाती है तो भावनात्मक

एवं पारिवारिक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती है जिससे वृद्ध लोगों को मानसिक तनाव से होकर गुजरना पड़ता है आधुनिक समाज में लोगों की जीवन प्रणाली इतना अधिक व्यस्त है कि उन्हें अकेले जीवनयापन करना पड़ता है। वृद्धजनो के साथ अनादर पूर्ण व्यवहार भी उन्हे कुंठा से ग्रसित कर देता है। युवावर्ग व वृद्धजनो के सम्बन्धो में मधुरता नही पाई जाती है वह कड़वाहट से भरे हुए है। आज के युग में युवावर्गअपनी मनमानी करता है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वृद्धजनों की विचारधारा को नकार देता है जिसके कारण विचार धाराओं में अन्तर पाया जाता है। यह भी विकट समस्या है।

पारिवारिक व सामाजिक उपेक्षा भी वृद्धावस्था में मानसिक तनाव को जन्म देती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों के द्वारा उनको अक्सर उपेक्षा की जाती है। वृद्ध महिलाओं को अनेक शारीरिक मानसिक व भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब इनकी देखबाल अच्छी प्रकार से नही हो पाती तब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरो पर आश्रित विशेषतया बीमारी के दौरान स्थिति को और भी अधीक गम्भीर बना देती है अकेलापन वृद्धों के लिए भारयुक्त विशेषतया उनके लिए जिनका कोई भी व्यक्ति साथ रहने के लिए नहीं है संयुक्त परिवार प्रथा विघटित हो जाने से समस्या विकट बन गयी है आज स्वयं ही उनको अपना देखभाल करनी है। "आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर व्यक्तिवादी भावना का प्रसार हो रहा है आज परिवार का अर्थ मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे मात्र होता जा रहा है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था बड़ी तेजी से टूटती जा रही है। संयुक्त परिवार का आधार होता था सामूहिक मूल्य और आदर्श एक व्यक्ति कि इच्छा नहीं उसमें माँ-बाप,दादा-दादी और पूर्वजों के प्रति एक पूजा और सम्मान का भाव रहता था।"[2]

वृद्ध व्यक्तियों का जीवन एकाकीपन तथा पारिवारिक क्लेश से सम्बन्धित होता है, जीवन की इस संध्या में जिस बुजुर्ग का जीवन साथी बिछड़ जाता है उसका दु:ख दर्द सुनने वाला कोई भी नही होता है। दूसरी और कुछ वृद्ध दम्पत्ती ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे बहुओं से पृथक रहते हैं नई तथा पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक एवं सांस्कृतिक मतभेद के कारण दुनिया के सभी समाजों में टकराव होता है इस टकराव से युवा पीढ़ी को कम हानि उठानी पड़ती है जबकि वृद्ध-अवस्था को अपमानित तथा परम्परागत, मूल्यों का पतन होते देखते है। परिवार में उपेक्षित असाध्य शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त तथा आर्थिक बदहाली का सामना करते हुए बुजुर्ग शनै: शनै: तथा चिड़चिड़ेपन तथा कुन्ठा का शिकार होते चले जाते है।

अमेरिका की भाँति भारत में अभी ऐसे ओल्ड़ ऐज होम तथा परामर्श केन्द्रों की स्थापना नहीं हो पाई जहां बुजुर्गों का प्रेम ,अपनत्व, स्वास्थय,रोजगार तथा पुनर्वास की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से ग्रेट ब्रिटेन में होने वाली आत्माहत्याओं में से एक तिहाई से कम वृद्धों की होती है क्योंकि वृद्धावस्था में मानसिकता तनाव एक सामान्य समस्या है जो कि पारिवारिक सामाजिक उपेक्षा और घृणा को बढ़ावा देती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शोध का उद्देश्य अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं के आत्मसन्तोष एवं असंतोष के कारणों का पता लगाना।

2. शोध का उद्देश्य अवकाश प्राप्त शिशिक्षओं की अपेक्षाओं एवं उपेक्षाओं के मध्य सम्बन्ध को ज्ञात करना।
3. शोध का उद्देश्य अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं की समस्याओं एवं निराकरण हेतु सुझावों को ज्ञात करना।

अध्ययन की उपकल्पना

1. अवकाश प्राप्ति के दौरान जीवन में सन्तोष उनके आय के स्तर और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं दायित्व द्वारा निर्धारित होता है।
2. अवकाश प्राप्ति के पश्चात शिक्षिकायें विभिन्न स्तरों पर उपेक्षाओं का शिकार होती है।
3. अवकाश प्राप्ति के पश्चात् परिवार से उनकी अपेक्षाऐं बढ़ जाती है।

पद्धति शास्त्र - प्रस्तुत शोध पत्र में वैज्ञानिक विधिका सहारा लेते हुए सर्वप्रथम अध्ययन के उद्देश्य बनाये गये तत्पश्चात कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया। प्रस्तुत शोध प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक शोध प्ररचना का चुनाव किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़ एवं हाथरस का चुनाव किया गया। अध्ययन निदर्श के दैव निदर्शन बहुस्तरीय समानुपातिक पद्धति को अपनाया गया है। उपर्युक्त जिलों की प्राइमरी, माध्यमिक एवं महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षिकाओं (1991-99) की सूची के अनुसार इकाईयों की संख्या 312 में से चयनित निदर्श की संख्या (234) है। इसके उपरान्त तथ्यों के संग्रहण के लिए प्राथमिक द्वितीयक तथ्यों का सहारा लिया गया। जिनमें साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर तथ्यों का संकलन किया गया है। शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची, जनगणना रिपोर्ट, आत्मकथा, समाचार पत्र-पत्रिकायें आदि के आलेखों का उपयोग किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा-जोशी ने अपने अध्ययन में वृद्धावस्था में स्वास्थ्य समस्या पर किया उन्होंने बताया कि विभन्न वर्गों की शारीरिक और मानसिक घटनाएं उनके वातावरण और सामाजिक कारक पर निर्भर करती है जैसे खाने पर, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, परिवार के साथ सामंजस्य, व्यवासायिक जीवन और तम्बाकू शराब का उपयोग। परिणाम यह दर्शाता है कि प्रौढावस्था में लोगों को अप्रभावित बीमारियों को सहना पड़ता है। श्वास लेने की दिक्कत, गठिया सम्बन्धी बीमारी, ज्यादा तनाव, हृदय की बीमारी एवं मधुमेह आदि।

टालमेन ने अपने अध्ययन में बताया कि वृद्धों को जो सम्मान पहले प्राप्त या वह आज नहीं है। जो भूमिकाएं वृद्धों की होती थी वह अब विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में बदल गई है। वृद्धों को अपने बच्चों से सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए वृद्धों की सन्तोषजनक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। डी. गुप्ता ने अपने शोध प्रबन्ध में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के अवकाश के समय में उनकी रूचियों का अध्ययन किया।

राधिका और सिंह ने अपने अध्ययन, सेवानिवृत्त लोगों की समायोजन समस्या पर किया जिसमें यह बताया गया कि वह लोग धन की कमी, समय को बिताने की समस्या, सोचने की क्षमता में कमी, मरने का डर, मानसिक तनाव, सामाजिक तनाव

आदि समस्याअें में ग्रस्त हैं।

हैल्पज के रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जर्नल में प्रकाशित लेख में बताया कि चिन्ता 70 प्रतिशत, मौत का भय 74.50 प्रतिशत, अकेलेपन का अहसास 62.58 प्रतिशत, बेबसी की भावना 60.80 प्रतिशत, डिप्रेशन 52.00 प्रतिशत पर निर्भरता 71 प्रतिशत पाई गई। 59.00 प्रतिशत जिन्होनें अपने अध्ययन में वृद्धावस्था में अकेलेपन पर बताया कि मरने का डर मनोवैज्ञानिक गिरावट के कारण होता है। आवश्यक सेवानिवृत्ति और संयुक्त परिवार का कमजोर होना। उपर्युक्त अध्ययनों के विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे अकेलापन उपेक्षा, सुरक्षा की कमी, बीमारी संयुक्त परिवार का गिरता हुआ ढांचा, समय को व्यतीत करने की समस्या आदि।

सारणी संख्या 01

अवकाश प्राप्ति के पश्चात स्वयं में परिवर्तन

उपरोक्त सारणी 01 में दर्शाया गया है कि जब इन 234 उत्तरदाताओं से पूछा गया

क्र.सं.	स्वयं में परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	133	56.84
2	नहीं	52	22.22
3	आंशिक	44	18.80
4	बिलकुल नहीं	05	2.14
	योग	234	100.00

कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात स्वयं में परिवर्तन 56.84 प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा जबकि 22.22 प्रतिशत ने नहीं कहा वहीं 18.80 प्रतिशत आंशिक परिवर्तन को स्वीकार किया जाबकि 2.14 प्रतिशत बिल्कुल नहीं परिवर्तन हुआ।

सारणी संख्या 02

परिवार के प्रति प्रगाढ़ता

उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है कि परिवार के प्रति प्रगाढ़ता 27.78 प्रतिशत

क्र.सं.	परिवार के प्रति प्रगाढ़ता	संख्या	प्रतिशत
1	बढ़ी	65	27.78
2	घटी	129	55.13
3	मिश्रित	40	17.09
	योग	234	100.00

बढ़ी है वहीं 56.13 प्रतिशत घटी है। 17.09 प्रतिशत मिश्रित है जो कि सबसे कम है।

सारणी 03

अवकाश प्राप्ति के पश्चात् किस प्रकार महसूस करना

सारणी संख्या 03 में दर्शाया गया कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात शिक्षिकायें 29.

क्र.सं.	अवकाश प्राप्ति के पश्चात्	संख्या	प्रतिशत
1	आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से	70	29.92
2	आत्म संतुष्ट आंशिक रूप से	85	36.32
3	असन्तुष्ट पूर्ण रूप से	46	19.66
4	असन्तुष्ट आशिंक रूप से	33	14.10
	योग	234	100.00

92 प्रतिशत आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से, 36.32 प्रतिशत आत्म सन्तुष्ट आंशिक रूप से 19. 66 प्रतिशत असन्तुष्ट आंशिक रूप से पाई गई।

सारणी 04

यदि आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से

उपरोक्त सारणी में 70 उत्तरदाताओं ने आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से 21.43 प्रतिशत

क्र.सं.	आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से	संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के सदस्यों का व्यवहार मधुर होना	15	21.43
2	पति-पत्नी के सम्बन्ध मधुर होना	25	35.72
3	आर्थिक पक्ष मजबूत होना	18	25.71
4	सामाजिक सम्मान	12	17.14
	योग	70	100.00

ने पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार मधुर होना, 36.72 प्रतिशत ने पति-पत्नी के संबंध मधुर, 25.71 प्रतिशत ने आर्थिक पक्ष मजबूत होना जबकि 17.14 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक सम्मान के कारण आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से पाई गई।

सारणी 05

यदि आत्म सन्तोष आंशिक रूप से

उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है कि 85 उत्तरदाताओं 27.06 प्रतिशत पति-पत्नी के

क्र.सं.	आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से	संख्या	प्रतिशत
1	पति-पत्नी के सम्बन्ध मधुर होना	23	27.06
2	आर्थिक पक्ष कमजोर होना	14	16.47
3	रोग का शिकार होना	22	25.88
4	परिवार के सदस्यों के द्वारा सम्मान न मिलना	26	30.59
	योग	85	100.00

संबंध मधुर न होना, 16.47 प्रतिशत ने आर्थिक पक्ष कमजोर होना बताया, 25.88 प्रतिशत रोग के शिकार, 30.59 प्रतिशत ने परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मासन न मिलना है। जिसका प्रतिशत सबसे अधिक है।

सारणी 06

यदि आप पूर्ण रूप से असन्तुष्ट

उपरोक्त सारणी संख्या 6 में दर्शाया गया है कि 234 उत्तरदाताओं में से 46

क्र.सं.	आत्म सन्तुष्ट पूर्ण रूप से	संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के सभी सदस्यों से टकराव की स्थिति	20	43.48
2	विवाह विच्छेद होना	10	21.74
3	आय पक्ष कमजोर होना	08	17.39
4	अन्य सदस्यों का बेरोजगार होना	08	17.39
	योग	46	100.00

असन्तोष पूर्ण रूप से पायी गयी। 43.48 प्रतिशत परिवार के सभी सदस्यों में टकराव की स्थिति पाई गई। 21.74 प्रतिशत विवाह विच्छेद पायी गई। 17.39 प्रतिशत का आय पक्ष कमजोर था। 17.39 प्रतिशत अन्य सदस्य बेरोजगार थे। सर्वाधिक प्रतिशत 43.48 प्रतिशत परिवार के सभी सदस्यों से टकराव की स्थिति पाई गयी।

सारणी 07

आंशिक रूप से असन्तुष्ट

उपरोक्त सारणी संख्या 07 में दर्शाया गया है कि 234 उत्तरदाताओं में से 33

क्र.सं.	आंशिक रूप सेअसन्तुष्ट पूर्ण रूप से	संख्या	प्रतिशत
1	वृद्धा को सम्मान न मिलना	07	21.21
2	सम्बन्धों का मधुर न होना	08	24.25
3	संयुक्त परिवार में रहना	05	15.15
4	बहू के द्वारा छींटाकशी	13	39.39
	योग	33	100.00

आंशिक रूप से असन्तुष्ट पायी गयी, 21.21 प्रतिशत वृद्धों को सम्मान न मिलने की स्थिति पाई गई, 24.25 प्रतिशत सम्बन्धों का मधुर न होना, 15.15 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहना, 39.39 प्रतिशत बहू के द्वारा छींटाकशी से असंतुष्ट पाई गई। सर्वाधिक प्रतिशत 39.39 प्रतिशत बहू के द्वारा छींटाकशी से असंतुष्ट पाई गई।

सारणी 08

अवकाश प्राप्ति के पश्चात आपका शोषण

उपरोक्त समाहित सारणी 08 में उत्तरदाताओं ने बताया कि 62.39 प्रतिशत

क्र.सं.	शोषण	संख्या	प्रतिशत
1	पारिवारिक सदस्यों के द्वारा	146	62.39
2	सामाजिक सदस्यों के द्वारा	55	23.50
3	पड़ौसी के द्वारा	65	27.78
4	धार्मिक सदस्यों के द्वारा	12	5.13
5	सांस्कृतिक सदस्यों के द्वारा	45	19.23

पारिवारिक सदस्यों के द्वारा शोषण किया गया 23.50 प्रतिशत सामाजिक सदस्यों ने, 27.78 पड़ोस के द्वारा, 5.13 प्रतिशत धार्मिक सदस्य। वहीं 19.23 प्रतिशत सांस्कृतिक सदस्यों के द्वारा शोषण किया जाता है।

सारणी 09

अवकाश प्राप्ति के पश्चात समस्यायें

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि 234 उत्तरदाताओं ने अवकाश प्राप्त के पश्चात

क्र.सं.	शोषण	संख्या	प्रतिशत
1	वृद्धों को सम्मान मिलना	166	70.00
2	सरकार द्वारा सहायता नहीं मिलना	29	12.39
3	पैंशन कम होना	38	16.23
4	बीमारी से ग्रस्त	90	38.46

अनेक समस्याओं से जूझ रही, 234 उत्तरदाता में से 70.00 प्रतिशत वृद्धों को सम्मान न मिलना, 12.39 प्रतिशत को सरकार द्वारा सहायता नहीं मिलना, 1623 प्रतिशत को पेंशन कम होना, 38.46 प्रतिशत बीमारी से ग्रस्त होना बताया है।

सारणी संख्या 10

यदि आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो

उपरोक्त सारणी 10 दर्शाती है कि 234 उत्तरदाताओं में से 90 बीमारी से ग्रस्त हैं,

	बीमारी से ग्रस्त	संख्या	प्रतिशत
1	कुन्ठा	32	35.56
2	भग्नाशा	40	44.45
3	तनाव	54	60.00
4	गठिया	25	27.78

35.356 प्रतिशत कुन्ठा के शिकार पाये गये, 44.45 प्रतिशत भग्नाशा, वहीं 60.00 प्रतिशत तनाव का सामना कर रहे हैं। 27.78 प्रतिशत गठिया से परेशान है।

सारणी 11

यदि आप तनाव ग्रस्त हैं तो किससे

उपरोक्त सारणी 11 में 234 उत्तरदाताओं में से 54 ने तनाव ग्रस्त का कारण

क्र.सं.	तनाव ग्रस्त	संख्या	प्रतिशत
1	टी.बी. होना	05	9.26
2	केंसर	12	22.22
3	एड्स	06	11.11
4	विकलांग	08	14.82
5	अन्य	23	42.59
	योग	54	100.00

बताया, 9.26 प्रतिशत टी.बी., 22.22 प्रतिशत केंसर, 11.11 प्रतिशत एडस, 14.82 प्रतिशत विकलांग, वहीं 42.59 प्रतिशत अन्य से ग्रस्त पाये गये।

सारणी 12

सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल का दायित्व

उपरोक्त समाहित सारणी संख्या 12 दर्शाती है कि सामाजिक सुरक्षा एवं

क्र.सं.	देखभाल का दायित्व	संख्या	प्रतिशत
1	केवल परिवार पर	209	89.31
2	स्वयं संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संगठन पर	65	27.77
3	सामाज कल्याण विभाग पर	116	49.57
4	उस संस्था पर जहाँ पे काम करते थे (राज्य सरकार)	98	41.88
5	सम्पूर्ण समुदाय पर	222	94.87

देखभाल का दायित्व 89.31 प्रतिशत, केवल परिवार पर, 27.77 प्रतिशत स्वयं संस्थाओं एवं स्वयं संगठन पर, जबकि 41.88 प्रतिशत ने उस संस्था पर जहां वह काम करते थे। वहीं 94.87 प्रतिशत ने सम्पूर्ण समुदाय पर बताया।

सारणी 13

अवकाश प्राप्ति के पश्चात परिवार में स्वस्थ सामाजिक हेतु आप किन-किन आवश्यकताऐं और इच्छाओं को सीमित करें

निष्कर्ष एवं सुझाव- उपरोक्त की गई सभी बातों से और उत्तरदाताअें की प्रतिक्रिया को

क्र.सं.	स्वस्थ समायोजन हेतु	संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के सदस्यों की क्रिया कलापों में बाधक बनना	214	91.45
2	भोजन जैसा भी हो प्रसन्नता से ग्रहण करना	198	64.81
3	अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के अतिभार को परिवार पर न डालना	220	94.01
4	शान्ति पूर्ण घर में रहना	163	69.66

देखते यही ज्ञात होता है कि समाज में वृद्धों के सम्मान में कमी आई है आज वृद्धजनों के अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वृद्ध उम्र के आखिरी पड़ाव पर अकेले बेसहारा, रोग ग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने खाली वक्त का सद्पयोग करें, उन्हें रचनात्मक कार्यों को लगाने अपने मनोरंजन के अवसर स्वयं निकालने चाहिए। अपने संवेगों तथा भावनाओं पर नियन्त्रण करना चाहिए, निरर्थक बातों पर उत्तेजित होने से बचना चाहिए, शोधकत्री ने यह पाया कि एक दूसरे की भावनाओं का यदि कद्र की जाए तो पारिवारिक क्लेश से बचा जा सकता है।

वयो वृद्ध का सम्मान जहां
सुख शान्ति समृद्धि वहां

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. रवि शर्मा ''अकेलापन की लम्बी परछाईयाँ'' समाचार पत्र जन सत्ता, रविवार ''क्यों उपेक्षित'' अनुवृत्त वर्ष 1988 अंक 23, 16 फरवरी 1999 पेज नं. 11-12
2. ''भार नहीं प्रतिष्ठा के हक़दार बुजुर्ग'' अमर उजाला, रूपायन अंक 12, 12 मार्च, 1999 पेज नं.-1
3. ''भार नहीं प्रतिष्ठा के हक़दार बुजुर्ग'' अमर उजाला, रूपायन अंक 12, 12 मार्च, 1999 पेज नं.-1
4. C.K. Joshi, "Medical Problem of old age". Indian Journal of Gerentology,

Jaipur, Vol. 3, and 04 July, 02 Oct. 1971, pp – 64, 68

5. Tolman Vomine 1961, Social Aspect of ageieng international encyclopedia of social science vol-I and II.
6. D. Gupta 1968 a study Span interest of Hindi speaking villages thesis Lucknow university.
7. Radhika and N.K. Singh " A survey of problems of retired person Indian Journal of Gerentology vol- II, No 1 and 2 July, 02 Oct. 1971, pp – 34, 37
8. आयु रक्षा 24 हेल्प ऐज के रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट जर्नल से लिया गया है। यह लेख 20 मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है। पृष्ठ संख्या– 8, 9

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

बेतिया नगर में मलिन बस्तियाँ : समस्याँ एवं समाधान

• बीरेन्द्र कुमार

सारांश- प्रस्तुत शोध बेतिया नगर में मलिन बस्तियाँ, समस्याँ एवं समाधान से संबंधित है, किसी भी नगर में स्लम बस्तियों की उपस्थिति भी शहरी गरीबी का परिचायक है, बेतिया नगर के शहरी गरीबों में मुख्यतः आस-पास के क्षेत्रों से काम मजदूरी की तलाश में आए हुए प्रवासी लोग मुख्यतः शामिल है। बेतिया शहर में गंदी बस्तियों की कुल 8161 गृह ईकाईयां मौजूद है जिनकी जनसंख्या लगभग 41 हजार है। अध्ययन क्षेत्र के मलिन बस्तियों में, मल निर्यात, जल निकास, जलापूर्ति, एवं स्वच्छता जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

मुख्य शब्द- मलिन बस्ती, गरीबी, जनसंख्या, वार्ड, जलापूर्ति, स्वास्थ्य

मलिन बस्तियाँ गरीब लोगों तथा मकानों का क्षेत्र है जहाँ अस्वस्थ्य कर परिस्थितियों में स्वच्छता, पेजयल, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यह एक असंगठित क्षेत्र होता है जहां अपराधी, निम्न एवं दोषयुक्त लोग निवास करते है मलिन बस्तियों के उत्पत्ति के कई कारण है जैसे गरीबी, नगर का अनियोजित विकास, काम की तलाश में गरीब लोगों का नगरों की तरफ प्रवाह, संसाधनों का अभाव आदि।

बेतिया नगर में नदी की तली, निचली भूमि तथा अन्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्लम बसे हुए है। बेतिया शहर में स्लम जैसी चीज न रह जाए इस संदर्भ में पुनर्वास/आवास, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य-

1. बेतिया नगर के गंदी बस्तियों के समस्याओं का अध्ययन करना है।
2. बेतिया शहर में स्लम जैसी चीज न रह जाए इस संदर्भ में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है।
3. बेतिया नगर के मलिन बस्तियां के समस्याओं के संदर्भ में सरकार, जनप्रतिनिधियों, नौकरशाही एवं जनता का ध्यान आकृष्ट करना है।

परिकल्पना-

1. मलिन बस्तियां गरीबी की उपज है।
2. मलिन बस्तियां में रोग फैलने की समस्यां बनी रहती है।
3. बेतिया नगर में मलिन बस्तियों का वितरण असमान है।

• विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

अध्ययन पद्धति- प्रस्तुत शोध में बेतिया नगर परिषद् से संग्रहित द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। साथ ही अनुभवात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि तंत्रों का भी प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र- बेतिया शहर की अवस्थिति बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में 26°48' उत्तरी अक्षांश और 84°30' पूर्वी देशांतर पर स्थित है।

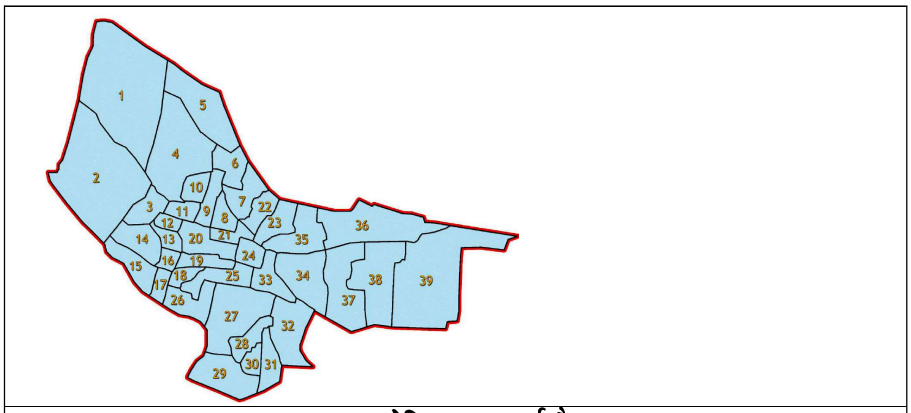

बेतिया नगर वार्ड मैप

बेतिया नगर में मलिन बस्तियाँ- मलिन बस्तियाँ अनिवार्य रूप से शहरी गरीबी की उपज है जहाँ विविध प्रकार की सुविधाओं जैसे- सुरक्षित जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट निदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलनिकासी, संपर्क पथ आदि की उपलब्धता का अभाव पाया जाता है बेतिया शहर में कुल स्लमों घरों की संख्या 8161 है जिनकी जनसंख्या लगभग 40805 है।

बेतिया शहर के मलिन बस्तियों का विवरण (वार्ड वाइज)

1. वार्ड संख्या-1 में - जमादार टोला, बसंत टोला
2. वार्ड संख्या-2 में - नगदहिया, बधाई टोला, अहीर टोली, हजारी कैम्प (बेंगालिस), हजारी टोला
3. वार्ड संख्या-3 में - किसान बाग
4. वार्ड संख्या-4 में - गुसूकपुर (कजरा टोली), नोनिया डीह, गुसूकपुर (राजेन्द्र नगर), उतरवारी पोखर
5. वार्ड संख्या-5 में - पसिया टोली, हरिजन टोली, मूसल टोली, मिर्जा टोली, नोनिया टोली
6. वार्ड संख्या-6 एवं 7 में - वार्ड संख्या-6 महारानी जानकीपुर नगर, वार्ड संख्या-7 नोनियार, पट्टी, चिक पट्टी
7. वार्ड संख्या-7 में - चीक पट्टी, पुरानी गुदरी डीह, राजगुरू चौक
8. वार्ड संख्या-9 में - पटेल नगर, दर्जी टोला
9. वार्ड संख्या-10 में - कूजरा टोली, धोबी टोला, ततवा टोली, गोंद टोला, हरिजन टोली, तूरहा टोली, नोनिया टोली, पासी टोला
10. वार्ड संख्या-11 में - नैका बजार चौक (टोली)

11. वार्ड संख्या–12 में – गोंदवा टोली
12. वार्ड संख्या–14 में – दिवान पट्टी, काली बाग मोहल्ला
13. वार्ड संख्या–15 में – नया टोला, बधारी पट्टी, ततमा टोली, बेलदार टोली, बधइया टोली
14. वार्ड संख्या–16 में – पासी टोला (गंज नं.–1)
15. वार्ड संख्या–16 में – घसिया पट्टी, रेडलाइट एरिया (नाजनीन चौक), चिक पट्टी (नाजनीन चौक), कुजरा पट्टी, तेली पट्टी, जोलहा पट्टी।
16. वार्ड संख्या–20 में – मिस्कार टोला, गोदोहा, हलवाई पट्टी, बेहिन्द गणेश मंदिर।
17. वार्ड संख्या–21 में – कुर्मी टोला (राजगुरू चौक), दरगाह मोहल्ला, माली टोला।
18. वार्ड संख्या–22 में – दरगाह मोहल्ला।
19. वार्ड संख्या–23 में – भोला बाबू कॉलोनी।
20. वार्ड संख्या–24 में – नोनिया टोला, शहीद चौक (मोहमडन टोला), गुरूद्वारा।
21. वार्ड संख्या–25 में – हॉस्पीटल रोड (पासी टोला), हॉस्पीटल रोड (हरिजन बस्ती), मस्लिम बस्ती।
22. वार्ड संख्या–26 में – पशुपति नगर, लोद्य पट्टी।
23. वार्ड संख्या–27 में – जगजीवन नगर, डोम टोली, इमली चौक (पारसी टोला)।
24. वार्ड संख्या–28 में – पश्चिम मोहल्ला (वंशवरिया)
25. वार्ड संख्या–29 में – धुनिया पट्टी, दमदवा टोला, जगदम्बा नगर, गोंड पट्टी, बधाई टोला, नारायणी चौक।
26. वार्ड संख्या–30 में – पकड़ी मोहल्ला, मधुकुंज नगर, ज्ञानोदय नगर, नोनिया टोली, दरोगा टोला।
27. वार्ड संख्या–31 में – अम्बेडकर कॉलोनी, घूसकपुरा, ज्ञानोदय नगर, माइकल कॉलोनी, शिक्षक नगर, गांधी नगर, कुरेशी मुहल्ला।
28. वार्ड संख्या–32 में – पायोनी बाग, नौरंगा बाग, दुगा बाग, बेल बाग (बंगाली कॉलोनी)।
29. वार्ड संख्या–33 में – कोढ़िया पट्टी, अलकतरा।
30. वार्ड संख्या–34 में – पिजुआ पोखरा, उज्जैन टोला, डाकघर (पश्चिम)
31. वार्ड संख्या–35 में – महावत टोली, उज्जैन टोला।
32. वार्ड संख्या–36 में – स्टेशन पोखरा, नूरी मस्जिद (बस स्टैण्ड रोड), हरि वाहिका चौक।
33. वार्ड संख्या–37 में – आदर्श कॉलोनी, कोइरी टोला, स्टेशन चौक।
34. वार्ड संख्या–38 में – न्यू बस स्टैण्ड रोड, दुर्गा नगर।
35. वार्ड संख्या–39 में – नोनिया टोली

बेतिया शहर के वार्ड संख्या 6, 32 तथा 33 में सबसे अधिक मलिन गृह ईकाईयों की संख्या है तथा वार्ड संख्या 19 में सबसे कम मलिन गृह ईकाईयों की संख्या है।

बेतिया नगर के मलिन बस्तियों की निम्नलिखित समस्याएँ है :

1. **जल आपूर्ति -** बेतिया नगर के स्लमों पेयजल प्रमुख समस्यां है, अनुपयुक्त नलों एवं पाइपलाइन के जोड़ों के रिसाव के कारण जल की बर्बादी होता है तथा भूमिगत जल का तेजी से क्षरण होना प्रमुख समस्या है।
2. **बिजली की समस्या** – अध्ययन क्षेत्र के स्लमों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है। अधिकांश मलिन बस्तियों में बिजली कनेक्शन नहीं है इन मलिन बस्तियों में बिजली चोरी करना आम बात है।
3. **कचरा प्रबंधन का अभाव -** इन स्लमों में व्यवस्थित कचरा प्रबंधन का अभाव है गलियों के किनारे और खुली नालियों में कचरे का जमाव आम बात है फलत: स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी समस्या भी उत्पन्न होती है।
4. **मल निर्यात की समस्या -** अध्ययन क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा तो सार्वजनिक शौचालय की स्थापना किया गया है लेकिन मल निर्यात प्रणाली की स्थापना नहीं किया गया है, शहर के कुछ स्लमों में लोग आज भी खुले में शौच जाते है। फलत: हैजा जैसी रोगों के फैलने की समस्यां बनी रहती है।
5. **बसाव क्षेत्र -** बेतिया शहर के मलिन बस्तियों में आवासीय ईकाईयों का अभाव दिखता है पशु और मनुष्य साथ-साथ रहते है फलत: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होती है।
6. **निम्न आय एवं ऋणग्रस्तता की समस्या** – बेतिया शहर के मलिन बस्ती के लोगों का आय निम्न है यहाँ के अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी का काम करते है।
7. **जल निकासी की समस्या -** बेतिया शहर के मलिन बस्तियों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, फलत: विभिन्न जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

बेतिया नगर के मलिन बस्तियों के समस्याओं के निदान के उपाय :

1. बेतिया शहर के स्लमों में वैध जल-आपूर्ति कनेक्शन का प्रावधान किए जाए तथा जल की हानि एवं चोरी पर रोक लगाई जाए।
2. अध्ययन में स्लम के सभी गृह ईकाईयों को बिजली आपूर्ति का कनेक्शन प्रदान की जाए।
3. कचरे के संग्रहण हेतु कचरा डब्बों तथा संग्रहण केन्द्रों का प्रावधान किए जाए तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न नहीं हो। इस संदर्भ में कचरों का नियमित संग्रहण एवं निष्पादन की जाए।
4. मल निर्यात हेतु सिवरेज लाइन की त्वरित स्थापना की जाय।
5. अध्ययन क्षेत्र के स्लमों में स्थानीय समस्याओं के हल हेतु विभिन्न छळ्ठे का सहयोग लिया जाए।
6. बेतिया शहर के मलिन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं की उपलब्धता प्रदान की जाए।

निष्कर्ष- अत: उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बेतिया नगर में गंदी बस्तियां लगभग प्रत्येक वार्ड में मौजूद है जहाँ अनेकों प्रकार की समस्याएं विद्यमान है। वर्तमान समय में सभी लोग आज आधुनिक तकनीक से सुसज्जित आधारभूत संरचनाओं से युक्त जगहों पर रहना चाहते है वही ये मलिन बस्तियां एक सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप की तरह हैं हालांकि सरकार द्वारा स्लम नाम की कोई चीज नहीं रह जाए इस संदर्भ में श्रछछन्त्डे सहित अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे है लेकिन इन कार्यक्रमों का धरातल स्तर पर बेतिया शहर में अभी लागू होना अभी बाकी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. श्रीवास्तव, नीरज (1994), भारत में गंदी बस्तियां एवं विकास, आगरा, जीवन पब्लिकेशन
2. City Development Bettiah, Voyants Solutions Pvt. Ltd, Final Rep.RT
3. नगर-विकास योजना, औरंगाबाद
4. दुबे, संजय (2007), गंदी बस्तियों की समस्याएं, नई दिल्ली, विकास प्रकाशन
5. आर., जोशी (2013), "पर्यावरण भूगोल" आगरा, साहित्य ग्रंथ अकादमी

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

धूम्रपान : कैंसर से सहसम्बन्ध
(आगरा के मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोगियों के विशेष सन्दर्भ में)

• प्रियंका कुमारी

सारांश- वर्तमान में व्यक्ति के आस-पास की दुनिया इतनी जल्दी बदल जाती है कि व्यक्ति स्वयं को बदलते हुए माहौल में सामंजस्य नहीं कर पाता है वह उन परिवर्तनों को सहज स्वीकार नहीं कर पाता है और बदलती परिस्थितियों में स्वयं को असहज महसूस करने लगता, तब स्वयं को सहज व सुगम बनाने के लिए नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो जाता है व सामाजिक चलन से बाहर रीति-रिवाजों को अपना लेता है। जैसे मादक द्रव्य, धूम्रपान इत्यादि की उप संस्कृति और यही इनको सर्वश्रेष्ठ लगता है। व्यक्ति को विश्वास होता है कि वह अन्य से भिन्न व श्रेष्ठ है धूम्रपान का सेवन एक बार कर लेने पर वह इसको अपनी आदत बना लेता है, निकोटिन के प्रभाव के कारण वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता है। इसके प्रभाव के कारण इसको ऐसी लत लग जाती है कि इसको लिये बिना वह बैचेन व परेशान होने लगता है। धूम्रपान का निरन्तर सेवन समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। धूम्रपान से कैंसर, फैफड़ों के रोग हो जाते हैं, व्यक्ति कैंसर जैसी असाध्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो समाज व सामाजिक रिश्तों से उपेक्षित जीवन व्यतीत करता है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य धूम्रपान के कारण होने वाला कैंसर है, इन दोनों के सहसम्बन्ध का अध्ययन करना है तथा इस शोध पत्र में प्राथमिक स्त्रोतों के आधार पर समीक्षात्क मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द- धूम्रपान, निकोटीन, कैंसर, सहसम्बन्ध

वर्तमान समय की सामाजिक संरचना प्राचीन समय के सामाजिक संरचना की अपेक्षा अधिक जटिलता व उलझन से भरी हुई है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी पहले जितना सरल नहीं रह गया है उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं और संतुष्ट ना होने के कारण समाज में विचलन जैसी अवस्था उत्पन्न हो गई। बदलते वक्त के साथ समाज की अवधारणायें, आवश्यकतायें बदल गई हैं। इन बदलती आवश्यकताओं के कारण ही समाज में नये परिवर्तन व आविष्कार हुये हैं, औद्योगीकरण व नगरीयकरण की गति में भी वृद्धि हुई है लोगों का जीवन स्तर जहाँ उच्च हुआ है वहीं कई नये आविष्कार व तरक्की के बावजूद भी समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्यान्न की समस्या, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा जगत में अप्रकाशित प्रगति होने पर भी समाज में असाध्य व गंभीर बीमारी का बना रहना।

• रिसर्च स्कॉलर, समाज विज्ञान संस्थान, डॉ. बी.आर.अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

धूम्रपान, तंबाकू, बीड़ी, नशीले पदार्थों का सेवन एक ऐसा दुर्व्यसन बन गया है जो समाज के हर वर्ग, चाहे वह भविष्य का निर्माणकर्ता युवा हो या समाज को अपने अनुभव से मार्गदर्शन देने वाले वृद्ध या किशोरावस्था में पहुँचते बालक-बालिकायें। धूम्रपान का ना केवल करने वाले पर अपितु उससे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तौर पर।

धूम्रपान नशे का एक सामान्य रूप है और लोकप्रिय भी। धूम्रपान में निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है इसका रासायनिक सूत्र C10H14N2 है यह ऐसा तत्व है जो व्यक्ति की इस आदत को बनाये रखने के लिए बैचेन व मजबूर कर देता है।

धूम्रपान का इतिहास लगभग 5000 ई.पूर्व हो सकता है विश्व की कई संस्कृतियों व सभ्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है वर्तमान में धूम्रपान की लोकप्रिय विधि सिगरेट है। आज हर चौराहे, दुकानों पर सिगरेट आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सिगरेट के अन्य साधन भी बीड़ी, पाइप, सिगार, हुक्का, ई-सिगरेट शामिल हैं जिन्हें लोग अपनी आवश्यकतानुसार लेना पसन्द करते हैं।

धूम्रपान के निरन्तर बढ़ते सेवन के कारण समाज में नयी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं और यह समस्या है कैंसर की बढ़ती संख्या। धूम्रपान में मौजूद निकोटीन के कारण व्यक्ति धीरे-2 कैंसर की जड़ में आ रहा है।

कैंसर से प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या लाखों से ऊपर है वही हर समय धूम्रपान करने वालों की संख्या करोड़ों में है धूम्रपान में मौजूद निकोटीन के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी समाज में एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आयी है भारत में प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख से अधिक कैंसर से व्यक्ति पीड़ित होते हैं 7 लाख से अधिक प्रतिवर्ष कैंसर के नये मरीज हो रहे है यद्यपि ये कैंसर के आंकड़ें कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों पर आधारित है पर हकीकत में यह संख्या लगभग दो गुनी है जो रजिस्ट्रों पर दर्ज नहीं होते।

कैंसर की उत्पत्ति- यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है इस बीमारी का किसी की उम्र, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति में कोई सरोकार नहीं है यह शरीर के किसी भी हिस्से में प्रारम्भ हो जाता है, यह एक आनुवांशिक विकास है जो डी.एन.ए. म्यूटेशन के कारण होता है, जो सहज या पर्यावरणीय विकार में प्रभावित होता है।

सभी कैंसर की शुरूआत कोशिकाओं से होती हैं जो मानव शरीर के जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यह कोशिकायें नियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती है, पर जब इस प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब कोशिका का DNA बदल जाता है तो उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है जो इसके विकास व विभाजन को प्रभावित कर देता है तब मौजूद कोशिकायें मरती नहीं बल्कि उसकी जगह नई कोशिकायें आ जाती हैं। यह नई कोशिकायें ही ट्यूमर उत्पन्न करती है यह ट्यूमर ही कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है।

उद्देश्य - धूम्रपान व कैंसर से ग्रसित व्यक्ति के बीच सह सम्बन्ध ज्ञात करना।

उपकल्पना- धूम्रपान व कैंसर नकारात्मक संबन्ध होता है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं शोध प्रबन्ध- उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के मध्य आगरा शहर

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र है। यह शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा जिले के उत्तर में मथुरा, पूर्व में फिरोजाबाद तथा दक्षिण में राजस्थान तथा पश्चिम में भरतपुर जिला स्थित है आगरा जिले की कुल जनसंख्या 4,48,797 है। अध्ययन के उद्देश्य हेतु आगरा शहर के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज (S.N. Medical College, Agra) है जिसमें सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के मरीज आते हैं अपनी समस्यायें लेकर। ैण्छण् में कैंसर पीड़ितों की संख्या सर्वाधिक है प्रतिदिन कैंसर पीड़ितों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। कैंसर पीड़ित व्यक्ति चयनित दिन (मंगलवार और गुरुवार) को नहीं अपितु हर रोज मरीज कैंसर विभाग में निरन्तर आते हैं चयनित दिनों में सामान्य दिनों की अपेक्षा मरीजों की संख्या तीन गुनी बढ़ जाती है। वर्ष 2018 में मरीजों की संख्या 19,581 थी जिसमें 1477 मरीज भर्ती रहे तथा कुल मरीजों की संख्या 22,200 थी तथा नये मरीज 1486 थे वर्ष 2019 में कुल संख्या 23,686 थी। दोनों वर्ष (2018-19) की कुल संख्या 44,744 थी मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या ने समाज में चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी है। आगरा में सर्वाधिक तम्बाकू, धूम्रपान करने के कारण आगरा में कैंसर मरीजों की संख्या सर्वाधिक है उसके बाद अलीगढ़, इटावा, हाथरस व मथुरा जैसे क्षेत्र आते हैं। मरीजों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण शोधार्थी ने अपने अध्ययन के लिएै दवू इंसस उमजीवक का प्रयोग किया है। चयनित आगरा शहर के मेडिकल कॉलेज के 340 कैंसर पीड़ितों का Snow ball method से चयन कर साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित किये गये।

शोध की आवश्यकता एवंम् महत्व-शोध अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कैंसर होने के पूर्व व पश्चात् व्यक्ति व परिवारजन के व्यवहार में क्या अंतर आता है।

शोध प्रविधि- प्रस्तावित शोध अध्ययन को व्यवस्थित पूर्ण करने हेतु समकालीन मौलिक स्रोतों, स्थल सर्वेक्षणों और ग्रन्थों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए शोध के लिए दो प्रत्यक्ष व अप्रत्क्ष पद्धतियों का सहयोग लिया गया है इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार का भी प्रयोग किया गया है।

समंकों का संकलन व प्रयुक्त विधि-समंक किसी भी अध्ययन के निकाले गये निष्कर्षों के लिये आधार प्रदान करता है संमकों के मुख्यत: दो स्रोत हैं पहला प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत मुख्यत निरीक्षण या अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची व प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की गई हैं इस शोध में प्राथमिक व द्वितीयक तथ्य सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो कि पत्र पत्रिकायें, अखबारों, शोध रिपोर्ट आदि से एकत्र किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण द्वारा आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं एवं निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

तलिका 01

क्या आप धूम्रपान/तम्बाकू का प्रयोग करते हैं

	हाँ		नहीं	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मादक दृव्यों/धूम्रपान का प्रयोग	256	75ण्29	84	24.71
योग	256	75ण्29	84	24.71

उपरोक्त तालिका के अनुसार 256 (75.29) प्रतिशत उत्तरदाता मादक दृव्यों अथवा धूम्रपान का प्रयोग करते हैं जबकि 84 (24.71) प्रतिशतमादक दृव्य अथवा धूम्रपान का प्रयोग नहीं करते है।

तालिका 02

आपने सर्व प्रथम किस स्थान पर धूम्रपान किया था

आपने सर्व प्रथम किस स्थान पर धूम्रपान किया था-	संख्या	प्रतिशत
विद्यालय में	9	2.65
छात्रावास में	0	0.00
घर में	67	19.71
रिश्तेदारों के घर	69	20.29
शादी-विवाह समारोहों	18	5.29
होटल में	0	0.00
अन्य किसी स्थान पर	17	5.00
याद नहीं	93	27.35
योग	273	80.29

उपरोक्त तालिका 02 के अनुसार 9 (2.65) प्रतिशत ने विद्यालय में सर्व प्रथम धूम्रपान किया था, 67 (19.71) प्रतिशत ने घर में, 69 (20.29) प्रतिशत ने रिश्तेदरों के घर पर, 18 (5.29) प्रतिशत ने शादी-विवाह समारोहों में तथा 17 (5.00) प्रतिशत ने अन्य किसी स्थान पर धूम्रपान किया था। सर्वाधिक 193 (27.35) प्रतिशत उत्तरदाताओं को यादी नहीं कि उन्होंने सर्वप्रथम धूम्रपान कब किया था।

तालिका 03

सामान्यतः आप धूम्रपान का सेवन किन परिस्थितियों में अधिक करते हैं

सामान्यतः आप धूम्रपान का सेवन किन परिस्थितियों में अधिक करते हैं-	संख्या	प्रतिशत
प्रतिदिन	218	64.12
साप्ताहिक	0	0.00
मासिक	0	0.00
वैवाहिक अवसरों पर	0	0.00
सीमित अवसरों पर	4	1.18
कभी-कभी	24	7.06
योग	246	72.36

तालिका-3 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 218 (64.12) प्रतिशत प्रतिदिन धूम्रपान का सेवन करते हैं, 24 (7.06) प्रतिशत कभी-कभी धूम्रपान का सेवन करते हैं तथा सबसे कम 4 (1.18) प्रतिशत कभी-कभी धूम्रपान का सेवन करते हैं।

तालिका 04

क्या आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं?

क्या आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं?	संख्या	प्रतिशत
हाँ	134	39.4
नहीं	206	61.0
योग	340	100

उपरोक्त तालिकानुसार 134 (39.4) प्रतिशत किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तथा 206 (61.00) प्रतिशत किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं।

तालिका 05

हाँ तो कौन सी बीमारियाँ?

हाँ तो कौन सी बीमारियाँ?	संख्या	प्रतिशत
वायरल बुखार	0	0
हार्ट-अटैक	0	0
कैंसर	99	74
ब्रेन हेमरेज	35	26
एच.आई.वी.	0	0
टी.बी.	0	0
अन्य	0	0
योग	134	100

तलिका 05 से ज्ञात होता है कि 99 (74.00) प्रतिशत को धूम्रपान के कारण कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं तथा 35 (26.00) प्रतिशत को ब्रेन हेमरेज हुआ।

तालिका 06

क्या आप कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं?

क्या आप कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं?	संख्या	प्रतिशत
हाँ	99	29.1
नहीं	241	70.9
योग	340	100

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 99 (29.1) प्रतिशत को धूम्रपान के कारण कैंसर से ग्रस्त हैं तथा 241 (70.9) प्रतिशत को धूम्रपान के कारण कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं।

तालिका 07

यदि हाँ आप किस प्रकार के कैंसर के रोग से ग्रस्त है?

यदि हाँ आप किस प्रकार के कैंसर के रोग से ग्रस्त है?	संख्या	प्रतिशत
ओरल कैंसर	4	4.00
ब्रेस्ट कैंसर	9	9.00
लंग कैंसर	8	8.00
स्किन कैंसर	5	5.00
सर्वाइकल कैंसर	9	9.00
ब्लड कैंसर (ल्यूकोमिया)	4	4.00
प्रोस्टेट कैंसर (पौरुषग्रंथि का कैंसर)	1	1.00
गर्भाशय कैंसर (बच्चेदानी का कैंसर)	0	0.00
ओवेरियन कैंसर (कोलन कैंसर)	6	6.00
पेट का कैंसर	9	9.00
बोन कैंसर (हड्यों का कैंसर)	0	0.00
लिवर कैंसर	8	8.00
कोलोरेक्टल कैंसर	0	0.00
गले का कैंसर	31	31.00
योनि का कैंसर	0	0.00
ब्लैडर कैंसर	0	0.00
अग्नाशय कैंसर	5	5.00
लिम्फोमा	0	0.00
गुर्दे का कैंसर	0	0.00
वृषण कैंसर	0	0.00
ब्रेन कैंसर	0	0.00
योग	99	100

उपरोक्त तालिका के अनुसार 04 (4.0) प्रतिशत ओरल कैंसर से ग्रसित, 9 (9.0) प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित, 8 (8.00) प्रतिशतको लंग कैंसर, 5 (5.0) प्रतिशत स्किन कैंसर से ग्रस्त, 9 (9.0) प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं, 4 (4.0) प्रतिशत ब्लड कैंसर (ल्यूकोमिया), 1 (1.0) प्रतिशत प्रोस्टेट कैंसर, 6 प्रतिशत ओवेरियन कैंसर, 8 प्रतिशत लिवर कैंसर तथा सर्वाधिक 31 (31.0) प्रतिशत गले का कैंसर से ग्रसित हैं एवम् 5 प्रतिशतअग्नाशय कैंसर से ग्रसित हैं।

निष्कर्ष- धूम्रपान व कैंसर में सकारात्मक संबंध है धूम्रपान तम्बाकू के कारण कैंसर होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है।

सुझाव

1. लोगों को धूम्रपान में सम्बन्धित होने वाली बीमारियों के बारे में और अधिक जानकारी देनी चाहिए।
2. बीमारी के पश्चात् जिंदगी के प्रति सकारात्मक रुख अपनाये जाने की आवश्यकता है।
3. लोगों को जागरुक किया जाये कि कैंसर पीड़ितों से भेदभाव व उपक्षित व्यवहार न करें।
4. चिकित्सक सुविधाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हरिकृष्ण रावत – उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश ISBN 978-81-7033-963-2 (Hard Cover) ISBN 978-81-7033-964-9(Poperback) Published by Prem Rawat for Rawat Publications Satyam Apts, Sector 3, - Jawahar Nagar, Jaipur – 302004 (India)
2. Smoking – Wikipedia.com
3. पाण्डेय जे.पी., आधुनिक समाज एवं नशा खोरी, प्रकाशित शोध पत्र सामाजिक सहयोग, राष्ट्रीय शोध पत्रिका, 13 (20) – (21) उज्जैन (M.P.), 2003 पृष्ठ – 37
4. Smoking and cancer/ overviews of Diseases/conditions/Tips from farmer smokers Spanish D.S. Department of Health and Human Services USA. Gov CDC Website Exit Disclaimer. https/www.cdc.gov.23march 2020
5. Smoking causes cancer say to No Tobacco -By-Gaurav Sen, https:/m. Patrika.com7Gwalior
6. जिला प्रोफाइल/ जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश, agra.nic.in
7. लक्ष्मी नाराध्ण कोली – रिसर्च मैथियोलॉजी, प्रथम संस्करण – 2003, Re.Print-2014, ISBN-81-85070-91-1, Published by-Y.K. Publishers Block-77, Sanjay Place, Agra-282002
8. डा. शांशक मनोहर बोस– कैंसर, पैठछ 978–81–237–55 94–6 पहला संस्करण – 2009 दूसरी आवृत्ति – 2016 (शक 1938) मूल 6 एस.एम.बोस, हिंदी अनुवाद 6 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

कौशल विकास योजना : एक दृष्टि

• प्रिया शुक्ला
••अरुण कुमार गौतम

सारांश- देश के समृद्धि/विकास हेतु मानवीय ज्ञान व कौशल संवर्द्धन मुख्य शक्तियाँ होती है। जिनके द्वारा राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज का प्रत्येक मानव कुशल ज्ञान व कौशल संवर्द्धन से युक्त सभी चुनौतियों व सुअवसरों को अत्यंत ही प्रभावी तरीके से समायोजित/सदुपयोग कर सकते हैं। भारत में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के सतत् प्रयत्न स्वतंत्रता पूर्व ही संचालित किये गये हैं, जिसके विकास हेतु महात्मा गांधी ने भी पुरजोर प्रयास किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परम्परागत कौशल को उकेरने हेतु महत्मा गांधी एवं अन्य विद्वतजनों ने इसके विकास के लिए अनेक कार्यक्रम का संचालन किया। तभी से सतत् रूप में आर्थिक विकास हेतु कौशल व ज्ञान संवर्द्धन के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, लेकिन आज उनके विखरे हुए स्वरूप को शासन स्तर पर एकत्रित कर प्रोत्साहित किये जाने का अकादमिक प्रयास किया जा रहा है। भारत में शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की दशा व दिशा पर छै० ने अपने 2018-2019 के 76वें चक्र की रिपोर्ट के आधार पर 15 से 59 वर्ष के आयुवर्ग के उत्साहित व्यक्तियों में से औपचारिक एवं गैर औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु लगभग 10.8 प्रतिशत आज कौशल संवर्द्धन को पुर्नगठित करने की अत्यंत जरूरत है, जो व्यावसायिक इकाईयों के आवश्यकता के अनुरूप व्यक्तियों को हुनरमन्द बनाने में सहायक होगा।

मुख्य शब्द- मानवीय ज्ञान, कौशल संवर्द्धन, उद्यमशीलता, कौशल विकास

आधुनिक समय में भारत सरकार के कुशल नेतृत्व के तहत 20 से अधिक मंत्रालयों व विभागों के कुशल मार्गदर्शन में 40 से भी अधिक कार्यक्रमों का सफल संचालन किया जा रहा है। देश में कौशल विकास की अनिवार्यता को महसूस करते हुए केन्द्र सरकार ने 31 जुलाई 2014 को कौशल विकास व उद्यमशीलता विभाग के नवनिर्माण में हेतु अधिसूचित किया कि 9 नवम्बर 2014 को उक्त विभाग को विलय कर कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय कर दिया जायेगा। आज इस योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नामों से भी लोगों के मध्य विस्तारित किया जा रहा

• शोधार्थी (वाणिज्य), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

है, यह योजना केन्द्र सरकार का एक मुख्य व अनुदान प्रयास कौशल प्रशिक्षण योजना है। जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी कौशल संवर्द्धन योजना के रूप में इसे व्यापक पैमाने पर गति एवं उच्च स्तर के मानकों के साथ भारत को कौशल के क्षेत्र में व्यापक हुनरयुक्त व्यक्तियों को सम्बल देने के लिए वास्तविक परिकल्पना शासन स्तर पर की गयी है। देश में यह योजना केन्द्र एवं राज्यों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें केन्द्र द्वारा संचालित केन्द्रों को सी.एस.सी.एम. तथा केन्द्र प्रायोजित, राज्य प्रबंधित केन्द्रों को सी.एस.एस.एम. मोड के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना से देश के लाखों लोगों से भी अधिक व्यक्ति लाभान्वित होकर अपने स्वयं के हुनरमन्द व्यवसाय से लगे हुए हैं। इस योजना ने समावेशी व गतिमान अर्थव्यवस्था हेतु कुशल व कुशाग्र कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य के साथ देश की जनसंख्या की अनिवार्यताओं को एक सबल रणनीति के तहत पूरा करने का सफल प्रयास कर रही है। देश के कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं, जो इस प्रकार है–

- कौशल सम्वृद्धि हेतु संरचना का विकास करने से संबंधी कार्य।
- कुशल व कुशाग्र जनशक्ति की मांग एवं आपूर्ति के मध्य विषमता को खत्म करने हेतु व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना।
- कौशल विकास हेतु नवीन पाठ्यक्रमों का निर्माण करना।
- व्यावसायिक संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना।
- साफ्ट कौशलों हेतु नीतियाँ बनाना।
- कम्प्यूटर शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी व्यापक कौशल विकास करना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधी कार्यों की समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इत्यादि।

उक्त कार्यों के अतिरिक्त भी इस योजना के तहत युवाओं को स्वालम्बी बनाने हेतु विभिन्न कार्यों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

कौशल विकास योजना का उद्देश्य - इस शोध आलेख का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार की अनेक कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कॉमन नॉर्मस–4 के अनुसार सम्पूर्ण देश में युवाओं हेतु कौशल विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना व बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाली विषय सामग्री राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप है। मेरे द्वारा चयनितशोध आलेख के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है–

(1) देश की आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक गतिविधियों में शिक्षित बेरोजगारी की कमियों को उद्घटित करना– इस परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास योजना का आर्थिक संवृद्धि एवं सामाजिक गतिविधियों में शिक्षित बेरोजगारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देश के शिक्षित बेरोजगार इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कौशल का विकास कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रहे है, जिससे क्षेत्र, राज्य व देश की आर्थिक संवृद्धि

सुनिश्चित हो रही है और देश के बेरोजगारी की स्तर में कमी परिलक्षित हुई है।

(2) देश के आर्थिक विकास हेतु संचालित कौशल विकास योजना की प्रगति का अध्ययन करना– इस आशय में कौशल विकास योजना का मूल्यांकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014 के बाद से देश की आर्थिक संवृद्धि को गति मिली है, यह योजना देश के नवयुवकों को रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बन बनाने में सफल सहयोग कर रही है, इस दृष्टि से यह योजना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।

(3) कौशल विकास योजना के लाभार्थियों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना– इस परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास योजना की सफल भूमिका रही है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से देश के बेरोजगार युवा वर्ग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने हुनर को पहचान कर स्वरोजगार करने में सफल हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपने दैनिक जीवन की समस्या से निजात मिल रहा है और वे एक सजग नागरिक के रूप में समाज के सामने उभर रहे हैं।

(4) देश के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की समाजार्थिक स्थिति का विश्लेषण करना– इस परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास योजना का ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि देश के अधिकांश परम्परागत उद्यम समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस योजना के आ जाने से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों को प्रोत्साहन मिला है और वे अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो रही है।

उपरोक्त उद्देश्यों के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि कौशल विकास योजना 'आत्म निर्भर भारत' की संकल्पना को पूर्ण करने में सकारात्मक योगदान प्रदान कर रही है।

परिकल्पना-किसी शोध आलेख को प्रारंभ करने से पूर्व उससे संबंधित मानव मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, से परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है, इस दृष्टि से उक्त शोध आलेख के सम्बन्ध में शोधकर्ता द्वारा कुछ परिकल्पना का निर्माण किया गया है, जो निम्नवत् है–

(1) कौशल विकास योजना एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि में कोई संबंध नहीं है– इस परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग कर निष्कर्ष रूप में प्राप्त होता है कि कौशल विकास योजना एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि में संबंध है, अतः इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है, जो स्वयं को बेरोजगार की श्रेणी से अलग कर अन्य दूसरे हुनरमंद युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे देश में रोजगार के नये अवसरों का विकास हो रहा है।

(2) कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार करने एवं बचत पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है– इस परिप्रेक्ष्य में की गयी शून्य परिकल्पना गलत है, अतः कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की धाम से जुड़ना और स्वयं की बचत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे है और उनकी बचत भी प्रोत्साहित हो रही है।

उक्त परिकल्पनाओं के निष्कर्षों से फलीभूत होता है कि कौशल विकास योजना से देश में बेरोजगारी के स्तर को कम करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो रही

है, जो देश की आर्थिक संवृद्धि में सहायक सिद्ध हो रही है।

शोध प्रविधि- प्रस्तावित शोध आलेख की प्रविधि से आशय उन तकनीकों व प्रविधियों से है, जिनके माध्यम से शोधकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना है। शोध आलेख को पूर्णता प्रदान करने हेतु शोधकर्ता ने सांख्यिकीय प्रविधियों में यथासंभव माध्य एवं टी-परीक्षण का प्रयोग कर उद्देश्यों व उपकल्पनाओं को एकत्रित करने हेतु प्राथमिक समंकों के संग्रहण हेतु अनुसूची एवं द्वितीयक समंकों के संग्रहण करने के लिए शासकीय व अशासकीय प्रकाशनों पत्र-पत्रिकाओं एवं दैनिक समाचार पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया है। शोध आलेख के परिपक्वता प्रदान करने हेतु अवलोकन अन्वेषण, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधियों का यथासंभव प्रयोग किया गया है।

व्याख्या- कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, फूडप्रोसेसिंग, फर्नीचर, जेम्स व ज्वेलरी, हेन्डीक्राफ्ट एवं लेदर तकनीकी जैसे लगभग 40 तकनीकी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदन किये जा रहे हैं और देश के युवा गर्व अपनी स्वेच्छानुसार जिस विषय सामग्री का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन्हें चयनित कर लेते हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के प्रत्येक राज्य एवं शहर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये है। जिसमें देश के बेरोजगार एवं शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। कौशल विकास योजना 2022 के अंतर्गत केन्द्र सरकार देश के युवावर्ग को आगामी 05 वर्षों हेतु उद्यमिता, शिक्षा एवं कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष जून 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत एक नवीन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था। जिसका उद्देश्य देश के लगभग एक लाख नागरिकों को स्वास्थ्य देख-रेख से संबंधित प्रशिक्षण मुहैया कराना रहा है। जिसके तहत 425 जिलों के 33 राज्यों एवं केन्द्र शासित देशों से 124000 व्यक्तियों द्वारा 13 जनवरी 2022 तक आवेदन किये जा चुके हैं। जिनमें से अनेक व्यक्तियों ने प्रशिक्षण की समयावधि पूर्ण कर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आवेदन किये गये उक्त नागरिकों में से 59000 व्यक्तियों द्वारा बरहवी कक्षा तक शिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद उनके द्वारा आई.टी.आई. प्रमाण पत्र का कोर्स किया गया है तथा 5400 नागरिकों द्वारा दसवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किया गया। इसके अलावा 289 व्यक्तियों ने नौवी कक्षा तक, 559 व्यक्तियों ने आठवी कक्षा तक, 33 व्यक्तियों ने सातवी कक्षा तक, 26 व्यक्तियों ने छठी कक्षा तक और 64 व्यक्तियों पाचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 28 दिसम्बर 2021 को पूर्ण शिक्षण घटक की मान्यता के तहत नागालैण्ड के 4000 से अधिक बेंत और बांस के शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु पैलेट योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि स्थानीय स्तर के बनुकरों एवं कारीगरों को प्रारम्परिक हस्तशिल्प में मूल्यांकन व प्रमाणन का सर्टीफिकेट प्रदान किया जा सके। इस परियोजना द्वारा 4000 से अधिक व्यक्तियों का कौशल विकास कया जायेगा।

कौशल एवं उद्यमिता विकास योजना के तहत इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दो पायलेट प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किया। इसके अलावा

रिकॉग्निशन ऑफ हायर लर्निंग घटक के अंतर्गत 10900 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और उत्तर रेलवे द्वारा 3500 युवाओं को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदन किया जायेगा, जिसका प्रशिक्षण लखनऊ एवं बनारस में दिया जायेगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी तक 1.37 करोड़ युवाओं का नामांकन किया गया है। इस प्रकार कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र से सम्बद्ध घटकों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे देश के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लायी जा सके और देश आत्म निर्भर बन सके। आत्मनिर्भर भारत की इस पहल को सफल बनाने हेतु देश में 20 अक्टूबर 2020 तक खोले गये ट्रेनिंग सेन्टर की सूची इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक 01
प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्रमांक	राज्य	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	मध्य प्रदेश	374
2	उत्तर प्रदेश	1284
3	आंध्र प्रदेश	1166
4	तेलंगाना	492
5	हरियाणा	1292
6	कर्नाटक	272
7	बिहार	1051
8	पंजाब	154
9	महाराष्ट्र	597
10	केरल	341
11	राजस्थान	405
12	तमिलनाडु	111
13	दिल्ली	110
14	जम्मू कश्मीर	12
15	पश्चिम बंगाल	99
16	अरूणांचल प्रदेश	28
17	झारखण्ड	141
18	त्रिपुरा	397
19	आसाम	187
	योग	8513

उक्त तालिका में प्रस्तुत 19 राज्यों के अतिरिक्त भी अन्य दूसरे राज्यों में कौशल विकास योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे देश के लाभार्थियों की संख्या में नित्य वृद्धि हो रही है, और देश व राज्य की शिक्षित बेरोजगारी पर अंकुश लगा रहा है। इसी कारण उस योजना के कुशल क्रियान्वयन से ही आज आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होती नजर आ रही है।

उपसंहार- कौशल विकास योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार व स्वरोजगार वृद्धि का वर्तमान समय की रीढ़ कही जा सकती है, क्योंकि कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन से ही 'आत्म निर्भर भारत' की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सकेगा। देश में इस योजना के क्रियान्वयन से ही आज भारत वैश्विक स्र पर अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुआ है। कौशल विकास योजना के तहत कृषि विकास की उन्नत तकनीकों का कृषक वर्ग प्रशिक्षण प्राप्त कर नवीन तकनीकों व प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खाद्यान्नों व उस पर आधारित उद्योगों के सफल संचालन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान हो रहा है, इतना ही नहीं, कौशल विकास योजना से वाणिज्यिक क्षेत्रों का भी कुशल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत की तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था व मानव संसाधनों के व्यापक स्रोत देश की मुख्य शक्तियाँ हैं, जिन्हें सबल बनाने हेतु कौशल विकास योजना के माध्यम से मानव संसाधनों को उच्च स्तर के मानकों के साथ तेज गति से व्यापक स्तर पर कौशल युक्त बनाकर उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं स्वरोजगार के नये आयाम प्रफुल्लित हो रहे हैं, जिसके सहयोग से मानव समाज के तत रूप से आजीविका के नवीन सोपान सुनिश्चित हो रहे हैं। आज पूरे देश में परम्परागत उद्यमों को कौशल विकास योजना के तहत नये आयाम प्रदान किये जा रहे हैं, जिसेस परम्परागत उद्योगों को विकसित होने का एक अच्छा अवसर शासन पर प्रयत्न किया जा रहा है, कौश्ल विकास योजना से देश के नागरिकों के हुनर/कला को निखारा जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होने के साथ-साथ स्वरोजगार करने की भी प्रेरणा मिल रही है।

देश में कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी मदद मिल रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के शिक्षित बेरोजगारी की दर में काफी परिलक्षित हुयी है और देश को आत्मनिर्भर बनने में कुशल सम्बल मिल रही है, अतः अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अग्रवाल, डॉ. पी.के. एवं उपेन्द्र कुमार, वित्तीय बाजार परिचालन, साहित्य भवन, आगरा, 2015
2. अग्रवाल, डॉ. पी.के., व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत एवं उद्यमिता विकास, साहित्य भवन, आगरा, 2015
3. यादव बी.एस. सिंह, रिचा एवं शर्मा, नंदिनी, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्वविद्यालय पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2019

4. कुलश्रेष्ठ, डॉ. आर.एस., वित्तीय प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2015
5. कोठारी, डॉ. मिलिन्द, उद्यमिता विकास, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2018
6. शर्मा, डॉ. राजेन्द्र – व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत तथा उद्यमिता, कौशल पुस्तक सदन, भोपाल, 2016

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संन्दर्भ में दादाभाई नौरोजी एवं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन

• गीता जादौंन

सारांश- प्रस्तुत लेख ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के सन्दर्भ दादाभाई नौरोजी एंव गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्याकंन में सार संक्षेप निम्नवत् है। दादाभाई नौरोजी 1855 में इंगलैण्ड गये, एक अध्यापक बने और लंदन में इण्डियन सोसाइटी की स्थापना की। उनका महत्वपपूर्ण Poverty and UnBritish Rule in India में रेल यातायात, बेकारी, कृषि दुर्दशा, अकाल तथा सेना व्यय पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने का कार्य किया जिसमें उनका प्रवाह सिद्वान्त Draintheory अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु प्रस्तुत लेख में गोखले के आर्थिक विचारों में दादाभाई के रेलव्यय का विरोध करते हुए सेना व्यय को उचित माना सरकार को नमक कर तथा सूती वस्त्र उत्पादन कर को हटाने की मांग रखी। शिक्षा व स्वास्थ्य व्यय पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी तथा दुर्भिक्ष का स्थायी समाधान करने के लिए बम्बईवाय सराय की परिषद में। lination Bill विधान सभा के समक्ष पेश किया। जिसमें ऋणग्रस्तता के समय किसान अपनी जमीन को गिरवी रख सकता था। वे साहूकारी व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने सरकारी साख समिति बनाने की सलाह दी जो वर्तमान सहकारिता आंदोलन की प्रवर्तक मानी जा सकती है। 1905 में उन्होने sevents society of Indian Society की स्थापना की। प्रस्तुत लेख में दादाभाई नौरोजी तथा गोखले की आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु यथा विवेचित है।

मुख्य शब्द- अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक भारत, ब्रिटिश, आर्थिक विचार

प्रस्तुत लेख में ब्रिटिश द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा किया गया दोहन भारत के लिए चितंन पूर्ण अर्थव्यवस्था का सबब बनी इसी संदर्भ में दीर्घ काल तक विदेशी गुलामी झेलते रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों के मन में असंन्तोष की भावना उत्पन्न हुयी। राष्ट्रवादी विचार धारा चाहती थी कि या तो भारतीयों को राजनैतिक हिस्सेदारी मिले और या ब्रिटिश हुकूमत का उन्नमूलन हो ऐसी विचार धारा के प्रतिनिधि विचारको में दादाभाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत लेख में आर्थिक व राष्ट्रवादी विचार–धारा के तहत दादाभाई नौरोजी तथा गोपाल

• व्याख्याता, जे.एस. विश्वविद्यालय शिकोहाबाद

कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करना लेख में प्रस्तावित है।

ब्रिटिश शासन काल व भारतीय अर्थव्यवस्था-1600 ई.वी. में ब्रिटिश ईस्ट इडिया कम्पनी व्यापार के दृटिकोण से भारत आयी। धीरे-धीरे ईस्ट इडिया कम्पनी भारतीय बाजार की शासक बन गयी ।भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्धाधुन्ध दोहन किया जाने लगा भारत में जो भी उत्पादन किया जाता था उसका अधिकांश भाग स्थाई रुप से इग्लैण्ड चला जाता था । अंग्रेज भारत में जो भी निवेश करते उसे भारतीय पूँजी से किया जाता था किन्तु सारा लाभ अंग्रेज हड़प लेते थे। इग्लैण्ड में रहने वाले अफसरों का वेतन तथा पेंशन भारतीय खजाने से भुगतान किया जाता था। काफी मात्रा में धन का स्थानानंतरण भी भारत से किया जाता था परिणामस्वरुप भारत में पूँजी निर्माण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यहां निर्धनता और बेकारी ने अपना स्थाई घर बना लिया। इससे भारत को दो हानियॉ हुई एक पूँजी निरंतर कम हुई दूसरी उद्योगो का विकास रुक गया।

दादाभाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखल ने भारत में ब्रिट्रिश सरकार के शोषण के विरुद्व कड़ी आवाज उठाई और निर्धनता का प्रमुख कारण ब्रिटिश हुकूमत को माना और यहीं से इन विचारकों के मन में आधुनिक भारतीय चितंन की अवधारणा की शुरुआत भी हुयी ।

दादाभाईनौरोजी(1825-1917)- आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रुप में विख्यात दादाभाई नौरोजी का जन्म 04-सितम्बर 1825 को एक पारसी परिवार में हुआ था कामा फाइनेन्श एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधि के रुप में उनका सन्1855 में इग्लैण्ड जाना हुआ। तथा सन्1856 में लंदन में प्राध्यापक बन कर वही प्रवास करने लगे । लंदन में उन्होने लंदन इडियन सोसायटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रो को संगठित कर भारत तथा यूरोप की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना था। अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने के उपरान्त सन् 1886, 1893 और 1906 में उन्होने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की । उन्हे सन्1892 में 'हाउस ऑफ कॉमन्स' का स्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया। दादा भाई नौरोजी उदारवादी विचार धारा के धनी थे, उनके विचार उग्र नही थे। उनका अनुमान था कि ब्रिटिश शासन को समझा बुझा कर भारतीय समस्याओ को सुलझाया जा सकता है। दादाभाई नौरोजी द्वारा अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी परन्तु प्रधान ग्रन्थ "Poverty And Un-British Rule In India" रहा, जो सन् 1901 में लंदन से प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ में तत्कालीन भारत की निर्धनता उसके कारण एवं निवारण के उपायों को विश्लेषित किया जो निम्नवत है।

भारतीय निर्धनता- दादाभाईनौरोजी ने भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती निर्धनता के प्रति अत्यन्त संम्वेदनशील होते हुए प्रमाण दिये

श्राष्ट्रीय आय एवं औसत आय में गिरावट-दादा भाई नौरोजी ने प्रमाण सहित स्प्ष्ट किया कि देश में प्रति व्यक्ति दैनिक जीवन का व्यय 34 रुपया हैं, जबकि भारतीय औसत आय 20 रुपया है। मजदूरी की दरें वैश्विक स्तर पर नीची है, जो कि भुखमरी का प्रमुख कारण हैं।उन्होने बंगाल तथा बिहार के मजदूरों की मजदूरी का प्रमाण देते हुये कहा कि यहॉ दैनिक मजदूरी 1 आना 6पाई से लेकर 02 आना 06 पाई तक है। 1871-72 में बम्बई जैसे औद्यौगिक नगर में लोक निर्माण के मजदूरों की मजदूरी को स्पष्ट करते हुए कहा कि

बम्बई में पुरुषों की मजदूरी 5 आना महिलाओं की 3 आना तथा वच्चों की 2 आना 4 पाई दैनिक मजदूरी थी।

- **बेकारी अथवा बेरोजगारी-** नौरोजी ने प्रमाण सहित स्पष्ट किया है कि हजारों की संख्या में व्यक्तियों पर कोई काम नही है और वे इधर उधर बेरोजगार भटकते हैं।
- **खेती की दुर्दशा-** खेती लोंगों के लिए घाटे की सौदा रहा। कठिन परिश्रम करने के बाबजूद पेट भरना मुश्किल होता था जिसके कारण किसानों ने खेती करना बन्द कर दिया था।
- **अकाल-** प्राकृतिक आपदा को भी निर्धनता का एक कारण माना। उन्होने कहा कि ब्रिटिश काल में आए दिन अकाल, एक सामान्य बात हो गयी है । जो निर्धनता का स्पष्ट प्रमाण है।

निर्धनता के अन्य कारण- दादाभाई नौरोजी ने भारत की निर्धनता के अन्य कारणों को स्पष्ट किया। उन्होनें कहा कि ब्रिटेन की आर्थिक तथा राजनीतिक नीति भारत के निर्धनता के लिए उत्तरदायी है।

- ब्रिटेन की सेनाओं और ब्रिटिश मुद्दो का व्यय भारत को वहन करना पड़ता था।
- भारतीय रेल निर्माण का लाभ ब्रिटिश पूजीपतियों को मिल रहा था।
- दादाभाई नौरोजी ने कहा कि भारत से अपार धनराशि लंदन चली जाती है। जिसे उन्होंने प्रवाह सिद्वान्त (Drain Throry) का नाम दिया।

उनका तर्क था कि भारत में पूँजी का निर्माण उद्योग धन्धों और रोजगार की उन्नति हेतु आवश्यक है और यह ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप असभंव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सन 1835 में भारत से ब्रिटेन को 5 मिलियन पौण्ड वित्त प्रवाह किया गया, जो सन 1900 में यह 30 मिलियन पौण्ड हो गया अत: स्पष्ट है कि ब्रिटिश नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धनता का प्रमुख कारण थी।

दादा भाई नौरोजी का मूल्यांकन- दादाभाई का नौरोजी के सिद्वान्त और प्रो. जे.एस. मिल के मजदूरी सिद्वान्त (Wage fund Theory) में समानता है, वे स्वयं अर्थव्यवस्था के सिद्वान्तों के आचार्य न होने के बाबजूद उनका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी और व्यावहारिक था अत: उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा का जनक कहे जाने में अतिशयोक्त न होगी। हॉलाकि रेल यातायात पर दादा भाई नौरोजी का मानना था कि रेलों ने भारत के धन में किसी प्रकार की वृद्वि नही की है। केवल यातायात से यदि धन की वृद्वि हो जाती तो भारत शीघ्र ही धनी हो जाता। यहॉ दादाभाई के विचार प्रकृतिवादियों से मिलाते है; जो सही नहीं है। दादा भाई के प्रवाह सिद्वान्त की आलोचना करते हुये रानाडे ने कहा कि (Home Charges) होम चार्जेज उत्पादक कार्यों का मूल्य है अत: उसने निर्धनता नहीं बढ़ती। हॉलाकि इस आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दादाभाई नौरोजी की विचार धारा ही उचित मानी गयी। क्योंकि उनकी दृष्टि में सेना पर होने वाला खर्च ; ब्रिटेन चली जाने वाली अपार धनराशि (Drain Theory)तथा रेल पर व्यय का लाभ अगर भारतीय राजस्व को प्राप्त होता तो भारत की निर्धनता दूर हो सकती थी।

गोपाल कृष्ण गोखलें (1866-1915)- गोखले का आधुनिक भारत के निर्माताओं में

अग्रगण्य स्थान रहा है। गोखले एक महान देशभक्त, विचारक, अर्थशास्त्री तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म 9 मई 1866 को को तलक जिला रत्नागिरि में हुआ। इन्होने एलफिन्सटन कॉलेज बम्बई से B.A. की शिक्षा पाई और अध्यापक हो गये। ये लोक मान्य तिलक, जी. जी. आगरकर तथा महादेव गोविन्द रानाडे को अपना गुरू मानते थे और उनके विचारों से प्रभावित थे। वे राजनीति में सुधारवादी एव सुधारक की तरह कार्य करते थे और सच्चे देश भक्त थे। लार्ड कर्जन ने इनके लिए एक बार कहा था कि ईश्वर ने आपको असाधारण योग्यताए दी हैं और आपने उन्हे देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। सन 1905 में उन्होने Servant of Indian Society की स्थापना की तथा 1908 में उन्होंने Ranade Economic Institute स्थापित किया।

गोखलें के आर्थिक विचार- गोपाल कृष्ण गोखले का प्रधान क्षेत्र लोकवित्त से सम्बंधित था। इनके आर्थिक विचारों पर रानाडे तथा दादाभाई नौरोजी की स्पष्ट छाप थी। 1896 में लार्ड वैल्बी की अध्यक्षता में गठित आयोग को इगलैण्ड तथा भारत के मध्य आर्थिक सम्बन्धों की समीक्षा करनी थी 'जिसके लिए गोखले के कथन को अधिक महत्व दिया गया। उन्होंने कहा था कि "एक तरफ तो देश की आर्थिक क्षमता धटती जा रही है दूसरी तरफ शासन का व्यय बढता जा रहा है।" गोपाल कृष्ण गोखले ने दुर्भिक्षों तथा निर्धनता का विश्लेषण इस प्रकार किया–

- सरकार को प्रशासनिक व्यय में कटौती करनी चाहिए तथा सेना के ऊपर जो व्यय हो रहा है वह आवश्यक है।
- भारतीय जनता के ऊपर करो का वोझ कम करना आवश्यक है। उदाहारण के लिए नमक कर तथा सूती कपड़े पर उत्पादन कर को समाप्त कर देना चाहिए।
- सरकार को शिक्षा ; स्वास्थ्य सेवाओं और उद्योगों के विकास पर अधिक व्यय करना चाहिए।
- दुर्भिक्षों की पुनरावृत्ति रोकने के सकारात्मक पहल की जानी चाहिए।
- उनका विश्वास था कि भारत की निर्धनता लगातार बढती जा रही हैं। उन्नीसवी सदी कें कई अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। गोखले के अनुसार भारत का यह समय इतिहास का सबसे दयनीय एंव कष्टदायक युग था।
- बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे काल में Land Alienation Bill नामक काननू का प्रस्ताव सरकार ने रखा, जिसमें किसान; जमीन को गिरवी रखकर ऋण न लें सके। केवल फसलों को गिरवी रखने का अधिकार उनके पास रहे। गोखले ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसे किसानों के हितों के पर कुठाराघात बताया। वे साहूकारों के शोषण के विरोधी थे तथा उनका नियंत्रण आवश्यक समझते थे।
- गोखले ने सरकारी साख समितियों को गठित करने की सलाह दी जो वाद में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ मानी जाती है।

गोखले का मूल्यांकन-गोखले सैद्वान्तिक अर्थशास्त्री नही किन्तु तत्कालीन अर्थव्यवस्था की समस्याओं का उनका ज्ञान असाधारण था। 1906 में उन्होंने बजट के अवसर पर जो भाषण दिया था उस आधार पर लॉर्ड मिण्टों ने कहा था इस प्रकार का भाषण

देने वाले शायद इगलैण्ड में कभी न मिले। तत्कालीन वित्तमंत्री सर एडवर्ड बेकर ने तो यहॉ तक कहा था कि उन्हे प्रसन्नता होगी यदि उनके बाद गोखले को वित्तमंत्री बनाया जाए।

निष्कर्ष- प्रस्तुत लेख ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के सन्दर्भ दादाभाई नौरोजी एंव गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन के अन्तर्गत दादाभाई नौरोजी एंव गोपाल कृष्णा गोखले के आर्थिक विचारों का समीक्षात्मक विश्लेषण है, दोनों ही विचारकों ने ब्रिटिश अर्थनीति व राजनीति में संशोधन हेतु सुझाव दिएं। दादाभाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्व ग्रन्थ "Poverty And Un British RuleIn India" में भारतीय निर्धनता हेतु प्रवाह सिद्वान्त Drain Theory को जिम्मेदार ठहराया तो गोखले ने कृषि, मजदूरी, सेना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अपने विचार रखे। प्रस्तुत लेख में दोनों विचारकों के विचारों को यथा विवेचित किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1- Dadabhabi Naoroji: Poverty and the UnBritish Rule in IndiaP, 82
2- P.K.Gopal Krishna: Development of Economic Ideas in India P, 47
3- Dr.Gopal Krishna : History of Economic thought
4- Dr. M.C.Chaturvedi: History of Economic thought
5- Arthic Survey (2019-20)

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

विभाजन के समय में मेवात (1947-1950)

• भूपेश
•• पूजा साहू

सारांश- भारत का विभाजन एक जटिल समस्या थी, जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये सच है कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की माँग की थी और उनकी ये माँग पूरी हो गई। यही वजह है कि विभाजन का पूरा दोष मुसलमानों पर डाल दिया गया लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे। कुछ मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी ने मजबूरन अपना देश छोड़ा और गंभीर समस्याओं का सामना किया। भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत मेवात क्षेत्र में बसने वाला मेव समुदाय भी विभाजन का शिकार हुआ। मेवों को मजबूरन अपनी जन्मभूमि एवं अपना देश छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। भले ही आज मेव इस्लाम धर्म के अनुयाई हैं परंतु वे अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं और अभी भी हिंदुओं की पाल एवं गोत्र प्रणाली को अपनाए हुए हैं। ब्रिटिश शासन के अंत की ओर जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था और देश का विभाजन हो रहा था, ऐसे समय में सांप्रदायिक ताकतों के सख्त होने के कारण मेवात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिसके कारण मेवों को अलवर एवं भरतपुर रियासत से निकाल दिया गया और गुरुग्राम में धकेल दिया गया। इस सांप्रदायिक उन्माद ने बड़ी संख्या में मेवों को पाकिस्तान जाने के लिए विवश किया। चौधरी मोहम्मद यासीन खान और महात्मा गांधी के प्रयासों के कारण, जिन्होंने मेवात का दौरा कर लोगों को आश्वासन दिया था, लोगों ने मेवात में ही रहने और प्रवास न करने का फैसला किया। प्रस्तुत लेख विभाजन के समय मेवात के हालातों का वर्णन करता है। यह शोध पत्र हमें 1947 की अवधि में पहुंचाता है जब मेवों को अलवर एवं भरतपुर रियासत के द्वारा आंदोलनकारियों और विद्रोहियों के रूप में देखा गया था।

मुख्य शब्द- मेव, मेवात, अलवर, भरतपुर, गुरुग्राम, विभाजन, पाकिस्तान

वर्तमान हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित मेवात एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई का नाम है। मेवात की सीमाएं हरियाणा तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनका विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक है। मेवात के अंतर्गत राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर, हरियाणा में रेवाड़ी, पलवल और गुरुग्राम तथा उत्तर प्रदेश में मथुरा

• असिस्टेंट प्रोफेसर, एन. बी. जी. एस. एम. कॉलेज, सोहना (हरियाणा)।
•• शोधार्थी, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक(हरियाणा)

जिले के कुछ हिस्से को शामिल किया जाता है। एक मेव कवि ने मेवात क्षेत्र का सही वर्णन किया है–

इत दिल्ली उत आगरा, इत अलवर वैराठ।
कालौ पहाड़ सुहावनों, जाकै बीच बसों मेवात।।[1]

समकालीन स्रोतों से पता चलता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल में आते–आते इसे मवासात और फिर मेवात कहा जाने लगा। मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मेवाती कहा जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतर मेव समुदाय निवास करता है। मेवों के साथ–साथ यहां खानजादा, जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन तथा हरिजन निवास करते हैं।[2]

जैसा कि हम जानते हैं मेव अपनी उत्पत्ति राजपूतों से बताते हैं। मध्यकाल में मेवों का इस्लामीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। उनके धर्म परिवर्तन के संबंध में विविध स्पष्टीकरण उपलब्ध हैं। राजस्थान के जग्गा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मेवों ने स्वयं को पूरी तरह मुस्लिम बना लिया था। इस समय वे गुरुग्राम, अलवर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बस गए थे। 1947 में भारत विभाजन के दौरान वे मेवाती समाज में अच्छी तरह घुले–मिले हुए थे। उनकी स्वयं की जमीने थीं और वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों को अपनी सेवाएं देते थे। इस क्षेत्र की लगभग सभी जातियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेवों पर निर्भर करती थीं। इस तरह मेवात में परंपरागत जजमानी व्यवस्था अभी तक प्रचलित थी।[3]

मेवों के रीति रिवाज एवं परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती थी। उनके धार्मिक अनुष्ठान एवं विवाह उत्सव पुजारी या ब्राह्मण की उपस्थिति में पूरे होते थे। उनके पास हिंदुओं के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के मेवाती संस्करण भी थे। इस प्रकार मेवों तथा हिंदुओं में ज्यादा भेद नहीं था। लेकिन विभाजन के समय मेवात की हिंदू जाति ने भ्रमवश उनको मुस्लमान के रूप में पहचाना और मेवात क्षेत्र को एक पाकिस्तानी अंतः क्षेत्र के रूप में देखने लगे।[4]

विद्रोह की पृष्ठभूमि– इस समय मेवों को एक कठोर पाकिस्तानी के रूप में देखा गया था। लोगों के मनोभावों में अचानक हुए इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें 1946 से पूर्व की घटनाओं का अध्ययन करना होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान मेवों को लगभग सभी भारतीयों से अलग–थलग कर दिया गया था जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली में रुचि का पूर्ण अभाव था। हम जानते हैं कि 1920 में मेवात के केवल तीन मेवों ने कॉलेज शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं में से एक मूसे खां, जो डाक्टर थे, अन्य दो चौधरी यासीन खान तथा सरदार मोहम्मद खान राजनीति में सक्रिय थे। ये दोनों ब्रिटिश समर्थक थे और औपनिवेशिक शासन में मेवों को रियायतें दिलवाने के लिए प्रयासरत थे।[5]

हमें यह भी ज्ञात होता है कि अलवर एवं भरतपुर रियासतों द्वारा 1920–30 के दशक के बाद से आर्य समाज की सहायता से एक हिंदू राष्ट्र तैयार करने के प्रयास किए जा रहे थे। कुंवर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में मेवों ने इसका विरोध भी किया था।[6] अलवर के महाराजा द्वारा कुछ ऐसी नीतियों की शुरुआत की गई जिससे मेवों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। महाराजा को शिकार करने का बहुत शौक था। महाराजा

अक्सर जंगली सूअरों को मारने के लिए मेवों के खेतों को उजाड़ देता था। दूसरी तरफ सूअर उनके लिए धार्मिक घृणा भी पैदा करते थे। हाथियों और हिरणों को भी उनके खेतों में चरने के लिए छोड़ा जाता। इन सब घटनाओं से परेशान होकर मेवों ने विरोध करने का निश्चय किया और भूमिकर देने से मना कर दिया।[7]

मेवा को दंडित करने एवं उनके धार्मिक हितों को और ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए महाराजा ने स्कूलों में उर्दू पढ़ाने से भी मना कर दिया।[8] इन सब घटनाओं से उत्पन्न असंतोष ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया और मेवों ने राजा के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के दौरान ही रियासत के सैनिकों और मेवों की भीड़ के बीच हाथापाई हुई और कुछ लोगों की जान चली गई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और पूरे भारत के मुसलमानों ने इसका जोरदार विरोध किया। इन छोटी-छोटी घटनाओं ने ही अलवर एवं भरतपुर रियासतों के शासकों के हृदय में बदले की भावना को जन्म दिया। दोनों रियासतों की सेनाओं में मेवों के खिलाफ आक्रोश की भावना बनी रही। 1946 में दोनों रियासतों को उन्हें दंडित करने का अच्छा बहाना मिल गया।[9]

1946 में एक यूवा मेवाती सपत खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करके भरतपुर रियासत में अपने गांव वापस लौटा। उसने जल्द ही पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। राजनीतिक रूप से भोले होने के कारण मेवों को यह एहसास न हो सका कि ऐसा व्यवहारिक है और वे उसका साथ देने लगे। शपथ खान ने एक मुस्लिम राज्य बनाने की बात कही जो अंततः स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान का हिस्सा होगा। गांवों में हिंदू स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे और शहरों की ओर पलायन करने लगे। भरतपुर राज्य में तनाव उत्पन्न हो गया व सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए।[10]

सपत खान के इस अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अलवर और भरतपुर के शासकों ने योजना बनाई कि या तो मेवों को हिंदू धर्म में परिवर्तित होना होगा या फिर राज्य छोड़ कर जाना होगा। अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए दोनों रियासतों में छोटी-छोटी सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया। उन्हें सैन्य कार्रवाई करने का बहाना तब मिला जब मेवात पर हमला होने की अफवाह सुनकर मेव घबरा गए और हिंसा का सहारा लेने लगे।[11]

विद्रोह की शुरुआत- अलवर एवं भरतपुर रियासतों की तुलना में गुरुग्राम जिले के मेव ज्यादा राजनीतिक जागरूकता रखते थे इसलिए स्वाभाविक रूप से गुरुग्राम जिले की नूंह तहसील में विद्रोह की शुरुआत हुई। एक ब्रिटिश सिपाही(टूकर) जो इस समय इस क्षेत्र में तैनात था, के अनुसार मेवात में सांप्रदायिक दंगे फरवरी 1947 में शुरू हुए। इसी साल मार्च में मेवात की सीमा पर बसे गांवों में छापे मारे गए।[12] टूकर की रिपोर्ट के अनुसार मेवों ने गुर्जरों का गांव कोताह खान देओला जला दिया। अगले दिन हिंदुओं ने जबाबी कार्यवाही करते हुए मेवों के 4 गांव सकटपुर, गैरतपुर, देहरी और गंगानी जला दिए। अप्रैल को मेवों ने जवाब देते हुए बडगूजर, विसार, अकबरपुर, खेरकी और बाघंकी गांव जला दिए। हिंदुओं ने दक्षिण की ओर कुछ रास्तों पर अतिक्रमण शुरू किया और धारूहेड़ा के पड़ोस के तीन मेव गांव जला दिए। मेवों ने बदला लेते हुए रथीवास, आंकेड़ा और घातल कला

गांव और 3 अप्रैल को नैवाल, सहरावास, पंचगांव और दोनाखेड़ी गांव जला दिए। हिंदुओं ने जवाबी कार्यवाही करते हुए उटांव गांव जला दिया।[13]

इस प्रकार यह सांप्रदायिक दंगे कुछ महीनों तक लगातार चलते रहे लेकिन क्षेत्र में कोई सामूहिक पलायन शुरू नहीं हुआ। भरतपुर का एक वृद्ध जानकार मेव बताता है: 1947 से पहले वे राज्य में बिल्कुल सुरक्षित थे और महाराजा भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे। सपत खान के अलीगढ़ से वापस आने के बाद से मुसीबत शुरू हुई।[14]

भरतपुर महाराज ने सपत खान के फैसले को बदलने की पूरी कोशिश की। उसके सामने तहसीलदार नियुक्त करने की पेशकश रखी लेकिन उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह कहता था: "यह मेवों की धरती है और महाराजा को हम पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है हमें पाकिस्तान चाहिए और हम इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं।"[15] उसका नारा था: मर कर लेंगे पाकिस्तान्..... 15 अगस्त 1947 के बाद भरतपुर एवं अलवर रियासतों के शासकों ने यह कहकर कि मेव विद्रोह कर रहे हैं, उनका दमन करना शुरू कर दिया। इन दोनों रियासतों को जयपुर, जोधपुर एवं पटियाला के शासकों का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने अपनी सेना भी सहायता हेतु भेजी थी।[16] भरतपुर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत 5 जुलाई 1947 को हुई। बीमां और सिंगार के मेवों ने भरतपुर की सीमा पर जाना शुरू किया। उनका मानना था कि पांच देसी रियासतों भरतपुर, अलवर, जयपुर, बूंदी और कोटा ने मेवों की समस्या पर बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि एक गुप्त सम्मेलन में भेजे थे। इसी दौरान अलवर और भरतपुर रियासत ने मेवों के निष्कासन या धर्म परिवर्तन की योजना तैयार कर ली थी।[17]

भरतपुर से मेवों के निष्कासन और अलवर में उनके प्रवेश पर अलवर सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही शुरू की गई। अलवर राज्य के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के अनुसार "लगभग एक लाख मेवों ने भरतपुर राज्य से यहां प्रवेश किया। मौजूदा ढाई लाख मेव आवादी में इतनी बड़ी वृद्धि होने से राज्य के लिए एक वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया। राज्य में उन्होंने स्थानीय हिंदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया और एक मेव राज्य बनाने की बात करने लगे। तब हमें कठोर कार्यवाही करनी पड़ी।"[18] अलवर रियासत के तिजारा और किशनगढ़ जिलो के मेवों की स्थिति कुछ अलग रही। इन क्षेत्रों में धनी एवं प्रभावशाली खानजादा निवास करते थे। उनके पास सैन्य अनुभव भी था और वह मेवों से अधिक इस्लामिक एवं राजनीतिक जागरूकता रखते थे। अलवर सरकार ने महसूस किया की खानजादों को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है इसलिए उनमें से कईयों को मार डाला गया और बाकियों को भगा दिया गया।[19] **अलवर में शुद्धिकरण**– अलवर सरकार ने स्थानीय आर्य समाज के साथ मिलकर मेवों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के प्रयास किए। रियासत के उत्तरी जिलों, अलवर और लक्ष्मणगढ़ में हिंदू और मुसलमानों के मध्य कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यहां के मेव आसानी से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। लक्ष्मणगढ़ के कुछ मेवों के अनुसार "हमने अगस्त 1947 में गांव छोड़ दिया क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि हिंदू हम पर आक्रमण करने वाले हैं। इसी समय हमने रियासत के प्रधानमंत्री ठाकुर रघुवीर सिंह का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मेव हिंदू बने तो उनकी रक्षा की जाएगी। हम अलवर गए और हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए।

तब हम अपने गांव वापस आ गए। राज्य ने महिलाओं और बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करी। गांव में हिंदुओं ने हमारा स्वागत किया। परंतु जैसे ही हमने उनके पशुओं को अपने खेतों से दूर भगाया वे कहने लगे ये सपोले वापस आ गए हैं और ये अभी भी मेव ही हैं। लेकिन हमें कोई हानि नहीं हुई। केवल कुछ सरकारी अधिकारियों ने अगस्त 1947 के दो साल बाद हमारे साथ कठोर व्यवहार किया।"[20]

इस प्रकार 6 महीने के अंदर राज्य के अधिकतर मेव हिंदू बन गए। अलवर और भरतपुर राज्य द्वारा बनाई गई सेना ने मेवों के नरसंहार की शुरुआत कर दी। 1947 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुरुग्राम जिला मेवों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान रहा। अलवर के दक्षिणी जिलों में अधिकतर सभी मेवों ने धर्म परिवर्तन कर लिया लेकिन तिजारा और किशनगढ़ जिलों के मेवों को भरतपुर के मेवों के साथ गुरुग्राम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह गुरुग्राम जिले की जनसंख्या 1947 के अंत तक लगभग दुगनी हो गई।[21]

पाकिस्तान में पलायन- शुरुआत में गुरुग्राम के मेवों ने शरणार्थियों को अपने घरों में ठहराया और संसाधनों को उदारता पूर्वक सांझा किया। लेकिन जल्द ही भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई और लोगों के घर भी भर गए। तब शरणार्थियों ने गांव के बाहर कैंप लगाकर रहना शुरू किया। उनके पास कोई काम नहीं था इसलिए कुछ लोग चोरी करने लगे।[22] मेवों की दशा बहुत बदतर हो गई और वे भूख से मरने लगे। स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने मदद करने की कोशिश की और लेडी माउंटबेटन फंड ने उन्हें 3 महीने के लिए 8810 रुपये का दान दिया।[23] कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना गुरुग्राम आई और जो शरणार्थी जाने के इच्छुक थे उन्हें अपने साथ ले गई। 1947 में गुरुग्राम में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मेव पाकिस्तान जाने से हिचकिचाते रहे। मेवात के प्रमुख नेता चौधरी मोहम्मद यासीन खान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ लोग मौका मिलते ही चले गए, मुख्यतः खानजादा। चौधरी साहब ने लोगों से न जाने की याचना की। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर रखते हुए कहा कि जो भी जाना चाहते हैं वे इसे रौंद जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए।[24]

पाकिस्तान में उनका जीवन इतना आसान नहीं रहा। पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें जो जमीने प्रदान की वे उस भूमि की तुलना में अधिक उपजाऊ थी जिसे उन्होंने मेवात में छोड़ दिया था। लेकिन उन्हें पाकिस्तानी समाज द्वारा नहीं स्वीकारा गया। एजाज[25] के अनुसार, पाकिस्तानियों को उन पर हिंदू होने का शक हुआ और बहुतों को मार डाला गया। मेवों ने अपना नाम, पहनावा, रीति रिवाज और यहां तक की भाषा को भी बदल दिया। इस प्रकार पाकिस्तान जाकर उन्हें अपने गैर इस्लामिक रीति-रिवाजों को त्यागना पड़ा। मेव हताश हुए और मेवात वापस लौट आए। लेकिन जो 1950 के मध्य और उसके बाद आए उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। क्योंकि वो जमीन जिस पर वह अपना दावा करते थे, सरकार द्वारा पंजाबी शरणार्थियों को आवंटित कर दी गई थीं।[26] मई 1948 तक विस्थापित मेवों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

- वे जिन्होंने खतरों की परवाह किए बिना अपना घर कभी भी नहीं छोड़ा।
- वे जो पाकिस्तान चले गए और वापसी की इच्छा रखते थे।
- वे जो पाकिस्तान चले गए लेकिन शीघ्र ही लौट आए।

- वे जो भारत के अन्य हिस्सों में चले गए।
- वे जो पाकिस्तान चले गए लेकिन कुछ साल बाद लौट आए।[27]

लेकिन विस्तृत अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह नरसंहार, हिंदू मुस्लिम दंगे और साम्प्रदायिक भावनाएं जमीनी स्तर पर नहीं थी। इसमें मेवात के स्थानीय लोगों ने बहुत कम हिस्सा लिया था। आसपास के गांवों के जाटों, अहीरों, गुर्जरों, महाजनों और ठाकुरों ने अपने मेव पड़ोसियों के उत्कृष्ट चरित्र और आचरण को प्रमाणित करने के लिए याचिकाएं दाखिल कराईं।[28] एक स्थानीय मुखबिर बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण हिंदू जाटों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गया ताकि उन्हें मेवों के साथ उनके अच्छे संबंधों का आश्वासन दिया जा सके और पाकिस्तान में उनके प्रवास को रोकने के लिए कहा जा सके। सभी मुखबिर जोर देकर इस बात को कहते हैं कि मेवों का नरसंहार अलवर और भरतपुर के राजाओं द्वारा आयोजित किया गया और गुरुग्राम के ब्रिटिश ब्रिगेडियर उनके पीछे मुख्य शख्सियतों में से एक थे।[29]

गांधी जी का मेवात में आगमन- हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर मेवों का पाकिस्तान में प्रवास शुरू हुआ। ऐसे में मेवात के स्थानीय नेता चौधरी मोहम्मद यासीन खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मेव पंचायत का गठन किया गया। इस पंचायत के प्रयासों ने पंडित जीवन लाल, पंडित भार्गव और मुंशी राय मलिक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेवात क्षेत्र का दौरा करने के लिए प्रेरित किया।[30] यह ऐसा समय था जब करीब तीन लाख मेवातियों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उस समय चौधरी यासीन खान, गांधी जी और अन्य कांग्रेसियों के साथ बैठक कर रहे थे। शुरुआत में गांधी जी ने लेफ्टिनेंट सुंदरलाल और मौलाना हाफिजुर रहमान को स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा। इसके बाद मृदुला साराभाई ने 2 से 4 दिसंबर 1947 को गुरुग्राम का दौरा किया और अंततः महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित सुंदरलाल और अन्य गांधीवादी नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से सोहना और दिल्ली सीमाओं के आसपास मेव शिविरों का दौरा किया। गांधी जी 19 दिसंबर 1947 को गुरुग्राम जिले के घासेड़ा ग्राम पहुंचे ताकि जबरन प्रवास को रोका जा सके और मेवातियों को पुनर्वास का आश्वासन दिया जा सके। गोपीचंद भार्गव, पूर्व पंजाब के प्रधानमंत्री भी उनके साथ थे।[31]

गांधी जी किसी भी तरह के प्रवास के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने जनता के सामने कहा–"यदि उनके पास एक मूल शक्ति होती तो एक भी मुस्लमान को भारतीय संघ से पाकिस्तान जाने की आवश्यकता नहीं होती और एक भी हिंदू या सिख को पाकिस्तान से अपना घर–बार छोड़कर भारतीय संघ की शरण में आने की आवश्यकता नहीं होती।" अलवर और भरतपुर राज्य से खदेड़े गए मेव शरणार्थियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, "उस दिन के लिए आगे बढ़े जब सभी शत्रुताएं भुला दी जाएंगी और सभी नफरत भूमिगत दफन हो जाएंगी।" उन्होंने यह भी कहा कि "मेव भारतीय संघ का प्रमुख हिस्सा हैं, वे भारत की रीड़ हैं, उनके लिए नवीन बस्तियों की स्थापना करें।"[32] इस प्रकार गांधीवादी नेताओं और चौधरी यासीन खान के संयुक्त प्रयासों से हजारों मेवों के बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने में सफलता मिली। उनमें से बड़ी संख्या में जो पहले ही सीमा पार कर चुके थे, बाद के महीनों में वापस लौट आए।

पुनर्वास 1949-50- जैसा कि हमेशा और हर जगह होता है 1947-48 के इस विस्फोट के बाद पुनः समायोजन की अवधि आई। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप और सहानुभूति ने मेवात में पुनः समायोजन की एक नई उम्मीद उत्पन्न की। 22 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों से बने नवगठित मत्स्य संघ के तत्कालीन मुख्यमंत्री शोभाराम ने गुरुग्राम का दौरा किया एवं मेवों को अलवर में उनकी आसान वापसी का आश्वासन दिया।[33] 1949 के अंत में राजस्थान सरकार ने मेवों के अलवर एवं भरतपुर में पुनर्वास की व्यवस्था की। उन्हें उनकी जमीन एवं संपत्ति बहाल करने के आदेश जारी किए। अपने गांव में वापस आए मेवों ने बताया कि उनके अधिकांश घर नष्ट हो गए थे और उनके कुएं एवं अन्य संपत्ति भी खराब स्थिति में थीं। हम देखते हैं कि मेवों को उनकी भूमि पर बसाए जाने के तुरंत बाद पंजाबी शरणार्थियों को इस भूमि पर लाया गया। शुरुआत में दोनों के बीच में काफी अविश्वास था लेकिन जल्द ही यह अविश्वास दोस्ती में बदल गया। मेवों को सरकारी अधिकारियों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। लोगों के मन में अभी भी सांप्रदायिक दुश्मनी ताजा थी। लेकिन सिखों और हिंदुओं ने उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें अपने त्यौहार इत्यादि मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।[34] इस प्रकार सिख, हिंदू और मेव एक दूसरे के करीब आ गए। गुस्सा एवं हताशा के दिनों में भी पुनर्वास के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई।

निष्कर्ष- हम भारतीयों को आखिरकार 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली। लेकिन आजादी के साथ विभाजन की त्रासदी भी आई। इसने लोगों के दिल पर प्रहार किया और भारत के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सैन्य और संसाधनों को दो भागों में विभाजित कर दिया। लाखों लोगों की जान चली गई, परिवार, रिश्तेदार और दोस्त अलग हो गए, सांप्रदायिक रक्तपात से घर टूट गए। त्रासदी का यही मंजर हमें मेवात में भी देखने को मिला। लाखों मेव बेघर हो गए, न चाहते हुए भी उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा और अपनी ही जन्मभूमि पर शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि स्थानीय हिंदुओं ने मेवों के पुनर्वास में उनकी पूरी सहायता की। जिससे यह पता चलता है कि मेवात के हिंदुओं और मेवों के बीच मौजूदा सदियों पुराने सोहार्दपूर्ण संबंध 1947 के बाद भी ग्रामीण स्तर पर ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। मेवों के इस्लाम में धर्मांतरण से पहले की उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था । इन सब तथ्यों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू मुस्लिम शत्रुता मेवात के बाहरी क्षेत्रों में उत्पन्न हुई। अफवाहों के आधार पर मेव अचानक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे और फिर अपने गांवों को छोड़ने लगे। मेवों पर विद्रोही होने का झूठा आरोप लगाया गया। हम देखते हैं कि पुनर्वास के दौरान पाकिस्तान से आए सिक्ख शरणार्थियों को भी मेवात में बसाया गया और मेवों को उनसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। धीरे-धीरे दोनों समुदायों के बीच मनोबल में भी काफी वृद्धि हुई। साधारण अवलोकन से पता चलता है कि पंजाबियों ने भारत के अन्य स्थानों की तरह मेवात में भी कृषि की नई प्रणालियों, पोशाक और भोजन के तरीकों एवं बेहतर जीवन की उपलब्धियों के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा पैदा की। जिनका अनुसरण मेवों द्वारा भी किया गया। वर्तमान में हम 1947 से पहले के उसी मेवात का अवलोकन करते हैं जिसमें सभी समुदाय आपसी प्रेमभाव एवं सोहार्दपूर्वक जीवन यापन करते थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हंटर, विलियम विल्सन, (1886), इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, वॉल्यूम-9, लंदन, पृ. 418
2. अहमद एजाज, (2020), कल्चरल हेरिटेज ऑफ मेवात, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, पृ. 2
3. अग्रवाल, पी.सी.,(1971), कास्ट, रिलीजन एंड पावर, श्रीराम सेंटर फ,र इंडस्ट्रियल रिलेशन, न्यू दिल्ली, पृ. 42
4. वहीं
5. वहीं, पृ. 43
6. मायाराम,शैल, (2016), बिलॉन्गिंग/अनबिलॉन्गिंग टू द नेशन, पृ. 73
7. आमिर अली, हाशिम, (1970), द मियोज ऑफ मेवात, नई दिल्ली, पृ. 29
8. वही
9. अग्रवाल,पी.सी., पूर्वोक्त, पृ. 42
10. वही, पृ. 43
11. वही, पृ. 44
12. फ्रांसिस इवान सिम्स टूकर,(1950), व्हाइल मेमोरी सर्वे, लंदन, पृ. 315
13. वहीं, पृ. 316
14. अग्रवाल,पी.सी., पूर्वोक्त, पृ. 45
15. वही
16. एन.एम.एम.एल., पंडित सुंदर लाल पेपर्स, फाइल नंबर 3, भार्गव टू सेक्रेटरी, 'फिर बसाओ कमेटी', अनडेटेड
17. अग्रवाल, पी.सी., पूर्वोक्त, पृ.46
18. वही, पृ.47
19. वही, पृ.48
20. वही, पृ.47-48
21. वही, पृ.51
22. वही
23. एन.एम.एम.एल., पूर्वोक्त
24. अग्रवाल, पी.सी., पूर्वोक्त, पृ. 51
25. एजाज, एस. एम. अकरम,(1957), ''कल्चरल पेटर्न ऑफ द न्यू कम्युनिटी'',अनपब्लिश्ड एम. ए. थिसिस, डिपार्टमेंट अ, फ सोशियोल, जी, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर
26. अग्रवाल, पी.सी., पूर्वोक्त, पृ.53
27. एन.एम.एम.एल., पूर्वोक्त, खान टू भावे, अनडेटेड
28. एन.एम.एम.एल., पूर्वोक्त, इनग्राम नोट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन इन मेवात, 4 मई 1948
29. आमिर अली, हाशिम, पूर्वोक्त, पृ.30
30. एन.एम.एम.एल., पूर्वोक्त, रिपोर्ट बाय लाल एंड भार्गव, 11 अप्रैल,1948
31. द ट्रिब्यून, 20 दिसंबर, 1947; आमिर अली, हाशिम, पूर्वोक्त, पृ.31
32. द ट्रिब्यून, 13 और 23 दिसंबर, 1947
33. एन.एम.एम.एल., पूर्वोक्त, रिपोर्ट बाय लाल एंड भार्गव, 11 अप्रैल, 1948
34. अग्रवाल,पी.सी., पूर्वोक्त, पृ. 54

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

भारत में अघोर पंथ के मध्यकालीन इतिहास पर एक अध्ययन

• नविता

सारांश- अघोर पंथ धार्मिक सहिष्णुता और हिन्दू धर्म के विभिन्न मतों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच उपस्थित करता है। अघोर कोई धर्म नहीं है। यह एक साधना पद्धति है, जो मनुष्य को शांति, परोपकार, मानवता तथा आध्यात्मिक विचार उपलब्ध कराता है। यह साधना पद्धति अद्वैत विचारधारा पर आधारित है। अघोर चिंतन एवं साधना-परम्परा की प्रमुख विशिष्टता, जो उसे अन्य अद्वैतवादी चिंतनों एवं परम्पराओं से पृथक करती है, वह समवर्तिता का व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग है। अद्वैतवाद का मूल आधार 'समदर्शिता' है अर्थात सृष्टि के कण-कण में ब्रह्म का ही अस्तित्व (अंश) माना जाता है एवं सभी प्राणियों को समानभाव से देखा जाता है।

मुख्य शब्द- समन्वय, परोपकार, अद्वैतवादी, समवर्तिता

प्रस्तावना- 'अघोर' एवं 'अवधूत' अभावात्मक एवं भावात्मक रूपों में साधना की विशिष्ट अवस्था के सूचक है। अवधूत भगवान राम के अनुसार, "औघड़ या अघोर पंथ नहीं है, औघड़ एक पद होता है। अघोर एक विशेष मानसिक स्थिति है। यह अभेद साधना की सर्वोच्च अवस्था है। उनके अनुसार, "अघोर, औघड़, अवधूत, परमहंस, मलंग, औलिया, ब्रह्मनिष्ठ, एक ही पद के अलग-अलग सम्बोधन हैं।" अघोर शब्द का अर्थ है, सामान्यतः जो घोर अथवा भयानक न हो अर्थात जो सौम्य अथवा प्रियदर्शन होता है। किंन्तु कभी-कभी इसका प्रयोग अत्यंत घोर के अर्थ में किया जाता है। अघोर पद की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि न घोरः इति अघोरः सौम्य रूपाः। अघोर शब्द से ही मिलता जुलता एक अन्य शब्द औघड़ भी है। इसे कुछ लोग 'अटपट' या विकट अर्थ के वाचक 'अपघट' शब्द का ही अपभ्रंश मानते हैं। इस औघड़ तथा अघोर से बने 'अघोरी 'शब्द को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है।अघोर पंथ जो किसी से घृणा न करे, भेदाभेद की स्थिति से उपर हो, सर्व-कल्याण की भावना से युक्त और सौम्य हो, सहज हो, यह अर्थ भी अघोर शब्द से व्यंजित है।

उद्देश्य-

- मध्यकालीन भारत में अघोर मत से जुड़े विभिन्न सम्प्रदायों का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करना।

• सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, श्रीमूर्ति देवी महाविद्यालय, नरहड, झुन्झुनूं, राजस्थान

- अघोर पंथ के विषय में प्रचलित नानाविध भ्रांतियों एवं अवधारणाओं का आलोचनात्मक परिक्षण कर वास्तविकता को उद्घाटित करना।
- अघोर संतों के जीवन चरित्र दार्शनिक एवं सामाजिक विचारों को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि-इस शोध कार्य में द्वितीय स्त्रोतों के साथ-साथ लोक परम्परा एवं मौखिक स्त्रोतों का भी प्रयोग किया गया है तथा इसमें मुख्यतः विश्लेषणात्मक शोध पद्धति, अलोचनात्मक एवं अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग किया है।

अघोर मत धार्मिक सहिष्णुता और हिन्दू धर्म के विभिन्न मतों के बीच समन्वय स्थापित करने की भावना से ओत-प्रोत है। 'अघोर' पद सामरस्य का भी वाचक है। रूद्र, शिव, पराशक्ति एवं अघोर एक ही परमसत्ता के वाचक पद हैं। किसी भी व्यक्ति में समरसतापूर्ण स्थिति के लिये समदृष्टि के साथ-साथ समवर्ती होना भी आवश्यक है। ज्ञान एंव क्रिया का वैषम्य आपदगामी परिणामों का जनक होता है। अघोर पद समदर्शिता के साथ-साथ समवर्तिता के समन्वय का भी वाचक है और इस प्रकार वास्तविक अद्वैत स्थिति का निर्वचन करता है, ''औघड़, अघोरेश्वर समदर्शी होते है, वे किसी प्रकार का भेद नहीं मानते हैं। समदर्शी तो भेद मानते हैं। वे सबमें दर्शते तो हैं, परन्तु बरतते नहीं है। व्यवहार में वे बरतने के समय अपने को अलग कर लेते हैं।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि अघोर पंथ जिसका इष्ट ब्रह्म है। वह पूर्व अभेद है, वह सत्य का स्वरूप है। इसके साथ ही अघोर संत देहबुद्धि से लेकर आत्मबुद्धि में स्थापित हो जाते है। उनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है। उनका ध्यान सर्वदा शून्य में विराजित रहता है एवं उन्हे अभेद स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वह वीतरागी हो जाता है। अघोर मत के अनुसार, ''वीतराग कोई पंथ नहीं है। यह अवस्था है, पद है, जो अभेद सतों को प्राप्त होती है। जो अक्षोभ्य है, नीतिप्रज्ञ है, अपने आप में निमग्न है, जिसमें बार-बार उत्कंण्ठा नहीं होती है, बार-बार जिज्ञासा नहीं उठती है, जिसका चित्त स्पन्दन रहित है, जिसमें किसी के प्रति कोई राग द्वेष न हो, उसी को वीतराग कहते है। इसी स्थिति को अघोर पद कहते हैं।

20वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकारों की चिताएँ 'लोक संस्कृति' को समझने की दिशा में बढ़ने लगीं। प्रो. नीहार रंजन रे की यह स्थापना इस सम्बन्ध में सार्थकयुक्त है कि लोकव्यवहारों एवं लोकधर्म, लोक संस्कृति के विविध आयामों में प्रवेश किए 'बिना जन इतिहास की रचना संभव नहीं है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जगदीश चन्द्र चटर्जी ने 'कश्मीर शैविज्म' जम्मू एण्ड कश्मीर, 1962 में अघोर परम्परा के कश्मीरी शैव सम्प्रदाय के तत्वों को प्रकाश में ले आये। इनके साथ ही आर. जी. भण्डारकर, (वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रीलीजीयस सिस्टम, दिल्ली, 1987; हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, इलाहाबाद, डॉ. धर्मन्द्र ब्रह्चारी, संतमत का सरभंग सम्प्रदय, पटना, डॉ. अनुज प्रताप सिंह, गोरक्षनाथ एवं नाथ सिद्ध, गोरखपुर, 2010; डॉ. आर. पी. गुप्ता, द पोलिटिक्स आफ हेट्रोडाक्सी एण्ड द कीनारामी एसेक्टिस आफ बनारस, सायक्योस यूनिवर्सिटी, 1993 ई; पं. गोपीनाथ कविराज, भारतीय संस्कृति एवं साधना, पटना, 1963;डॉ. सरोज कुमार मिश्र, अघोर मत सिद्धांत एवं साधना, वाराणसी, 2001 ई.; डॉ. राम प्रकाश सिंह, अघोरेश्वर भगवान राम का दर्शन, वाराणसी, 2008, डॉ. अशुतोष विक्रम अघोर दर्शनः

एक ऐतिहासिक अध्ययन, बी.एच.यू., 2009;डॉ. सुशीला मिश्र, अघोर पंथ और संत कीनाराम, वाराणसी, 2010 ई. आदि ने अघोर पंथ को प्रकाश में लाने का कार्य किया है।

पुराणों के काल तक अघोर साधक समाज में श्रद्धास्पद हो चुके थे और ब्रह्मविद्या के व्याख्याता समझे जाते थे। श्रीमद्भावगत पुराण में नाभिपुत्र ऋषभदेव का उल्लेख अवधूत रूप में हुआ है- जडान्धमूक वधिर पिशाचो नमो दक वदवधूतवेषोइभिभाश्यमाणो5पि .....! पुनः अवधूत मलिन निजशरीरेण ! पुराणों में अवधूत साधकों दत्तात्रेय, दुर्वासा, शुकदेव, जड़भरत आदि के लिए परमहंस शब्द का प्रयोग किया गया है। जड़भरत के लिए भागवत पुराण में कहा गया है कि, "न वा एतिद्विषणुदत्त. .....तत्पादमूलमं कुतश्रिद्भयमुपसृतानां भागवतपरमहंसानाम जाबालोपनिषद में संतर्व, आरूणि, वशिष्ट, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रैवतक आदि को दत्तत्रेय के स्तर का ही अवधूत परमहंस कहा गया है। रामायण में अघोर साधक वामदेव का उल्लेख है। इन्होनें दशरथ के समय में अयोध्या की तत्कालीन व्यवस्थाओं तथा राम के वनागमन का विरोध किया था। सर्वप्रथम वामनपुराण में दार्शनिक विचारों के आधार पर शैव सम्प्रदाय को चार मतों-शैव, पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक का प्रारम्भिक वर्णन है। डॉ. आर. जी. भण्डारकर ने भी मौर्यात्तर काल में प्रारम्भिक चार शैव सम्प्रदायों-पाशुपत, वीर शैव, कालामुख तथा कापालिक का वर्णन किया हैं। इनमें से कापालिक तथा कालामुख अघोर साधना पद्धति से जुड़े हुए थे। दक्षिण भारत में कापालिकों का सर्वप्रथम उल्लेख पल्लव राजा महेन्द्रवर्मनम (600--630 ई0) के 'मत्तविलास प्रहसन' से प्राप्त होता है।

गुप्तोत्तर काल आते-आते भारतीय समाज में तंत्रवाद अपने चर्मोत्कर्ष पर था। तंत्रवाद के प्रभाव के कारण ही बौद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय कालचक्रायन, वज्रयान एवं सहजयान में बँट गया। सहजयान और वज्रंयान नामक बौद्ध तांत्रिक मतों में अवधूती वृत्ति नामक एक विशेष प्रकार की यौगिक वृत्ति का उल्लेख मिलता है। सहजावस्था प्राप्त सहजयानी तथा वज्रयानी साधको को भी अवधूत कहा जाता है। इनका प्रभाव 8वीं से 11वीं शताब्दी तक पूर्वो बिहार, बंगाल व उड़ीसा में था। डॉ. वाचस्पति गैरोला का मत है कि ईसा पूर्व में प्रचलित अघोर साधना पद्धति 8वीं शताब्दी आते-आते वाममार्गः के प्रभाव में जा चुकी थी। 7वीं, 8वीं शताब्दी में उत्तर में हिमालय की तराई, काशी और उज्जैन, ग्वालियर विन्ध्यक्षेत्र पश्चिमी एवं मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कौंची एवं मैसूर के कुछ भाग अघोर एवं कापालिक साधना के प्रमुख केन्द्र थे। बंगाल इस साधना का गढ़ था। इस काल तक अघोर' का विकास एक परम्परा एवं साधना पद्धति के रूप में हो रहा था। अनेक संत अघोर साधना पद्धति तथा विचार को अपना रहे थे परन्तु अभी तक पंथ' के रूप में संगठित नहीं हो पाया था।

मध्यकाल में अघोर परम्परा एक पंथ के रूप में संगठित हुईं। 11वी.- 12वीं शताब्दी में अघोर परम्परा का साधना क्षेत्र एवं विचारों को लेकर विभाजन हो गया। इस समय अवधूतों एवं औघड़ों की दो परम्पराएं सामने आती हैं- हिमाली तथा गिरनारी परम्परा। अवधूत भगवान राम ने भी अघोर मत से सम्बन्धित दो धाराओं का उल्लेख किया है। हिमालय के आस-पास रहने वाले अवधूतों को हिमाली कहा जाता है। ये अवधूत

हिमालय पर शिव का निवास होने के कारण, अघोर परम्परा का उद्गम स्थल हिमालय को मानते हैं। ये अवधूत स्वयं को गोरखनाथ से जोड़तें है और उन्हीं को इस परम्परा का प्रवर्तक मानते हैं लेकिन व्यवहार में गोरखनाथ द्वारा संगठित व प्रचारिक इस सम्प्रदाय के लिए 'नाथ- सम्प्रदाय' या 'नाथ-पंथ' ही अधिक प्रचलित है। अघोर पंथ के दूसरे मान्य आचार्य अवधूत दत्तात्रेय हैं। इनका साधना स्थल गुजरात के जूनागढ़ में 'गिरनार' पर्वत पर स्थित है। जो अवधूत दत्तक्षेत्र को आदर्श मानते हुए गिरनार को पवित्र स्थल मानते हैं, वे गिरनारी कहलाते हैं।

हिमाली परम्परा या घराना के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के गुरू का नाम मत्स्येन्द्रनाथ था, इन्होनें यौगिनी कौल नामक सम्प्रदाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मस्स्येन्द्रराथ के दो शिष्य हुए जालन्धरनाथ व गोरखनाथ जालन्धरनाथ व उनके शिष्य कष्णपाद का कापालिक साधना से सम्बद्ध थ। गोरखनाथ ने मत्स्येन्द्रनाथ के कतिपय मतों एवं अघोर परम्परा की वाममार्गी क्रियाओं का खण्डन तथा पूर्ण ब्रह्चर्य का समर्थन किया। गोरखनाथ ने समकालीन कौल सम्प्रदाय, कापालिक एवं हठयोग सम्प्रदाय का समावेश कर नाथ-सम्प्रदाय: की स्थापना की। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में उन्होनें लिखा है कि हमारा मत तो अवधूत मत ही है-अस्माक मतं त्ववधूतमेव जार्ज वेस्टन ब्रिस का कहना है कि गोरखनाथ पहले व्रजयानी बौद्ध थे, बाद में मत्स्येन्द्रनाथ के सम्पर्क में आने पर शैव हो गये। इनका कहना है कि नाथों में दो प्रकार के योगी होते थे, अर्द्ध दीक्षा प्राप्त योगियों को औघड़ कहा जाता था। बाद में जब इन योगियों की दीक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उनके कान फाड़ दिये जाते थे, तब इन योगियों को 'कनफटा' या 'अवधूत' कहा जाता था। परवर्ती काल में नाथपंथियों का आदर्श अवधूत पद ही रहा, परन्तु वे धीरे-धीरे अघोर साधना के मौलिक विचार से ही अलग हो गये।

गिरनारी परम्परा ने प्राचीन अघोर साधना पद्धति को अपनाये रखा। वास्तव में मध्यकाल एवं वर्तमान समय मे गिरनारी परम्परा ही प्राचीन अघोर मत का प्रतिनिधित्व कर रही है। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब भक्ति आन्दोलन अपने चरम पर था, तब तत्कालीन सामाजिक वातावरण अघोर मत के रीति-रिवाजों एवं वाममार्गी साधना पद्धति को चुनौती देने लगी। इन परिस्थितियों में 17वीं शताब्दी में अघोराचार्य किनाराम का आविर्भाव हुआ। इन्होनें अघोर मत को तत्कालीन सामाजिक वातावरण के अनुसार परिमार्जित किया और पीठों एवं मठों की स्थापना की। इन्होनें अघोर पंथ को लोक धर्म के रूप में स्थापित किया। इसी सम्प्रदाय को सामान्यत: अघोर पंथ के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इसमें वैष्णवों की भक्ति एवं अवधूतों की योगपरक उपासना का रंग दिखाई देता है। किनाराम के गुरू 16वीं शताब्दी में काशी के महान अघोर संत कालूराम थे जो गिरनारी परम्परा से सम्बन्धित थे और अघोर साधकों के प्राचीन साधना स्थल क्रीं कुण्ड" (रविन्द्रपुरी, वाराणसी) में निवास करते थे। अघोराचार्य किनाराम का जन्म 1601 ई0 में वर्तमान चन्दौली जिले (उ0प्र0) के रामगढ़ नामक ग्राम में हुआ था। गृहत्याग के पश्चात सर्वप्रथम इन्होनें वैष्णव संत शिवाराम से वैष्णत पंथ की दीक्षा ली। बाद में इन्होनें काशी के अघोर संत कालूराम से अघोर पंथ की दीक्षा ली। 1617-18 ई0 में किनाराम ने 'क्रीं कुण्ड' नामक स्थान पर अघोर पीठ की स्थापना की। अपने प्रभावशाली तथा सात्विक व्यक्तित्व

के कारण किनाराम तत्कालीन राजघरानों में भी बड़े सम्मान व आदर से देखे जाते थे। वे सरगुजा, रीवा, बीकानेर, जैसलमेर के राजघरानें में प्राय: जाया करते थे। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काशी नरेश 'बलवन्त सिंह' ने रामगढ़ (चन्दौली) के अघोर पीठ के पूजा के व्यय के लिए 95 गाँवों से प्रत्येक से एक रूपये की वार्षिक आय निश्चित कर दी। किनाराम ने वास्तविक समदर्शिता व समवर्ती का अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए वैष्णव एवं अघोर दोनों मतों की पीठें (गद्दियाँ) स्थापित की। अपने वैष्णव गुरू शिवाराम की स्मृति में मारूफपुर, नईडीह, परानपुर तथा महुआर तथा द्वितीय अघोर मत के गुरू की स्मृति में क्री कण्ड (वाराणसी) रामगढ़ (चन्दौली), देवल (गाजीपुर) एवं हरिहरपुर (जौनपुर) में अघोर गद्दियाँ स्थापित कीं। किनाराम जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें से 'विवेकसार', 'रामगीता', 'राम रसाल', 'गीतावली' और 'उन्मुनिराम' नामक रचनाएँ ही उपलब्ध हैं। 21 दिसम्बर, 1771 ई0 में 170 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। अवधूत विजयराम एवं रामजियावन राम इनके प्रमुख शिष्य थे।

डॉ. विष्णु दत्त राकेश ने इस सम्प्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अघोर साधक कालूराम के द्वारा मानी है। 17वीं शताब्दी में भिनकराम तथा भीखमराम आदि ने बिहार में इसका प्रचार-प्रसार किया। इस सम्प्रदाय का प्रसार मुख्यत: पंजाब, उतरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तथा नेपाल में था। इस सम्प्रदाय के सबसे अधिक अनुयायी चम्पारण जिले(बिहार)से है। यह सम्प्रदाय अघोर पंथ से सम्बन्धित है। सरभंग सम्प्रदाय की परम्पराओं में भीखन राम की परम्परा को कालक्रमानुसार प्राचीन माना जाता है। इनका जन्म चम्पारण जिले के माधोपुर नामक गांव में हुआ था। माधोपुर में भीखन राम की समाधि पर प्रत्येक वर्ष माध सुदी तृतीया को मेला लगता है। इनके शिष्यों में टेकनराम बहुत विख्यात है। बाबा टेकनराम चम्पारण जिले के अन्तर्गत मोतीहारी थाना के धनौती नदी के तट पर स्थित झखरा के रहने वाले थे। इन्होंने बाबा भीखन राम से संरभग मत में शिक्षा ग्रहण की थी। टेकनराम को झखरा "फाँगी' परम्परा का प्रर्वतक माना जाता है।माध - बसन्त पंचमी को इनकी समाधि पर मेला लगता है। बाबा भिनक राम,बाबा सदानन्द,बाबा परम्पत,मनसा राम,धतर राम,बालखण्डी आदि प्रमुख सरभंगी हुए। इस सम्प्रदाय के साधक निरबानी (गृहत्यागी) तथा 'घरबागी' (गृहस्थ) दो भागों में बंटे होते हैं इस मत में स्त्रियों को भी अवधूत मत की दीक्षा दी जाती है। इस मत के आचार-विचार प्राचीन कापलिको से मिलते-जुलते हैं।

इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित अघोर साधना ने 16वीं 17वीं शताब्दी में एक संगठित पंथ का रूप ग्रहण किया। इस काल के अघोर संत किनाराम ने प्राचीन अवधूत मत को अपनाये रखा। इसके साथ ही वैष्णव समप्रदाय के भक्ति मार्ग को भी अपना लिया। अनेक स्थानों पर आश्रमों की स्थापना की गयी और अघोर पंथ को जनसामान्य से जोड़ने का प्रयास किया गया।

निष्कर्ष- अघोर पंथ में विविध सिद्धान्त एवं साधनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव, वैष्णव और अवधूत आदि विविध धार्मिक सम्प्रदायों की अनेक विशिष्टताएँ अघोर पंथ में मिलती हैं। लोक-प्रचलित विश्वासों, वैदिक-अवैदिक मान्यताओं, ईश्वरवादी-अनीश्वरवादी विचारधाराओं से समन्वयित होते हुए अघोर पंथ

की प्रतिष्ठा आज भी लोकप्रिय है। आधुनिक युग के परिवर्तित परिवेश में अघोर पंथ के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो गया। 20वीं शताब्दी के किनारामी परम्परा के अघोर संत अवधूत भगवान राम की भूमिका इसमें विशेष उल्लेखनीय रही है। अघोर-साधना को सामाजिक परिवेश के साथ सम्बद्ध करके, उन्होंने अघोर पंथ को समाज के उपयोग योग्य बना दिया। अघोर पंथ में साधना के स्वरूप पर उनका विचार है कि गुरू ही इसका मूल होता है। कर्म तथा ज्ञान के दो पंथ समान रूप से कार्य करते रहें, जीभ और जननेन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ अभेद भाव की प्राप्ति तथा समर्वृतिता की उपलब्धि ही इस साधना का मूल स्वरूप है। इसमें वही जा पाता है, जो अघोर साधकों की शब्दावली में "नाम का धनी' हो और जिसने काम, क्रोध आदि को हृदय से निकाल फेंका हो। जिसे न जीने का मोह हो और न मरने का। जिसने शास्त्रीय ज्ञान की निरर्थकता को समझकर अपने आचार, कर्तव्य और सत्संग को उससे अधिक आवश्यक मान लिया हो। अघोर को निरालम्ब बताते हुए कहा है कि सद्गुरू की कपा से जीवात्मा और परमात्मा दोनों द्वन्द रहित होकर अभिन्न हो जाते हैं। यही अघोर है और यही अघोर पंथ का सार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- अघोर शिवा कापलिक (5वीं शती), छत्तीसगढ़, जिला- विलासपुर ग्राम-ताला।
- किनारामी पुरवा, छत्तीसगढ़, जिला- रायपुर, ग्राम-देवसागर
- देवसागर का, जेवरादेई, और 'अघोर टेकरी' छत्तीसगढ़, जिला- रायपुर, ग्राम- देवसागर
- मद्यपात्र, छत्तीसगढ़, जिला- रायपुर, ग्राम-देवसागर
- हांडी, छत्तीसगढ़, जिला- रायपुर, ग्राम-देवसागर
- यक्ष की मूर्तियाँ, भरहुत तथा साँची स्तूप, वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला
- वर्मा,कृष्ण - अधौड़ संत और अधोर परम्परा।
- चतुर्वेदी, धर्मेन्द्र ब्रहमचारी-उत्तर भारत की सन्त परम्परा

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

अम्बेडकर एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सीपना और उसका कार्यक्रम

• राम बिहारी राम

सारांश- प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर के इंडिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी के स्वरूप को स्पष्ट करना एवं 'सर्वजन हिताय' के लिए सार्थकता प्रस्तुत करना था। डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण था कि समाज के अभिवंचित, निम्न एवं मेहनतकश लोगों का सम्पूर्ण विकास उसे पूर्ण संसाधन को उपलब्धता प्रदान करके ही किया जा सकता है। मजदूरों एवं अछूतों के प्रति संवेदनशीलता की भावना से पूर्ण अंबेडकर ने सार्वभौमिकता हेतु समावेशी विकास के साथ-साथ श्रमिक संघ की आवश्यकता एवं सार्थकता को भी अनिवार्य पर जोड़ दिया।

मुख्य शब्द- अंबेडकर, इंडिपेन्डेन्ट, लेबर, स्थापना, कार्यक्रम

प्रस्तावना- डॉ. अम्बेडकर श्रमिकों को एक अलग पार्टी की स्थापना के पक्ष में थे। उन्हें प्रख्यात कम्यूनिस्ट नेता एम.एन. राय द्वारा मजदूरों के अलग राजनीतिक संगठन के निर्माण का विरोध करने पर बहुत आश्चर्य हुआ। कम्यूनिस्ट नेतृत्व के इस विरोध को वह एक वस्तुगत अगर्विरोध मानते थे। एम.एन. राय का मानना था कि साम्राज्यवाद का विनाश भारतीय राजनीति का सर्वप्रथम उद्देश्य था। डॉ. अम्बेडकर इस स्थापना से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष जमींदारों मिल मालिकों और महाजनों, जो कि साम्राज्यवाद के सहयोगी थे के खिलाफ किए बिना नहीं किया जा सकता।

डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने श्रमिकों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग के हितों को अपने कार्यक्रम का मुद्दा बनाया। अछूतों के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त बाबा साहेब ने जब यह कदम उठाया तो लोगों ने उनसे दलित की जगह लेबर शब्द रखने पर सफाई माँगी। डॉ. अम्बेडकर ने लेबर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि पार्टी श्रमिकों का संगठन है क्योंकि इसका कार्यक्रम मुख्यत: श्रमिक वर्ग का कल्याण है। इसलिए दलित शब्द के स्थान पर लेबर शब्द को रखा गया है। उनके अनुसार श्रमिकों में दलित भी शामिल थे।

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का कार्यक्रम व्यापक प्रगतिशील एवं समाजवाद से प्रभावित था। डॉ. अम्बेडकर ने काँग्रेस के रहते हुए भी इस नई पार्टी का गठन क्यों किया? इस विषय पर डॉ. अम्बेडकर ने काँग्रेस की बेबाक आलोचना की। काँग्रेस का संगठन

• शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

ऐसा है कि यह जनता की सेवा करने के लिए आजाद नहीं है। काँग्रेस को एक बेमेल संगठन चिन्हित करते हुए उन्होंने इसे एक दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताया। डॉ. अम्बेडकर काँग्रेस को पूँजीपतियों के नियंत्रण वाला संगठन मानते थे।

उनके अनुसार जब तक काँग्रेस पर पूँजीपतियों का अधिकार है, गरीब जनता अपनी आर्थिक उन्नति के लिए उस पर यकीन नहीं कर सकती। पूँजीपतियों द्वारा जनता के शोषण का भंडाफोड़ करते हुए उन्होंने इस वर्ग के खिलाफ जनता के साझे मोर्चे की तैयारी पर जोर दिया।

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने मजदूरों, किसानों और उनके साथ ही निम्न मध्यम वर्ग के हितों के लिए कार्यक्रम रखा। पार्टी के कार्यक्रमानुसार पार्टी जोतदारों को जमींदारों की ज्यादतियों और बेदखली से बचाने के लिए विधान बनाने और औद्योगिक श्रमिकों को मिलने वाले कुछेक फायदे कृषि श्रमिकों को भी देने के हक में थे। पार्टी ने अपने कार्यक्रम में पुराने उद्योगों को पुनर्वास और नए उद्योग शुरू करने पर जोर दिया। पार्टी ने जहाँ आवश्यक हो वहाँ उद्योग में राजकीय प्रबन्ध व उद्योगों को राजकीय स्वामित्व में स्थापित करने का विचार भी अपने घोषणा-पत्र में शामिल किया। लोगों व उद्योगों की उत्पादकता व दक्षता में सुधार लाने के लिए पार्टी ने तकनीकी शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम पेश किया। पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार नियंत्रण तथा सेवा काल की शर्तें भी प्रस्तावित की। पार्टी ने बेरोजगारी और एक अहम समस्या मानते हुए इसे दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों को शुरू करने का सुझाव रखा। पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि-बंदोबस्त करने के अलावा शहरों में निम्न मध्यम वर्ग के हितों के लिए औद्योगिक केन्द्रों और बड़े शहरों में मकानों को किराए नियंत्रित करने पर भी जोर दिया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के कार्यक्रम की एक खास विशेषता उसका सामाजिक कार्यक्रम था। पार्टी ने हर तरह के पुरातन पंथवाद और प्रतिक्रियावाद के खिलाफ एक सामाजिक कार्यक्रम रखा। पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष कार्यों तथा शिक्षा के लिए धर्मार्थ निधि बनाने का सुझाव दिया। पार्टी ने सफाई आवास आदि सांस्कृतिक सुविधाओं साथ ही आधुनिकीकरण हेतु ग्रामीण नियोजन पर जोर दिया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जब इस कार्यक्रम के साथ 1937 के चुनावों में उतरी तो बंबई प्रांत के उसके उम्मीदवार अछूतों के लिए सुरक्षित पन्द्रह स्थानों में से तेरह स्थानों पर तो निर्वाचित हुए उसके अलावा पार्टी के उम्मीदवार दो गैर सुरक्षित स्थानों के लिए भी निर्वाचित हुए। डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों और मजलूमों की हकों की बात पुरजोर तरीके से रखने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। 1937 के चुनाव के बाद बंबई प्रांत में काँग्रेस ने सरकार बनाई, इस सरकार ने 15 सितम्बर 1938 को बंबई विधानसभा में औद्योगिक विवाद बिल पेश किया। इस बिल का मकसद उद्योगों में शांति स्थापित करना बताया गया। इसके लिए बिल के उद्देश्य थे-

1. औद्योगिक विवादों में समझौते को बाध्यकारी बनाना।
2. सभी उद्योगों में एक वर्ष की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना।
3. हड़ताल को दंडित करना।

इस बिल द्वारा सरकार बॉम्बे औद्योगिक समझौता अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित कर समझौता वार्ता को अनिवार्य बनाना था। यह बिल कुछ कतिपय

स्थितियों पर हड़ताल पर गैर कानूनी भी बनाता था।

डॉ. अम्बेडकर ने इस बिल का जमकर विरोध किया। इस बिल पर दिए गए अपने अविस्मरणीय भाषण में उन्होंने समझौता वार्ता की प्रक्रिया के प्रावधानों की जो व्यावहारिक तौर पर मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को छीनते थे कटु आलोचना की उन्होंने उन प्रावधान को जो अवैध हड़ताल के दोषियों के लिए कारावास की सजा की बात करते थे कानून विरोधी बताया। डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण में हड़ताल करना कोई अपराध नहीं था।

सरकार द्वारा की गई हड़ताल की परिभाषा को अस्वीकार करते हुए उन्होंने हड़ताल को नौकरी या सेवा के समझौते का उल्लंघन माना, उनके अनुसार श्रमिकों द्वारा हड़ताल का अर्थ था नौकरी या सेवा के समझौते का उल्लंघन। यह एक कानून को तोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम को मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात माना। इस बिल में हड़ताल को सार्वजनिक अपराध घोषित किया गया था। इसकी बाबा साहब ने कटु आलोचना की और हड़ताल को मात्र एक सार्वजनिक त्रुटि माना। विधान सभा में उन्होंने कहा–सदन के अन्य सदस्य कुछ भी उत्तर दें, लेकिन मेरा जवाब बहुत सीधा है। भारतीय विधायिका सेवा समझौते के उल्लंघन को एक अपराध नहीं बना सकती। ऐसा करने का अर्थ होगा व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध काम करने के लिए मजबूर करना और उसे गुलाम बना देना। जो श्रमिकों के लिए न्याय पूर्ण बात नहीं है।

विधानसभा के सदस्यों की जानकारी के लिए उन्होंने भारतीय कानून इतिहास का सिलसिलेवार ब्योरा पेश करते हुए यह दिखाया कि समझौते के उल्लंघन को कैसे एक अपराध माना गया था, उन्होंने इंगित किया कि ऐसी व्यवस्था सबसे पहले विद्रोह के तुरंत बाद या इसके दौरान वर्कमैन्स ब्रीच ऑफ कान्ट्रैक्ट के तहत की गई थी। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य उन दस्तकारों व निर्माताओं द्वारा जिन्होंने ब्रिटिश सेना को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का समझौता किया था, विद्रोह के दौरान भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का समझौता किया था, विद्रोह के दौरान भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना जारी रखना था, यद्यपि यह कानून 1857 के औपचारिक कानून का हिस्सा था, लेकिन इसका कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। सन् 1920 में इससे एक संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए दोषी को सजा देने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह देखने का अधिकार दिया गया कि समझौता समानता पर आधारित था अथवा नहीं फिर चाहे जान–बूझकर समझौता तोड़ने वाले कारीगर या कर्मचारी ने अपने नियोजक से अग्रिम राशि ही क्यों न ली। 1920 के संशोधित अधिनियम में गैर–जरूरी और झूठी शिकायत पेश करने पर नियोजकों को दंडित किए जाने का प्रावधान भी था।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने विश्लेषण में यह भी दर्शाया कि भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में भी साधारण फैक्टरी मजदूर द्वारा समझौते के उल्लंघन का मामला शामिल नहीं था, इसमें भी नाविकों सीमैनों की सेवाएँ जिसमें संबंधित को दूर स्थान पर सेवा करनी पड़ती थी और जिन्हें मालिकों के खर्चे पर भेजा जाता था तथा विकलांग और असहाय व्यक्ति की सेवा समझौते के विषय का ही उल्लेख किया गया था। आई.पी.सी.

की धारा 491 में शामिल अंतिम मामले को बरकरार रखते हुए बाकी सबको मदद कर दिया गया। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने विस्तार सहित यह प्रमाणित किया कि हड़ताल समझौते के उल्लंघन की धमकी मात्र है, एक अपराध नहीं है, यह भारतीय कानून संहिता के तहत् सजा योग्य मामला भी नहीं था। यह केवल एक नागरिक त्रुटि थी, जिसके लिए दीवानी संहिता के तहत् मुआवजे का उपाय था।

बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कानून समझौते के उल्लंघन को अपराध इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति को इसकी इच्छा के विरूद्ध काम करने के लिए मजबूर करना। अत: उसे गुलाम बनाने की डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की कि–हड़ताल को दंडित करना मजदूर को गुलाम बनाने से कुछ कम नहीं है, उन्होंने अमेरिका के संविधान का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि गुलामी अनिच्छापूर्वक की जा रही सेवा अथवा नौकरी ही है और यह न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

डॉ. अम्बेडकर ने हड़ताल को स्वतंत्रता के अधिकार के समकक्ष रखा, उन्होंने हड़ताल करने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग माना। जब काँग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह तर्क रखा कि हड़ताल का अधिकार कोई चीज नहीं है, तब बाबा साहब ने उन्हें आड़े हाथों लिया उनकी राय थी कि ऐसा वक्तव्य ऐसे व्यक्ति ही दे सकते थे, जिन्हें हड़ताल क्या है कि जानकारी ही नहीं हो। डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण में हड़ताल मनुष्य की निजी आजादी से जुड़ी थी। उनकी राय में यह (हड़ताल) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शर्त्तों पर नौकरी सेवाएँ पेश करने का हक है। बाबा साहब ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा यदि काँग्रेस स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकृति देती है तो उसे हड़ताल के अधिकार को भी अनिवार्यता स्वीकृति देनी पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिकार एक दैवीय अधिकार है तो हड़ताल का अधिकार भी एक दैविय अधिकार है।

इस बिल पर अपने विचार रखते हुए विधानसभा के कुछ सदस्यों ने हड़ताल को षड्यंत्र बताया। डॉ. अम्बेडकर ने अपने वक्तव्य में सदस्यों के इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि दस, बीस या दो सौ जितने भी लोग चाहे एक साथ मिलकर हड़ताल करें, कानूनी तौर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्होंने सत्ताधारी टोले के इस कुप्रचार की भर्त्सना करते हुए मजदूरों की हड़ताल को षड्यंत्र कहे जाने को गलत और बेबुनियाद बताया। बाबा साहब हड़तालियों के साथ बरते जाने वाली दुश्मन के भी घोर विरोधी थे। उन्होंने हड़ताल को दंडित करने को मजदूरों की सतत् गुलामी की स्थापना बताया।

यह बिल समझौता वार्ता को बाध्यकारी बनाता था, इसके अनुसार अधिनियम के लागू होने पर एक साल तक कोई हड़ताल नहीं की जो सकेगी। मजदूरों को हड़ताल से पहले 4 माह 25 दिन की समझौता प्रक्रिया से भी गुजरना था। इस दौरान मजदूर कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह की रूकावटें न केवल लोगों को इकट्ठा करने व संगठित करने पर लागू थीं बल्कि बोलने पर भी लागू थी। हड़ताल और समझौता की बाध्यता की कलई खोलते हुए उन्होंने जोर दिया कि समझौते की बातचीत हड़ताल तोड़ने का बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काँग्रेस सरकार स्वयं को लोकप्रिय कहती थी और उसका

दावा था कि वह मजदूरों के मतों से निर्वाचित थी, लेकिन वह मजदूरों के ही हकों का हनन कर रही थी।

डॉ. अम्बेडकर ने मालिक मजदूर के बीच शांति समझौते का भी बेबाक विश्लेषण किया, उन्होंने बिल की मूल भावना को उद्योग में शांति के लिए मजदूर को मालिक की जंजीर से बांधा जाए, के आगे झुकने से इंकार कर दिया, उन्होंने कहा–हमें औद्योगिक शांति के लिए मजदूरों की गुलामी स्वीकार नहीं है। यह शांति उन भरे हुए पेट वालों की है जिनकी तोंद बड़ी हुई है। मैं इस शांति को अस्वीकार करता हूँ।

बाबा साहब ने सन् 1929 के अधिनियम के पारित होने के दौरान सर जमनादास मेहता और अन्य लोगों द्वारा दिए गए असहमति के प्रस्ताव का हवाला देते हुए संकेत किया कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को, जिसे अनिवार्य सेवा नहीं माना जाता, हड़ताल पर आपराधिक मामला चलाए जाने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। तब इस बात को स्वीकृति की गई थी कि जल आपूर्ति प्रकाश और सफाई जैसी सेवाएँ समाज के बावजूद के लिए नितांत आवश्यक है। अतः इनमें हड़ताल को वैध तरीके से निरूत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि यह उपयोगी सेवाएँ है, अपितु इसलिए कि यह सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ हैं। बाबा साहब हर किसी जन उपयोगी सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित करने के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अनिवार्य सेवाएँ वही सेवाएँ थीं जो जन–सुरक्षा और समाज की जिंदगी के लिए अनिवार्य थी। इसलिए उन्होंने जन उपयोगी सेवाओं यथा–रेलवे इत्यादि को अनिवार्य सेवाओं की परिभाषा से अलग रखने के पक्ष में अपने तर्क रखे।

डॉ. अम्बेडकर ने बिल में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ समझौता वार्ता संबंधी प्रावधानों के मनमाने और अलौकतांत्रिक पक्षों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया बिल में यह प्रावधान किया गया था कि केवल वही यूनियनें जो 50 फीसदी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, या यूनियन जिनकी सदस्यता 20 फीसदी मजदूरों की है व नियोजक से मान्यता प्राप्त है, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने योग्य थीं डॉ. अम्बेडकर ने इस संदर्भ में उस समय के सर्वाधिक विकसित एवं औद्योकीकृत देश इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ भी यूनियन में शामिल मजदूरों की कुल संख्या के 50 फीसदी से बहुत कम थी। उनकी राय में 50 फीसदी सदस्योंवाली यूनियन को प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता देना अनुचित और मनमाना था। डॉ. अम्बेडकर ने बिल के इस प्रावधान को रजिस्ट्रार को एक ही क्षेत्र में एक से अधिक यूनियनों का पंजीकरण न करना चाहिए का भी विरोध किया। बाबा साहब बिल की इस धारा को राष्ट्रीय स्तर पर यूनियनों के विकास और सामान्य ट्रेड यूनियनों की वृद्धि हो जाएगा।

निष्कर्ष- भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ समावेशी विकास के लिए किये गए संघर्ष का इतिहास डॉ. अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख किये बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की अवधारणा प्राचीन धर्मग्रंथों का अवलोकन करें तो उसमें भी सब लोगों को साथ लेकर चलने का भाव निहित है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' में इसी बात की पुष्टि की गई। अर्थात् विकास का लाभ एक छोटे वर्ग तक सीमित नहीं रहकर समस्त जनसंख्या को व्यापक तौर पर उपलब्ध हों।

श्रमिक के अधिकारों के सजग प्रहरी डॉ. अम्बेडकर भारतीय श्रमिकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के हिमायती और श्रमिकों के पहले राजनीतिक दल इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक थे।

डॉ. अम्बेडकर मजदूरों के हितों व उनके संघर्षों के एक संवेदनशील योद्धा और नेता थे जिसने कदम-कदम पर उनके लिए संघर्ष किया। उन्होंने मजदूरों के प्रति यह प्रतिबद्धता परिनिर्वाण तक जारी रखा। यह दुःख की बात है कि मजदूर वर्ग ही उनका सही मूल्यांकन करने में कोताही बरत रहा है।

डॉ. अम्बेडकर ने मजदूरों में फूट पर चिंता प्रकट की। सर्वव्यापी असमानता के खिलाफ उन्होंने मजदूरों की एकता पर जोर दिया, उनके अनुसार यदि मजदूर एक होना चाहते हैं तो उन्हें ब्राह्मणवाद को मिटाना होगा। बाबा साहब के अनुसार मजदूरों में समानता का भाव न आ पाने का यही मूल कारण था। ऐसे में डा० अम्बेडकर के सच्चे उत्तराधिकारियों, अनुयायियों एवं साथियों की यह जिम्मेदारी है कि वे डा० अम्बेडकर के विचार संघर्ष को बचाने-बढ़ाने के लिए मजबूती से आगे आए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भटनागर राजेन्द्र मोहन (2011) : "डॉ. अम्बेडकर चिन्तन और विचार" जगत राम एण्ड संस, गाँधीनगर, दिल्ली
2. सिंह, परमानन्द एवं कुमार प्रमोद (2005) : डॉ. अम्बेडकर और एक मनुवादी विश्लेषण, कम्पज पब्लिकेशन्स, सत्यवती नगर, दिल्ली
3. जाटव डी. आर. (1993) : डॉ. अम्बेडकर का मानववादी चिन्तन समता, साहित्य सदन, जयपुर
4. डॉ. अम्बेडकर (1947) : हिस्ट्री ऑफ इंडियन करैन्सी एण्ड बैंकिंग भाग-I, थैंकर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई
5. डॉ. अम्बेडकर (1923) : द इवॉल्यूशन ऑफ प्रॉविन्सियल फाइनैन्स इन ब्रिटिश इण्डिया पी०एस० किंग, लन्दन
6. डॉ. अम्बेडकर (1918) : देअॅर रिमेडीज : जनरल ऑफ इण्डियन इकॉनोमिक सोसाइटी, बम्बई
7. अहीर डी.सी. (1979) : गाँधी एण्ड अम्बेडकर : स्टडी सर्किल, जालंधर
8. अहलुवालिया एम.एस. (1965) : फ्रीडम स्ट्रगल इन इण्डिया, रंजीत प्रकाशन, दिल्ली
9. एण्डरूम सी.एफ. (1930) : इण्डिया एण्ड द साइमन रिपोर्ट अनविन प्रकाशन, लन्दन
10. बोन्धपाध्याय, जे. (1969) : सोशल एण्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ गाँधी एलाइट, बम्बई
11. बनर्जी एस.एन. (1925) : ए नेशन इन द मेकिंग, मिलफोर्ड, लंदन
12. डॉ. अम्बेडकर (1968) : एन्निहिलेशन ऑफ कास्ट भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालन्धन सिटी, पंजाब।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

चकराता छावनी का ऐतिहासिक अध्ययन नगरीकरण के विशेष संदर्भ में सन् 1866 से 1990 तक

• अर्जुन सिंह
•• राजपाल सिंह नेगी
••• धीरपाल सिंह

सारांश- सन् 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व नितांत सेना पर आश्रित था, इसलिये ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विशाल सैन्य बल का गठन किया। चूंकि यूरोपीय सैनिक यूरोप के ठंड़े क्षेत्रों से भारत आते थे, जिन्हें भारत के गर्म जलवायु में कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। अतः सैनिकों को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिये ऐसे ठंडे स्थानों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो यूरोपीय सैनिकों के स्वास्थ्य के अनुकूल थे। ऐसे सैन्य बहुल बस्तियों को पर्वतीय छावनी कहा गया, जिनमें से एक चकराता छावनी भी है। चूंकि चकराता छावनी का निर्माण यूरोपीय सैनिकों के लिये ग्रीष्मकालीन आवास के रुप में किया गया था, इसलिये छावनी में सैनिकों के लिये बैरक, अस्पताल एवम् आवश्यक सैन्य महत्व के प्रतिष्ठानों का निर्माण किया गया, चूंकि छावनी का निर्माण निर्जन क्षेत्र में किया गया था इसलिये वहाँ निर्माण कार्य, साफ-सफाई, पानी आदि की आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये समय-समय में असैनिक आबादी भी बसने लगी। समय एवम् परिस्थितिनुसार छावनी में सार्वजनिक महत्व के प्रतिष्ठानों का निर्माण होता गया। उपरोक्त कारकों ने छावनी में आर्थिक गतिविधियों एवम् शहरीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया, शहरीकरण की यह प्रक्रिया वर्तमान में भी सतत् रुप से जारी है।

मुख्य शब्द- छावनी, शहरीकरण, चकरात, स्वास्थ्यगाह आधारभूत

प्रस्तावना- सन् 1600 में पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिनका उद्देश्य भारत से वस्तुओं का आयात करके यूरोप में बेचकर लाभ कमाना था। किंतु 18वीं सदी के मध्यावधि तक कंपनी भारत में साम्राज्य स्थापना के लिये लालायत होने लगी।

• शोध छात्र इतिहास एवम् पुरातत्व विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल
•• आचार्य इतिहास एवम् पुरातत्व विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल
••• शोध छात्र इतिहास एवम् पुरातत्व विभाग, हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

फलस्वरुप उसने सभी प्रतिद्वंदियो को परास्त कर भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व नितांत सेना पर आश्रित था, इसलिये प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में विशाल सैन्य बल का गठन किया। चूंकि यूरोपीय सैनिक यूरोप के ठंड़े क्षेत्रों से भारत आते थे, जिन्हें भारत के गर्म जलवायु में कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सन् 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 'रॉयल सैनीटरी कमीशन फॉर यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया' आयोग ने भारत में यूरोपीय सैनिकों पर भारत की गर्म जलवायु एवम् उनसे होने वाली समस्याओं का विस्तृत वर्णन किया। आयोग ने उल्लेख किया कि भारत की ऊष्ण जलवायु, स्वच्छ हवादार बैरकों की कमी, भीड़-भाड़ वाले बैरक तथा हैजा, हैजा, टाईफाइड एवम् मलेरिया जैसी बीमारियाँ भारत में यूरोपीय सैनिकों के मृत्यु का प्रमुख कारण है। जिनसे सन् 1770 से 1856 के मध्य प्रतिहजार यूरोपीय सैनिकों में से 67.86 सैनिकों की मृत्यु हुई तथा औसतन 70 हजार यूरोपीय सैनिकों में से 5880 (8.4 प्रतिशत) सैनिक निरंतर बीमार रहते हैं। सैनिकों की मृत्यु के अतिरिक्त उनकी औसत जीवन प्रत्याशा दर में गिरावट एवम् उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था।[1]

यद्यपि भारत की गर्म जलवायु तथा उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति 18वीं तथा 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश चिकित्साधिकारियों का मानना था कि समय के साथ यूरोपियनों में भारत की ऊष्ण कटिबंधीय जलवायु में होने वाली बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाऐगी और वह भारत के जलवायु में स्वयम् को अनुकूलित करने में अभ्यस्त हो जाएगे।[2] किंतु 19वीं सदी के दूसरे दशक से ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपियनों के अनुकूलन की संभावनाओं के प्रति चिकित्साधिकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। सन् 1817-21 में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हैजा के संक्रमण से नागरिक आबादी समेत बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिकों की मृत्यु हुई।[3] तथा सन् 1824-26 में प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के दौरान अराकान की पहाड़ियों में बीमारियों से सैनिकों की उच्च मृत्यु दर के पश्चात् चिकित्सा अधिकारियों को विश्वास हो गया था कि यूरोपियन भारतीय उपमहाद्वीप की ऊष्ण जलवायु मे अनुकूलित होने में असमर्थ हैं।[4]

अतः उपरोक्त घटनाओं के पश्चात् ऐसे स्थानों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो यूरोपीय आबादी के स्वास्थ्य के अनुकूल हों। परिणामस्वरुप सन् 1820 के दशक से अनेक चिकित्साधिकारियों ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के पर्यावरण तथा वहाँ होने वाले बीमारियों का अध्ययन कर स्वास्थ्यवर्धक एवम् अस्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों की पहचान करना प्रारंभ किया।[5] अतः समय-समय पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों के प''चात् ठंड़े क्षेत्रों में बसासत की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जो स्वास्थ्य के अनुकूल एवम् महामारियों के प्रकोप से दूर थे। इस प्रकार के नये सैन्य बहुल बस्तियों को पर्वतीय छावनी या सैनिटोरियम कहा गया, जहाँ सैनिक मार्च के अंत तक पहुँचते और पुनः अक्टूबर के अंत तक मैदानी भागों में वापस चले जाते थे।

इस क्रम में सर्वप्रथम सन् 1827 में देहरादून से 21 मील की दूरी पर लंढ़ौर सैनिटोरियम की स्थापना की गई, जहाँ मेरठ से लेकर इलाहबाद के मध्य स्थित मैदानी छावनियों में बीमार यूरोपीय सैनिकों को नियमित रुप से भेजा गया। लंढ़ौर सैनिटोरियम के अनुभवों के पश्चात् चेरापूंजी में छावनी स्थापित की गई, जहाँ कलकत्ता से इलाहाबाद के मध्य स्थित मैदानी छावनियों में स्थित बीमार यूरोपीय सैनिकों को भेजा जाता रहा। सन् 1860 तक पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में दार्जिलिंग, जलपहर, शिलांग, उत्तर-पश्चिम हिमालय में कसौली, जतोघ, डगशाही, मुरी, कांडला, सोलन, धर्मशाला, मध्य तथा दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट तथा नीलगिरि की पहाड़ियों में महाबलेश्वर, ऊटाकामुंड आदि छावनियाँ अस्तित्व में आई।[6] चूंकि सन् 1857 की क्रांति के लिये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया। अतः विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया, शीघ्र ही भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40 हजार से बढ़कर सन् 1872 में 70 हजार तक पहुँच गई।[7] सैनिकों की संख्या में वृद्धि के साथ सभी सैनिकों को पर्वतीय छावनियों में भेजे जाने के लिये भी सुझाव दिया, किंतु मैदानी क्षेत्रों में यूरोपीय सैनिकों की अनुपस्थिति के दौरान विद्रोह की संभावना को देखते हुये तय किया गया कि यूरोपीय सैनिको का केवल एक तिहाई हिस्से को नियमित रुप से पर्वतीय छावनियों में भेजा जाए।[8] अतः 1860 के दशक में पर्वतीय छावनियों के निर्माण के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कई सर्वेक्षण अभियान भेजे गये। परिणामस्वरुप 1860 और 1870 के दशक में हिमालय की पहाड़ियों में बकलोह, डलहौजी, लेबांग, कसौल, रानीखेत, नैनीताल, लैंसडौन शिलांग, विन्ध्य की पहाड़ियों में पचमढ़ी, माउंट आबू एवम् नीलगिरि की पहाड़ियों में वैलिंगटन, कैन्नूर एवम् पल्लवरम पर्वतीय छावनियाँ अस्तित्व में आई।[9] इस प्रकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग तीस पर्वतीय छावनियों एवम् सैनिटोरियमों का निर्माण हो चुका था, जिनमें से एक चकराता छावनी भी है।

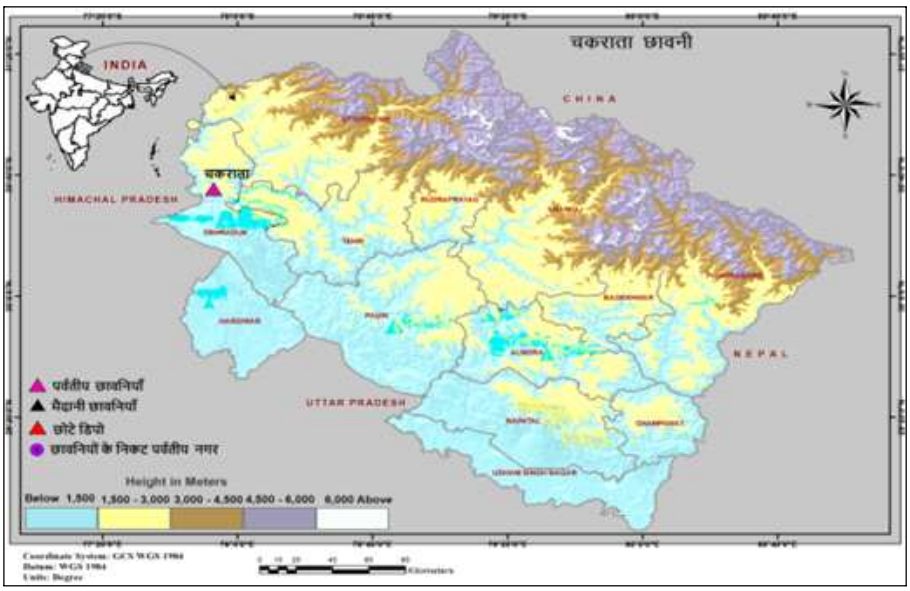

अध्ययन क्षेत्र- चकराता छावनी देहरादून से 55 मील एवम् मसूरी-लंढ़ौर से 38 मील की दूरी पर औसतन 6800 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। छावनी के भौगोलिक स्थिति के निर्धारण में कई प्राकृतिक एवम् मानवीय कारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। चकराता की भौगोलिक स्थिति देहरादून-मसूरी-लंढ़ौर-शिमला सड़क मार्ग के समीप थी, जिसका निर्माण सन् 1830 के दशक में किया गया था।[10] सन् 1860 के दशक में जब पर्वतीय छावनियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा था, तब देहरादून-शिमला जाने वाले वाले सैन्य अधिकारियों का ध्यान देवबन जंगल के मध्य चकराता के समतल मैदानों की ओर आकर्षित हुआ, ऊँचाई के कारण जिसकी जलवायु यूरोपीय आबादी के अनुकूल थी।[11] चकराता की शीत जलवायु के अतिरिक्त चकराता के आसपास पर्याप्त मात्रा में जल स्रोत विद्यमान थे। संभवतः उपरोक्त कारकों ने चकराता में छावनी निर्माण के लिये ब्रिटिश अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। अतः सन् 1866 में चकराता में छावनी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, किंतु सन् 1869 तक चकराता में कोई भी सैनिक टुकड़ी नहीं पहुँची। सन् 1869 में छावनी में कुछ यूरोपीय सफरमैन (सैनिक इंजीनियर) भेजे गये, यूरोपीय सफरमैनों के वापस जाने के पश्चात् कर्नल (बाद में ले. जनरल) राबर्ट ह्यूम के नेतृत्व में ब्रिटिश भारतीय सेना की 55वीं रेजीमेंट चकराता पहुँची। प्रारंभिक समय में कर्नल ह्यूम तथा उसकी रेजीमेंट ने स्वयम् कच्ची झोपड़ियों में रहकर आसपास की झाड़ियाँ साफ कर आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ जैसे-बैरके, इमारते, अस्पताल एवम् सड़कों का निर्माण किया, जिन पर 54 लाख रुपये व्यय किये गये।[12] मात्र तीन वर्षों में ही सन् 1870 तक लगभग इक्यावन एकड़ भूमि पर छावनी का निर्माण हो चुका था, चूंकि जिस स्थान पर छावनी का निर्माण किया जा रहा था, उस स्थान पर वैधानिक रुप से बिरमऊ खत के स्थानीय जमीदारों का स्वामित्व था, अतः सरकार ने स्थानीय भू-स्वामियों को 2004 रुपये 6 आना तथा 8 पैसे क्षतिपूर्ति के रुप में भुगतान किया।[13]

चूंकि चकराता में छावनी निर्माण का मूल प्रयोजन यूरोपीय सैनिकों के लिये बैरकों का निर्माण करना था, अतः 1870 के दशक में बड़ी संख्या में बैरकों का निर्माण कार्य किया गया। सन् 1876 तक छावनी में 3,24,086 (प्रति बैरक की लागत 46,298) रुपये की लागत से सात बैरकों का निर्माण हो चुका था, जिनमें 52-52 सैनिकों के लिये आवास की व्यवस्था थी।[14] हालांकि सन् 1874 में जी. आर. सी. विलियम छावनी में प्रवास करने वाले सैनिकों एवम् उनसे संबंधित महिलाओं की कुल संख्या 1279 बताई।[15] सन् 1876 से 1882 के मध्य 137205 रुपये (प्रति बैरक 45735 रुपये) की लागत से तीन और बैरकों का निर्माण किया गया, जिनमें 174 (प्रति बैरक में 58 सैनिक) सैनिकों के आवास की व्यवस्था थी। बैरकों के निर्माण के अतिरिक्त बैरकों के आसपास की भूमि को समतल तथा सड़कों का निर्माण किया गया, जिस पर 15230 रुपये व्यय किये गये।[16] सर् एन्ड्रयू क्लार्क के विवरण से स्पष्ट होता है कि छावनी में कुल 51 सार्जेंट, 100 विवाहित एवम् 720 अविवाहित सैनिकों के प्रवास के लिये बैरको के निर्माण की योजना थी, इसलिये बाद के वर्षों में कुछ और बैरकों का निर्माण किया गया।[17] 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल कमांड़ में औसतन बीस हजार यूरोपीय सैनिक थे, जो प्रतिवर्ष

हिमालय के विभिन्न छावनियों में मौसमी प्रवास करते थे। केवल चकराता छावनी में ही औसतन 1100 सैनिक तथा उनके परिवार ग्रीष्मकालीन प्रवास करते थे, जो कुल बंगाल सेना के पांच प्रतिशत से भी अधिक थे।[18] इस प्रकार एक समय में मौसमी प्रवास करने वाले सैनिकों की संख्या की दृष्टि से चकराता छावनी सबसे बड़ी पर्वतीय छावनियों में से एक थी, जहाँ रुड़की से लेकर फैजाबाद के मध्य स्थित मैदानी छावनियों में रहने वाले यूरोपीय सैनिक निरंतर मौसमी प्रवास करते थे।[19]

चूंकि सैनिक छावनियों में सीमित समय के लिये ही प्रवास करते थे, इसलिये छावनी में सैन्य महत्व के अन्य प्रति'ठानों का अभाव रहा है। फिर भी छावनी में बैरकों, परेड ग्राउंड, सैनिक अस्पताल एवम् अन्य सैन्य महत्व के प्रतिष्ठानों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक समय में निर्मित प्रतिष्ठानों में सैनिक अस्पताल प्रमुख था, जिसमें मैदानी छावनियों से आने वाले सैनिकों के साथ छावनी में निवास करने वाली आबादी का भी उपचार किया जाता था। चूंकि छावनी अस्पताल बाजार क्षेत्र से अधिक दूरी पर स्थित था, इसलिये छावनी में स्थित सिविल मरीजों को छावनी अस्पताल तक पहुँचने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। फलतः सन् 1938-39 में 31000 रुपये की लागत से छावनी परिषद् द्वारा बाजार के समीप नये छावनी अस्पताल का निर्माण किया गया।[20]

यद्यपि सरकार ने छावनियों को भीड़-भाड़ एवम् नागरिक आबादी से दूर रखने का प्रयत्न किया ताकि छावनियाँ स्वच्छ तथा बीमारियों से सुरक्षित रहे। इसलिये सरकार ने असैनिक आबादी के आव्रजन को निरुत्साहित करने के लिये समय-समय में छावनी भूमि पर सरकारी नियंत्रण को अधिकाधिक बढ़ाया।[21] किंतु छावनियों की साफ-सफाई, निर्माण कार्य, पानी की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों, मजदूरों, भिस्तियों एवम् व्यापारियों आदि की आवश्यकता ने छावनियों में नागरिक आबादी को भी बसने के लिये प्रेरित किया।[22] इसलिये सरकार चाहकर भी छावनियों में असैनिक आबादी के आव्रजन को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकी। उपरोक्त नागरिक आबादी के अतिरिक्त समय-समय में छावनियों में विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक महत्व के प्रतिठाष्नों का भी निर्माण होता रहा, जिससे छावनियों मे नागरिक आबादी में वृद्धि होती गई। फिर भी छावनियों में स्थित नागरिक आबादी एवम् उनकी गतिविधियाँ छावनियों के छोटे से भौगोलिक खंडों तक ही सीमित रही, नागरिक आबादी युक्त इन बस्तियों को प्रायः 'बाजार एरिया, सदर बाजार तथा मॉल रोड' आदि प्रचलित नाम से जाना जाता है।[23] सन् 1963 में रॉयल आयोग ने छावनियों को असैनिक बस्तियों से पृथक करने का सुझाव दिया और आयोग की संस्तुतियों के पश्चात् ही चकराता छावनी की स्थापना की गई थी। फिर भी चकराता छावनी में असैनिक आबादी के आव्रजन और असैनिक कार्यालयों एवम् नागरिक बस्तियों की स्थापना होती रही। छावनी निर्माण के कुछ समय पश्चात् ही छावनी में तहसील, सत्र न्यायालय की स्थापना की गई।[24] कुछ समय पश्चात् छावनी में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, डाक घर, पुलिस थाना आदि सर्वाजनिक महत्व के प्रतिष्ठान अस्तित्व में आये। जौनसार-बार की महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवम् व्यापारिक केंद्र होने पर भी छावनी एवम् उसके आसपास शैक्षणिक संस्थानों की नितांत अनुपस्थिति रही है। सन् 1953-54 तक छावनी में संपूर्ण जौनसार-बावर का एकमात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था।[25]

जिस समय चकराता छावनी अस्तित्व में आई, उस समय कालसी संपूर्ण जौनसार-बावर की एकमात्र व्यापारिक मंडी एवम् प्र''ासनिक केंद्र थी।[26] चकराता में छावनी की स्थापना के उपरांत चकराता व्यापारिक एवम् प्रशासनिक केन्द्र के रुप में भी विकसित होने लगी। चूंकि छावनी का निर्माण निर्जन क्षेत्र में हुआ, इसलिये सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी एवम् अन्य कर्मकार एवम् उनके परिवार भी छावनी में बसने लगे। शीघ्र ही छावनी में सदर बाजार, ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार (लाल कुर्ती बाजार) एवम् कैलाना बाजार विकसित होने लगे। सदर बाजार में सन् 1870, 1888, 1889, 1890 एवम् 1891 में बड़ी संख्या में घरों एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया गया। यह बाजार छावनी का मुख्य बाजार था, जहाँ सन् 1930 तक कुल 16.47 एकड भूमि में 258 मकानों एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हो चुका था। ब्रिटिश इन्फेंट्री बाजार में भी सन् 1869, 1870, 1872 एवम् 1875 में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई, जहाँ सन् 1930 तक 6.33 एकड भूमि में कुल 86 दुकानों तथा मकानों का निर्माण हो चुका था।[27] उक्त रिहाइशी खंडों के अतिरिक्त कैलाना में भी नागरिक बस्ती एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्माण हुआ। उपरोक्त रिहाइशी खंड़ों में बसने वाले प्रारंभिक प्रारंभिक व्यापारियों में सिद्धार्थ राय, सिभा सुनार, चिमनलाल, राजाराम, बिरजी घोसी, सुभा मुल, रामदत्त, खुसालू, केवलराम, इब्राहीम, द्वारिका दास, लेखराज चौधरी, मोहम्मद सफ़ी, परमानन्द एवम् उजागरमल आदि थे।[28] उपरोक्त बाजारों के अतिरिक्त सैन्य विभाग के निर्देशन में भी अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई, जिनमें दुग्ध डेयरियाँ, सोडा वाटर, शराब, गैस से युक्त पानी आदि उपयोगी प्रतिष्ठान मौजूद थे।[29] चूंकि चकराता छावनी मैदानी क्षेत्रों एवम् अन्य नजदीकी व्यापारिक केंद्रों से अत्यधिक भौगोलिक दूरी पर स्थित थी, इसलिये 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक छावनी में स्थित व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अधिकांशतः मसूरी तथा कालसी से करते थे।[30] 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक चकराता छावनी देहरादून से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ गई, अतः देहरादून-चकराता सीधे सड़कमार्ग के पश्चात् चकराता में स्थित व्यापारी आवश्यक वस्तुओं के लिये देहरादून पर निर्भर होने लगे। छावनी में उपरोक्त व्यापारिक गतिविधियाँ छावनी के सूक्ष्म भौगोलिक खंड़ तक सीमित रही, छावनी कुल 3948.60 एकड क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें से मात्र 49.54 एकड भूमि में ही बाजार विकसित हुआ, जो कुल भूमि का मात्र 1.25 प्रतिशत के बराबर है।[31] चूंकि छावनी में व्यापारिक गतिविधियाँ सीमित थी, इसलिये अधिकांश पर्वतीय छावनियों समेत चकराता छावनी भी आर्थिक रुप से परजीवी थी, जो अपने अस्तित्व के लिये आय के दो मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान, भवन एवम् चुंगी कर पर आश्रित थी। सन् 1882-83 में चकराता छावनी की कुल वार्षिक आय 8483 रुपए थी, जिसमें से मात्र 17 (1464 रुपए) प्रतिशत व्यापार-वाणिज्य तथा शेष 73 प्रतिशत सरकारी अनुदान तथा अन्य विविध करों से प्राप्त किया गया।[32] 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में परिवहन में सुधार ने छावनियों में आर्थिक गतिविधियों को आवश्यक रुप से प्रोत्साहित किया।

19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक सैनिक मैदानी छावनियों से लगभग 77 मील यात्रा करके सहारनपुर-कालसी खच्च्चर मार्ग से चकराता तक पहुँचते थे, सन् 1900 में

देहरादून तक रेलवे के विस्तार के उपरांत सैनिक देहरादून तक रेल से पहुँचते और वहाँ से चकराता जाने लगे[33] लगभग सन् 1900 में स्मिथ एंड रोडवेज कंपनी ने देहरादून से चकराता के मध्य सीधे तांगा सेवा शुरु की, जिससे चकराता तक पहुँचना आसान हो गया।[35] परिवहन में सुधार के अतिरिक्त 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक छावनियों में विविध प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण हो चुका था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव छावनी के आर्थिक विकास एवम् व्यापारिक गतिविधयों पर पड़ा। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से छावनियों की सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होने लगी और छावनियों आय में व्यापार-वाणिज्य एवम् चुंगी करों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। सन् 1908-09 में चकराता छावनी की कुल आय 25,000 रुपए थी, जिनमें 56 (14200 रुपए) प्रतिशत आय व्यापार-वाणिज्य, चुंगी एवम् गृह कर से अर्जित किया गया।[35]

चूंकि छावनी का मूल प्रयोजन यूरोपीय सैनिकों एवम् उनके परिवारों के लिये ग्रीष्मकालीन आवास के लिये किया गया था, इसलिये प्रतिवर्ष मार्च से नवंबर के मध्य बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक एवम् उनके परिवार छावनी में प्रवास करते थे, जिनकी सहायता एवम् रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में भारतीय भी छावनी में प्रवेश करते थे। हालांकि छावनी में रहने वाले व्यापारी एवम् उनके परिवार, अन्य विविध प्रकार के कर्मचारी एवम् सीमित संख्या में सैनिक वर्ष भर छावनी में ही रहते थे, जिनकी संख्या मौसमी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम होती थी। सन् 1890 से 1930 के मध्य छावनी की स्थाई आबादी औसतन 1,496 थी, जबकि इसी अवधि में छावनी की मौसमी आबादी औसतन 5,100 थी, जो स्थाई आबादी की तुलना में 240 प्रति''ात से भी अधिक थे।[36]

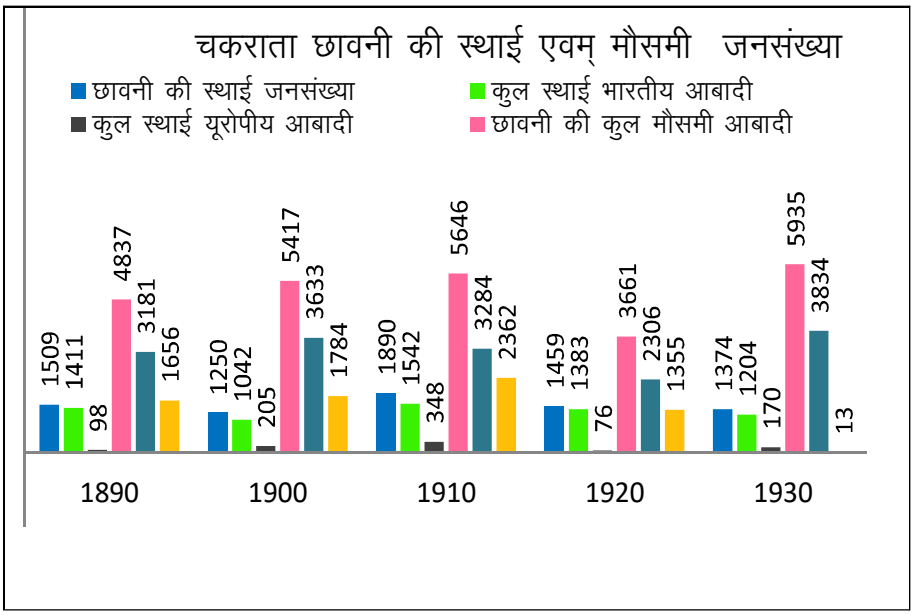

औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात् छावनियों के कार्यात्मक स्वरुप में आमूलचूल परिवर्तन हुये। चकराता छावनी में यूरोपीय सैनिकों के मौसमी प्रवासीय सैनिकों का स्थान भारतीय रेजीमेंट ने लिया, जो वर्ष भर छावनी में रहते थे। अन्य छावनियों समेत

चकराता छावनी में सैन्य परिवारों के लिये बड़ी संख्या में फैमिली क्वाटरों का निर्माण किया गया। अतः सन् 1961 तक छावनी में 596 घरों का निर्माण हो चुका था।[37] सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यातायात तथा संचार के साधनों में सुधार तथा पर्यटन व्यवसाय का तेजी से विकास हुआ।38 औपनिवेशिक मुक्ति के उपरांत पर्वतीय नगर तथा छावनियाँ लोकप्रिय पर्यटन केन्द्रों के रुप में विकसित हुये। चूंकि चकराता छावनी की मैदानी क्षेत्रों तथा अन्य नजदीकी पर्यटन केन्द्रों से अत्यधिक भौगोलिक दूरी के कारण प्रारंभिक समय से ही पर्यटकों का आकर्षण सीमित रहा, हालांकि 20वीं सदी के अतिंम दशको तक यातायात के साधनों में हुये सुधारों के परिणामस्वरुप पर्यटक चकराता छावनी में पहुँचने लगे। परिणामस्वरुप चकराता के आसपास बड़ी संख्या में होटल, लॉज आदि बनने लगे। छावनी में उपरोक्त गतिविधियों के फलस्वरुप छावनी का आर्थिक विकास एवम् आय में तेजी से वृद्धि होने लगी। जिसकी पुष्टि छावनी के वार्षिक राजस्व संबंधी आंकड़ों से होती है।[39]

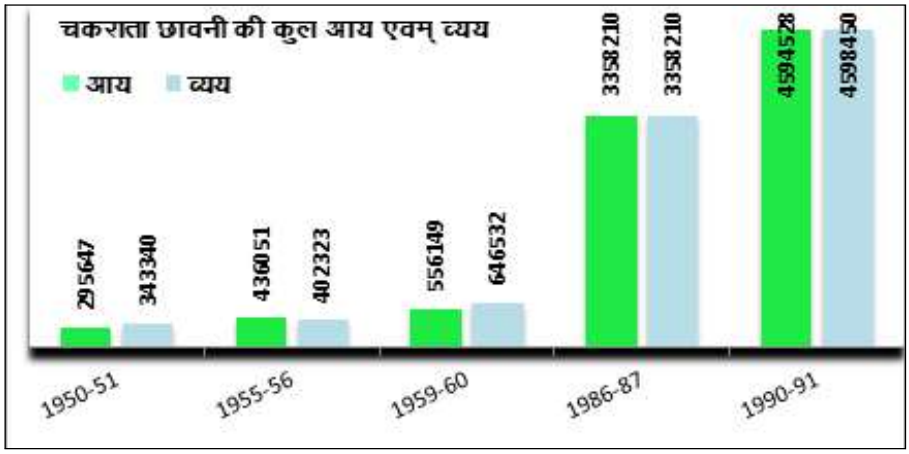

सन् 1950-51 में चकराता छावनी की कुल वार्षिक आय 2,95,647 थी, जो सन् 1990-91 में बढ़कर 45,98,450 तक पहुँच गयी। औपनिवेशिक मुक्ति के बाद छावनी के आर्थिक विकास के साथ-साथ जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई। सन् 1941 में छावनी की स्थाई आबादी मात्र 957 थी वह औपनिवेशिक मुक्ति के उपरांत सन् 1971 में बढ़कर 6105 तक पहुँच गई, जो सन् 1941 की तुलना में 538 प्रतिशत अधिक थी।[40] फिर भी छावनी का आर्थिक विकास एवम् आबादी में वृद्धि अन्य नगरों की तुलना में धीमी रही। औपनिवेशिक मुक्ति से पूर्व चकराता जौनसार-बावर का प्रमुख नगरीय केन्द्र था, किंतु औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात् त्यूणी, कालसी, आदि शैक्षणिक, प्रशासनिक, पर्यटन एवम् व्यापारिक केंद्रों के रुप में तेजी से विकसित होने लगे, जिससे उपरोक्त नगरों का विस्तार, आर्थिक विकास एवम् आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। किंतु चकराता में छावनी के भूमि संबंधी नियमों, उसके सामरिक महत्व तथा छावनी में सैनिक कैंटीनें खुलने से सैनिकों की बाजारों पर निर्भरता कम होने लगी। सन् 1962 में चकराता छावनी को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने के उपरांत छावनी के सामरिक महत्व को देखते हुये छावनी में रहने वाले तथा प्रवेश करने वाली आबादी को अनेक

प्रतिबंध का सामना करना पड़ा और खासकर विदेशी पर्यटको प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया। छावनी में असैनिक आबादी के आव्रजन को नियंत्रित करने के लिये छावनी के दोनों किनारों पर स्थित प्रवेश द्वारों पर गेट प्रणाली प्रारंभ की गई, जो गर्मियों में सुबह सात बजे खुलते और शाम को साड़े सात बजे बंद हो जाते थे तथा सर्दियों में साड़े सात बजे खुलते और शाम को साड़े पाँच बजे बंद हो जाते थे। गेट प्रणाली का प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रुप से छावनी के व्यापार-वाणिज्य पर पड़ा। अत: गेट प्रणाली से होने वाली समस्याओं के कारण छावनी में स्थित नागरिक आबादी इसका भारी विरोध किया, अंतत: सन् 2008 के बाद गेट प्रणाली व्यवस्था को बंद कर दिया गया।[41]

यद्यपि छावनी के संवैधानिक प्रकृति ने छावनी के आर्थिक विकास को निरुत्साहित किया, फिर भी छावनी दूरगामी सकारात्मक भी निकले, चूंकि छावनी का निर्माण निर्जन भौगोलिक क्षेत्रों में किया गया, इसलिये प्रारंभिक चरण में छावनी में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण पर बड़ी मात्रा में निवेश किया गया। चकराता में छावनी निर्माण कार्यों पर प्रारंभिक वर्षों में ही चवन लाख रुपये व्यय किये गये। जबकि बाद के वर्षों में निर्मित बैरकों पर भी कई लाख रुपय व्यय किये गये। छावनी में किये गये भारी निवेश का लाभ आवश्यक रुप से स्थानीय कामगारों को भी मिला होगा। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त यूरोपीय आबादी के साथ प्रति वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय भी कुली, व्यापार आदि रोजगार की तलास में छावनी में पहुँचते थे। छावनी में दूध, घी, मांस आदि के लिये यूरोपीय सैनिक स्थानीय ग्रामीणों पर आश्रित थे, जिनसे आसपास के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ होगा। छावनी निर्माण से पूर्व संपूर्ण जौनसार-बावर के लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये जौनसार-बावर के पाद प्रदेश में स्थित कालसी जाते थे, छावनी स्थापना के उपरांत लोग आवश्यक वस्तुओं के लिये छावनी में स्थित बाजार पर निर्भर रहने लगे। चूंकि चकराता छावनी मैदानी क्षेत्रों से लगभग 70 मील की दूरी पर स्थित थी अत: सैनिकों को चकराता तक पहुँचने में औसतन सात से आठ दिन लगते थे, इसलिये मैदानी छावनियों तथा चकराता के मध्य औसतन 12 से 15 मील की दूरी पर सैन्य पड़ाव विकसित हुये। सहारनपुर एवम् चकराता के मध्य कुलसी, बादशाही बाग, फतेहपुर, कालसी एवम् साहिया आदि प्रमुख सैन्य पड़ाव थे, जो कालांतर में सूक्ष्म नगरीय बस्तियों के रुप में विकसित हुये।[42]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. द मॉर्टेलटि इन आव्र इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश मेडिकल जनरल, वोल्यूम-2, 1 अगस्त 1863, पृष्ठ 118
2. हैरीसन, मार्क, कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन- पब्लिक हैल्थ इन ब्रिटिश इंडिया; एंग्लो-इंडियन प्रिविनिटिव मेडिसीन 1859-1914, कैंब्रिज़ हिस्ट्री प्रेस, 1994, पृष्ठ 37
3. अर्नाल्ड, डेविड, कोलेरा एंड कलोनिअलिज़म इन ब्रिटिश इंडिया, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस ऑन बेहल्फ़ ऑफ द पास्ट एंड प्रजेंट सोसाइटी, नवंबर 1986, पृष्ठ 120, 121, 123
4. हैरीसन, मार्क, पृष्ठ 44 से 47 तक
5. डब्ल्यू., जैप्सन, ऑफ सोइल सिच्युवेशन एंड सैलुब्रिटी : मेडिकल टोपोग्राफी एंड मेडिकल ऑफिसर्स इन अर्ली नाइंटीन्थ सैंचुरी, हिस्टोरिकल ज्याग्राफी, जनवरी 2004, पृष्ठ 140 से 145

6. टी, रोगर स्मिथ, द जनरल आफ द सोसाइटी ऑफ आर्ट, वोल्यूम-17, 30 अप्रैल 1869, पृष्ठ 431, 432
7. बर्थोलोमेव जे. बी., इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, द इंडियन एम्पायर, वोल्यूम-4, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑक्सफोर्ड एट द क्लेरेन्डर प्रेस, 1907, पृष्ठ 335, 338, 349, 359
8. हैरीसन, मार्क, कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन- पब्लिक हैल्थ इन ब्रिटिश इंडिया; एंग्लो-इंडियन प्रिविनिटिव मेडिसीन 1859-1914, पृष्ठ 61
9. कनेडी, डेन, द मैजिक माउंटेन्स: हिल स्टेशन्स एंड ब्रिटिश राज इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया प्रेस, 1996, पृष्ठ 156
10. एटकिंसन, ए. टी., हिमालयन गजेटियर, (अनु. प्रकाश थपलियाल) ग्रंथ-3, भाग-1, हिमालयन संचेतना संस्थान, आदिबद्री चमोली (2011), पृष्ठ 147
11. वही
12. वही
13. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, 1918-32, प्रिप्रेशन ऑफ जनरल लैंड रजिस्टर एट कैंट बाई स्पेशल लैंड आफिसर, फाईल सं.-14, पृष्ठ 3, रा. अ. देहरादून
14. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, मिलिट्री वर्क्स, 1880, बैरक्स एट चकराता एंड एट हिल स्टेशन, पृष्ठ 3, रा. अ. नई दिल्ली
15. विलियम, जी. आर. सी., मेम्योयर ऑफ देहरादून, यूनाइटेड ऑफ द थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेस, रुड़की, 1874, पृष्ठ 313
16. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, मिलिट्री वर्क्स, 1880, बैरक्स एट चकराता एंड एट हिल स्टेशन, पृष्ठ 3
17. वही
18. सिंह, अर्जुन, "गढ़वाल हिमालय के पर्वतीय छावनियों का ऐतिहासिक अध्ययन (19वीं सदी से 20वीं सदी तक)" अप्रकाशित शोध ग्रंथ हे. न. ब. ग. वि. वि., 2022, पृष्ठ 90, 91
19. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, मिलिट्री डिपार्टमेंट, 1901, रिपोर्ट बाय मेजर ए.एम. ड्विस़, रॉयल मेडिकल कार्प्स, ऑन सैनिटरी इनवस्टिगेशन एंड बॉक्टेरियोलॉजिकल इग्जामिनेशन एट चकराता एंड कैलाना, रा. अ. दिल्ली
20. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, डिफैंस डिपार्टमेंट, 1941, चकराता कैंटोनमेंट, फाईल संख्या 442-448, पृष्ठ 4, 5, रा. अ. दिल्ली
21. मिलिट्री लैंड मैन्युअल, कमेंटरी ऑन द कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रुल, 1925, पृष्ठ 1, 2
22. कनेडी, डेन, उपरोक्त पृष्ठ 175
23. नरेंद्र रौतेला (संपादकीय), हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, 18 मई 2018, देहरादून संस्करण
24. वाल्टन, एच. जी., देहरादून का गजेटियर, (हि. अनु. प्रकाश थपलियाल), उत्तराखंड़ प्रकाशन, हिमालयन संचेतना संस्थान, आदि बद्री, चमोली, पृष्ठ 255
25. जोशी, के. आर., सोसाइटी फोर मोटिवेशनल ट्रेंनिंग एंड एक्सन (समता), चकराता, 1995, पृष्ठ 21
26. जोशी, के. आर., जौनसार बावर एक संक्षिप्त परिचय, पूर्वोक्त, पृष्ठ 5
27. जनरल लैंड रजिस्टर, चकराता छावनी, 1937
28. जनरल लैंड रजिस्टर, चकराता छावनी, 1937
29. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, मिलिट्री डिपार्टमेंट, 1901, रिपोर्ट बाई मेजर ए.एम. डेविस़, पूर्वोक्त
30. शाह, टीकाराम, जौनसार-बावर ऐतिहासिक संदर्भ, (समाज, संस्कृति और इतिहास), बिंसर पब्लिशिंग कंपनी, देहरादून, 2016, पृष्ठ 437
31. शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 436
32. एटकिंसन, ई. टी., हिमालयन गजेटियर, प्रकाश थपलियाल (अनुवादक), ग्रंथ-3, भाग-1,

पूर्वोक्त, पृष्ठ 148
33. सिंह, अर्जुन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 118 से 120 तक
34. शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 437
35. वाल्टन, एच. जी., देहरादून का गजेटियर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 224, 254
36. सैंसस ऑफ इंडिया, 1891, वोल्यूम-17, पार्ट-2, नार्थ वेस्ट प्रॉविंस एंड अवध, पृष्ठ 82, रा. अ. दिल्ली, सैंसस ऑफ इंडिया, 1901, वोल्यूम-16, पार्ट-2, नार्थ वेस्ट प्रॉविंस एंड अवध, पृष्ठ 35, सैंसस ऑफ इंडिया, 1911, वोल्यूम-15, पार्ट-2, यू. पी. ऑफ आगरा एंड अवध, पृष्ठ 36, सैंसस ऑफ इंडिया, 1921, वोल्यूम-16, पार्ट-2, यू. पी. ऑफ आगरा एंड अवध, पृष्ठ 47, सैंसस ऑफ इंडिया, 1931, वोल्यूम-18, पार्ट-2, यू. पी. ऑफ आगरा एंड अवध, पृष्ठ 68
37. सैंसस ऑफ इंडिया, 1961, वोल्यूम-15, पार्ट-1, देहरादून जिला, पृष्ठ 169
38. कुलकरणी, के. एम., कैंटोनमेंट टाउन्स ऑफ इंडिया, पृष्ठ 216, 218
39. सैंसस ऑफ इंडिया, 1961, वोल्यूम-15, पार्ट-1, पृष्ठ 40, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिर्पोट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्डस्, रक्षा संपदा निदेशालय, भारत सरकार, 1986-87, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिर्पोट ऑफ कैंटोनमेंट बोर्डस्, रक्षा संपदा निदेशालय, भारत सरकार, 1990-91।
40. सैंसस ऑफ इंडिया, 1971, उतरप्रदेश, देहरादून जिला, पृष्ठ 16, रा. अ. दिल्ली
41. शाह, टीकाराम, पूर्वोक्त, पृष्ठ 429, 439, 440
42. पोस्ट म्यूटिनी रिकार्ड, मिलिट्री डिपार्टमेंट, 1901, रिपोर्ट बाई मेजर ए.एम. डेविस़, पूर्वोक्त।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

रवॉई क्षेत्र के काष्ठ निर्मित मंदिर स्थापत्य में अंलकरण अभिप्रायों का अध्ययन

• सपना

सारांश- उत्राखण्ड राज्य के गढवाल सम्भाग का पचिमी क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों के लिये विख्यात रहा है। पश्चिमी गढवाल के रवॉई(उत्तरकाशी) क्षेत्र में प्रागेतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास अपेक्षाकृत क्रमबद्व रहा है। इस क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इसके महत्व को दर्शाते हैं। गढवाल सम्भाग का यह क्षेत्र अनेक विषयों में शेष गढवाल क्षेत्र भिन्न है, स्थापत्य शैली इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस क्षेत्र में अधिकांश मंदिर स्थापत्य तथा आवासीय स्थापत्य में पत्थर की अपेक्षा लकडी का अधिंकाश प्रयोग मिलता हैं। क्षेत्र के मंदिर स्थापत्य में विभिन्न प्रकार के अंलकरणों जैसे-ज्यामितिय,फूल-पत्ती,मानवाकृति,पशु-पक्षी, धर्मिक एवं क्षेत्रिय परम्परा से परिपूर्ण है। मंदिर स्थापत्य में उत्कीर्ण अलंकरणों का उद्देश्य न केवल वाह्नय व आन्तिरिक सौन्दर्य करण करना है, अपितु मांगल्य,धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्रीय परम्पराओं व लोक संस्कृति को प्रर्दशित करना भी है। यह अंलकरण शैली वास्तविक रूप से मंदिर स्थापत्य कला में मानव के लोक व्यवहार व जन जीवन को परिलक्षित करती है। प्रस्तुत शोध पत्र में रवॉई क्षेत्र के काश्ठ निर्मित मंदिर स्थापत्य में अंलकरण अभिप्रायों का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द- गढवाल, अभिप्राय, अलंकरण,रूपप्रद

प्रस्तावना- मानव को सौन्दर्यबोध प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा गुण है जिसके उपयोग से मानव स्वंय को तथा अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सौन्दर्य पूर्ण बनाने में प्रयासरत रहता है,इस बात के प्रमाण नवपाषाणिक काल से मिलने प्रारम्भ हो जाते है। मानव ने इस काल से ही पत्थर, लकड़ी, हड्डी, धातु तथा अन्य वस्तुओं का अलंकरण या किसी अन्य माध्यम से इन्हें आकर्षक और अर्थपूर्ण बनाने का सफल प्रयास किया, मानव की इस सृजनक्षमता तथा कलात्मक क्रियाशीलता का विकास विश्व के प्रायः सभी क्षेत्रों में हुआ।[1] भारत वर्ष प्राचीन काल से ही कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पाषाण काल से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल में भी भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल से अज्ञात शैलियों की दक्षता के उदाहरण देखने को मिलते है। उत्तरगुप्त काल में भी और गुप्तोत्तरकाल में मंदिर स्थापत्य पर विशेष ध्यान दिया गया, विभिन्न काल खण्डों में निर्मित सभी मंदिर अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली तथा

• कोटद्वार, उत्तराखण्ड

वास्तुविन्यास के लिये प्रसिद्ध है। किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्राय: सभी मंदिरों में वास्तुविन्यास के अलावा मंदिर को सुन्दर तथा सुशोभित करने के लिये विभिन्न अंलकरणों का प्रयोग किया गया है, ये अभिप्राय मूल रूप से प्राकृतिक जगत से प्रेरित है किन्तु प्रकृति के इन अभिप्रायों को शिल्पियों ने अपनी कल्पनाशीलता तथा दक्षता से कलात्मक रूप देकर अधिक विकसित किया है। अभिप्रायों का भण्डार असीमित है, इसका प्रयोग विभिन्न आशयों से किया गया है, जैसे अभिप्राय स्थापत्य को केवल दर्शनीय सुन्दर बनाने के लिये प्रयोग किये जाते है तथा कुछ प्रतीक शुभ भावनाओं से प्रेरित थे। इसी प्रकार के अंलकरण हमें उड़ीसा के सूर्य मंदिर में भी देखने को मिलते हैं, जो कि उड़ीसा की स्थापत्य कला की अनुपम कृति है, इस सम्पूर्ण स्थापत्य को एक विशाल रथ के रूप में अनुकृत किया गया, जिसमें उत्कृष्टता पूर्ण अलंकृत बारह जोड़ी पहिये लगे हुये है एवं उसे सात घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर की भित्तियों पर दैविय,मानव,पेड़-पौधे,जीव- जन्तुओं के साथ-साथ ज्यामितीय अंलकरण बहुताय से है। कन्याओं, नर्तकियों और वादकों की शारीरिक संरचना, अंलकरण एवं भाव-भंगिमाएं विशेष दर्शनीय है। तथा इसी सन्दर्भ में मध्यकाल के मंदिर स्थापत्य में कतिपय विशिष्ट शैलियों का समावेश हुआ है, इनमें परमारों (मालवा)के काल में मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली का विकास हुआ।[2](पृष्ठ सं. 113) इस शैली के मंदिर ताराकृत योजना के अन्तर्गत बहुखण्डीय उरूश्रृगों से निर्मित किये है, चन्देलों[3](पृष्ठ सं.14) ने अपने मंदिर स्थापत्य में पेटिन क्रास के आकार की तलछन्द योजना, गवाक्ष युक्त दीवारे, उरूश्रृगों सहित उत्तुगं शियार तथा पीढा शैली के मंदिर शिखरों के साथ-साथ मंदिरों के विभिन्न भागों में मूर्ति शिल्प की और विशेष ध्यान दिया, इनमें देव मूर्तियों के साथ-साथ कामुक मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है।[4] (पृष्ठ सं. 116) मंदिर स्थापत्य की यह परम्परा प्राय: सम्पूर्ण भारत वर्ष में विकसित हुयी अवश्य क्षेत्रीय भिन्नता के कारण मंदिर स्थापत्य के मूल रूप में तथा उत्तकीर्ण अंलकरण अभिप्रायों में भी स्थानीय तत्वों का सम्मिश्रण हुआ, सम्पूर्ण भारत वर्ष के मानचित्र में गढ़वाल एक अत्यन्त सूक्ष्म खण्ड हैं। जहां पर अधिकांश भू-भाग हिमाच्छादित पर्वतों, वनों से अधिग्रहित है। किन्तु इन विकट तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में भारतीय कला के विभिन्न पक्षों का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है, गढ़वाल क्षेत्र में मंदिर स्थापत्य में मुख्यत: नागर शैली के मंदिर मिलते है, जो कि स्थानीय रूप लिये है। सामान्यत: इन्हें कत्यूरी शैली माना जाता है,[5] किन्तु उल्लेखनीय है कि गढ़वाल क्षेत्र न केवल पाषाण निर्मित मंदिरों का निर्माण हुआ वरन् काष्ट तथा पाषाण मिश्रित मंदिरों की संख्या भी इस क्षेत्र में अधिक है। गढ़वाल हिमालय के काष्ठ निर्मित मंदिर विभिन्न अंलकरणों तथा चिन्हों से अंलकृत है, ये रूपप्रद कलात्मक अंलकरण तथा अभिप्राय, सामाजिक, धार्मिक जीवन एंव पौराणिक चरित्रों तथा अन्य प्रचलित अभिप्रायों से लिये गये है। इन सभी स्त्रोंतो से अभिप्राय का चयन कर लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जैसे पेड़-पौधे, वनस्पति, ज्यामितीय, अंलकरण धार्मिक-पौराणिक, स्थानीय अंलकरणों के विभिन्न प्रकार उपर्युक्त सभी अंलकरण अभिप्राय केवल सजावट के उद्धेश्य से प्रयोग नहीं किये जाते है, वरन् किसी स्थान समाज जाति या वर्ग से सम्बन्धित सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रदर्शित भी करते है। साथ ही उन्हे जीवन्त बनाने के प्रयास भी है।[6] (पृष्ठ सं.12) स्थापत्य और धर्म शास्त्रों में लकड़ी के

प्रयोग की प्राचीनता के सन्दर्भ में (ओ.पी.अग्रवाल)ने विशेष जानकारी दी है, लकड़ी प्राचीन काल से ही भारत में मूर्ति कला उत्कीर्ण के निमार्ण के लिये प्रसिद्ध और प्रचलित रही। प्राचीन काल से ही काष्टकला के सम्बन्ध में भारतीय साहित्य में उल्लेख किया जाता है। यह प्राचीन वेदों तथा महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में उल्लेखित है, चन्द्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद भी लकड़ी से निर्मित था। मेगस्थनीज ने भी अपने लेख में उल्लेखित किया है कि लकड़ी स्थापत्य में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी स्थापत्य में लकड़ी के प्रयोग के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा की गयी है। इसके अलावा बराह मिहिर कृत वृहत संहिता में भी काष्ट के उपयोग पर भी उल्लेख किया गया है[7] (पृष्ठ सं.13-14) गढ़वाल में काष्ट कला के प्रमुख क्षेत्रों में रंवाई क्षेत्र भी आता है, रंवाई क्षेत्र में काष्ट कला के प्रमुख केन्द्रों में थडियार, खरसाली, सांकरी, पुजैली, नैटवाड, थान, सौड, आराकोट,चिन्वा, देवसारी, तथा देवरा प्रमुख है।[8] (पृष्ठ सं. 27)

अध्ययन क्षेत्र- उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल सम्भाग का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का अधिकांश भाग रंवाई क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, भौगोलिक दृष्टि से यमुना नदी उपत्यका का तथा टोन्स नदी उपत्यका का क्षेत्र, रंवाई क्षेत्र को निर्धारित करती है एवं प्रशासनिक दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद के तीन विकास खण्ड नौगांव, पुरोला, मोरी इसके अर्न्तगत आते है। क्षेत्र की प्रमुख नदियों में यमुना और टोंन्स, रूपिन-सूपिन है। इसके अलावा कमल नदी यमुना की प्रमुख सहायक जल धारा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र, लगभग 30040'25" से 30041'29' उ. अक्षांश और 78015'43" से 78017'49"पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। समुद्रतल से इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 10,000 फीट है।

शोध विधि- प्रस्तुत शोध कार्य के लिये सर्वप्रथम विभिन्न पुस्तकालयों, अभिलेखागारों आदि माध्यमों से प्रकाशित सामाग्री को संकलित किया गया, संकलित सामग्री में उल्लखित रंवाई क्षेत्र के मन्दिर स्थापत्य से संबधित सूचनायें एकत्रित की गयी, सूचना संकलित करने के उपरान्त अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक तथ्य संकलन करने के लिये व्यापक क्षेत्र भ्रमण किया गया-क्षेत्र भ्रमण के साथ ही स्थानीय नागरिकों से संबधित विषय पर साक्षात्कार भी किया गया। साक्षात्कार के माध्यम से अंलकृत अभिप्राय पर विभिन्न स्थानीय लोक विश्वासों के चित्रण को भी संकलित किया गया हैं।

परिणाम-यहां के मंदिर स्थापत्य में स्थानीय जनमानस के लोकविचार, लोकधारणायें, लोकविश्वास, लोकसंस्कृति के साथ-साथ लोक धर्म एवं प्रकृति प्रेम के अंकन स्पष्टतः दृष्टि गोचर होते है। काष्ट के साथ-साथ पाषाणों का भी मंदिरों में प्रयोग देखने को मिलता है, इन भव्य मंदिरों में विभिन्न भागों स्तम्भ, द्धारपट्टिकाएं तथा बाह्य भाग में अत्यन्त आकर्षक अंकन निर्मित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिरों में निर्मित ये प्रतीक चिन्ह मंदिर की सौन्दर्यता तथा आकर्षकता के लिये निर्मित किये जाते थे। परन्तु इस तथ्य से पूर्णतःसहमत होना नितान्त तर्क संगत होना प्रतीत होता है,क्योंकि ये निर्मित अंलकृत प्रतीक चिन्ह वहां के जनमानस का कलात्मकता पारंगता को प्रस्फुटित करता है,पशु (चित्र सं.1)पक्षी, (चित्र सं.2) लतिकायें, पुष्प (चित्र सं. 3) जल, नदियों के प्रतीक चिन्ह धार्मिक विश्वासों में पर्यावरण तथा प्रकृति संरक्षण को प्रेरित करता है, यह प्रकृति के प्रति यहां के जनमानस की चेतनता को परिलक्षित करता है। स्थापत्य के अद्भुत प्रतीक इन विशालकाय मंदिरों में निर्मित अंलकरण पौराणिक देवताओं शिव (चित्र सं.4) गणेश,

(चित्र सं.5)दुर्गा के साथ नारायण, रामायण तथा महाभारत कालीन परम्पराओं को संजोये हुये प्रतीत होते है। रामायण की विभिन्न घटनाएं चित्रकूट,पंचवटी, राम-सीता लक्ष्मण तथा मध्यकालीन घटनाओं को बहुत ही सजीवता के साथ उकेरा गया है। इन प्रतीक चिन्ह से यह प्रतीत होता है कि यह महाकाव्य कालीन परम्परा यहां के समाज तथा जनमानस का अभिन्न अंग रहा होगा, क्योंकि ये घटनायें यहां के जनमानस के अस्तित्व को इन प्रतीक चिन्हों में सजीवता के साथ निर्मित करने के लिये उद्धेलित करती है। मोर, बाज, विभिन्न प्रकार के पक्षी मानों सजीवता से इन प्रतीक चिन्हों में चहकते हुये प्रतीत होते है। कृष्ण को बासुरी (चित्र सं. 6) व राधा के साथ ऐसे नक्काशा गया है जैसे-वांसुरी की मृदुल ध्वनि कानों में गुजंयमान हो रही हो। लक्ष्मी, (चित्र सं.7)पौराणिक देवी-देवताओं के साथ-साथ स्थानीय देवताओं के प्रतीक चिन्ह भी मंदिर स्थापत्य में परिलक्षित होते है। इन प्रतीक चिन्हों में वहां की जनमानस क्षेत्रिय परम्परा, लोक विश्वास गीत संगीत,पर्वो-त्योहारों तथा वाद्य यन्त्रों का अंकन विशेष रूप से सजीवता प्रदान करती है। यहां की लोक संस्कृति इस काष्ट मंदिरों के विभिन्न हिस्सों में सौन्दर्य तथा सजीवता प्रदान करती है, पवित्रता तथा शुभता के प्रतीक सुर्य,चन्द्रमां, नक्षत्र, पुष्प, एपण, स्वास्तिक पूर्णता इन मंदिरों में दृष्टि गोचर होते है। इसमें मानव का आखेट प्रेम, नृत्य गायन, लोक वेश-भूषा क्षेत्रिय संस्कृति की छाप स्पष्टतः प्रकाशित होती है। क्षेत्र भ्रमण के समय कुल 10 मंदिरों का सर्वेक्षण किया गया जो कि अधिकांशतः काष्ठ निर्मित है। प्रस्तुत शोध पत्र में 10 में से कुल 4 मंदिरों पर अध्ययन केन्द्रित किया गया है, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक अलंकरण अभिप्राय प्राप्त हुए है। अवश्य ही मंदिरों का भाग काष्ठ निर्मित है किन्तु इनमें कटवे पत्थरों का भी प्रयोग देखा जा सकता है, जिनमें अलंकरण के अलावा उत्कीर्ण है काष्ठ एवं प्ररस्तरों के अलावा मंदिर के द्वार पर पीतल की चादर लगी हुयी है अधिकांश इन्ही पीतल की चादरों प्लेट्स पर मिलें है। प्राप्त अलंकरण अभिप्रायों को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते है।

- प्राकृतिक जगत से लिये गये.
  1 फूल- लतिकायें
  2 पेड़-पौधे
- धार्मिक क्षेत्र से
  1 पौराणिक देवी-देवताओं की आकृति जैसे-शिव गणेश विष्णु नंदी हनुमान एवं रामायण महाभरत के दृश्य
  2 मांगलिक चिन्ह जैस- स्वासतिक सूर्य चन्द्रमां एपण
- पशु-पक्षी

फूल- लतिकायें

शिव

कृष्ण

लक्ष्मी

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. Kamboj .Richa,Wood work of Garhwal Himalaya, 2014 Research india press-new delhi (india) page no-11
2. देव कृष्ण, भूमिज टैम्पल प्रमोदचन्द्र एस्टडीज इन इण्डिया टैम्पल आर्किटेचरए1975 पृ'ट सं0 – 113
3. देव कृष्ण, पूर्वोक्त, 14
4. देव कृष्ण, पूर्वोक्त, 116
5. Kamboj .Richa, Wood work of Garhwal Himalaya, 2014 Research india press-new delhi(india) page no-12
6. Kamboj .Richa,Wood work of Garhwal Himalaya, 2014 Research india press-new delhi(india) page no-13-14
7. Kamboj .Richa, Wood work of Garhwal Himalaya, 2014 Research india press-new delhi(india) page no-27

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

बेतिया नगर के आधारभूत संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

• संजय कुमार

सारांश- आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सेवाओं तथा सुविधाओं से जो किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास के स्तंभ होते है जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा, यातायात आदि। बेतिया नगर में अधिसंरचना के निर्माण हेतु उपलब्ध धन के उपयोग हेतु तकनीकी क्षमताओं की भारी कमी है। आमजन तक सेवा प्रावधानों की कम उपलब्धता है तथा उन तक कम पहुंच है। बेतिया शहर की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी सेवाओं पर भारी दबाव पैदा हुआ है फलतः शहरी स्थानीय निकाय माँग एवं पूर्ति को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा है।

मुख्य शब्द- बेतिया, आधारभूत संरचना, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठोस कचरा प्रबंधन

प्रस्तावना- किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास की जीवन रेखा आधारभूत संरचना होती है, अर्थव्यवस्था का भविष्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आधारभूत संरचना से जुड़ा होता है। बेतिया शहर में आधारभूत संरचना की स्थिति बहुत चिंताजनक है या औसत से नीचे है शहरी स्थानीय निकाय का वित्तीय प्रबंधन संचालन भी चिंताजनक है। अध्ययन क्षेत्र में स्कूल/कॉलेज, अस्पताल में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही साथ मनोरंजनात्मक सुविधाओं, सिनेमा हॉल, क्लब, खेल के मैदान आदि सुविधाओं की भी कमी है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बेतिया शहर में उपलब्ध आधारभूत संरचना का मूल्यांकन करना।
2. बेतिया नगर के विभिन्न समस्या के संबंध में जो समस्या है उसके निदान हेतु सरकार जनप्रतिनिधियों, नौकरशाही एवं जनता का ध्यान आकृष्ट करना।
3. बेतिया शहर के समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

1. बेतिया शहर में जल की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार अपर्याप्त है।
2. बेतिया शहर में कचरा संग्रह करने की दक्षता कमजोर है।

अध्ययन पद्धति- प्रस्तुत शोध-पत्र में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। इन आँकड़ों के बेतिया नगर परिषद् से संग्रहित किया गया है। इस शोध-पत्र में आँकड़ों का समुचित विश्लेषण कर बेतिया नगर में आधारभूत संरचना के विकास हेतु आवश्यक

• विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग राजेन्द्र कॉलेज, छपरा

सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र- बेतिया शहर बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है जिसका कुल क्षेत्रफल 8.01 वर्ग कि.मी. है, बेतिया शहर की अवस्थिति 26°48' उत्तरी अक्षांश तथा 84°30' पूर्वी देशांतर के बीच है।

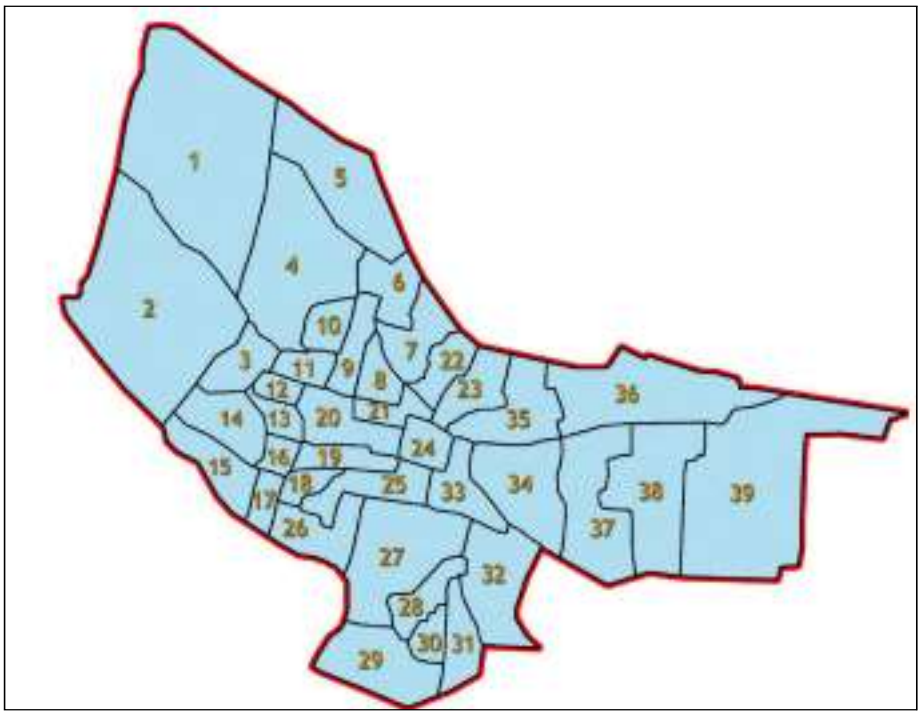

बेतिया नगर वार्ड मैप

बेतिया नगर के अधोसंचना का विश्लेषण एवं रणनीतियाँ : जलापूर्ति- अध्ययन क्षेत्र में जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत गंडक नदी तथा भूमिगत जल है। वर्तमान समय में बेतिया नगर में जल आपूर्ति का कनेक्शन मात्र 2.24 प्रतिशत है जो मांग के अनुसार काफी कम है, यहां प्रति ईकाई जल की आपूर्ति 14 Litre per person (LPCD) है जो कि केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) के मानदंड से बहुत कम है। बेतिया शहर में जलशोधन संयंत्र का भी अभाव है, अध्ययन क्षेत्र में 4 जल मीनार, 39 ट्यूबवेल एवं 156 चापाकल स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बेतिया शहर में कुल जल की आवश्यकता 17.9 MLD है जबकि आपूर्ति केवल 1.86 MLD है।

विकास की रणनीति-

1. अध्ययन क्षेत्र में जलापूर्ति शोधन संयंत्र स्थापित किया जाए।
2. बेतिया शहर के सभी आवासीय इकाईयों को जल वितरण पाइप लाइनों से जोड़ा जाए।
3. बेतिया शहर में शिरोपरी टंकियों की संख्या 4 है इनको बढ़ाया जाय ताकि जल का भंडारण की वर्तमान कमी को पूरा कर जल की आपूर्ति सभी को की जाय।

4. बेतिया शहर में जल के गंदापन एवं pH स्तर की निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में सरकार द्वारा उचित प्रावधान किया जाए।
5. बेतिया शहर में पेयजल की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवता की नियमित जाँच की जाय तथा संबंधित संस्थाओं की जबावदेही तय की जाय।

सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मल निकास एवं स्वच्छता, मल निकास- अध्ययन क्षेत्र में कोई मल निकास प्रणाली नहीं है यहाँ लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या (जनसंख्या 2001) के आवास परिसर में शौचालय हेतु साख्ता गड्ढो, सेप्टिक टैंक का निर्माण कर शौच किया जाता है जबकि शेष खुले में शौच करने को मजबूर है। बेतिया शहर में लगभग 8 सार्वजनिक शौचालय परिसर है जिनका बेहतर तरीके से रख-रखाव नहीं किया जाता है या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यहाँ मल जल सीधे खुले नालियों से होकर अंततः नदी सागर एवं पोखरों में बहता जिससे प्रदूषण की समस्यां उत्पन्न होती है।

रणनीति-

1. अध्ययन क्षेत्र में मल निकास हेतु सीवरेज प्रणाली को विकसित किया जाए तथा निष्पादन से पहले मल का उपचार किया जाए।
2. बेतिया शहर में वर्षा जल की नालियां और पेयजल निकासी की व्यवस्था अलग-अलग की जाए।
3. अध्ययन क्षेत्र के व्यवसायिक क्षेत्रों, विपणन क्षेत्रों, बस पड़ाव आदि जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाए ताकि पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहे।

जल निकासी-बेतिया शहर में जल निकासी हेतु एक मुख्य नाला है जिससे कई शाखाबद्ध अन्य नालियां है इन नालियों की लंबाई लगभग 22 कि.मी. है जबकि मांग 140 कि.मी. की है इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में 118 कि.मी. नाले/नालियों की वर्तमान कमी है।

रणनीति-

1. बेतिया शहर में पूरे शहर को कवरेज करने वाली जल निकास प्रणाली का प्रारूप विकसित की जाय।
2. बेतिया शहर में स्थित वर्तमान नालियों की मरम्मत और मजबूती की जाये।
3. अध्ययन क्षेत्र में जो खुली नालियाँ और जो कच्ची नालियां है उनको बंद/टंकी और पक्की नालियों में बदला जाय ताकि नालियों में कूड़ा-करकट डालने तथा नालियों की अवरूद्ध होने संबंधी समस्या से निजात पाया जा सके।

ठोस कचरा प्रबंधन- बेतिया शहर में लगभग 34 MT (2011) कचरा उत्पन्न होता है, केवल 50 प्रतिशत कचरा संग्रह की दक्षता है। घर-घर जाकर कचरों का संग्रहण पूरे शहर में नहीं हो पाता है कारण कि शहर में कचरा संग्रहण के लिए 117 हाथ गाड़ी, 3 खुले ट्रैक्टर एंव 1 टीपर ही उपलब्ध है जिनसे पूरे शहर को सेवा प्रदान नहीं किया जा सकता है।

रणनीति- एक अनुमान के मुताबिक बेतिया शहर में वर्ष 2030 तक प्रतिदिन 47.60 MT कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है। अतः कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हेतु-

1. उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

2. कचरा के परिवहन के लिए मांग के अनुरूप वाहनों की पूर्ति करना।
3. सैनेटरी लैडफिल को प्राथमिकता दी जाए ताकि वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निष्पादन हो सके।
4. शहर में कचरे संग्रह हेतु नियमित अंतराल पर डस्टबिनों का प्रावधान की जाए।

सड़क एवं परिवहन- अध्ययन क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई 72 कि.मी. है जो कि प्रति 1000 की जनसंख्या पर 0.5 कि.मी. पड़ता है अध्ययन क्षेत्र की सड़के BMC, NHAI तथा PWD के अंतर्गत है। बेतिया शहर में 11 प्रतिशत सड़के पक्की तथा 10 प्रतिशत कच्ची है। बेतिया शहर में सड़कों तथा फुटपाथ पर अतिक्रमण एक प्रमुख समस्यां है यहां यातायात के परिचालन हेतु सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर है जो अतिक्रमण के कारण सिमटकर 3.5 मीटर रह गई है। अध्ययन क्षेत्र में नियोजित एवं संगठित पार्किंग व्यवस्था का अभाव है।

रणनीति-

1. सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाय जैसे- स्टेशन रोड, नाजनी चौक, छावनी रोड आदि
2. अध्ययन क्षेत्र के चौराहों पर यातायात बतियों एवं संकेतों की स्थापना की जाय।
3. बेतिया शहर के महत्वपूर्ण एवं संकुलित व्यवसायिक क्षेत्रों में उचित पार्किंग स्थल का व्यवस्था की जाय।

स्ट्रीट लाइट- बेतिया शहर में स्ट्रीट लाइट की कमियां है बेतिया शहर में मांग के अनुरूप 1733 स्ट्रीट लाइट की कमी है।

सामाजिक आधारित संरचना : स्वास्थ्य सुविधाएँ- अध्ययन क्षेत्र कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी आदि।

बेतिया शहर में स्वास्थ्य सुविधाएँ:

1.	माध्यमिक अस्पताल	-	1
2.	पोली क्लिनिक	-	18
3.	नर्सिंग होम	-	25
4.	दवाखाना	-	30

शहरी विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (UDPFI) के अनुसार "बेतिया शहर में वर्ष 2030 तक माध्यमिक अस्पताल के सिवा कोई विशेष माँग नहीं है।'

रणनीति

- अध्ययन क्षेत्र में एलोपैथिक पद्धति के अलावा अन्य चिकित्सीय पद्धति जैसे- आयुर्वेद, योग, होमोपैथिक आदि का भी विस्तार की जाए।
- अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीफोन रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार की जाय।

शैक्षणिक सुविधाएँ- शिक्षा किसी भी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन की गुणवत्ता, ज्ञान, कौशल, मूल्यों की समझ तथा भावी विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।

अध्ययन क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज, 1 पॉलीटेक्निक कॉलेज, 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 35 से 40 माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय मौजूद है। UDPFI के अनुसार बेतिया शहर में 76 पूर्व प्राथमिक/नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।

रणनीति-

- UDPFI के मानकों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए।
- अध्ययन क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार कार्यक्रमों को दृढ़तापूर्वक लागू की जाय।

मनोरंजन- बेतिया शहर में एक स्टेडियम, एक उद्यान (शहीद पार्क) और पाँच सिनेमाघर मौजूद है।

निष्कर्ष- अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बेतिया शहर में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। अध्ययन क्षेत्र में विकास की गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है, कई योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। सरकार द्वारा बेतिया शहर में विकास की गति प्रदान करने हेतु जलापूर्ति के लिए 2851 लाख रूपये निवेश का प्रस्ताव है इसकी तरह मल निर्यास हेतु 16670 लाख रूपया, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 823.4 लाख रूपया, शहरी परिवहन के लिए 8383 लाख रूपया, शिक्षा के लिए 4050 लाख रूपया, स्वास्थ्य के लिए 7600 लाख रूपया का निवेश प्रस्तावित है। इन निवेशों के माध्यम से बेतिया शहर में जलापूर्ति, स्वास्थ्य, ठोस कचरा प्रबंधन शिक्षा आदि के संदर्भ में माँग एवं पूर्ति के बीच जो गैप है उसको भरने का प्रयास जारी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नगर निगम बेतिया
2. सिटी डेवलमेंट प्लान बेतिया नगर
3. नगर विकास योजना औरंगाबाद
4. प्रसाद महेश्वर, "नगरीय भूगोल" कानपुर, किताबघर
5. टेलर, जी, (1964), अर्बन ज्योग्राफी, लंदन
6. शर्मा, राजीव लोचन, प्रादेशिक एवं नगरीय नियोजन, कानपुर, किताबघर
7. होल, पी, दि वर्ल्ड सिटीज, न्यूयॉर्क, मैकग्राहिल।

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सतना जिले के धार्मिक पर्यटन पर एक भौगोलिक अध्ययन

• ए. के. सिंह
•• प्रिया सिंह

सारांश- विरासत पर्यटन जो कि पर्यटन उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त आधुनिक विकास की एक नई अवधारणा है- पर्यटन जो विरासत पर आधारित है जहां विरासत उत्पाद का मूल है और विरासत का मुख्य प्रेरक कारक है पर्यटक । मध्य प्रदेश विशेष रूप से सतना जिला कई प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत प्रदान करता है पर्यटकों और भक्तों के लिए आकर्षण प्राचीन काल के रूप में, देश का यह हिस्सा कला और संस्कृति का केंद्र रहा है। मैहर चित्रकूट एंव रामवन रामायण काल के प्राचीन अवशेषों का निवास है; इस पवित्र स्थान में विभिन्न मंदिर भी बने हैं यहां का हरा-भरा वातावरण सभी प्रकार के पर्यटकों को आमंत्रित कर रहा है और आध्यात्मिक तत्व तुरंत आराम देता है वातावरण शांत है।

मुख्य शब्द-पर्यटन, विकास, धार्मिक विरासत, अवशेष

प्रस्तावना- मध्य प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, देश की 9वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों और तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण वातावरण से संपन्न, राज्य अभी भी विकास की ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करने की विकट चुनौती का सामना कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था। ठीक 44 साल बाद, 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया गया था। इस विभाजन के साथ, मध्य प्रदेश राज्य ने छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे लाइनों और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचे जैसे बिजली संयंत्रों को खो दिया। मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति पर्यटकों के आगमन के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। घरेलू पर्यटकों के मामले में सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि रात भर के लिए पीक महीना और उसी समय पर्यटकों की यात्रा अक्टूबर थी। कुल मिलाकर, घरेलू पर्यटकों की सबसे कम आगमन मई और जून के महीनों के दौरान मापा गया। इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के मामले में, मध्य प्रदेश के लिए रात भर के पर्यटकों के दौरे के लिए एक चरम महीना दिसंबर था।

मध्य प्रदेश के प्रस्तावित पारिस्थितिक पर्यटन स्थल ओरछा नेचर रिजर्व,

• शोध निर्देशक, प्राध्यापक (भूगोल विभाग), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा (म. प्र.)
•• शोधार्थी , भूगोल विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.)

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य, अमरकंटक और डिंडोरी वन चंबल नदी, डुमना पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र, जबलपुर कठोटिया एडवेंचर प्वाइंट झिन्ना वन शिविर आदि है।

अध्ययन उद्देश्य-

- धार्मिक पर्यटन पर विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाना।
- सतना में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं और संभावनाओं का पता लगाना।
- सतना में तीर्थ स्थलों को पहचानना और उनके बीच के इतिहास का पता लगाना।
  तीर्थ पर्यटन पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण करना।
- बहुराष्ट्रीय समाज द्वारा विरासत स्थल को इसकी गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज की यह स्वीकृति विरासत स्थल को अपने लिए और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण प्रदान करती है।
- क्षेत्र में विरासत पर्यटन प्रबंधन का मूल्यांकन एवं समीक्षा करना।
- ग्रामीण समुदाय में अधिक आय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उच्च आये वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- विरासत स्थलों को विकसित करना जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाना शामिल है।
- मध्य प्रदेश पर्यटन में सतना के विरासत स्थल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार मीडिया का ऑकलन करना।

विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में, वर्तमान परिदृश्य यह है कि विदेशी भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरते हैं, जहां उन्हें भारत में ज्ञात स्थानों के लिए पैकेज्ड टूर मिलते हैं। वास्तव में, विदेशी पर्यटकों को पूरा करने के लिए बहुत से पर्यटन क्षेत्रों को

चित्रित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अब मध्य प्रदेश आने के साथ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों सहित लक्षित समूहों के लिए विषयगत क्षेत्रों की मैपिंग की जा सकती है। सी। मध्य प्रदेश को इंडिया का दिल देखो जैसे विज्ञापनों के माध्यम से एक पर्यटन स्थल के रूप में विपणन किया गया है। यह एक बहुत अच्छा अभियान रहा है और मध्य प्रदेश को एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में पेश करता है। इसके अलावा, धार्मिक पर्यटन–उज्जैन, वन्यजीव पर्यटन–कान्हा, बांधवगढ़, ऐतिहासिक पर्यटन–सांची, खजुराहो आदि जैसे साइट–विशिष्ट अभियानों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उपरोक्त के अलावा, पर्यटन स्थलों जैसे पारिस्थितिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, वन्य खेल पर्यटन आदि के विषयगत विपणन को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसे आलावा ग्राहकों के बेहतर लक्ष्यीकरण के साथ पूरक किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से एमपीटीडीसी की वर्तमान भूमिका और पर्यटन में निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए संस्थागत सुधार प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है।

सतना जिले के दर्शनीय और धार्मिक पर्यटन स्थल- सतना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। शहर 111.9 वर्ग किलोमीटर के एक भूमि क्षेत्र में वितरित किया गया है। मैहर सतना से 40 किमी दक्षिण में एक छोटा सा शहर है। यह पहले से ही अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रसिद्ध शारदा मां मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि महान पौराणिक हस्तियां आल्हा और उदल अभी भी देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं। वर्तमान में इस स्थान पर कोई पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियां नहीं चल रही हैं। महियार मंदिर, चित्रकूट, रामवन, शिव मंदिर, बिरिंगपुर आदि दर्शनीय और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं ।

रामवन- रामवन के तुलसी संग्रहालय में प्राचीन काल की विभिन्न मूर्तियों को विभिन्न स्थानों में संग्रहित करके संरक्षित किया गया है। वे पिछली पीढ़ियों की कलात्मकता और भक्ति में एक शिखर देते हैं। ऐतिहासिक तथ्य का अध्ययन और रामवन में विरासत पर्यटन की संसाधन व्याख्या और सतत योजना का एक उभरता हुआ मुद्दा क्योंकि भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास के दौरान रामवन की इस पवित्र भूमि पर पड़े थे और उन्होंने यहां पूरी रात बिताई, ताकि पर्यटक और भक्तों ने इस स्थान को भगवान श्री राम के जीवन की भक्तिपूर्ण आस्था के रूप में मान्यता दी है।

शिव मंदिर बिरसिनी धामपुर

चित्रकूट- विंध्याचल पर्वत की गोद में और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित, यह अपने हेज को प्राकृतिक संस्कृति प्रदान करने की अद्भुत क्षमताका बोध कराता है। यहाँ विभिन्न रूपों में स्थित तीर्थ स्थलों के समूहों को चित्रकूट नाम दिया गया है। जिनकी प्राकृतिक सीमाएं मंदाकिनी परस्वनी और सरया जैसी नदियों से बनती हैं। यह परमधाम श्रद्धा और भक्ति के लिए एक कालातीत स्मारक है, साथ ही भारतीय संस्कृति युवा धार्मिक मान्यताओं का संगठन है, जिसे आज भी सामाजिक समुदाय के लिए आप सूचना और आत्म-ज्ञान अलौकिक महसूस करते हैं, गठन में परंपरा बरकरार है। इस पवित्र भूमि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के दौरान की स्थलाकृति और लीला होने का गौरव भी प्राप्त है। रामचरितमानस में वर्णित गोस्वामी तुलसीदास, रामायण का मुख्य केंद्र बिंदु संस्कृतियां हैं, चित्रकूट अभी भी मानव समाज के लिए अलौकिक, आत्म-ज्ञान की परंपराओं को बनाए रखता है। विकास की योजना बनाने के लिए प्रथम विकास योजनाओं को राज्य सरकार के तहत स्वीकृत के आधार पर जुलाई 1998 से प्रभावी बनाया गया था। विकास की आवश्यकता और जनसंख्या वृद्धि की संरचना को ध्यान में रखते हुए योजना बनाते समय चित्रकूट से एक छोटी विस्तृत विकास योजना 2031 तैयार करने की योजना बनाई।

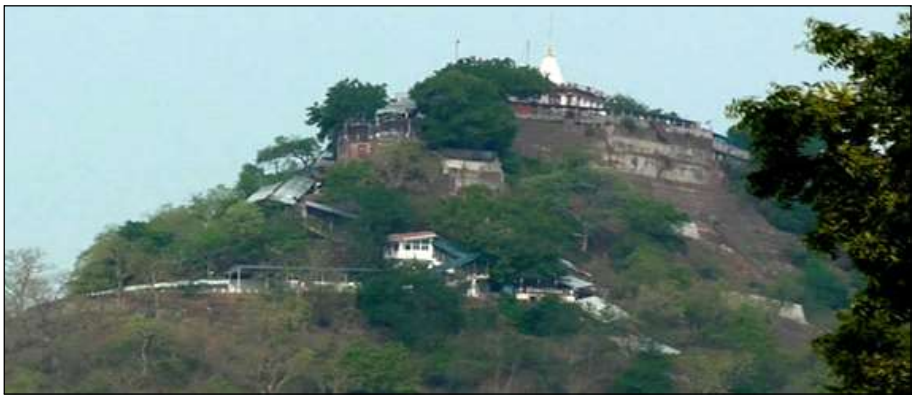

साहित्य सर्वेक्षण- आज, यात्रा उद्योग भारत में सबसे बड़ा सहायता उद्योग है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 6.8: का योगदान देता है और कुल काम का 6.73: देता है। पर्यटन केवल व्यावसायिक गतिविधियों का समुच्चय नहीं है; यह इतिहास, प्रकृति और परंपरा का एक वैचारिक ढांचा भी है; एक ऐसा ढांचा जिसमें संस्कृति और प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने की शक्ति हो। ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की भूमिका ने हाल ही में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिस्पर्धात्मक पहचान के बढ़ते अहसास के कारण बहुत महत्व प्राप्त किया है। समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय विद्वानों और विद्वान व्यक्तियों जैसे ओश्कनर 1993, एशवर्थ 1994, जॉनसन 1995), पेलेगी 1996, पामर 1999 और प्रीट्स 2003, द्वारा कई शोध और दस्तावेजीकरण किए जा रहे हैं। तर्क दिया है जाता है कि राष्ट्रीय पहचान बनाने में विरासत पर्यटन महत्वपूर्ण हो सकता है। विरासत को पर्यटन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेजी से बढ़ते घटकों में से एक माना जाता है। (अल्जुआ, ओश्लेरी)

इतिहास में महान घटनाओं या व्यक्तित्वों का उत्सव; साहित्य और लोककथाओं के माध्यम से व्यक्त जीवन और शिक्षा के विशिष्ट तरीके (हर्बर्ट 1989; ज़ेपेल और हकूल 1992)। कई नीतियां यह भी मानती हैं कि पर्यटक एक सामान्यीकृत सांस्कृतिक या विरासत उत्पाद में रुचि रखते हैं और यह कि एक क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन के विकास के उद्देश्यों के लिए अगले क्षेत्र की तरह ही अच्छी है। कई विद्वानों (जानसन 1995, पामर 1999, लाइट 2001 और प्रीटेस 2003) ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय निर्माण में विरासत स्थलों का प्रचार महत्वपूर्ण है।

केतनवीरा, (2016) मेक इन इंडिया गतिविधि विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में चिकित्सा यात्रा उद्योग के लिए पर्याप्त खुले दरवाजे देती है। यात्रा उद्योग और आतिथ्य और कल्याण। शायद ही किसी और क्षेत्र की जांच की जा सकती है जो यात्रा उद्योग जैसे नैदानिक को आगे बढ़ाने पर प्रभाव डाल सकता है। विकास और उड्डयन जो शेष विश्व के साथ महानगरों की नींव और वृद्धि नेटवर्क बनाएगा। भारत भी स्वास्थ्य के लिए अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए हेल्थ-हब बना सकता है। तिवारी अवधेश कुमार (2016),अध्ययन से पता चलता है कि व्यापक रूप से तीन घटक हैं जो भारत में आवास उद्योग के विकास में सक्षम हैं। ये बाहरी, आंतरिक और सरकारी पहल हैं। यह उद्योग इसी

तरह विभिन्न चर प्रस्तुत करता है जो सीधे हैं और निहितार्थ से इसे बनाए रखते हैं और इसे सहायता क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकासशील क्षेत्र बनाते हैं। इसने पड़ोस के काम के कण प्रकार में योगदान दिया, इसी तरह मांग और आपूर्ति को बनाए रखते हुए जहां यह प्रासंगिक है। इसी तरह विकासशील दर विभिन्न खुले दरवाजों पर निर्भर करती है जो इस क्षेत्र में स्थित हैं जैसे प्रति व्यक्ति वेतन में वृद्धि, भारतीय कार्य बाजार और संपत्ति। सरकार न केवल आय के लिए बल्कि भारत के वैश्विक चेहरे और कुख्याति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो यह चित्रित किया गया है और वास्तव में जाँच की गई है कि पड़ोस और यात्रा उद्योग में अद्भुत है भारत । तालिका मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को दर्शाती है।

सांस्कृतिक स्थल	ग्वालियर, ओरछा, पर्यटन खजुराहो, सांची, मांडु
तीर्थ स्थल	उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक, राजिम, सांची, भोपाल, ओरछा आदि।

मध्य प्रदेश में पर्यटकों का आगमन

वर्ष	कुल
2004	8764801
2005	7414375
2006	11229827
2007	14128704
2008	22340660

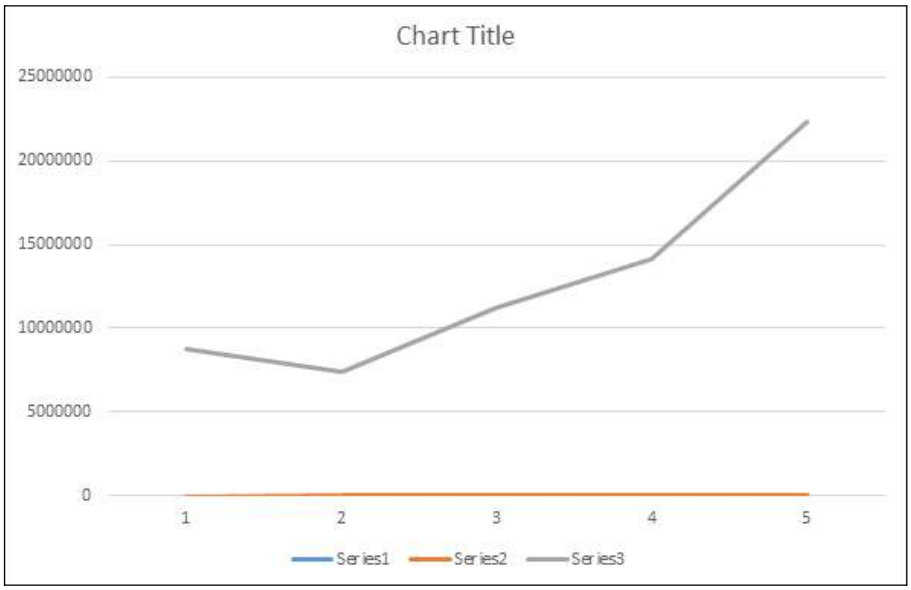

पर्यटन पर प्रभाव

- धार्मिक पर्यटन पर प्रभाव सामाजिक
- भीड़ पर अपराध पैदा करने में धार्मिक पर्यटन पर सामाजिक प्रभाव,

- पर्यावरण क्षरण
- पर्यावरणीय प्रभावों
- अर्थशास्त्र पर्यटन को प्रभावित करता है और कर राजस्व, अटकलों के आदान-प्रदान के लिए जबरदस्त संभावनाएं हैं।
- रोजगार और देश में आर्थिक विकास में योगदान।

सफलता के लिए कदम- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास की रणनीति एवं निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

- भूमि, सड़क, पानी, बिजली आदि पर्याप्त बुनियादी ढांचे में सुधार और निर्माण।
- आवास, खानपान और मनोरंजन सुविधाओं का उन्नयन और संवर्द्धन।
- परिवहन सुविधाओं का विस्तार।
- बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गंतव्यों का विपणन।
- विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों का विकास करना।
- मध्य प्रदेश की कला और शिल्प को बढ़ावा देना।

प्रमुख मुद्दे-

- नगर विकास योजना के अनुसार कुल सड़कों का 68 प्रतिशत भाग कच्चा है।
- सड़क नेटवर्क योजना का अभाव।
- कनेक्टिविटी की कमी शहर के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने की क्षमता में एक बाधा है। कामदगिरी, गुप्त गोदावरी और अनुसुइया जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के पास पार्किंग स्थलों की व्यवस्था।
- शहर के माध्यम से एकमात्र सड़क शहर को जिले के अन्य मार्गों से जोड़ती है ।

संस्थागत तंत्र

- मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटीडीसी)
- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए)
- आदिवासी लोक कला परिषद
- मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड (एमपीईडीबी)

निष्कर्ष एवं सुझाव- यह पेपर समीक्षा करता है कि हम सतना में धार्मिक पर्यटन विकसित करते हैं और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं सतनाऐतिहासिक मंदिरों के बीच धन्य है और यहां धार्मिक पर्यटन स्थल महियार मंदिर, चित्रकूट, रामवन, शिव मंदिर, बिरिंगपुर, के बारे में शोध के साथ हमने पाया कि ऊपर दिए गए सभी मंदिर अपने स्वयं के वास्तुकला में समृद्ध हैं अध्ययन में पाया गया कि कनेक्टिविटी समस्या भी विकास धार्मिक पर्यटन के लिए एक प्रमुख चिंता है अध्ययन के निष्कर्षों से आवास की सुविधा का पता चला है इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि दोनों सरकारी निकायों के साथ-साथ लोगों के भी क्षेत्र को शहर में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एकजुट होना चाहिए।

पारिस्थितिक पर्यटन की कोई परिभाषित परिभाषा नहीं है। यह प्रकृति आधारित पर्यटन है जिसमें मनुष्य का उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति के साथ-साथ पारंपरिक संस्कृति

क्षेत्रों का निरीक्षण करना है। यह पर्यावरण को कम करता है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ लाता है जो उनके लिए उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी चीज है नागरिक और पर्यटन इस बात का प्रमाण है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ विकास की अपार संभावनाएं हैं और यह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कुमार, ए (2018)। माहवार विदेशी पर्यटकों का आगमन (1988-2018) भारत के विकास के आंकड़ों का विवरण। https://www.indiastat.com/tourism-data/29/foreign-tourists/280/month-wise-foreign-tourist-arrivals-1988-2018/449535/stats.aspx से लिया गया
2. मध्य प्रदेश की जीडीपी (2018) https://data.gov.in/keywords/gdp-madhya-pradeshls लिया गया
3. मुरुगन। ए, "चौलेंज एंड चेंजेस इन इंडियन टूरिज्म", साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल पॉलिटिकल साइंसेज, वॉल्यूम 6, नंबर 1, पीपी.103-107, दिसंबर 2005।
4. राज, एम। (2018)। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था https://business.mapsofindia.com/india-state/madhya-pradesheconomy.html से लिया गया
5. मिश्रा, पी. (2017)। खजुराहो के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का प्रभाव। मध्य प्रदेश में पर्यटन, 26(4)। http://hdl.handle.net/10603/208979 से लिया गया
6. लाल, पी. (2012)। जम्मू और कश्मीर की पर्यटन नीति 1995 और सतत पर्यटन: पर्यटन के प्रति ग्रामीण निवासियों के दृष्टिकोण का एक अध्ययन, 54(5)। https://hdl.handle.net/10603/78238 से लिया गया
7. कुमार, आर. (2011)। हिमाचल प्रदेश में सतत ग्रामीण पर्यटन - कुल्लू और कांगड़ा जिलों का एक अध्ययन। सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म, 42(3)। http://hdl.handle.net/10603/120883 से लिया गया
8. शिजी, ओ। (2016)। भारत में पर्यटन का आर्थिक प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल अ, फ सोशल साइंसेज, 5(1), 35. doi: 10.5958/2321-5771.2016.00013.2
9. मुरलीधर एम.के, "भारत में पर्यटन प्रबंधन", प्रिंटवेल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 1999ण
10. श्रीदेवी, वी., और गीता, एस। (2014)। कन्याकुमारी जिले में पर्यटन के आर्थिक प्रभाव के लिए प्रेडिक्टर समीकरण। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 4(11), 140. doi: 10.5958/2249-7307.2014.00980.3
11. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/stateplan/sdr/sdr_mp1909.pdf

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

बघेलखण्ड की सांगीतिक धरोहर को संरक्षित रखने में हमारा सामाजिक दायित्व एवं भूमिका

• संतोष पाठक

•• वाणी साठे

सारांश- बघेलखण्ड क्षेत्र की पवित्र सांस्कृतिक धरा संगीत की अमर स्वर लहरियों से गुंजायमान रही हैं। यहाँ संगीत चाहे दरबारी कलाकारों के द्वारा संपादित रहा हो, चाहे परमपरागत लोक जीवन से जुड़ा मौलिक लोक संगीत रहा हो, दोनों ही आज तक उसी पावन रूप से संजोकर रखे गये हैं। बघेलखण्ड की शास्त्रीय संगीत की परमपरा में ध्रुपद, धमार, ख्याल तराना, ठुमरी सभी गायन शैलियों को यहाँ के राजा महाराजाओं के दरबार में प्रश्रय मिला, दरबारी कलाकारों द्वारा इसका पल्लवन हुआ। यहाँ के कलाकारों द्वारा ही अन्य घरानों की विभिन्न शाखाओं का निर्माण और विकास हुआ है। किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र की संस्कृति को उसके मौलिक स्वरूप में जानना समझना हो तो उसके सांगीतिक पक्ष को भलीभांती समझना अनिवार्य है। संगीत अपनके आप में संस्कृति का दर्पण है जिसमें उस क्षेत्र के स्वर, लय, ताल, शब्द, साहित्य, पर्व, रीति रिवाज और संस्कार के साथ ही वहाँ की पूरी चित्रात्मकता छुपी होती है। हमारी भारतीय संस्कृति की नींव आध्यात्मिकता से जुड़ी है। इसका सीधा संबंध मानव के हृदय से है। भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्कृति के होते हुए भी यहाँ के संगीत ने सभी को एकता के सूत्र में बांधा है। बघेल खण्ड इनमें से प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ संगीत सम्राट तानसेन, बाबा अलाउद्दीन, दरबारी संगीत परम्परा में महाराजा विश्वनाथ सिंह, महाराजा रामचन्द्र जू देव आदि प्रमुख हैं। इन्ही के आश्रित अनेक कलाकारों ने यहाँ की सांगीतिक धरोहर को समृद्ध बनाया। अब हामरा सभी का दायित्व है कि इस अमूल्य धरोहर को पल्लवित, पुष्पित रखें और आने वाले समय में और अधिक समृद्ध बनायें। इन्ही पर मौलिक रूप में परिवेक्षण के आधार पर यह शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द- सांगीतिक धरोहर, ध्रुपद, धमार, ख्याल तराना, टप्पठुमरी, दादरा

प्रस्तावना- इतिहास के प्रत्येक काल में भारतीय संगीत ने सभी को जोड़कर और एकता के सूत्र में बांधकर रखा है। सामाजिक मूल्यों की रक्षा करते हुए संगीत ने विश्व को अमन और शान्ति का परिचय दिया है, विशेषकर हमारे भारतीय संगीत ने। संगीत स्वतः स्फूर्त कला है जिसमें अन्तर्मन की भाषा समझने और समझाने की शक्ति है। विभिन्न विपदाओं

• निर्देशक, संगीत विभाग ललित कला संकाय, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, राजस्थान

•• शोध छात्रा, संगीत विभाग ललित कला संकाय, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, राजस्थान

और विभिषिकाओं से घिरे मानव मन को शांति और आनंद देने के साथ नव सृजन करने की ताकत भी संगीत ने ही दी है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी विशाल परम्परा है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों में संगीत की विशिष्ट पहचान है, गायन शैलियाँ हैं इनमें दरबारी परम्परा के राजा–महाराजाओं के यहाँ आश्रित कलाकारों ने इस कला को अपने श्रम और साधना से खूब आगे बढ़ाया। इसी परम्परा में बघेलखण्ड क्षेत्र (म.प्र.) का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में राजवंशो ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा को बहुत सम्मानित किया।

इनमें संगीत सम्राट तानसेन की डोली को महाराजा रामचन्द्र जू देव द्वारा कांधा देने की घटना बहुत प्रसिद्ध है। महाराजा विश्वनाथ स्वयं विद्वान संगीतज्ञ एवं उच्च साहित्यकार थे। "संगीत रघुनंदन" नामक प्रथम ग्रंथ उन्होंने लिखा। उनके दरबारी गायकों में उस्ताद बख्तावर खाँ (ध्रुपद गायक), साधू बाबा, बड़े मोहम्मद खाँ, प्यारे खाँ प्रमुख थे। यहाँ की कला लखनऊ दरबार तक ले जाने का श्रेय बघेलखण्ड को ही जाता है, महाराजा रघुराज सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव सभी ने इस कला का प्रश्रय और सम्मान दिया। बघेलखण्ड के जिन राजा–महाराजाओं ने अपने दरबार में आश्रित कलाकारों को प्रश्रय देकर उनकी कला को प्रोत्साहन दिया, मनोबल आगे बढ़ाया और सतत समृद्ध करते रहे उन कलाकारों ने अपनी लम्बी शिष्य परम्परा द्वारा इसे आगे बढ़ाया। यहाँ के कलाकारों ने यहाँ अपनी सतत् साधना, तपस्या एवं निष्ठा पूर्ण संगीत साधना करके इस सांगीतिक धरोहर को सम्हाल ही नहीं रखा, अपितु उसे अपनी शिष्य परम्परा द्वारा विस्तार दिया और आज तक उनकी साधना, कला की चमक हमें यहाँ के संगीत में दिखाई देती है। इन महान हस्तियों ने इस धरोहर को हमें सौंपा है उसे न केवल संजोकर रखना ही हमारा कर्तव्य है अपितु संगीत की निर्झरिणी की तरह प्रवाह मान और गतिमान बनाना है। शोध विषय की छात्रा होने के नाते मैंने हम सभी के लिये कुछ चुनौतियों को सम्मुख रखते हुए उस पर चिंतन किया है। तभी हम इस सांगीतिक धरोहर को संरक्षित एवं सवंर्धित रख सकते हैं।

आज हमारे सम्मुख बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनमें से कुछ का भी परिपालन कर कार्यरूप में साकार कर सकें तो हम इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर उसे पल्लवित कर सकते हैं। बघेल खण्ड के नरेशों में संगीत कला के प्रति न सिर्फ लगाव था अपितु उसके मर्म को छूने की ताकत भी थी। इसीलिये अपने दरबार के आश्रित कलाकारों को सदा सम्मानित किया, उनकी कला को प्रोत्साहित किया। परन्तु आज वर्तमान समय में उन्हीं कलाकारों की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसका प्रभाव उनकी कला पर पड़ रहा है। उम्रदराज, अस्वस्थ या पारिवारिक आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों का शासन, शासकीय संस्थाऐं तथा सम्पन्न कलाकार वर्ग उनकी योग्य सहायता कर उनकी स्थिति में सुधार कर सकता है।

ऐसे कलाकारों को प्रतिमाह कुछ मानदेय राशि देकर उनकी मदद कर उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकता है जिससे वे अपनी साधना कर अपनी शिष्य परम्परा विकसित कर सकें और हमारी इस अमूल्य निधि को आने वाले समय में सुरक्षित रख सकें। संगीत की घरानेदार परम्परा को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये, जिससे हमारी

पारम्परिक संगीत धरोहर को बचाया जा सके।

इस क्षेत्र में मैहर के अतिरिक्त अन्य कोई शासकीय संगीत महाविद्यालय नहीं है। जबकि रीवा, सतना में संगीत के अच्छे शिक्षक एवं प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थी हैं, जिन्हें उचित मार्गदर्शन से उत्तम शिक्षक एवं अच्छा कलाकार बनाया जा सकता है, इस अभाव पर हम सभी का ध्यान जाना आव'यक है जिससे यहाँ पर भी शासकीय संगीत महाविद्यालयों की स्थापना की जा सके।

बघेलखण्ड की पारंपरिक गायन शैलियों को संरक्षित रखने के लिये विशेष संगीत गुरूओं द्वारा तालीम की आवश्यकता है जो उसी रूप में शिक्षण दे सकें, जो भी लिखित सामग्री उपलब्ध है, जो भी ग्रंथ, साहित्य या काव्य उपलब्ध है, उसके आधार पर मौलिकता के साथ विद्यार्थियों तक यह कला पहुँचे और उसका मूल रूप उसी स्वरूप में सुरक्षित रहे।

संगीत एक विषय के रूप में स्कूल, कॉलेज सभी में अनिवार्य करना उचित होगा तभी विद्यार्थियों की संगीत में नींव मज़बूत होगी, रूचि बढ़ेगी और अपनी प्रतिभा एवं परिश्रम के आधार पर वे बघेलखण्ड की सांगीतिक निधि को और प्रवाहमान बना सकने में सक्षम हो पाएंगे।

इस अंचल का मैहर बैंड आज विश्व का शास्त्रीय संगीत का अद्‌भुत बैंड बन चुका है इसी से प्रेरणा लेकर शिक्षकों, कलाकारों और योग्य विद्यार्थियों द्वारा पृथक रूप से इस परम्परा को आगे बढ़ाना होगा वरना इस बैंड के कलाकारों के पश्चात यह बैंड कैसे स्थापित रह पाऐगा?

इस क्षेत्र के संगीत को आगे बढ़ाने के लिये कलाकारों के अलावा अच्छे श्रोताओं का निर्माण होना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ का संगीत केवल दूरदर्शन के चैनलों पर बजने वाले रिऐलिटी शो की वस्तु न रह जाऐ। इस सच्चाई को समझ के ही श्रोताओं को हमारे मूल संगीत की रक्षा करनी है। अतः प्रत्येक माता-पिता जो अपने बालकों को संगीत कलाकार बनाना चाहते हैं उन्हें रिऐलिटी शो के आकर्षण से भी बचना चाहिये अपितु प्रत्येक समय स्थाई रहने वाला संगीत सिखवाना चाहिये।

संगीत के प्रयोगात्मक स्वरूप को सदा सर्वोत्परी स्थान देना चाहिये ना कि केवल डिग्री या उच्च अंक अथवा केवल सैद्धान्तिक पक्ष को देखना है क्योंकि संगीत प्रयोगात्मक एवं अभ्यास की कला है। बघेलखण्ड क्षेत्र में वाद्ययंत्रों के क्रय, विक्रय एवं सुधार मरम्मत की श्रेष्ठ क्वालिटी की दुकानें एवं शो रूम होना अति आव'यक है। यहाँ के कलाकार एवं संगीत संस्थाऐं बाहर से वाद्य यंत्र क्रय करते हैं, मरम्मत भी बाहर से ही करवाते हैं अगर यहीं कुछ क्वालिटी की अच्छी दुकानें खुल जाएं तो यहाँ के वाद्य यंत्र अधिक सुरक्षित रहेंगे और इसके जानकार व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा।

यहाँ संगीत केन्द्रों, संगीत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। पर्यवेक्षण के दौरान इमारतों, छतों, फर्नीचर, वाद्ययंत्र, पुस्तकें सभी में अभाव अनुभव हुआ। बैठने की उचित व्यवस्था, बिजली का अभाव भी है। अतः इस ओर हम सभी का ध्यान जाना ही चाहिये।

संगीत के परीक्षा केन्द्र केवल परीक्षा शुल्क तक सीमित न रहकर नियमित

कक्षा के साथ पठन पाठन और अभ्यास की ओर गंभीरता से ध्यान दें इस बात का ध्यान रखा जाये।

इस क्षेत्र का आकाशवाणी केन्द्र भी संगीत के प्रचार प्रसार, अभ्यास, वादक कलाकार, संगीतकार एवं संगीत-संयोजक के अभाव में सूना तथा लगभग शून्य सा हो गया है। यहाँ कोई भी नियमित संगीतकार या संयोजक न होने से स्तरीय कार्यक्रम नहीं हो पाते। हमारी संगीत धरोहर को सुरक्षित रखने में आकाशवाणी केन्द्र की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस क्षेत्र के पुराने कलाकारों की रिकार्डिंग सुरक्षित रखना, उन्हें बजवाना, उन पर संगीत रूपक तैयार कर श्रोताओं को जागरूक करना आकाशवाणी का दायित्व है।

संगीत की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित एवं संग्रहित रखने में पुस्तकालयों (ऑडियो एवं वीडिओ) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि संग्रहालयों में संगीत से जुड़ी ऐतिहासिक मूर्तियाँ, वाद्ययंत्र, गायन वादन एवं नृत्य को दर्शाती मूर्तियाँ, भित्तीचित्र, पेंटिंग्स या आलेख हमारी धरोहर को दर्शाती ही नहीं अपितु इस बेशकीमती निधि को अमर बनाती हैं। बघेलखण्ड में कइई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पुरातात्विक आधार पर यहाँ की संगीत कला के प्रमाण हैं। हमारा कर्तव्य है इन्हें सुरक्षित रखकर आगे आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित करवाना।

उसी प्रकार यहाँ के विभिन्न मुख्य पुस्तकालयों में भी संगीत के ऐतिहासिक ग्रंथ, छायाचित्र इत्यादि को संग्रहित एवं सुरक्षित किया जाऐ तो इस निधि को सवंर्धित किया जा सकता है। रीवा जिले के किला क्षेत्र में ऐतिहासिक पुस्तकालय सरस्वती पुस्तकालय का पुर्नर्निमाण एवं नवीनीकरण कर बहुत सुयोग्य कार्य किया गया है। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्राइवेट एवं अन्य सरकारी पुस्तकालयों, सेंट्रल लायब्रेरी इत्यादि में भी यही प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिये तभी हमारी इस अमूल्य-निधि की सुरक्षा हो पाऐगी। समय-समय पर इस अमूल्य धरोहर को आम-जनता हेतु प्रदर्शित भी किया जाना चाहिये, विशेष प्रदर्शनी फिल्म या सेमिनार, लेक्चर एवं विद्वत्तजनों के द्वारा आयोजित गोष्ठियों के द्वारा यह संभव हो सकता है।

इस क्षेत्र में कई इतिहासकार, लेखक, साहित्यकार कवि हैं जो इस धरोहर पर अपनी ओजस्वी लेखनी द्वारा पुस्तकें, आलेख, शोध पत्र, कविता, विचार लिखकर यहाँ की धरोहर पर प्रकाश डाल सकते हैं।

बघेलखण्ड में सांगीतिक परम्परा के पल्लवन के लिये एक "धरोहर" मंच स्थापित किया जाऐ जिसमें केवल यहाँ की निधि से संबंधित गायन, वादन, नृत्य की पारंपरिक एवं मौलिक प्रस्तुति हो। उसी स्वरूप, भाषा एवं साहित्य के साथ, इससे आने वाली पीढ़ी हमारी अमूल्य धरोहर को वास्तविक रूप से समझे।

उपरोक्त विषय पर यद्यपि संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व, लोकगीत आदि पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और आज भी विद्वान साहित्यकार निरन्तर लेखन कार्य कर रहे हैं, परन्तु यहाँ की सांगीतिक परम्परा अथवा गायन वादन नृत्य से जुड़े राजवंश एवं दरबारी सांगीतिक परम्परा पर विशिष्ट रूप से कोई भी ग्रंथ नहीं निकला है। शोधार्थी एवं इतिहासकारों का ध्यान इस ओर जाना अति आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि, बघेलखण्ड की धरती संगीत की पावन साधना

स्थली है, तपस्वी कलाकारों की तपोभूमि है इस अमूल्य सांगीतिक धरोहर की सुरक्षा कर उसके संवर्धन में सहभागी बनना केवल संगीतकारों का दायित्व नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज का दायित्व है, इन्हें देखने, सुनने, समझने के अलावा इसे गतिवान बनाना होगा। इस पर हमारा शासन, सांस्कृतिक प्रबंधन, कलाकार, संगीत संस्थाऐं, शिक्षक, विद्यार्थी, संगीत प्रेमी आम जनता की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है, यही हमारा दायित्व है एवं प्रमुख कर्तव्य भी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. डॉ. अखिलेश एस., (2009) रीवा दर्शन गायत्री पब्लिकेशन एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, रघुवंश सदन शांतिकुंज बिछिया, रीवा (म.प्र.)
2. डॉ. सुशील कुमार दुबे, (2000) विन्ध्यांचल के बघेल राज्य, पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, राजस्थान
3. असद खान, (2012) बघेलखण्ड की स्थापत्यकला, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा (2003)
4. डॉ. रामसागर शास्त्री, (1998) विन्ध्यदर्शन-विन्ध्य साहित्य प्रकाशन अमहिया, रीवा
5. प्रो. राधेशरण, (2000) विन्ध्यक्षेत्र का इतिहास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

भारतीय समाज में महिला चित्रकारों का योगदान

• मीना

सारांश- आज महिला कलाकारो ने भारत मे ही नही, विदेशों में भी अपने आत्मबल एवं रचनात्मक क्षमता के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसके परिणाम स्वरूप नारी को सम्मान की दृश्टि से देखा जाने लगा है। आज महिलाओं ने पर्दे से बाहर निकलकर पुरूशों से कन्धे से कन्धा मिलाकर यह साबित कर दिया कि वह पुरूशो से किसी भी प्रकार कम नही है। इन महिला चित्रकारो से प्रभावित होकर आज बहुत सी महिलायें इस क्षेत्र मे आगे आयीहै तथा अपने मौलिक अधिकारों को जानने के साथ-साथ इसे दबाने वालो के खिलाफ आवाज भी बुलन्द की है।

मुख्य शब्द- आत्मबल, क्षमता, चित्रकार

प्रस्तावना- भारतीय समाज में नारी के अस्तित्वकी हमेशा ही उपेक्षा की जाती रही है परन्तु नारी वो शक्ति है जिसके बिना इस सृष्टि और समाज दोनो का ही कोई अस्तित्व नहीं है। नारी वो शक्ति है जिसे हमारे समाज में पूजा भी जाता है और इसके अस्तित्व पर सवाल भी उठाये हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के समय का यदि निरीक्षण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई क्षेत्र ऐसा नही है जहां महिला ने अपनी भूमिका का निर्वाह पूर्ण सक्षमता के साथ न किया हो।

कला की बात कही जाए तो महिलाओं की रुचि ललित कलाओं में विशेष रुप से होती है। यूं तो लोक कला को महिलाओं की कला माना जाता है क्योकि लोक कला का संम्बन्ध संस्कारों, अनुष्ठानों, उत्सवों आदि से होता है।

महिलायें इन अनुष्ठानों, उत्सवों तथा संस्कारों को श्रृद्धा पूर्वक करते हुए लोक चित्रों का निर्माण करती है। आधुनिक युग निर्माण एवं परिवर्तन का युग है जहाँ प्रतिदिन नये-नये आयाम में परिवर्तन होते रहतें है, महिलाओं ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में न केवल अपनी नयी पहचान बनायी अपितु अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने अस्तित्व का झण्डा गाड़ दिया है।कोई भी समाज उस देश की सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रगति की संगति एवं विसंगति का दर्पण होता है, जिसे कला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महिला चित्रकारों ने स्त्रियों को न केवल नयी पहचान दिलायी है अपितु अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका अदा की है। वर्तमान में महिलाओं की कला के क्षेत्र में भगीदारी प्रभावशाली ढंग से बढ़ रही है। प्रारम्भ में कुछ ही महिला चित्रकारों का नाम परिचित था परन्तु आज राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी महिला चित्रकार है

• शोधार्थी, जे. के. पी. पी. जी. कॉलेज मुजफ्फरनगर

जिन्होनें अपनी चित्रकारी से समाज मे व्याप्त रीतियों एवं कुरीतियों को दर्पण दिखाया है। आज महिलाऐं चाहर दिवारी से बाहर निकलकर समाज के हर पहलु में अपनी भागीदारी स्थापित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को एक नई पहचान मिली है।आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिला चित्रकार है, जिनकी कलाकृतियों ने हमारे भारतीय समाज में

महिलाओं को विशेष दर्जा दिलाया है तथा जिनकी कलाकृतियाँ कला जगत की अमूल्य निधि के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। 20वीं सदी की पहली प्रसिद्ध महिला चित्रकार टैगोर परिवार की सदस्य थी, जिनका नाम था सुनयनी देवी। इनके अलावा कई भारतीय महिला चित्रकारों ने सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित विषयों के आधार पर अनेक चित्रों की रचना की। सन् 1960 के दशक में महिलाओं ने बड़ी संख्या में कला के क्षेत्र में पदार्पण किया। महिला कलाकारों में अंजलि ईला मेनन, अमृता शेरगिल, अर्पणा कौर, मीरा मुखर्जी, अनुपम सूद, देव्यानी कृष्ण, अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पाल, मृणालिनी मुखर्जी आदि ऐसे नाम है, जिन्होने कला के क्षेत्र में विशेष ख्याति तो अर्जित की ही साथ ही समाज में नारी जाति को विशेष स्थान दिलाने भी अपनी भूमिका निभाई है। नारी के विषय में कहा भी गया है –'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्त तत्र देवता:', अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं।

सुनयनी देवी के नाम से बहुत ही कम लोग परिचित है । सुनयनी देवी प्रसिद्ध टैगोर परिवार से थी तथा कला जगत में ख्याति प्राप्त अवनीन्द्र नाथ टैगौर व गगनेन्द्र नाथ टैगौर की छोटी बहन थी । इनका विवाह 12 व'ा की अल्पायु में ही हो गया था, घर से बाहर कार्य करने की अनुमति इन्हें नही थी । घर के कलात्मक वातावरण से प्रेरणा पाकर इन्होने चित्र बनाने का साहसिक कार्य किया, यह कार्य इन्होने तीस अथवा पैंतीस वर्ष की अवस्था में आरम्भ किया। सुनयनी बंगाल की लोक कला से प्रभावित थी। प्रशिक्षित कलाकार न होते हुए भी इन्होने अपनी कला को बड़े सहज सरल रूप में प्रस्तुत किया। सुनयनी एक जन्मजात कलाकार थी बचपन से ही कलात्मक वातावरण इन्हें प्राप्त रहा था। इनके घर जोरासाकों में देशी तथा विदेशी अनेक प्रकार के चित्रों का संग्रह होता था परन्तु उन्होने धरातल के लिए कागज और माध्यम में जलरगों को चुना। इन्होने धार्मिक, सामाजिक तथा यर्थातवादी चित्र बनाये लेकिन उनके चित्रों का मुख्य प्रेरणा स्रोत लोक कला ही है। जिन दिनों सभी कलाकार अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इधर–उधर भाग रहे थे, सुनयनी ने अपने ही देश की कला से प्रेरणा लेते हुए चित्रों को नवीन रूप प्रदान किया। आधुनिक भारतीय कला की शुरूआत कहीं न कही अमृता शेरगिल की कला से मानी जाती है। अमृता शेरगिल एक प्रतिभासम्पन्न महिला चित्रकार है, जिन्होने अपनी रचनात्मक क्षमता के बल पर छोटी सी उम्र में बड़ा मकाम हासिल है। अमृता शेरगिल एक ऐसी कलाकार थी जिन्होने यूरोपीय तकनीक तथा भारतीय विषयों को एक सुत्र में पिरोने का सफल प्रयोग किया इसमें कोई सन्देह नही है कि ये वानगो, गोगा तथा मोदिग्लियानी जैसे पाश्चात्य कलाकारों से प्रभावित थी । इन्होने पाश्चात्य लयात्मक से प्रभावित होकर भारतीय दीनता से युक्त चित्रों को बनाया। क्योंकि 1936 में अजन्ता व ऐलोरा की यात्रा के बाद उनके चित्रों में बहुत परिवर्तन मिलता है। भावपूर्ण चेहरों में

बोलती आँखें, हाथ व पैरों की मुद्रा में एक नया आकर्षण तथा मानवाकृतियों के समूह सयोंजन में अजन्ता का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी कला शैली पाश्चात्य परन्तु विषय भारतीय है अतः इनके चित्रों में पाश्चात्य एवं भारतीय दोनो कलाओं का मिश्रण दिखता है। भारतीय विषयों को लेकर जिस प्रकार की कलाकृतियों का सृजन अमृता शेरगिल ने किया वह प्रशंसनीय है। अमृता के मन में भारतीय जन जीवन के प्रति एक खास आकर्षण था । अपनी रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया है। सन् 1935 ई. में बने चित्र 'मदर इंडिया', 'हिल मैन' भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करतें है, ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने चित्रों में राजपूत चित्रों के रंगो से भी प्रभावित हुई है उनका 'हाथियों का नहाना' शीर्षक चित्र बहुत सुन्दर है। इसमें इन्होने शोख लाल रंग का प्रयोग किया है ।

'बालिका वधू', 'अछूत बालिका' नामक शीर्षक वाले चित्रों में जहां गोंगा की चित्रकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वहीं 'वधू का श्रृंगार','केले बेचते हुए','हाट जाते हुए दक्षिणी भारतीय' नामक शीर्षक वाले चित्रों पर अजन्ता की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 'उंटों का विश्राम' शीर्षक चित्र भी बहुत सुन्दर है। उनकी कला साधारण एवं अलंकारिक शैली की है परन्तु साथ ही यह बहुत भावयुक्त एवं अपने भावो में उत्पन्न करने वाली है। अतः हम कह सकते है कि आपके चित्रों में भावों की सुन्दरता, भावों की भाषा एवं रंगो को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। आप सर्वप्रथम भारतीय कलाकार थी जो भारतीय विषयो को पाश्चात्य शैली में चित्रित करती थी। आपके चित्रों में नारी स्वभाव की सहज कोमलताऐं, ममता, दया के भावों का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है। आपने भारतीय महिलाओं के सामने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है । अपर्णा कौर आधुनिक महिला चित्रकार है जो अपनी ख्याति अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करा चुकी है । उनकी कलाकृतियाँ अधिकतर महिलाओं पर आधारित है। ये एक पंजाबी चित्रकार है। अतः इन्होने सिख गुरूओं तथा आध्यात्मिकता को अपनी कला का आधार बनाया। महिलाओं से सम्बन्धित अनेक सामाजिक समस्याओं को इन्होने अपनी कला के द्वारा समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अपर्णा कौर ने 'रक्षक ही भक्षक' शीर्षक पर एक पूरी चित्र श्रृंखला तैयार की है, जिसे इन्होने माया त्यागी रेप कांड को ध्यान में रखते हुए बनाया है। माया त्यागी नामक महिला का रेप उन पुलिस वालो ने किया जिनको हमारी भारतीय सरकार ने महिलाओं, गरीबों व असहाय लोगों की सहायता के लिए नियुक्त किया है। इसके अलावा भी इन्होने विभिन्न सामाजिक विषयों पर अपनी तूलिका चलायी है। इन्होने सामाजिक समस्या को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अतियथार्तवादी विचारधारा में चित्रित करके इस मतलबी व कुविचार से ग्रसित संसार पर एक कटाक्ष किया है। अपने कला योगदान पर ये कई पुरूष्कार प्राप्त कर चुकी है। अपर्णा कौर को 2020 का सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार का पुरस्कार भी दिया गया। ये एक सरल और संवेदनशील चित्रकार है। इनकी चित्राकृतियाँ सहजता से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को परत दर परत उधेड़ती हैं। अपने चित्रों के विषय में वे स्वयं कहती है, ''मेरी कला संवेदना का दायरा थोड़ा विस्तृत है। मेरे चित्र की आकृतियाँ मानवता से अनुप्रमाणित है।'' 'नानक' चित्र श्रृंखला बनाने की प्रेरणा इन्हें 'नानक' के हितकारी मानवतावादी आध्यात्म से मिली। वे पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होने स्त्रियों के सामाजिक एवं पारिवारिक

शोषण का खुलकर प्रतिवाद किया। 'वर्ल्ड गोज ऑन' शीर्षक चित्र श्रृंखला में इन्होने सिक्खों के उपर दंगो की अमानवीयता और भयावहता के दर्द को चित्रित किया है। इनकी कला में कहीं भी अलंकारिता देखने को नहीं मिलती है। सपाट धरातल पर अपनी सूझ व रंगो की समझ को दर्शाते हुए चित्रण किया है। इनकी चित्रण शैली में अजन्ता शैली और पहाड़ी लघुचित्रों का प्रभाव प्रतीत होता है।

अपर्णा कौर की कलाकृतियाँ यथार्तवादी संसार से सम्बन्धित न होकर अतियथार्तवादी संसार की रचना प्रतीत होती है। ये मानवाकृतियों को साधारण रूप में चित्रित न करके उन्हें अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर धरातल में कहीं उड़ती हुई, कहीं ध्यान मग्न तथा कहीं कहीं पर उन्होनें उन आकृतियों को बीच से कटा हुआ बनाया है। उनकी मानवाकृतियाँ धड़, पैर तथा हाथ से अलग-अलग होकर भी एक पूर्ण मानवाकृति को दर्शाती है। ये मानवाकृतियाँ अपने सही अनुपात में बनी है। 'टाइम' सीरीज अपर्णा की महत्तवपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। जिसके अन्तर्गत उन्होने अनेक चित्राकृतियाँ बनाईं हैं, जो गम्भीर दार्शनिक स्वभाव की है। ये अपने चित्रों में धागे एवं कैची का चित्रण अधिकतर करती है, ये इसका चित्रण प्रतीकात्मक रूप में करती है। अपर्णा कहती है कि, शास्त्रों मे वर्णित है कि जब उम्र पूरी हो जाती है तो यमराज उम्र के धागे को कैची से काट देते है, यह प्रकिया मुझे अजीबो-गरीब लगती है। जब मैने महसूस किया आम जनता मे कैची की महत्ता कितनी है तो कैची के इस गुण के कारण उसे प्रमुखता दी। इन्होने कैची का प्रयोग इतना अधिक किया कि बाबा भवेश चन्द्र सान्याल ने इनका नाम कैची रख दिया। सतीश गुजराल साहब भी इन्हें कैंची कहकर पुकारते थे। सत्तर अस्सी के दशक में भारतीय चित्रकला मे दस बारह महिलाएं सामने आई, जिन्होने मूर्तिशिल्प, पेटिगं और छापाकला आदि सभी विधाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अधिकाशं महिला कलाकार इस बात पर जोर देती है कि हमें सिर्फ कलाकार मानिए, हमे महिला होने की वजह से कोई छूट नहीं चहिए। इन सब के बावजूद महिला कलाकारो को अलग तरह की प्रदर्शनियों मे आमंत्रित किया जाता है। गोगी सरोज पाल बहुचर्चित कलाकार है, जिन्होने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, यह रास्ता आसान नही था। कला की दुनिया मे प्रवेश करने का दरवाजा बहुत संकरा था। गोगी सरोज पाल को वो सब उतार-चढ़ाव देखने पड़े जो किसी छोटे शहर से बड़े में आकर देखने पड़ते है। गोगी ने बहुत कठिन परिश्रम किया बहुत अकेलापन झेला जितना कि एक कलाकार को अपनी पहचान बनाने मे झेलना पड़ता है। गोगी सरोज पाल एक ऐसी महिला चित्रकार है जो समकालीन कला मे एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है साथ ही अपने महिला होने के पक्ष को इतनी मजबूती से प्रस्तुत करती है कि वे स्वयं कहती है कि,''मेरी पेटिगं मे मेरा औरत होना बहुत महत्तवपूर्ण है इसके लिए मुझे शर्मिन्दगी महसूस नहीं होती है।'' गोगी सरोज पाल ने अपने अथक प्रयास और अपनी स्पष्ट कला शैली के माध्यम से भारतीय कला जगत मे अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और समाज मे एक आदर्श स्थापित किया है कि महिला कमजोर नही है। बस जरूरत है उसमें इच्छा शक्ति जागृत करने की। सन् 1945 मे जन्मी गोगी सरोज पाल समकालीन भारतीय महिला चित्रकार है। जिन्होने अपनी कलाकृतियों मे महिला के जीवन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है उनकी कलाकृतियाँ मुख्य रूप

से महिलाओं पर ही केन्द्रित है। गोगी के चित्रों में उनकी नारी कभी अपने आप में सिमटकर लेटी हुई, विभिन्न मनोभावों में डूबी हुई दिखाई देती है। गोगी ने नारी की आन्तरिक छवि को उकेर कर उसे स्वतन्त्रात्मक रूप मे चित्रित किया है।'बीइगं ए वूमेन' श्रृखंला समाज में महिलाओं के स्थान और सम्मान पर केन्द्रित है। श्रृखंला की एक पेंटिग में एक महिला को ईसा मसीह की उपमा दी गई है, लेकिन बिना क्रास के। बाहर निकलते हुए हाथ, सिर का हल्का टेढा होना और जिस तरह से पैर को एक साथ जुड़े हुए आस-पास दर्शाया गया है। वह ईसा मसीह की पीड़ा की याद दिलाती है। ईसा मसीह के दर्द को लोग याद करते है कि उन्होने मानव जाति के लिए कितनी पीड़ा और दर्द सहा, लेकिन गोगी कहती है कि,'महिलाओं की पीड़ा का क्या' गोगी सरोज पाल इसे एक विडम्बना मानती है कि लोग ईसा मसीह की पीड़ा पर आसूं बहाते है लेकिन अपने ही परिवेश में महिलाओं के दुखों को नजरअदांज कर देते हैं, या अनदेखा कर देते है, चाहे वह उनकी माँ, बहन,पत्नीसाथी, दोस्त या बेटी क्यों न हो।

निष्कर्षत: आज महिला कलाकारो ने भारत मे ही नही, विदेशों में भी अपने आत्मबल एवं रचनात्मक क्षमता के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसके परिणाम स्वरूप नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। आज महिलाओं ने पर्दे से बाहर निकलकर पुरूषों से कन्धे से कन्धा मिलाकर यह साबित कर दिया कि वह पुरूषो से किसी भी प्रकार कम नही है। इन महिला चित्रकारों से प्रभावित होकर आज बहुत सी महिलायें इस क्षेत्र मे आगे आयी है तथा अपने मौलिक अधिकारों को जानने के साथ-साथ इसे दबाने वालो के खिलाफ आवाज भी बुलन्द की है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भारतीय चित्रकला, शोध संचय-1997,भारतीय चित्रकला विषयक शोध लेखों कासंकलन,चित्रायन प्रकाशन मु. नगर, पृ. 80-83
2. रीता प्रताप, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सत्रहवां संस्करण 2014 पृ. 346
3. अग्रवाल, आर. ए., कला विलास, भारतीय चित्रकलाका विवेचन,इण्टरनेशन पब्लिकेशन हाउस, मेरठ, नवीन संस्करण 2003 पृ., 203-204
4. समकालीन कला,गोगी सरोज पाल : एक कला निधि, ललित कला अकादमी अकं 28 पृ. -58
5. समकालीन कला सुकृति मिश्र,समकालीन कला का आलोचनात्मक पक्ष,ललित कला अकादमी, अकं 48 पृ.-73
6. भारद्वाज, विनोद ,आधुनिक कला कोष, सचिन प्रकाशन,प्रथम संस्करण 1959,पृ. 329-330
7. वही पृ. 326
8- Singh Kishore Gogi Saroj Pal,the feminine unbound Delhi Art Gallery, 2011 p.N. 70
9. जोशी डॉ. ज्योतिष, समकालीन कला, ललित कला अकादमी, अंक 35 पृ. 48

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

नागार्जुन की कविताओं में भाषाई-सौन्दर्य

• सुरेन्द्र प्रताप सिंह
•• अंकित कुमार सिंह

सारांश- 'नागार्जुन की कविताओं में भाषाई-सौन्दर्य' विषयक शोध आलेख नागार्जुन की कविताओं में भाषा के विविध पक्षों पर प्रकाश डालता है, जिसमें भाषागत-विशिष्टता एवं भाषा शैली का निरूपण किया गया है। नागार्जुन के भाषा की एक खास विशेषता यह है कि वे बहुत ही सहज, सरल एवं जन व्यवहारोपयोगी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी कविताओं में रस, छन्द, अलंकार, बिम्ब, प्रतीक, मिथक आदि का सफलतापूर्वक प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत शोध आलेख वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक पद्धति पर आधारित है। यह शोध आलेख नागार्जुन की कविताओं में विद्यमान भाषाई-सौन्दर्य को नवीन रूप में रेखांकित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मुख्य शब्द- भाषाई-सौन्दर्य, सम्प्रेषणीयता, अभिव्यक्ति, भाषा-शैली, प्रवाहमयता, नाटकीयता, संवादधर्मिता, सपाट बयानी

प्रस्तावना-

नागार्जुन की कविताओं में भाषाई–सौन्दर्य से तात्पर्य उनके अभिव्यक्ति के सौन्दर्य से है। अभिव्यक्ति के सौन्दर्य का सम्बन्ध कवि के भाषा–शैली से है। भाषा ही वह माध्यम है जिससे कवि की कविता की सम्प्रेषणीयता और मूल्य बने रहते हैं। नागार्जुन की कविता में भाषाई–सौन्दर्य को समझने के लिए कवि की कविताओं का विश्लेषण एवं विवेचन आवश्यक हो जाता है। कविता जो कुछ भी है, वह अपने शब्द एवं अर्थ से ही भाषाई–सौन्दर्य का निर्माण करती है।

नागार्जुन जनकवि के रूप में जाने जाते हैं, इस कारण यह लाज़मी है कि उनकी भाषा भी जन व्यवहारों के अनुकूल सहज एवं सरल होगी। आम आदमी के बोलचाल की भाषा एवं मुहावरों की शब्दावलियों का प्रयोग उनकी भाषा में मुखरित हुआ है। डॉ. नामवर सिंह के अनुसार "जनकवि के रूप में नागार्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कविता के कलात्मक सौन्दर्य की बलि चढ़ाये बिना कविता को सर्वजन सुलभ बना देना।"[1] अतः नागार्जुन के भाषाई–सौन्दर्य का आधार उनकी सहजता एवं उदारता है। वे बड़ी से बड़ी बात को अत्यन्त साधारण ढंग से कह देते हैं।

• असिस्टेण्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
•• शोध छात्र, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

नागार्जुन की कविताओं में भाषाई-सौन्दर्य के विविध आयाम हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा के विविध स्तरों का इस्तेमाल अपनी कविताओं में किया है। नागार्जुन की कविताओं की भाषा में भी विविधता है। उनकी कविताएँ हिन्दी के साथ-साथ मैथिली, बंगला और संस्कृत भाषाओं में भी है, जिससे भाषा वैविध्य का होना स्वाभाविक है। नागार्जुन बोल चाल के शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही संस्कृतनिष्ठ तत्सम् एवं तद्भव शब्दावली से युक्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। संस्कृतनिष्ठ तत्सम काव्य-भाषा का उदाहरण इस प्रकार है-

"अमल धवल गिरि के शिखरों पर
बादल को घिरते देखा है।
छोटे-छोटे मोती जैसे
उसके शीतल तुहिन कणों को,
मानसरोवर के उन स्वर्णिम
कमलों पर घिरते देखा है,
बादल को घिरते देखा है।"[2]

नागार्जुन के बात करने के हजार ढंग है। उनकी भाषा में बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत के संस्कारी पदावली तक के शब्द मिलते हैं। नागार्जुन की भाषा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि- "तुलसीदास और निराला के बाद कविता में हिन्दी भाषा की विविधता और समृद्धि का ऐसा सर्जनात्मक संयोग नागार्जुन में ही दिखाई पड़ता है।"[3] नागार्जुन जनकवि हैं, इसलिए उनकी भाषा भी जनसामान्य के बोलचाल की भाषा है। उदाहरण द्रष्टव्य है-

"दाने आए घर के अन्दर कई दिनों के बाद
धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद
चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद।"[4]

नागार्जुन की भाषा में प्रवाहमयता विद्यमान है। वे धारा-प्रवाह भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है- व्यंग्य के साथ नाटकीयता। जीवन के यथार्थ अनुभव को कवि ने नाटकीयता के माध्यम से रेखांकित किया है। 'प्रेत का बयान' नामक कविता के अन्तर्गत कवि ने प्राइमरी स्कूल के मास्टर और यमराज के मध्य संवाद को जिस व्यंग्य के साथ चित्रित किया है, वह अद्भुत है-

"सच-सच कहूँगा
झूठ नहीं बोलूँगा
अब हम गुलाम नहीं
नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के

X X X

तनखा थी तीस रुपैया, सो भी नहीं मिली
मुश्किल से काटे हैं
एक नहीं, दो नहीं, नौ-नो महीने

घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे चार
आ चुके वे भी दयासागर, करूणा के अवतार!
आप ही की छाया में
मैं ही था बाकी
क्यों कि करमी की पत्तियाँ अभी कुछ शेष थीं
हमारे पुश्तैनी पोखर में .....।"[5]

नागार्जुन की कविताओं में व्यंग्य के साथ नाटकीयता का सुन्दर प्रयोग मिलता है। उनकी कविताओं में व्यंग्य की प्रधानता दिखाई देती है। 'चना-जोर गरम', 'मंत्र' आदि कविताएँ व्यंग्यात्मक शैली के उदाहरण हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं से युक्त कवि ने व्यंग्य शैली में अनगिनत रचनाएँ की है। 'आओ रानी, हम ढोयेंगे पालकी' कविता के माध्यम से कवि ने राजनीतिक व्यंग्य को रेखांकित किया है-

"आओ रानी, हम ढोएँगे पालकी,
यही हुई है राय जवाहर लाल की

X X X

तुम मुस्कान लुटाती आओ,
तुम वरदान लुटाती जाओ,
आओ जी चाँदी के पथ पर,
आओ जी कंचन के रथ पर,
नजर बिछी है, एक-एक दिक्पाल की
छटा दिखाओ गति की लय की ताल की
आओ रानी हम ढोएँगे पालकी।।"[6]

नागार्जुन संवादधर्मी कवि के रूप में चर्चित हैं। उनकी कविताओं में संवादात्मकता प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। संवाद शैली का सुन्दर एवं सफल प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी कविता समृद्ध एवं प्रभावशाली प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि इन्होंने संवाद के स्तर पर मौलिक एवं अनोखा प्रयोग किया है। नागार्जुन ने संवाद में भी व्यंग्य को रेखांकित किया है-

"क्या हुआ आपको?
क्या हुआ आपको?
सत्ता की मस्ती में
भूल गई बाप को?
इन्द्र जी, इन्द्र जी, क्या हुआ आपको?
बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को!"[7]

नागार्जुन ने अपनी कविताओं में अलंकारों का बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, रूपक, विरोधाभास, विसंगति, मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नागार्जुन का अलंकार विधान अत्यन्त सजग, मनोरम और जीवंत है।

बिम्ब-विधान की दृष्टि से नागार्जुन एक सशक्त रचनाकार है। बिम्ब का प्रयोग

उनकी अनेक कविताओं में समग्रता के साथ मिलता है। बिम्ब कल्पना और स्मृति की वह क्रिया है जो शब्दों के द्वारा चित्र प्रस्तुत करती है। स्मृति, दृश्य, स्पर्श आदि अनेक प्रकार के बिम्ब इनकी कविताओं में पाये जाते हैं। नागार्जुन की कविताओं में 'स्मृति बिम्ब' को निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है–

"घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल!
याद आता तुम्हारा सिन्दूर तिलकित भाल!"[8]

इसी प्रकार 'स्पर्श बिम्ब' का भी एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें कवि ने शिशिर ऋतु को विषकन्या के रूप में चित्रित किया है। मनुष्य के जीवन में शिशिर ऋतु रूपी विषकन्या के स्पर्श से जो मार्मिक अनुभूति होती है, उसका यथार्थ चित्रण कवि ने किया है–

"हजार बाहों वाली शिशिर–विष–कन्या
उतरी लेकर साँसों में प्रलय की वन्या
हिमदग्ध होंठों के प्राणशोषी चुम्बन
एक–एक शिरा में सौ–सौ सुइयों की चुभन।"[9]

नागार्जुन ने अनेक प्रकार के प्रतीकों का भी प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। प्रतीकों के प्रयोग से कवि ने भाषा को बहुत ही सम्पन्न बनाया है। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है 'भुस का पुतला', जिसमें उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को ही भुस का पुतला कहा है। कांग्रेस के नेता जब देश की समस्या सुलझाने में असमर्थ साबित हुए, तब कवि ने उन नेताओं को खेत में खड़े मौन पुतले के समान बताया है। उन्होंने नेताओं को पुतले के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है–

"सरग था ऊपर नीचे था पाताल
अपच के मारे बुरा था हाल
दिल–दिमाग भुस का, खद्दर की थी खाल।"[10]

नागार्जुन ने प्रतीकों के प्रयोग में बड़ी ही मौलिकता से काम लिया है। इन्होंने अनेक स्थलों पर प्रगतिवादी विचारधारा के अनुकूल प्रतीकों का प्रयोग किया है।

नागार्जुन की कविताओं में जब हम छन्द विधान की पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी अधिकांश कविताएं मुक्त छन्द में है और कहीं–कहीं पर वे छन्द युक्त रचनाएँ भी किये हैं। मुक्त छन्द की कविता में नागार्जुन ने समाज में व्याप्त समस्याओं को ही रेखांकित किया है। उनकी मुक्त छन्द की एक धारदार कविता इस प्रकार है–

"मन करता है:
नंगा होकर मैं खड़ा रहूँ सागर–तट पर
कुछ घण्टों तक क्या, जीवन–भर
नंगा होकर–
यों भी क्या कपड़ा मिलता है!"[11]

मुक्त छन्द के प्रति अधिक आकर्षण रहते हुए भी उन्होंने लय और तुक को मिलाने वाली छन्दबद्ध शैली का सफल प्रयोग किया है। नागार्जुन ने दोहा, कुण्डलियाँ, रोला, बरवै आदि विविध छन्दों का प्रयोग किया है। इनका प्रसिद्ध खण्डकाव्य 'भस्मांकुर'

बरवै छन्द में लिखा गया, जिसमें छन्दबद्ध कविता का बड़ा ही कलात्मक प्रयोग किया गया है। नागार्जुन के भाषा के सन्दर्भ में डॉ. बच्चन सिंह ने कहा है कि, "नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गाँव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी, वहाँ पर भी गँवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छन्दों, लयों का प्रयोग करते हैं। छन्दोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छन्दों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है।"[12] नागार्जुन की भाषा अर्थ वहन करने में समर्थ है। उनकी भाषा प्रसंगानुकूल है।

नागार्जुन की कविताओं के सम्यक विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि नागार्जुन की भाषा सहज, सरल एवं जन व्यवहारोपयोगी है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं तद्भव शब्दावली से युक्त है। उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक एवं राजनैतिक विषमताओं को व्यंग्यात्मक शैली में चित्रित किया है। नागार्जुन की कविताओं की भाषा में सपाट बयानी के साथ-साथ लयात्मकता एवं प्रवाहमयता भी विद्यमान है। इन्होंने लोकोक्तियो एवं मुहावरों का सफल प्रयोग किया है। बिम्बों, प्रतीकों एवं मिथकों के प्रयोग से नागार्जुन के काव्य में एक नयेपन का बोध होता है। अलंकारों के प्रयोग से इनकी कविताओं की सौन्दर्यानुभूति बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा एवं शिल्प दोनों स्तर पर नागार्जुन एक सफल रचनाकार हैं, जिनकी कविताओं में भाषाई-वैविध्यता विद्यमान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. ओझा, डॉ. जे.बी., 2011, नागार्जुन का काव्य : एक नव मूल्यांकन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 58
2. नागार्जुन, 2010, युगधारा, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 67
3. सिंह, नामवर (संपा.), 2013, नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 9
4. शोभाकान्त (संपा.), 2003, नागार्जुन रचनावली, खण्ड-1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 226
5. नागार्जुन, 2010, युगधारा, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 87-88
6. नागार्जुन, 2011, प्यासी पथराई आँखें, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 57
7. नागार्जुन, 2016, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 8
8. शोभाकान्त (संपा0), 2003, नागार्जुन रचनावली, खण्ड-1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 41
9. नागार्जुन, 2016, हज़ार हज़ार बाँहों वाली, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 112
10. नागार्जुन, 2010, युगधारा, यात्री प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 95
11. सिंह, नामवर (संपा0), नागार्जुन प्रतिनिधि कविताएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 92
12. सिंह, बच्चन, 2020, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 414

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र की उपादेयता

• बृजेश द्विवेदी

सारांश- संस्कृत को छोड़कर विश्व की जितनी भी भाषायें हैं उनसे मात्र बोध जनकता ही संभव है किन्तु संस्कृत भाषा उससे निर्मित वाक्य और मंत्रों आदि से बोध जनकता तो होती ही है पुण्य जनकता भी होती है। जैसे वेद अनादि और नित्य है वैसे ही उनकी भाषा संस्कृत भी नित्य है। व्याकरण वेद का मुख्य अंग होने से उसका भी पठन-पाठन अनादि है। व्याकरण के बिना वेद का रक्षा सम्बर्द्धन तो असंभव है ही संस्कृत वाङ्मय की रक्षा भी असंभव है। संक्षेपतः संस्कृत वाङ्मय और व्याकरण का उपजीव्य और उपजीवक भाव सम्बन्ध है। किसी भी भाषा के सामान्य और विशेष दो प्रयोजन होतें हैं। सामान्य प्रयोजन बोध जनकता और विशेष प्रयोजन पूण्य जनकता विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें केवल बोध जनकता है अर्थात् उनसे हम संसार में या क्षेत्र विशेष में लौकिक जीवनों प्रयोगी बोधज्ञान को प्राप्त कर अपने परस्पर व्यवहार को सुचारू बनाते हैं। पुण्य जनकता से अभिप्राय है लौकिक जीवनोपयोगी ज्ञान के साथ पारलौकिक जीवन को सुख कर एवं दिव्य बनाते हुए इस लोक में अभीष्ट फल प्राप्त करना। संस्कृत भाषा में बोध जनकता के साथ पुण्य जनकता भी है जो किसी भाषा में नहीं है। क्योंकि संस्कृत भाषा मनुष्य की कृति नहीं है अनादि और नित्य है, शेष भाषाएं मनुष्य की कृति होने से न तो अनादि हैं और न नित्य है। समयानुसार बनती-बिगड़ती रहती हैं।

मुख्य शब्द- संस्कृत, बोध, लौकिक, कृति

प्रस्तावना- संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में भगवतावतारभूत परमब्रह्मनिष्ठ व्यास जी ने कहा है–

अनादि निधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतरू सर्वारूप्रवृत्तयः।।

अर्थात् स्वयम्भुव– ब्रह्म जी ने अनादि कभी नाश न होने वाली नित्य संस्कृत भाषा का सृष्टि के आदि में उपदेश किया जो प्रारम्भ वेदमयी और दिव्य थी। अनन्तर उसी से सम्पूर्ण सृष्टि और व्यवहार सुचारू हुए। सम्पूर्ण सृष्टि को सानियोनि ब्रह्म का परिणाम स्वरूप विवर्त माना है, व्याकरण शास्त्र के महान् ज्ञाता भर्तृहरि ने अपने व्याकरण शास्त्र के महान् ग्रन्थ वाक्यपदीय में शब्द को अक्षर (नक्षरतीति अक्षर) अनादि नित्य परमतत्व मानते हुए संसार को शब्द ब्रह्म को विवर्त माना है।

• कैलाशपुरी, रीवा

अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वमं यदक्षरम।
विवर्तते र्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः।

साथ ही अनेक शास्त्रों ने शब्द – अक्षर को ब्रह्म माना है। संस्कृत भाषा साधु शब्दों का कोष–खजाना है उसके प्रत्येक शब्द विशेष रूप से वैदिक साहित्य के ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए वे अनादि नित्य और दिव्य हैं।

ब्रह्म जी संस्कृत भाषा के निर्मता नहीं हैं उपदेष्टा है क्योंकि ब्रह्मजी में अनादित्व नित्यत्व नहीं है जो सादि है तथा जिसका अन्त है वह अनादि और नित्य का कर्ता – निर्माता नहीं हो सकता।

वेद को भारतीय सनातन संस्कृति और शास्त्रों में अनादि अपौरुषेय माना गया है। वेद की भाषा संस्कृत है इसलिये संस्कृत भाषा भी तदवत् है। सुदूर अतीत् काल में संस्कृत भाषा भारत ही नहीं विश्व की जनभाषा रही है क्योंकि पुराणों एवं अन्य शास्त्रों तथा आधुनिक कतिपय प्रामाणिक शोधों के अनुसार मानव और उसकी वैदिक सभ्यता का विस्तार सम्पूर्ण विश्व में भारत से ही हुआ है।

संस्कृत शब्दार्थ से भी उसकी दिव्यता, सम्यक् तया, नित्यता सिद्ध होती है। भूषणार्थ – सम् उपसर्ग पूर्वक — करणे धातु से क्त प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है जिसका अर्थ है भूषण भूषित वाङ्मयरूपी कृति। वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के संस्कृत वाङ्मय में कभी कोई विकृति नहीं दूषित अर्थात् प्रकृति प्रत्यय स्वरादि से दुष्ट नहीं विशेष रूप से वैदिक वाङ्मय आदि अनेक प्रयोजन है जिनका संक्षेप में दिग्दर्शन भी कराया जायेगा। इन्हीं उद्देश्यों से वेद भगवत् (वेदों वैभगवान् नारायण) के स्वरूप को मुण्डकोपनिषद् पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उनके षड् अंगों में व्याकरण को मुख कहते हुये व्याकरण शास्त्र के प्रमुख को प्रतिपादित किया गया है।

छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो थ पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत मुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणम् स्मृतम्। तस्मात्सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते।।

वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक विशाल संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त शब्दों का ज्ञान एवं साधुत्वनियंत्रक व्याकरण शास्त्र को ही सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। व्याकरण शास्त्र से ही प्रकृति प्रत्यय विभागपूर्वक शब्दों का ज्ञान होते हैं और साधु असाधु शब्दों का परिज्ञान होता है तथा साधु शब्दों के परिज्ञान एवं प्रयोग से अभ्युदय होता है व्याकरण पदार्थ का अर्थ ही है "व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम" व्या—ति का अर्थ व्युत्पत्ति अर्थात् शब्दों(पदों) में प्रकृति प्रत्यय एवं उनके अर्थों का विनिश्चय। जैसे पचति गच्छति रामः आदि शब्दों – पदों में क्या प्रकृति और कौन प्रत्यय है और उनका क्या अर्थ है। इनका विनिश्चय व्याकरण शास्त्र से संभव है। शब्द(पद) का अर्थ तो कोश आदि से भी हो सकता है किन्तु उनमें क्या प्रकृति और क्या प्रत्यय है और उनका पृथक् – पृथक् और मिलित का क्या अर्थ है यह व्याकरण शास्त्र से ही संभव है।

व्याकरण का ही दुसरा नाम शब्दानुशासन है। महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण महाभाष्य में सर्व प्रथम "अथ शब्दानुशासनम" कहा है। ऐसा कह कर उन्होंने व्याकरण शास्त्र का साक्षात् प्रयोजन कहते हुये परम्परा से अनेक रक्षो हादि प्रयोजनों का विस्तृत

उल्लेख इस प्रकार से करते हुए उनकी भी व्याख्या किया है–

रक्षोहागमलघ्व सन्देहा: अर्थात् वेदों के रक्षार्थ व्याकरण का अध्यापन आवश्यक है बिना व्याकरण के वेदों की रक्षा सम्भव नहीं है। व्याकरण शास्त्र के कारण ही अनादि काल से आज तक वेद के मंत्रों में उपमिश्रत नहीं हुआ। इसी तरह लोप –आगम वर्ण को ठीक से जानने वाला ही वेदों का परिपालन सम्भव है जिनका ज्ञान व्याकरण के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं है।

वेदों में सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में मंत्र पठित नहीं है व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता ही ऊह के द्वारा व्यक्ति वस्तु के लिंग और वचनानुसार वैदिक मंत्रों में लिंग और वचन – विभक्ति की परिकल्पना कर वाक्य संयोजन कर सकता है। आगम शास्त्रों में उल्लेख है कि "ब्राह्मण ने निस्कारणो धर्म षड्ड गो वेदोध्येयो ज्ञेय: इति"। वेद के षड्ड गों में व्याकरण प्रधान है प्रदान की प्राप्ति के लिये किया गया प्रयत्न लाभकारी होता है। ब्राह्मण को अनिवार्य रूप से शब्दों का यर्थाथ ज्ञान होना चाहिये ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। इसी लिये शास्त्रकार ने स्पष्ट कहा है कि "लघ्वार्थं चाध्येयं व्याकरणम" क्योंकि शब्दों का अथाह समुद्र है, हजारों हजार वर्षों में सभी शब्दों का ज्ञान संभव नही है वह केवल व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही कम समय कम परिश्रम से संभव है। याज्ञिक लोग यज्ञ प्रसंग में "स्थूल पृषतीमग्निवारुणीमन वाहीमालभेत" ऐसा वाक्य पढ़ते हैं इसमें स्थूल पृषती शब्द में व्युत्पत्ति के अनुसार बहुब्रीहि और तत्पुरुष दोनों समास हैं समासानुसार उक्त शब्द में स्वर भेद हो जायगा जैसे स्थूलाचासौ पृषती अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्यारूसा स्थूलपृषतीति" प्रथम विग्रह में यदि पूर्वपद में प्रकृति स्वर है तो बहुब्रीहि समास होगा और यदि द्वितीय विग्रह करते हैं तो अन्तोदात्त होने तत्पुरुष समास होगा जिससे उक्त शब्द के स्वर में अंतर हो जायेगा अपेक्षित स्वरानुसार शब्द प्रयोग न होने से महाननर्थ होता है। स्वर का परिज्ञान व्याकरण से अतिरिक्त संभव नही है । व्याकरण शास्त्र के बिना दुष्ट: शब्द (स्वर, वर्ण विभक्ति लिंगादि से दूषित) परिज्ञान संभव नहीं है। दूषित शब्दों के प्रयोग से महान् अनर्थ होता है जिससे सम्बन्धित इन्द्र और वृत्तासुर आदि अनेक आख्यान वेदों में वर्णित है। महर्षि पतञ्जलि ने दुष्ट शब्दों के प्रयोग से होने वाली महती विनष्टी का उल्लेख करते हुए कहा है कि अपेक्षित स्वर और वर्ण रहित मिथ्या प्रयुक्त दुष्ट–दूषित शब्दों का उच्चारण यजमान का वज्र की तरह विनाश करता है जैसे इन्द्र के वध के लिये वृत्तासुर के द्वारा आयोजित यज्ञ में पुरोहित के द्वारा उच्चारित व्याकरण के स्वर दोष या अपेक्षित स्वर के उच्चारण न करने से इन्द्र का वध न होकर असुर का ही यज्ञ से विनाश हो गया–

"दुष्टरूशब्दरूस्वरतो वर्णतोवा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानहिनस्ति यथेन्द्रशत्रुरू स्वरतो पराधात्।।"

यथार्थ स्वर आदि का परिज्ञान बिना व्याकरण ज्ञान के सम्बन्ध नहीं है। संक्षेप यही कहा जा सकता है की संस्कृत वाड्मय में व्याकरण शास्त्र की महतीय उपादेयता है बिना व्याकरण के संस्कृत समर्थ ज्ञान सर्वथा असंभव है। आज के समय में अनेक कारणों से पूर्वापेक्षा अधिक अनुष्ठान, जप, यज्ञ, शास्त्रों के पारायण हो रहे हैं किन्तु उनका अनुकूल अपेक्षित परिणाम व्यक्ति और समाज को नहीं मिल रहा है उसका एक

मात्र कारण पुरोहितो का व्याकरण विरहित अधकचरा संस्कृत का ज्ञान तो मुख्य है ही यजमान की अज्ञानता भी कारण है।

आज जो संस्कृत भाषा की उपेक्षा शासन और समाज के द्वारा हो रही है ऐसी उपेक्षा पूर्व शासन काल में नहीं हुई है । इसलिये भारतीय संस्कृत को यदि बचाना है तो सबको किसी न किसी विधा से संस्कृत पढ़ना–पढ़ाना पड़ेगा और संस्कृत भाषा को बचाना है तो प्राचीन परम्परानुसार व्याकरण शास्त्र के अध्ययन – अध्यापन को प्रोत्सहित करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. महा.शा. प. /232/54/
2. वाक्य प. 11/11/
3. पा. शिक्षा
4. पा. महा. नवा.

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

स्वामी विवेकानन्द- भावी पीढ़ी प्रेरणा स्त्रोत

• विजय दुबे

•• दीपक प्रकाश कुँवर

सारांश- स्वामी विवेकानन्द एक कर्मयोगी थे। उन्होने सिर्फ शिक्षा और उपदेश नही दिये बल्कि उन्हे अपने जीवन में सबसे पहले उतारा। योगी होने के साथ-साथ अपनी समाज के सबसे कमजोर तबके को अपना भगवान माना और उनकी सेवा करते रहे। आध्यत्मिक चेतना के साथ-साथ अपनी सामाजिक चेतना को ळी जाग्रत रखा और समाज का काम करते रहे। स्वामी विवेकानन्द अपने विचारो आदर्शो और लक्ष्यों की वजह से आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होने युवाओ को शारारिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संधान के माध्यम से इन्हे प्राप्त करने का तरीका बताया। आज का युग उनमें से किसी एक भी मार्ग पर चलकर शंति समृद्धि और आंनद की प्राप्ति कर सकता है।

मुख्य शब्द- कर्मयोगी, शिक्षा, समाज, विचार

प्रस्तावना- महात्मा गांधी, रोमा रोला, अरविंद घोष, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस,रवीन्द नाथ टैगोर जैसे महान विभूतियों को प्रभावित करने वाले स्वामी विवेकानन्द का दर्शन, अध्यात्म और नैतिक शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। ''पालिटिकल फिलॉसाफी ऑफ स्वामी विवेकानन्द'' किताब की लेखिका कल्पना महापात्रा के अनुसार ''विवेकानन्द के दर्शन में स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान का भाव है। उनका जीवन और विचार भारत के लोगो को सांस्कृतिक सम्मान, चितंन और प्रगाति के लिए प्रेरित करते है। एक सच्चे अध्यात्मवादी की तरह उन्होने अध्यात्म के संदेश दिये। सांसारिकता और भौतिकता से दूर सत्य की तलाश में जीवन बिताने वाले विवेकानन्द का जीवन आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है।

विवेकानन्द का दर्शन और उनके संदेश में गहरा अध्यात्म छिपा है। विवेकानन्द ने व्यक्ति को पूरा जीवन शिक्षा और सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। कर्म योग के उनके संदेश कर्म को ईश्वर के रूप मे देखने की प्रेरणा देते है। विवेकानन्द ने सर्व धर्म और शांति एंव भाईचारे का संदेश दियाा वो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।

12 जनवरी 1863 को कोलकता में जन्मे विवेकानन्द को उनके गुरू रामकृष्ण परमहंस ने अद्धैत वेदान्त की शिक्षा दी। रामकृष्ण के सानिध्य में रहकर ही विवेकानन्द को सत्य का ज्ञान हुआ। रामकृष्ण को गुरू बनाने में समय लगा लेकिन रामकृष्ण को गुरू के रूप से स्वीकार तो पूरे तन और मन से उनके प्रति पूर्ण समर्पण किया। रामकृष्ण के

• सहायक प्रध्यापक, के.एस.जी.एम.कॉलेज,निरसा धनबाद

•• प्रध्यापक एवंम् विभागाध्यक्ष,बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, बोकरो

सानिध्य में विवेकानन्द मानसिक उथल-पुथल से भरे एक अधीर युवक से एक पुरूष जिसका का एकमात्र उद्देश्य अब सिर्फ पमेश्वर के बारे मे जानना और जीवन के अर्थ को समझना था।

फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक रोमा रोला ने विवेकानन्द, की जीवनी ''द लाइफ ऑफ विवेकानन्द'' में लिखा है, की उनके शब्द बीथोवन संगीत की तरह है, जिसमे एक लय है। भारतीय संस्कृति और दर्शन विवेकानन्द जैसे महामनीषियों के जीवन और दर्शन से ही गौरवमयी हुई है। विवेकानन्द पर उनके गुरू रामकृष्ण परमहंस के अलावा आदि शंकर रामानुज और ईसा मसीह का भी प्रभाव पड़ा। 1888 में वह देश के अलग- अलग हिस्से की यात्रा पर निकले। वाराणसी,इलाहबाद,ऋषिकेश, नैनीताल होते हुए 1892 में वह कन्याकुमारी पहुँचे। वहाँ एक चट्टान पर ध्यान किया, जहाँ बाद में उनकी याद में विवेकानन्द रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया।

1893 शिकागों के विश्वधर्म सम्मेलन में अपने संबोधन से उन्होने विश्व भर में अपने दर्शन और भारतीय संस्कृति को पहचान दिलायी। इस सम्मेलन के बाद अमेरिका में न्यूयार्क टाइम्स ने उनके बारे मे लिखा,कई धर्मो की जन्म भूमि भारत का विवेकानन्द ने सही प्रतिनिधित्व कियाा जिससे यहाँ बैठे श्रोता बहुत आनन्दित हुए।वहाँ यही सर्वश्रेष्ठ अरविन्द घोष ने विवेकानन्द के लिए कहा था।''विवेकानन्द रचनात्म उर्जा का प्रतीक थे। उनकी आत्मा हमेशा मातृभूमि भारत के साथ जुड़ी रहेगी।

1893 के शिकागो के विश्व धर्मसम्मेलन मे स्वामी विवेकानन्द ने अपने संबोधन में ''मेरे अमेरिकी भाईयो और बहनो कहकर अपना भाषण शुरू किया था और यह संबोधन सुनकर सभागार कई मिनट तक तालिया पीटता रह गया। वस्तुतः यह सम्बोधन यूरोप एवं पूरी पश्चिमी सम्यता के लिए नया था, पश्चिमी सम्यता पूर्व से हो दुनिया को महिला और पुरूष में बाँटकर देखने की आदी रही थी। स्वामी विवेकानन्द हर स्त्री और पुरूष में भाई और बहन का सम्बध दिखाया था।

भाषण के आंरभ में ही स्वामी विवेकानन्द ने यह जता दिया था कि जिस भारत भूमि का वे प्रतिनिधित्व कर रहे है, वह संन्यासियो की परम्परा के लिहाज से सबसे प्राचीन है, जिसने दुनिया को धर्म का मान दिखाया है। महज गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति की परम्परा से नही बल्कि उदाहरणों के जरिए स्वामी विवेकानन्द ने उपस्थित धर्म सम्मेलन को यह जता दिया कि न सिर्फ भारत भूमि सहिष्णु रही है, बल्कि सार्वभौमिकता के संदर्भ में बढ़-चढ़कर पालन करने वाली धरती रही है। विवेकानन्द ने यह बात जोर देकर समझायी थी कि दुनिया में यही इकलौती धरती है, जिसने सभी धर्मो को उनके लिए सबसे जरूरत की घड़ी मे आश्रय दिया, चाहे वे पारसी, हो या अजरायली या फिर कोई और।

स्वामी विवेकानन्द ने धर्म समेल्लन मे मौजूद दुनिया के विद्वानो को संस्कृत के श्लोक से यह बात समझायी थी कि भरत की धरती देवभूमि रही है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग चाहे भिन्न-भिन्न अलग अलग हो लेकिन सभी अखिरकार समुद्र की तरह ईश्वर के चरण में ही पहुँचते है। गीता के श्लोक से स्वामी जी ने ईश्वरीय वाक्य दोहराये थे, जिसमें कहा गया था कि जो मेरी ओर आता है मैं उसकी ओर चला जाता हूँ, अलग मार्गो से लोग मेरी ओर ही आते है। कम शब्दो में भारत भूमि परंपरा, संस्कृति और धर्म दुनिया को परिचित

कराने का जो चमत्कार स्वामी विवेकानन्द ने कर दिखाया था यह उसी का परिणाम है कि उनके अनुयायी दुनिया भर में है। स्वामी जी सिर्फ दवा ही नहीं बतलायी थी, अहतियातन बीमारी से बचने का इलाज भी बताया था। उन्होने शिकागो में कहा था कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज्याद खून वहा है,जिसे हर हल मे रोकना होगा।

स्वामीजी ने धर्म के प्रचार-प्रसार का मतलब समझाते हुए कहा था कि दुसरे धर्म को नष्ट करना किसी धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं हो सकता। धर्मान्धता का विरोध करने और मानवता को प्रतिष्ठित करने की अपील दुनिया भर के धर्मावलंवियों से की थी।

प्रासंगिकता ने स्वामीजी के भाषण को बनाया चिरस्मरयणीय। आज स्वामी जी का भाषण लगभग सवा सौ वर्ष बाद भी .....है। स्वामी जी सनातन परम्परा का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे योगी रहे है, जिन्होने संसार में शांति विश्व बन्धुत्व के विचार को आगे बढ़ाया और दया,परोपकार, करूणा, सदभावना भाईचारा जैसे सदाचार को जीवन में उतारा। उन्होने कट्टरता,धर्मान्धता, जातिवाद, छुआछुत, कुरीतियों और दासता का विरोध किया। स्वामी जी ने आजादी का सपना देखा यह उस युग में उन्होने महसूस किया जब ऐसी सोच कल्पना लगती थी। एक धर्म दुसरे धर्म का दुश्मन था, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को शक की नजर से देखता था।साम्राज्य ही राष्ट्रनीति हुआ करती थी।

आज लगभग सवा सौ साल बाद भी दुनिया एकबार फिर शांति भाईचारा मांग रही है, कट्टरता तोड़ने की आवश्यकता महसूस कर रही है। शांति में भारत की भूमिका और अहमियत वैसी ही है जैसा की स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कहने का अभिप्राय यह है कि स्वामी जी के भाषण इस दुनिया के सामने उसी मजबूती के साथ रखने की जरूरत है,जिस हिसाब से स्वामी जी ने रखा थ। ऐसा करके ही हम विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते है। भारत और दुनिया के युवाओं को प्रभावित करने वाले महापुरूषों में स्वामी विवेकानन्द एक बड़ा नाम है, उनको शिकागों में 1893 में दिये गये भाषण ने उन्हे भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अग्रदूत बना दिया तबसे आज उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते है। आज के दौर में जब युवा नई समस्याओं का सामना कर रहे है और अपने लिए एक बेहतर भविष्य की आकांक्षा रख रहे है तो स्वामी विवेकानन्द के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते है।

स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि एक युवा का जीवन सफल होने के साथ-साथ सार्थक भी होना चाहिए जिससे उसके मस्तिष्क,हदय और आत्मा का संपोषण भी होता रहें। सार्थक जीवन के विषय में विवेकानन्द के विचारों को इन चार बिंदुओं में समझा जा रहा है,शारीरिक सामजिक,बौद्धिक और आध्यात्कि संधान।

विवेकानन्द का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते है लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे शरीरिक रूप से तैयार नहीं होते।इसलिए स्वामीजी ने युवाओं से अपील की वे निर्भय बने और अपने आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बने ।वे कहते थे कि किसी प्रकार का भय न करो,निर्भय बनो। सारी शक्ति तुम्हारे अन्दर ही है। कभी भी मत सोचो कि तुम कमजोर हो। उठो जागो और तब तक न रूको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे हमेशा मानसिक रूप से सशक्त होने

कि साथ-साथ शारीरिक रूप से मजबूत होने की बात भी कहते थे। गीता पाठ के साथ-साथ फुटबॉल खेलना भी उतना महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होने साफ कहा है कि शक्ति ही जीवन है,कमजोरी ही मृत्यु है,और कोई भैतिक जीवन का सुख नहीं ले सेता अगर ताकतवर नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जिससे न सिर्फ समाज बेहतर बनेगा बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा उन्होनें सामाजिक सेवा के साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा और मनुष्य में मौजूद ईश्वर की सेवा करने की बात कही। उनके अनुसार समाज सेवा से चित्तशुद्धि भी होती है। उन्होने समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगो की सेवा करके एक नये समाज के निर्माण की बात कही।युवाओं से अपील करते हुए उन्होनें कहां कि बाकी हर चीज की व्यवस्था हो जरएगी लेकिन सशक्त,मेहनती आस्थवान,युवा खड़े करना जरूरी है ऐसे सौ युवा दुनिया में क्रांति कर देगे।

स्वामी विवेकानन्द ने युवाओं में शरीरिक शक्ति और समाज सेवा का भाव होने के साथ-साथ वौद्धिक संधान पर भी बल दियाा जिससे कि युवा दोनो प्रकार की दुनिया को भलीभाँति समझ सकें उन्होने सभी के लिए शिक्षा की बात कही और कहा,शिक्षा कोई जानकारीयों का बंडल नहीं जो दिमाग मे रख दिया जाए और जिदंगी भर परेशान करते रहे। हमें तो ऐसे विचारो को संजोना है जो समाज निर्माण व्यक्ति निर्माण,चरित्र निर्माण करें, उन्होने भारत के पुननिर्माण में शिक्षा के महत्व पर बल दिया और कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे और जीवन के संकटो से निपटने में मदद करें, चरित्र निर्माण कों परोपकार का भाव जगाए और सिंह जैसा साहस दें।

स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम सभ्यता की सराहना तो कि लेकिन भारतीय दर्शन और आध्यात्म के प्रेम में वे वशीभूत थे। उन्होने युवाओ से कहा कि पश्चिमी सभ्यता में बहुत कुछ सीखने को है लेकिन भारत की आध्यात्मिकता की थाती का कोई सानी नहीं है। इसलिए युवाओ को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भाव अवश्य रखना चाहिए, उन्होने कहा कि पश्चिम का विचारवान युवा भारतीय युवा भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक में एक नई उमंग प्राप्त कर रहा है और जिस आध्यात्मिक भूख और प्यास की तलाश मे वे है, उन्हें यहाँ मिल रही है।

आज जो भारतीय युवा लक्ष्यविहीन हो रहा है और भौतिक सुख के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव और थकान झोल रहा है, उसके लिए स्वामी विवेकानन्द द्वारा सुझाया ये आध्यत्मिक मार्ग बहुत कारगर है, उन्होने युवाओं को आध्यात्मिक संघान पर जाने की बात कही जिससे उन्हे सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में ही आसानी न हो बल्कि वक जीवन में महानता का लक्ष्य बना सकें। उन्होने कहा कि जीवन बहुत छोटा है। लेकिन आत्मा अजर अमर है इसलिए अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य कि प्राप्ति में लगा दें। एक बार जीवन की कठिनाइयों पर भाषण करते हुए उन्होने त्याग और सेवा के आदर्शो को राष्ट्र पर स्थापित करना चाहिए जिससे युवाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकें । इस प्रकार युवाओं का आध्यात्म की तरफ मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा।

स्वामी वेवेकानन्द शारीरिक, सामाजिक, वौद्धिक ओर आध्यात्मिक संचार क्षेत्रो में युवाओ से संघान करने के लिए कहा इसके माध्यम से वे व्यक्ति और राष्ट्र की सामूहिक चेतना को जगाना चाहते थे। उन्होने भारत के सभ्यतागत मूल्यो पर पूरी आस्था बनाए रखी और युवाओ से राष्ट्र पुननिर्माण की अपील थी। उनके सपनों का भारत एक ऐसी भूमी और समाज था जहाँ मानव मात्र का सम्मान और स्वतंत्रता होने के साथ-साथ प्रेम सेवा और शक्ति का भाव भी हो।

स्वामी विवेकानन्द एक कर्मयोगी थे। उन्होने सिर्फ शिक्षा और उपदेश नही दिये बल्कि उन्हे अपने जीवन में सबसे पहले उतारा। योगी होने के साथ-साथ उन्होने अपने सामज के सबसे कमजोर तबके को अपना भगवान माना और उनकी सेवा करते रहे। आध्यत्मिक चेतना के साथ-साथ अपनी सामाजिक चेतना को भी जाग्रत रखा और समाज का काम करते रहे। स्वामी विवेकानन्द अपने विचारो आदर्शो और लक्ष्यो की वजह से आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होने युवाओ को शारारिक, सामाजिक, बौद्धिक, और आध्यात्मिक संधान के माध्यम से इन्हे प्राप्त करने का तरीका बताया ।आज का युग उनमे से किसी एक भी मार्ग पर चलकर शांति समृद्धि और आंनद की प्राप्ति कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. स्वामी विवेकानन्द की आत्मकथा, साधना पॉकेट बुक्स रोशन आरा रोड नई दिल्ली
2. विवेकानन्द चरित-संतेन्द्रानाथ मजूमदार
3. कम्पलिट वर्क ऑफ विवेकानन्द वाल्यूम 6

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

अजोला पिन्नाटा पूरक आहार का उपयोग करके नर्मदा निधि मुर्गियों के उत्पादन प्रर्दशन पर अध्ययन

• राधा मिश्रा
•• सोनू कुमार यादव
••• अंजनी कुमार मिश्रा
•••• अमरजीत सिह
••••• अजय चोरे

सारांश- वर्तमान अध्ययन में प्रयोग के समय खर्च किए गए चूजों की लागत , चारा लागत, श्रम लागत और दवा की लागत जैसे आवर्ती व्यय पर विचार करके शुद्ध लाभ और लाभ लागत अनुपात का मूल्य ज्ञात करके लागत अर्थशास्त्र को मापा गया था।

मुख्य शब्द- पक्षी, रासायनिक पैरामीटर, मुर्गियों, चूजो

प्रस्तावना- नर्मदा निधि एक बेहतर दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी है जो जबलपुर के रंग पक्षी के साथ कड़क नाथ का एक क्रास है। प्रस्तावित जाँच में उत्पादन प्रदर्शन हैमाटो-जैव रासायनिक पैरामीटर और नर्मदा निधि मुर्गियों के उत्पादन के अर्थसास्त्र का अध्ययन करने की योजना बनाई गयी है। (5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत) वर्तमान काम पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन सेवा के पशुधन उत्पादन प्रबंधन कॉलेज के विभाग में किया गया था। हैचरी इकाई से नर्मदा निधि मुर्गियों के 72 नर चूजों को प्राप्त किया गया। अध्ययन नवजात से लेकर 12 सप्ताह की आयु तक किया गया था, अनुमानित संरचना शरीर के वजन में वृद्धि दर, मृत्यु, हैमाटो-जैव रासायनिक विश्लेषण और लागत अर्थशास्त्र का अनुमान लगाया था। एजोला की समीपस्थ संरचना का विश्लेषण किया गया था।

नर्मदा निधि एक बेहतर दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी है जो जबलपुर के रंग पक्षी के साथ कड़क नाथ का एक क्रास है। प्रस्तावित जाँच में उत्पादन प्रदर्शन हैमाटो-जैव रासायनिक पैरामीटर और नर्मदा निधि मुर्गियों के उत्पादन के अर्थसास्त्र का अध्ययन करने की योजना बनाई गयी है। (5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत) वर्तमान काम पशु

• पीएच डी छात्रा, महात्मागांधी ग्रामोदय चित्रकूट वि. वि. चित्रकूट
•• पीएच डी छात्र
••• प्राध्यापक, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा (मप्र)
•••• प्राध्यापक महात्मागांधी ग्रामोदय चित्रकूट वि. वि. चित्रकूट
••••• प्राध्यापक महात्मागांधी ग्रामोदय चित्रकूट वि. वि. चित्रकूट

चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन सेवा के पशुधन उत्पादन प्रबंधन कॉलेज के विभाग में किया गया था। हैचरी इकाई से नर्मदा निधि मुर्गियों के 72 नर चूजों को प्राप्त किया गया। अध्ययन नवजात से लेकर 12 सप्ताह की आयु तक किया गया था, अनुमानित संरचना शरीर के वजन में वृद्धि दर, मृत्यु, हैमाटो-जैव रासायनिक विश्लेषण और लागत अर्थशास्त्र का अनुमान लगाया था। एजोला की समीपस्थ संरचना का वि''ले'ाण किया गया था। यह क्रूड प्रोटीन ईथर उद्धरण कच्चे रेशे, कुल राख नमी सामग्री मूल्य क्रमशः 24.46 प्रति''ात, 2.25 प्रतिशत, 8.34 प्रतिशत, 3.82 प्रतिशत, और 15 प्रतिशत, था। मीन मूल्य, शरीर के वजन का मान और पुराने रिकॉर्ड में प्रारंभिक माप में मानक त्रुटि दर्ज की गयी 31.28 + 1.35, 34.07, + 0.89 और 34.07 + 1.02 क्रम''ाः समूह 1,2,3, पक्षियों के लिए मीन मूल्य समूह 1,2,3, पक्षियों के लिए 84 दिनों की उम्र में शरीर का उच्चतम वजन देखे गए थे, इसका मतलब है की तुलना ने विभिन्न समूहों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाया। समूह2 मं 84 दिनों की उम्र में शरीर का उच्चतम वजन देखा गया था जो आहार में 5 प्रतिशत एजोला के साथ पूरक था। पहले 12 साल की उम्र में उनकी मानक त्रुटियों के साथ विकास दर का औसत मूल्य 28.61 + 1.69, 22.18 +1. 39 और 23.58 + 1.48 क्रमशः समूह 1,2, और 3 पक्षियों के लिए था। सभी चूजों का 15 दिनों की उम्र तक ब्रूडर हाउस में पाल गया। मध्य मान और मानक त्रुटि का दूसरा अंतराल प्रयोगात्मक अवधि समूह 1,2,3, के लिए था। छटे अंतराल में मध्य मान और मानक त्रुटि 252.33 + 34.38, 318.89 + 63.97 और 68.88 + 6045 क्रमशः समूह 1,2,3, के लिए थे। प्रयोगात्मक पक्षियों में विकास दर के आकड़ों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि समूहों के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतर था। मध्यांतर 1,2,3,4,5,6, के लिए फीड का सेवन नियंत्रण समूहों की तुलना में अजोला खिलाये गए दोनों समूहों में फीड सेवन का मूल्य काफी काम है फीड रूपांतरण अनुमान मध्य मान समूह 1 में 8.31 + 0. 38, 3.42 + 0.17, 7.95 + 0.69, 3.52 + 0.79, 3.72 + 0.57 और 10.07 + 1.06 समूह 2 में 9.70 + 0.46, 3.06 + 0.13, 7.53 + 0.94, 2.03 + 0.18, 2.89 + 0.52 और 6.69 + 1.1.15 एवं समूह 3 में 9.26 + 0.48, 2.27 + 0.09, 7.50 +0.56, 1.65 + 0.08, 3.64 + 0.79 और 6.94 + 1.04 क्रमशः था। वर्तमान अध्ययन से पता चला कि कि हैमाटो- जैव रासायनिक मापदंडों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नही देखा गया था उपचार समूह 1,2,3, में शुद्ध लाभ क्रमशः 1093.68 1662.83 और 1763.62 रूपये था। वर्तमान रिपोर्ट से पता चलता है कि नर्मदा निधि समूह 3 में उच्चतम शुद्ध लाभ के साथ एजोला अनुपूरण का उपायोग करने की अच्छी क्षमता है और इसके बाद 2 और समूह 1 के अध्ययन के फीडिंग लागत को काम करना और अतिरिक्त आय स्त्रोत से ग्रामीण किसानों की आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी।

1. **उत्पादन प्रदर्शन डेटा**
2. **क. शरीर का वजन**

तालिका 01

द्विसाप्ताहिक अंतराल में नर्मदा निधि का शारीरिक भार (ग्राम)

समूह	मुर्गियों की संख्या	अंतराल 1	अंतराल 2	टंतराल 3	टंतराल 4	टंतराल 5	टंतराल 6	टंतराल 7
1.	24	31.28 ± 1.35^{aA}	59.9± 1.67^{aA}	248.81± 9.54^{bA}	381.11± 19.53^{cA}	784.44± 38.98^{dA}	1206.66± 47.60^{eA}	1459± 39.04^{fA}
2.	24	34.07± 0.89^{aA}	56.25± 1.55^{aA}	262.55± 8.55^{bA}	375.55± 11.10^{cA}	844.44± 32.79^{dAB}	1340± 66.33^{eA}	1658.88± 63.32^{fB}
3.	24	34.07± 1.02^{aA}	57.66± 1.84^{aA}	266.66± 7.45^{bA}	374.44± 12.14^{cA}	902.22± 32.04^{dA}	1315.55± 55.45^{eA}	1584.44± 47.37^{fAB}

ख. विकास दर

समूह	मुर्गियों की संख्या	अंतराल 1	अंतराल 2	अंतराल 3	अंतराल 4	अंतराल 5	अंतराल 6
1.	24	28.61 ± 1.69^{aB}	188.91 ± 9.22^{bcA}	132.3 ± 14.49^{bA}	403.33 ± 45.49^{dA}	422.22 ± 54.52^{dA}	252.33 ± 34.38^{cA}
2.	24	22.18± 1.39^{aA}	206.3 ± 9.01^{bcA}	113 ± 15.42^{abA}	468.89± 34.35^{dAB}	495.56 ± 76.79^{dA}	318.89 ± 63.97^{cA}
3.	24	23.58± 1.48^{aAB}	209.01± 8.35^{bcA}	107.78± 9.09^{abA}	527.78 ± 31.78^{eB}	413.33 ± 61.19^{dA}	268.88± 60.45^{cA}

तलिका 02

द्विसाप्ताहिक अंतराल में नर्मदा निधि का शारीरिक वजन बढ़ना (ग्राम)

ग. अंतराल में फीड सेवन

तालिका 03

नर्मदा निधि की खुराक (जी/द्विसाप्ताहिक) द्विसाप्ताहिक अंतराल में लें

समूह	मुर्गियों की संख्या	अंतराल 1	अंतराल 2	अंतराल 3	अंतराल 4	अंतराल 5	अंतराल 6
1.	24	232.98 ± 2.66^{aB}	634.6 ± 7.22^{bB}	976.5 ± 8.93^{cC}	1160 ± 3.16^{dC}	1349.5 ± 49.48^{eB}	2268.4 ± 27.36^{fC}
2.	24	210.1 ± 3.96^{aA}	622 ± 2.45^{bB}	743 ± 5.18^{cA}	905.01 ± 1.21^{dB}	1149.3 ± 11.61^{eA}	1550.2 ± 19.60^{fB}
3.	24	212.8 ± 0.90^{aA}	469.2 ± 12.24^{bA}	769 ± 9.27^{cB}	851.9 ± 6.18^{dA}	1150 ± 21.65^{eA}	1395.5± 15.91^{fA}

घ. फीड रूपांतरण अनुपात

तलिका 04

द्विसाप्ताहिक अंतराल पर नर्मदा निधि का फीड रूपांतरण अनुपात

समूह	मुर्गियों की संख्या	अंतराल 1	अंतराल 2	अंतराल 3	अंतराल 4	अंतराल 5	अंतराल 6
1.	24	8.31 ± 0.38^{bcA}	3.42 ± 0.17^{aB}	7.95 ± 0.69^{bA}	3.52 ± 0.79^{aB}	3.72 ± 0.57^{aA}	10.07 ± 1.06^{cB}
2.	24	9.70 ± 0.46^{cB}	3.06 ± 0.13^{aB}	7.53 ± 0.94^{bA}	2.03 ± 0.18^{aA}	2.89 ± 0.52^{aA}	6.69 ± 1.15^{bA}
3.	24	9.26 ± 0.48^{dAB}	2.27 ± 0.09^{abA}	7.50 ± 0.56^{cdA}	1.65 ± 0.08^{aA}	3.64 ± 0.79^{bA}	6.94 ± 1.04^{cAB}

विभिन्न एजोला उपचार समूहों में नर्मदा निधि की लागत अर्थशास्त्र- वर्तमान अध्ययन में प्रयोग के समय खर्च किए गए चूजों की लागत , चारा लागत, श्रम लागत और दवा की लागत जैसे आवर्ती व्यय पर विचार करके शुद्ध लाभ और लाभ लागत अनुपात का मूल्य ज्ञात करके लागत अर्थशास्त्र को मापा गया था।

फीड लागत की गणना करने के लिए, मुर्गियों द्वारा खपत की जाने वाली व्यक्तिगत फीड की मात्रा को मापा गया और फीड आइटम की खरीद दर से गुणा किया गया। ब्रायलर चूजे क चारे का बाजार मूल्य रू. 34/किग्रा. 1,2,3, समूह के लिए एजोला फीड की लागत 5 रूपये प्रति किलोग्राम थी। श्रम लागत की गणना प्रयोग की अवधि के

दौरान। चूजे की कीमत इंस्ट्रक्’’ानल पोल्ट्री यूनिट, रीवा की बिक्री दर रूपये पर अधारित है। 35/-चूजा और अन्य विविध लागत जैसे मेडिसीन की कीमत 10 रूपये/चिक है।

इस प्रकार प्रत्येक प्रणाली में कुल व्यय की गणना की गई है। कुल व्यय की गणना फीड लागत, श्रम लागत, दवा लागत और चूजे की लागत को जोड़कर की गई थी और उसका मूल्य रू. 2026.32 रू. 3000, रू.240 और (रू. 35/चिक), रू. 1517.17, रू. 3000, रू. 240 और (रू. 35/चिक), रू. 2026.32 रू. 3000, रू. समूह 1, समूह 2, और समूह 3 में क्रमशः 240 और (35 रूपये प्रति चूजा) 7200/- रूपये की दर से 1499 किलोग्राम शरीर के वजन के प्रत्येक 24 पक्षियों को बेचकर प्रत्येक समूह में 300 प्रति पक्षी। शुद्ध लाभ (समूहों में) समूह 3 में और उसके बाद 2 और 1 में अधिक था और मूल्य रू. 1763, रू. 1602.83 और क्रमशः 1093.60 लाभ लागत अनुपात समूह 3 के बाद 2 और 1 में अधिक था और मान क्रमशः 0.32, 0.28 और 0.17 थे।

तलिका 05

नर्मदा निधि (लाभ) के अर्थशास्त्र की लागत पर विभिन्न समूहों का प्रभाव

व्यय	नियंत्रण समूह 1	समूह 2: 5 प्रतिशत अजोला	समूह 3: 10 प्रतिशत अजोला
चूजे की कीमत (रू . 35/चिकी)	=रू. 840/-	=रू.840/-	=रू.840/-
फीड लागत (34 रू . /किग्रा.)	=रू.2026.32/-	= रू.1517.17/-	=रू. 1356.98/-
अजोला की कीमत (5 रू. /किग्रा.)	..	=रू. 2.33 किलो अजोला 11 . 65/-	4.36किलो अजोला 21.80/-
औषधीय लागत (रू . 10/चिक)	=रू..240/-	=रू. 240/-	=रू.. 240/-
1. श्रम लागत	रू.3000/-	रू.3000/-	रू.3000/-
संपूर्ण आयः-	=रू. 6106.32/-	=रू. 5597.17/-	=रू. 5436.98/-
मुर्गियों को रूपये में बेचा गया था। 300/-	=रू. 7200/-	=रू. 7200/-	=रू. 7200/-
लाभ आय-व्यय	लाभत्र रू. 1093. 68/-	लाभ रू. = 1602.83/-	लाभ रू. = 1763.02/-
लाभ लागत अनुपात	0.17:1	0.28:1	0.32:1

शुद्ध लाभ को सूत्र द्वारा व्यय से आय घटाकर मापा जाता है: शुद्ध लाभ आय-व्यय इसलिए, समूह 1, 2 और 3 में शुद्ध लाभ रू. 1093.68, रू. 1602.83 और रू। 1763.02 तो यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि समूह 3 के बाद समूह 2 में शुद्ध लाभ अधिक है।

लाभ लागत अनुपात की गणना के लिए इसे सूत्र द्वारा मापा जाता है:-

$$\text{लाभ लागत अनुपात} = \frac{\text{फायदा}}{\text{कीमत}}$$

इसलिए समूह 1, 2 और 3 में लाभ लागत अनुपात 0.17, 0,28 और 0.32 था। तो लाभ लागत (बी:सी) अनुपात समूह 3 में समूह 2 और 1 के बाद अधिक था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भट्टाचार्य, शुक्ला, पी.के.,रॉय, डी., और शुक्ला, एम. (2016) वाणिज्यिक ब्रॉयलरों की वृद्धि, प्रतिरक्षा क्षमता और शव विशेषताओं पर एजोला अनुपूरण का प्रभाव। जर्नल ऑफ एनिमल रिसर्च, 6(5): 941-945
2. भगत, पी.के., मिश्रा, ए.के., गोयल, जी (2017) पोल्ट्री की नर्मदा निधि नस्ल के प्रदर्शन की विभिन्न पालन प्रणाली के प्रभाव पर अध्ययन। एमवीएससी (एलपीएम) थीसिस, एनडीवीएसयू (एमपी)
3. पिल्लई, पी.के. प्रेमलता, एस., राजमोनी, एस. (2004) अजोला- पशुधन के लिए एक स्थायी चारा विकल्प। सिलापॉलाइन आधारित उत्पादन और फीडिंग तकनीक जैव उर्वरक प्राद्योगिकी पर विशेष जोर देने के साथ, 209
4. शुक्ला, एम, भट्टाचार्य, ए, शुक्ला, केपी, रॉय, डी, यादव, बी, सिरोही, आर (2018) एजोला फीडिंग का विकास, फीड रूपांतरण अनुपात, रक्त जैव रासायनिक विशेषताओं और प्रतिरक्षा क्षमता विशेषता पर प्रभाव बढ़ते टर्की, पशुचिकित्सा जगत, 11(4):459-463

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

मनरेगा कार्य स्थल में लैंगिक असमानता (ग्राम - चमराडोल के विशेष संदर्भ में)

• प्रीति रजक
•• एस. एम. मिश्रा

सारांश- परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। लैंगिक आधार पर वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक-2020 में भारत 153 देशों में 112 वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़े कितनी मजबूत और गहरी हैं। आज समाज का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है पर वह मुकाम हासिल करने में उनके सामने कई चुनौतियाँ आई। घर से लेकर कार्यस्थल तक अपनी जगह बना लेने के बाद भी वहाँ महिलाओं को कई तरह की लैंगिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाज और उसकी रूढ़िवादी विचारधारा आदि कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य शब्द- पितृसत्तात्मक समाज, रुढ़िवादी सोच, रोजगार कानून, लैंगिक उत्पीड़न, मानसिक असंतोष।

प्रस्तावना- महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर विशेष रूप से उनके लिंग के आधार पर ही देखा जाता है। कोई भी औरत जब कोई नया काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल किए जाते हैं कि- क्या परिवार वालों ने उन्हें काम करने की अनुमति दे दी है? कभी-कभी तो योग्य होने के बावजूद महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर कई विशेष अवसरों से वंचित रखा जाता है। समाज में यह रूढ़िवादी सोच आज भी बनी हुई है कि औरतें पुरुषों के मुकाबले गैर-तकनीकी कामों में अधिक और तकनीकी कामों में कम योग्य होती हैं। इसी सोच के चलते उन्हें खुद को साबित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार महिलाओं पर पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बनाकर पुरुषों की तुलना में काम का अधिक बोझ डाल दिया जाता है जिसके कारण महिलाओं को काफी तनाव और मानसिक असंतोष से जूझना पड़ता है।

• शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय,रीवा (म0प्र0)
•• शोध निर्देशक, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शा. संजय गॉधी स्मृति स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म0प्र0)

प्रस्तावना- समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है।

महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाले मनरेगा के कार्य स्थलों में महिलाओं का लैंगिक शोषण आम हो चला है। पुरुषवादी सोच के चलते भाषायी अश्लीलता और व्यवहारगत कदाचरण से महिलाओं को लगातार दबाया और डराया जा रहा है।

मनरेगा भारत में सबसे बड़ा कार्यस्थल है, यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएँ काम करती हैं और जो कहीं न कहीं उनके शोषण का सबसे बड़ा स्थान भी है। यहाँ माँगने पर भी काम न देने और काम करवा लेने के बाद मजदूरी न देने, कम मजदूरी देने, स्त्रियों के साथ लैंगिक भेदभाव तक की बेतहाशा आशंकाएँ हैं।

मनरेगा में वेतन और मजदूरी के बारे में कई अध्ययन हुए पर लैंगिक शोषण के स्थिति के बारे में एक भी अध्ययन सरकारी या गैर सरकारी संस्था ने नहीं किया है। रोजगार कानून में पहली बार सामाजिक अंकेक्षण को स्थान मिला, पर सामाजिक अंकेक्षण में स्त्रियों के साथ होने वाले व्यवहार का ऑकलन नहीं होता।

इसमें केवल यह देखा जाता है कि कितनी महिलाओं को काम मिला, जबकि अब यह देखने का समय है कि समानता और गरिमा से जीवन जीने के अधिकार के तहत उन्हें लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी मिलता है कि नहीं? इस कानून का सही क्रियान्वयन इसलिए जरूरी है ताकि बेटियों के माता-पिता को यह विश्वास हो सके कि समाज में उनकी 5 साल की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होगा।

उद्देश्य-

महिलाओं को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसरों का पता लगाना।

समाज में स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियों तथा वास्तविक व्यवहार का पता लगाना।

महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का पता लगाना।

महिलाओं के प्रति होने वाले सामाजिक तथा आर्थिक शोषण की जानकारी प्राप्त करना।

साहित्य समीक्षा- मनरेगा में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव पर गोलमुंडा पंचायत की सुशीला महली कहती हैं कि- गणेश बेसरा नाम के व्यक्ति ने पहले कच्ची नाली में काम करने की बात कहकर एमआर शीट निकाली, उसके बाद उसने यह कहते हुए काम देने से मना कर दिया कि यह काम पुरुषों को ही करना है।

मनरेगा की वास्तविक स्थिति- मनरेगा योजना में गड्ढ़ा खोदने के काम में हर लाभार्थी के लिए एक निश्चित आकार का गड्ढ़ा खोदना अनिवार्य कर दिया जाता है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को एक समान लक्ष्य दिया जाता है परन्तु वेतन एक समान नही दिया जाता है।

तालिका क्र.- 01
वेतन संबंधी भेदभाव

क्रमांक	वेतन का भुगतान	संख्या	प्रतिशत
1.	समान वेतन मिलता है	10	20
2	समान वेतन नही मिलता है	40	80
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार शारीरिक रुप से सक्षम होने पर समान वेतन मिलता है जबकि 80 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी मिल रही है। जाहिर है कि महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक कार्य-क्षमता अलग-अलग होती है, इसलिए एक निश्चित समयावधि में जितना काम एक पुरुष कर पायेगा उतना कार्य एक महिला के लिए करना मुश्किल है।

कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएँ- ज्यादातर मजदूर गॉव में झूलाघर के अभाव में अपने साथ अपने बच्चों को काम पर ले जाते हैं। मनरेगा में गर्भवती, धात्री महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए झूलाघर का प्रावधान है, परंतु इसे पूर्णरूपेण लागू नहीं किया जाता।

तालिका क्र.- 02
योजनान्तर्गत सुविधाएँ

क्रमांक	योजना संबंधी सुविधाएँ	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राप्त हैं	20	40
2	नही प्राप्त हैं	30	60
	योग	50	100

40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा के कार्य स्थल में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि- पीने का पानी, आराम के लिए छॉव आदि की व्यवस्था रहती है जबकि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को उनकी आवश्यकतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध नही हो पातीं, जो कि उनके अधिकारों की स्वतंत्रता वह वर्ग नही देता, जिसमें हमारे कलेक्टर और सरपंच, सचिव या मेट आते हैं।

समस्याएँ :-

- अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णयों में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रहती है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी महिलाओं की न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता के विकराल रूप को व्यक्त करती हैं।
- महिलाओं के रोजगार की अंडर रिपोर्टिंग की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर काम करने तथा घरों के भीतर किए गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में भी नहीं जोड़ा जाता है।
- 'महिला मनरेगा' मजदूरों के नाम से योजना निकाली जाती है और जब काम करने का समय आता है तो पुरुषों से कराया जाता है।

निष्कर्ष- हमारा मानना है कि चाहे कितने भी सरकारी व गैर सरकारी प्रयास किए जाएँ, जब तक महिला स्वयं शिक्षित एवं जागरूक नहीं होगी, अपनी आवाज स्वयं नहीं उठाएगी, कोई दूसरा ज्यादा मदद नहीं कर सकता। महिलाओं के प्रति असमान वेतन की व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और यह संविधान में किए गए लैंगिक समानता के प्रावधान के खिलाफ है।

सुझाव-

- जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही महिलाओं को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है।
- मनरेगा कार्य स्थलों पर "लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013" सख्ती से लागू किया जाए।
- यदि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को संविधान के 14,15 और 21 वें अनुच्छेद के बारे में समझाना चाहती है तो उसे मनरेगा में इस कानून को लागू करने की पहल करनी होगी।
- हमें मनरेगा के दिशा-निर्देशों, नियमों, मूल्यांकन के तौर-तरीकों और सामाजिक अंकेक्षण में भी कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण की रोकथाम के लिए एक सक्रिय व्यवस्था बनानी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. निखिल डे. ज्याद्रेंज, रीतिका खेरा, रोजगार गारंटी अधिनियम (प्रवेशिका), नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 2008)
2. डॉ. जास्मिन लारेंस, महिला श्रामिक, सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ (अर्जुन पाब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली 2009)
3. डॉ. अमरनाथ शर्मा, डॉ. सुचित्रा शर्मा, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और जेंडर आधारित भेदभाव
4. ग्रामीण विकास समीक्षा, महिला सशक्तिकरण विशेषॉक-57 जून 2016
5. समाचार पत्र- पत्रिकाएँ

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

सतना जिले से प्राप्त कुछ विलक्षण नाग प्रतिमाएं

• धीरजलाल विश्वकर्मा

सारांश- प्रस्तुत शोध पत्र सतना जिले से प्राप्त कुल विलक्षण नाग प्रतिमाओं पर आधारित है। सतना जिले के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक नाग प्रतिमांओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोठी, डिलौरा, भीशमपुर देवरी, पंचली एवं भटिगंवा प्रमुख हैं। सतना मध्यप्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में बॉदा जिला, दक्षिण में कटनी, पूर्व में रीवा एवं पश्चिम दिशा में पन्ना जिला स्थित है। इस जिले में जहां आदिमानव के अवशेष अत्याधिक मात्रा में मिले हैं, जैसे चित्रकूट की हनुमान धारा, मझगंवा की पहाड़ियां, नरो एवं कैमोर पर्वत के निचले भाग में स्थित कुटमी धाम एवं गिद्धैला पहाड़ मुख्य हैं। वहीं धार्मिक स्थल चित्रकूट, मैहर में स्थित शारदा देवी का मन्दिर गणेश घाटी परसमनिया पहाड़ में स्थित कोर्दननाथ स्थित है। यह जिला वनाच्छादित होने के साथ-साथ खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। यहां पर ऐतिहासिक नदियां टोंस (तमसा) सतना सिमरावल, मंदाकनी है, जो सदा नीरा हैं। यहां पर बहने वाली नदी सतना नदी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम सतना पड़ा है। इस जिले की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ हैं यहां पर चार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल, काली, जलोढ़ एवं दुमट जिसके कारण गेहूं, धान, चना, मशूर, अरहर, ज्वार एवं कोदव आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यहां के पर्वतों एवं पहाड़ियों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते है। वर्तमान में मुकुन्दपुर सफारी में अनेक प्रकार के जानवर रखे गये हैं। यह जिला विशेष रूप से पुरातात्विक सम्पदा के लिए जाना जाता है। यहां पर भरहुत का स्तूप शारदा देवी कलचुरि कालीन मैहर का गोलमठ, मड़ई का शिवमंदिर, जसो का शिवमंदिर, भाकुल बाबा, भूमरा का शिवमंदिर, जूरा की ऐतिहासिक गढ़ी प्रमुख है।

मुख्य शब्द- आदिमानव, अवशेष, नाग प्रतिमां

प्रस्तावना- भारत में नाग पूजा के प्रमाण प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं, सिन्धुघाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता से 2500 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता का विस्तार व्यापक क्षेत्र पर था, जिसमें विभन्न प्रकार की प्राचीन सामग्रियां तथा भवन निर्माण संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव ने अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक विकास कर लिया था।[1] सिन्धु घाटी सभ्यता का मूल्यांकन करने पर ज्ञात हुआ कि यह सभ्यता विश्व के अन्य सभ्यताओं से कहीं अधिक परिष्कृत एवं विकसित रूप में थी। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन

• प्राचार्य, श्री मोहनलाल कॉलेज ऑफ आर्टस साइंस एंड मैनेजमेंट, बिरसिंहपुर जिला-सतना म.प्र.

करने के पश्चात उन सभी साक्ष्यों का पुनरमूल्यांकन किया जिनके आधार पर सिन्धु सभ्यता का कालानुक्रम समय-समय पर निर्धारित किया गया था। व्हीलर मूहरों[2] के वितरण के आधार सिन्धु सभ्यता की तिथि 2500-1500 ईशा पूर्व किया था। सिन्धु सभ्यता के पश्चात भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता हैं सिन्धु सभ्यता काल से लेकर वर्तमान समय तक अर्थात दीर्घ अवधि तक नाग पूजा का उल्लेख मिलता है। आज भी भारत में नागपंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता की पूजा की जाती है। अतः सतना जिले के कुछ स्थानों पर नाग प्रतिमाओं का विलक्षण प्रतिमांए प्राप्त हुई है, जिनका क्रमवार विवरण इस प्रकार है -

देवरी (भीशमपुर)- यह ग्राम अमरपाटन-रामगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। अमरपाटन से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। इस ग्राम के मध्य से एक कच्चा रास्ता गांव तक जाता है। इस रास्ते से लगभग आधा किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर पैदल जाना पड़ता है, यहीं पर एक छोटा सरोवर है, सरोवर के थोड़ा पहले एक प्राचीन स्थल है। इस स्थल पर कुछ नाग प्रतिमाओं के अवशेष पाए गए हैं। इन प्रतिमाओं के शीर्ष भाग अर्थात फण सुरक्षित हैं जबकि निचला भाग खण्डित है।[3] इन प्रतिमाओं को विशेष पूजा अर्चना के लिए स्थापित किया गया है।

कोठी- यह ग्राम सतना चित्रकूट मार्ग पर स्थित है। सतना से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर हे, जो जिले के उत्तर दिशा में स्थित है। इस ग्राम से नागदम्पति की आदम कद की मनोरम प्रतिमा (12वीं शती ईशवी) प्राप्त हुई है। सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रतिमा एक ही शिला फलक पर अंकित की गई हैं इस प्रतिमा को कलाकार ने बड़े ही सुन्दर ढंग से निर्मित कर कुशलता का परिचय दिया है। यह प्रतिमा कोठी से रामवन संग्रहालय में स्थापित थी वर्तमान में यह प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय भोपाल में स्थापित की गई हैं।

डिलौरा -यह स्थल जिला मुख्यालय ससतना से पूर्व दिशा में स्थित है। यहां से नागयुग्म की मनोरम प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की प्रतीत होती है । वर्तमान समय में यह प्रतिमा तुलसी संग्रहालय रामवन में स्थापित की गई है।[4]

पचली- सतना से 35 किलोमीटर की दूरी पर बिरसिंहपुर नामक धार्मिक स्थल है। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर पंचली ग्राम के मुख्यमार्ग के पश्चिम दिशा में एक वीरान खेत है इसमें एक नाग की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो मानवाकृत है उसके पृष्ठ भाग में तीन फण है जबकि आधा भाग नष्ट हो चुका है शेष निचला भाग जमीन के अन्दर है। अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा किसी अन्य स्थान से लाकर यहां स्थानक रूप से स्थापित कर दी गई है, क्योंकि इसके आस-पास किसी मन्दिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए है।

भटिगंवा (चोरहटा)- सतना से 21 किलोमीटर पूर्व दिशा में चोरहटा ग्राम है इस ग्राम के पश्चिम में एक मार्ग मैहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में मिलता है, इसी मार्ग पर चुरहटा से 4 किलोमीटर की दूरी पर भटिगंवा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है इसी परिषर में नाग का ऊपरी हिस्सा प्रापत हुआ है, जिसमें 11 कण है इसमें किसी प्रकार की मानवकृति नहीं है। इसको ग्रामीण लोग एक चबूतरे में रखकर पूजा करते हैं। इसी के पास पश्चिम में एक शिव मन्दिर भी विद्यमान है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पाण्डेय, डॉ.जयनारायण पुरातत्व विमर्ष नवम् संस्करण 2022 पृ.423
2. वही
3. विश्वकर्मा, डॉ. धीरजलाल सतना जिले का ऐतिहासिक भूगोल प्रथम संस्कृरण 2015 शेखर प्रकाश इलाहाबाद पृ. 85
4. वही पृ 99

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

सूचनाः एक आर्थिक संसाधन

• प्रद्युम्न कुमार द्विवेदी

सारांश- सूचना ने सबसे कीमती रूप ग्रहण कर लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कारखाना- उत्पादन और सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था का महत्त्व खत्म हो गया है। अर्थव्यवस्था के ये क्षेत्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन औद्योगिक समाज या उत्तर-औद्योगिक समाज की धारणाएँ अब परिवर्तन की मुख्य चालक-शक्ति नहीं रह गयी हैं। सूचना समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है, जहाँ सूचना का निर्माण, वितरण, हस्तांतरण, उपयोग तथा सुधार एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि होती है। इस प्रकार के समाज में उत्पादन, अर्थव्यवस्था और समाज में वृहद रूप में सूचना तकनीक की केन्द्रीय भूमिका होती है। एक ज्ञान समाज एक सूचना समाज से भिन्न होता है जिसमें पूर्व सूचना को संसाधनों में बदलने का कार्य करता है, जो समाज को प्रभावी कार्रवाई करने की अनुमति देता है जबकि बाद वाला केवल कच्चे डेटा का निर्माण और प्रसार करता है। जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की क्षमता पूरे मानव इतिहास में मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन को आसान और तीव्र बनाया है। यह सभी के लिए शिक्षा को समावेशी बनाया है। आईटी की क्रांति ने विनिर्माण प्रक्रिया, प्रशासनिक सेवाओं और व्यावसायिक प्रक्रिया को एकीकृत किया, जिससे प्रबंधन करना आसान हो गया और प्रक्रिया तेज हो गई। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद से सूचनाओं का आदान-प्रदान काफी ज्यादा सरल और सुखमय हो गया।

मुख्य शब्द- सूचना, अर्थव्यवस्था , समाज

प्रस्तावना- मसुदा योनजी , 1905–1995) एक जापानी समाजशास्त्री थे, जिनके सूचना और संचार पर शुरुआती विचारों ने उन्हें सूचना समाज के पिता के रूप में स्थापित किया। मसुदा ने जापानी आबादी के उत्पादन प्रथाओं और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए जापानी श्रम और शिक्षा मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में काम किया। वह जापान में कंप्यूटर के उपयोग के विकास संस्थान के निदेशक और सोसायटी के सूचनाकरण संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष थे।

• शोध छात्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर,राजस्थान

सूचना के उत्पादन, विनिमय और उपभोग के इर्द-गिर्द संगठित समाज की इस धारणा का प्रतिपादन नब्बे के दशक में किया गया। सत्तर के दशक के मध्य में डेनियल बेल के उत्तर-औद्योगिक समाज संबंधी लेखन में सूचना-समाज की आहटें सुनी जा सकती थीं, पर नब्बे के दशक में इंटरनेट जैसी ग्लोबल इनफॉर्मेशन प्रौद्योगिकियों के विस्फ़ोट के बाद ही यह विचार पूरी तरह विकसित हो पाया। सूचना और सूचना-समाज का रिश्ता कमोबेश वैसा ही है जैसा उद्योगों और औद्योगिक युग के बीच है।

मशीनों, कारख़ानों और उजड़ते श्रम का अस्तित्व औद्योगिक युग से पहले भी था, लेकिन उन्नीसवीं सदी में उनकी केंद्रीयता कुछ इस तरह से बढ़ी कि लोगों की ज़िंदगी और उनके दृष्टिकोण में बुनियादी तब्दीली हो गयी। सूचना, जो हमेशा से मौजूद और अहम थी, एक निश्चित प्रौद्योगिकीय अवस्था के कारण पिछले तीन दशक के दौरान मानव-समाज की नियामक बन गयी है। इसके कारण सामाजिक संगठन का एक विशिष्ट रूप पैदा हो गया है जिसमें उत्पादकता और सत्ता का बुनियादी स्रोत सूचनाओं के उत्पादन, संसाधन और प्रसारण में निहित है।

सूचना ने सबसे कीमती और जरूरीरूप ग्रहण कर लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कारख़ाना- उत्पादन और सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था का महत्त्व खत्म हो गया है। अर्थव्यवस्था के ये क्षेत्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन औद्योगिक समाज या उत्तर-औद्योगिक समाज की धारणाएँ अब परिवर्तन की मुख्य चालक-शक्ति नहीं रह गयी हैं।

सूचना समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है, जहाँ सूचना का निर्माण, वितरण, हस्तांतरण, उपयोग तथा सुधार एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि होती है। इस प्रकार के समाज में उत्पादन, अर्थव्यवस्था और समाज में वृहद रूप में सूचना तकनीक की केन्द्रीय भूमिका होती है। सूचना समाज को औद्योगिक समाज का ही विकसित स्वरूप समझा जाता है। इस प्रकार की अन्य अवधारणाएँ पूर्व-औद्योगिक समाज (डेनियल बेल), आधुनिक समाज, ज्ञान समाज, टेलीमेटिक समाज, सूचना क्रांति तथा नेटवर्क समाज (मैन्युअल कॉस्टल्स) आदि से ही संयुक्त रूप में सूचना समाज का निर्माण हुआ हैं।

सर्वप्रथम सूचना समाज की अवधारणा का विकास अर्थशास्त्री फ्रीट्ज़ मेचल्प द्वारा किया गया। उन्होंने अपने अध्ययनों में शोध कार्यों के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का गहन अध्ययन कर पाया कि प्रत्येक प्रकार के कार्य में सूचना की उपयोगिता प्रबल है। साथ ही सूचना समाज को विवरणित करने हेतु विविध अवधारणाओं का उपयोग किया जा रहा था- यह अवधारणाएँ जैसे ज्ञान/सूचना अर्थव्यवस्था, पूर्व-औद्योगिक समाज, पूर्व-आधुनिक समाज, सूचना समाज, नेटवर्क समाज, सूचना पूँजीवाद, नेटवर्क पूँजीवाद आदि।

वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न है कि हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं तथा सूचना और तकनीक इस प्रकार के समाज में क्या भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनो प्रश्न/पक्ष सूचना समाज/सूचना क्रांति के महत्वपूर्ण केन्द्रीय विषय हैं।

एक समाज जो कि अधिकतर नागरिकों के दैनिक जीवन में अधिकतर

कार्यस्थलों और संगठनों में उच्च स्तरीय सूचना गहनता लिए हुए हो तथा उपयुक्त तकनीकों के उपयोग से वृहद स्तर के व्यक्तिगत सामाजिक, शैक्षणिक तथा व्यपार गतिविधियों तथा बिना किसी स्थान की दूरी से जल्द से जल्द डिजिटल डाटा के हस्तांरण प्रसारण प्राप्ति हेतु एक पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवाता हो, तथा नागरिकों के इस नवीन वातावरण में सूचना के समुचित प्रयोग हेतु उपयुक्त कौशल के विकास को भी प्रोत्साहित करता हो।

पीटर डर्कर ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए इसे समाज का हस्तांरण कहा है जिसमें उत्पाद/ वस्तुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले समाज से सूचना तथा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला समाज विकसित हो।

डेनियल बेल के अनुसार उन व्यक्तियों की संख्या जो सेवा और सूचना के उत्पादन में लगे हैं, समाज के सूचनात्मक गुणों के द्योतक हैं। सूचना समाज में कच्चे माल, उर्जा से ज्यादा सूचना की अहमियत होती है।

बेल पीटर ओटो और फिलिप सोनटेग (1985) के अनुसार सूचना समाज एक ऐसा समाज है, जहाँ कर्मचारियों द्वारा बहुलता में सूचना संबंधी कार्य किया जाता है, जैसे उन्हे उर्जा और पदार्थ के बजाय सूचना, चिन्ह, आकृति, छायाचित्र के साथ अधिक कार्य करना होता है।

सूचना समाज का उदभव- पिछले कुछ दशक से सूचना उत्पादन का एक प्रमुख घटक बनकर उभरा है। सूचना एक उत्पाद में तब्दील हो चुकी है।पिछले कुछ वर्षों से नेटवर्क समाज की अवधारणा सूचना समाज में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।सूचना समाज का एक महत्वपर्ण गुण उसके आधारभूत संरचना का नेटवर्क पर आधारित होना है। नेटवर्क सूचना समाज में तंत्रिका तंत्र की भूमिका अदा कर रहे हैं। कम्प्यूटर नेटवर्क तकनीकी आधार प्रदान करते हैं।जो संचार समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्टीहर के अनुसार सूचना समाज अर्थव्यवस्था पदार्थों के बजाय मुख्यतः चिन्हों और सूचना के इनपुट पर अधिक निर्भर करती है। अल्विन टफ्लर ने भी ज्ञान/सूचना को सूचना समाज का मुख्य संसाधन माना है।

लयोटार्ड के मतानुसार पूर्व औद्योगिक समाज ने ज्ञान को आम जनता के पहुँच में ला दिया है, क्योकि सूचना और ज्ञान का केन्द्रीकृत स्वरूप/संरचना समूह से विकेन्द्रीकृत सूचना समूह में तब्दील हो गए हैं।

सूचना समाज पर गहन शोध एवं अध्ययन करने वाले विद्वानों द्वारा निम्नलिखित शब्दावलियों का प्रयोग सूचना समाज को विस्तारित करने हेतु किया गया है–

- हस्तांरणीय नेटवर्क पूँजीवाद
- डिजिटल पूँजीवाद
- वर्चुअल पूँजीवाद
- हाई–टेक पूँजीवाद

सूचना समाज में एक बात समान है जो इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान, सूचना, तकनीक तथा कम्प्यूटर नेटवर्क समाज के पुर्ननिर्माण और वैश्वीकरण का एक प्रमुख आधार है। यह सूचना समाज एक नए साक्षरता मानक की माँग करता है, जो मात्र

कम्प्यूटर का इस्तेमाल करने भर के ज्ञान से अधिक गहनता लिए हो। नवीन साक्षरता में ज्ञान और सूचना के बीच भेद करने और बुद्धिमत्ता को ज्ञान से पृथक करने हेतु प्रचुर क्षमता की आवश्यकता है। जिसने सभी व्यक्तियों की जीवन शैली में कम्प्यूटर तंत्र, तकनीकी उपकरण, सूचना का प्रयोग जैसे ज्ञान को प्राप्त करने, उसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। जिसने सूचना समाज के निर्माण में योगदान दिया है। हम प्रतिदिन सूचनाओं को रेडियो, टेलीवीजन, अखबार, किताबों, सूचना पटलों आदि जैसे किसी न किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग आवश्यकतानुसार करते है, हमारी इसी आवश्यकता से सूचना समाज का उदभव और विकास संभव हुआ है।

अभी तक सार्वभौमिक रूप से मान्य अवधारणा का विकास नही हो सका है कि सूचना समाज में क्या शामिल है और क्या नही। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि समाज की आधारभूत कार्यप्रणाली में जो बदलाव 1970 के आसपास से शुरू हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और बदल रहा है। ये न तो सूचना तकनीक है और न इंटरनेट और मीडिया या उत्पादन का कोई विशेष ढंग है।

सूचना समाज की प्रकृति- सूचना समाज में सूचना का हस्तांतरण सरल और तकनीकों का वृहद प्रयोग कर किया जाता है। सूचना का तीव्र, प्रभावी, और उच्च तकनीकी पर आधारित हस्तांतरण सूचना समाज की महत्वपूर्ण गतिविधि होती है।

सूचना की केन्द्रीय भूमिका- सूचना समाज की प्रत्येक कार्यप्रणाली में सूचना केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करती है। अतरू सूचना समाज का मुख्य संसाधन और मुख्य उत्पाद दोनो ही सूचना या सूचना से जुड़े अन्य उपकरण ही होते है।

सूचना का बहुलता से उत्पादन- सूचना समाज में शोध, ज्ञान, अध्ययन, अनुसंधान जैसी गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं, जो कि बहुलता से सूचना का उपयोग तथा उत्पादन करती हैं। सूचना का विविध प्रभावी रूपों में उपयोग सूचना और तकनीक का उपयोग सूचना को सरलता से प्राप्त कर दैनिक कार्यों में किया जाता है। जो की समाज के विकास में सहायक होती है।

नेटवर्क की प्रभावी एवं सुदृढ़ व्यवस्था- तकनीक और आपस में संबंधित इलेक्ट्रानिक उपकरणों का तंत्र सूचना समाज में सूचना के प्रभावी उपयोग का आधार होता है। अतः सूचना के हस्तांतरण हेतु सुदृढ़ नेटवर्क प्रणालियाँ ऐसे समाज का अभिन्न अंग होती है।

सूचना का डिजिटल प्रयोग- सूचना को अलग अलग माध्यमों से तीव्रता, सुरक्षा और सरलता से हस्तांतरित किए जाने हेतु विभिन्न स्वरूप में सूचना का निर्माण और संधारण किया जाता है। जिनमें सूचना को डिजिटल स्वरूप में रूपांतरित कर प्रयोग किया जाना अथवा डिजिटल प्रारूप में निर्माण किया जाना सम्मिलित है।

सूचना समाज में कानून की आवश्यकता- सूचना समाज के केन्द्रीय कार्यों में से एक, उसका सूचना की सुगमता से उपलब्धता, पुर्ननिर्माण,बौद्धिक सम्पदा से संबंधित विविध स्वतंत्रता/बंधन जैसी सुविधाएं ही विविध परेशानियों को बढ़ावा देती है। मुख्यतः व्यवसाय और पूँजी जैसे सूचना तथा ज्ञान के उत्पादन और विक्रय जैसे कार्यों पर नियंत्रण की आवश्यकता को जन्म देते हैं। अतः ऐसे नियंत्रणों एवं नियमों की आवश्यकता है जो

इस नवीन संसाधन के प्रभावी प्रबंधन और विक्रय में सहायक बन सके। यद्यपि ऐसे नियमनों का संचालन और आरोपण सामाजिक और तकनीकी दोनो दृष्टिकोण से कठिन है। तकनीकी रूप से क्योंकि आसानी से कॉपी प्रोटैक्टेड व्यवस्था अधिकतर/अक्सर आसानी से तोड़ी जाती है और सामाजिक रूप से नकारी भी जाती है, क्योंकि सूचना समाज के उपयोगकर्ता/नागरिक ये साबित कर चुके हैं कि वे सूचना और आँकडों के पूर्णतः उत्पादीकरण को स्वीकार करने के इच्छुक नही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मैनुएल कैसेल्स (1996), द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, द इनफॉर्मेशन एजः इकानामी, सोसाइटी ऐंड कल्चर, ब्लैकवेल, ऑक्सफ़र्ड, खण्ड 1
2. ज्याँ-फ्रांस्वा ल्योतर (1984), द पोस्टम, डर्न कण्डीशनः रिपोर्ट ऑन नालेज, मैंचेस्टर युनिवर्सिटी प्रेस, मैनचेस्टर
3. मार्क पोराट (1977), द इनफॉर्मेशन इकानामीः डेफिनिशन ऐंड मेजरमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वाशिंगटन डीसी
4. स्कॉट लैश (2002), क्रिटीक ऑफ़ इनफॉर्मेशन, सेज, लंदन
5. https:www-scotbuzz-org@2018@06@soochana&samaj-html
6. https:www-google-com@search

UGC Journal No. (Old) 2138
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 4.875, ISSN 0975-4083
Vol.- 23, Hindi Edition, Year-12, April-Sept. 2022

मध्य प्रदेश खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का प्रभाव

• गायत्री देवी
•• आर. पी. गुप्ता

सारांश- खाद्य वस्तुएं की आपूर्ति भण्डारण विरण खाद्य सामग्री एजेंसियों तक पहुँचाने की व्यवस्था पारदर्शिता, डिजिटल तकनीक का उपयोग लाइसेंस का उपयोग लाइसेंस की व्यवस्था उपभोक्ताओं का संरक्षण शिकायत का निपटान प्रतितोषण की व्यवस्था उपभोक्ता सहकारी समितियों का सहयोग के द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण दोहन किया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करना, अन्तयोदय योजनाओं का लाभ प्रदान करना अनाज बैंक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी करना उपभोक्ताओं का संरक्षण प्रदान करना मुख्य नीतिगत योजना है।

मुख्य शब्द- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्यान्न भण्डारण, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल का प्रयोग

प्रस्तावना- खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चिन्हनांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर सामग्री का वितरण कराना किसानों की फसलों का सही मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करना और इनसे सम्बन्धित उपभोक्ता का संरक्षण एवं सम्वर्धन करना उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2014 से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों हासिल की। खाद्य प्रबंधन और अधिक कार्य कुशल बनाने और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनेक योजनाए शुरू की गई है। सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों और उपभोक्ताओं का हित देखना है। मध्य प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिये नियमों को शिथिल किया गया है। किसानों एवं सामान्य व्यक्तियों का उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान में सुधार किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 70 प्रतिशत आबादी लाभांवित हुई है। सरकार ने मोटे अनाज गेहूँ, चावल के लिये 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये प्रति किग्रा. निर्गम मूल्य उपभोक्ताओं के लिये रखा है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक

• शोध छात्रा, वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, शोध केंद्र शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा, (म.प्र.)

वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक तरफ किसानों को उपज का समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न न्यूनतम मूल्य पर प्रदान किया जाता है।

राशन कार्डो को समाप्त करना- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के आर्थिक कल्याण के लिये राशनकार्ड, लाभार्थियों रिकार्डों के डिजिटीकरण एवं आधार से लिंक के कारण नकली राशनकार्ड की समाप्ती हो गई है। स्थानांतरण, निवास स्थान पर परिवर्तन मृत्यु के कारण लाभार्थियों के आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा की कार्यान्वयन होने तक की अवधि में नकली राशनकार्ड समाप्त कर दिये गयें। इसके आधार पर सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये की खाद्य सब्सिडी सही लाभार्थियों के लिये निश्चित किया है।

केन्द्रीय सहायता- मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के संचालन तथा उचित दर दुकानों के सार्वजनिक वितरण एजेंट की मार्जिंग पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये भारत सरकार पूर्ण सहयोग करता है। भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान 2500 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 दौरान 4500 करोड़ रुपये जारी किये गये थें भारत सरकार सार्वजनिक वितरण के दुकानों के डॉलरों को विभिन्न प्रकार के सब्सिडी एवं मर्जिंग मनी देकर उपभोक्ताओं का संरक्षण करती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- मध्य प्रदेश की सरकार खाद्य सब्सिडी नकद अंतरण नियम 2015 के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाती है। भारत सरकार ने वर्तमान में चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली में भी यह योजन क्रियान्वित है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। खाद्य सब्सिडी के नकद अन्तरण के कथान्वयन के लिये भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को मार्गदर्शन देने के लिये हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से विशेष योजना तैयार की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार-

- जाली, आपात्त, नकली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिये तथा इसे स्पष्ट रूप सलेक्षित करने के लिये भारत सरकार ने 83.41 प्रतिशत अर्थात् 20 करोड़ राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़े गये हैं। आधार अधिनियम 2016 के धारा 7 के तहत विभाग ने सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने अथवा नकद अन्तरण प्राप्त करने के लिये आधार का उपयोग किया गया है।
- पायलट योजना के अनुसार प्रदेश क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में उचित दर दुकानों पर पीओएस मशीनों के लिये दिशा निर्देश निर्धारित की गई है। लगभग 6 लाख 50 हजार उचित दर के दुकानों में से 4 लाख दुकानों में पीओएस मशीनें लगाई गई हैं। यह मशीन उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ सार्वजनिक वितरण के दुकानों द्वारा स्वमेव निर्धारित मूल्य भुगतान करने पर सामग्री प्राप्त हो जाती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने डिजिटल भुगतान तंत्र के उपयोग के वृद्धि के लिये ए.ई.पी.एस., यू.पी.आई., यू.एस.एस.डी. डेबिट कार्ड और ई-वैलेड का

किया जाने लगा है। मध्य प्रदेश में उचित दर के दुकानों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में पारदर्शिता पोर्टल खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध है। प्रदेश में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों को कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क तैयार करने हेतु सेंट्रल आँकड़े रिपोजिटरी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की केन्द्रीय मॉनीटरी प्रणाली की स्थापना की गई ही राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेविलटी के कार्यान्वयन के लिये यह योजना 127.3 करोड़ रुपये के लागत के साथ प्रारंभ की गई है। जिसका क्रियान्वयन 2019-20 के दौरान किया गया है।

खाद्यानों के भण्डारण में सुधार -

- प्रदेश में पिछले 40 वर्षों के दौरान निजी उद्यमी योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 22-25 लाख टन गोदामों का भण्डारण क्षमता उत्पन्न की गई है। भण्डारण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। गेहूँ और चावल के भण्डारण के लिये भारतीय खाद्य निगम और प्रदेश सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पद्धति से स्टील साइलों के रूप में (100 लाख टन) भण्डारण क्षमता के निर्माण की रूपरेखा बनाई गयी है। यह निर्माण चरणबद्ध तरीके से करने की योजना है।
- भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण से दान एवं मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान श्रीलंका यूक्रे आदि देशों में गेहूँ की आपूर्ति निशुल्क की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 40 देशों में साढ़े तीन लाख गेहूँ विदेशी को निर्यात किया गया है। इस निर्यात के कारण प्रदेश के किसानों एवं व्यापारियों को जबरजस्त लाभ प्राप्त हुआ है। प्रदेश की मण्डियों में समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर गेहूँ बिक रहा है। प्रदेश का निर्यात सबसे अधिक गुजरात के काण्डला बन्दरगाह से विदेशों में भेजा गया है।

ऑनलाइन खरीद प्रबन्धन प्रणाली- भारतीय खाद्य निगम ने आनलाइन खरीद प्रबन्ध प्रणाली के लिये नया सफ्टवेयर का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग खरीफ विपणन के लिये किया जाता है। भारत में 19 प्रमुख राज्यों में आनॅलाइन खरीद प्रबधंन प्रणाली पूरी तरह से कार्यान्यवित है। म.प्र. में वदसपदम खरीद प्रबंध प्रणाली लागू है।

डिपो ऑनलाइन प्रणाली- भारतीय खाद्य निगम के गुदामों के सभी प्रचालनों को आनॅलाइन करने तथा डिपो स्तर तक लिकेज को रोकने और कार्य स्वचालित विकसित करने के उद्देश्य से 27 राज्यों में पायलट आधार पर 31 डिपों में आनॅलाइन खाद्य निगम 530 डिपों और केन्द्रीय भण्डारण के 156 डिपों ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ गई।

पंजीकरण- एन. डब्लू आर प्रणाली में सुरक्षा विश्वसनियता का प्रावधान करने और बैंकों के वित्तीय विश्वास में वृद्धि करने के लिये भण्डारण विकास और विनियमक प्राधीकरण बेयर हाउस पंजीयन की आनॅलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है रिपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रानिक एन. डब्लू. आर जारी करने की शुरूआत कर दी हैं

ST.SC. हॉस्टल पोषण के पर्याप्त मानकों कों सुनिश्चित करने के लिये अनाज का आवटंन भारत सरकार ने एक नई स्कीम की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति हॉस्टल में पोषण के पर्याप्त मानकों कों सुनिश्चित करने के लिये सब्सीडी वाली कीमतों पर खाद्य पदार्थो के कल्याण और समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिये अवंटित किया गया है। योजनाबद्ध दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित छात्रावास निवासियों कों खाद्यान में सब्सीडी प्रदान की गई है।

पेंशन एवं चिकित्सा स्कीम- पेंशन स्कीम सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा स्कीम कों भी लागू की गई पेंशन स्कीम एवं सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा स्कीम लागू की गई ।

उपभोक्ता संरक्षण- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को वर्तमान के लिये दिनांक 5 जनवरी 2018 कों उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पेस किया गया। इस विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधीकरण के नाम से जाने जाने वाली एक एजेंसी की स्थापना की प्रावधान इसके अन्तर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों की जाँच करेगी। उपभोक्ता विवादों के दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली हानि के लिये दायित्व का निर्धारण करेगी उपभोक्ताओं आयोगो में उपभोक्ता विवाद अधिनियम प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन- उपभोक्ता विवादों के प्रभावी तीव्र प्रतितोष के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा प्रतिमाह लगभग 40 हजार शिकायतों का निपटारा किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के उनकी भाषा में जानकारी देने तथा उनकी भाषा में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ताओं हेल्पलाइन के अन्तर्गत कनबर्जेस कार्यक्रम में 430 कम्पनियों के साथ भागीदारी की गई है, जों शिकायतों का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करता है।

बेहतर गुणवत्ता आस्वासन- भारतीय मानक ब्यौरों अधिनियम 2016 लागू किया गया है। इस नये अधिनियम में किसी अनुसूचित उद्योग की वस्तु अथवा मद प्रक्रिया प्रणाली मानव पशु पादप स्वास्थ के संरक्षण पर्यावरण की सुरक्षा अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम एव राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक समझा गया है। इसमें निर्माताओं कों कारोबार करने की सरल सुविधा प्रदान की गई है। इसमें मूल्यमन धातु की वस्तुओं की हाँल मार्किग बनाने का प्रावधान किया गया है।

मात्रा आस्वासन- उपभोक्ताओं हितों के सुरक्षा करने तथा व्यवसाय की सुविधा प्रदान करने के लिये पैक बन्ध वस्तुएँ नियमावली बनाई गई है। ई-कामर्स मंच पर विक्रेता द्वारा प्रदार्शित की जाने वाली वस्तुओं की घोषणाएं होनी चाहिए। पैक बन्धु वस्तुओं पर भिन्न भिन्न अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित नही करेगा। अच्छरों तथा संख्याओं के आकार को बड़ा किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पढ़ सकें निवल मात्रा जाँच कों अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है। बार कोड क्यू आर कोडिंग की अनुमति दी गई है। नियमावली के अन्तर्गत घोषित किये गये। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोग शालाओं द्वारा 100 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के साथ समय का प्रसार सेकण्ड किया जायेगा।

आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य- भारत सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त वस्तुएँ प्राप्त हो सकें। उदाहरण के तौर पे दालों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से अधिकतम मूल्य दर निश्चित किया गया है। देश में 22 अवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है।

डिजिटल का प्रयोग- उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष तंत्र तथा उपभोक्ताओं की जानकारी का प्रसार करने में शामिल विभिन्न हित धारकों के लिये एक साझा आई-टी मंच प्रदान करने हेतु सितम्बर 2016 से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया। शिकायतें दायर करने एवं उनका पता लगाने के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। बार कोड रीडर ऐप स्मार्ट शिकायतें क्जूयमर जो पैक बन्धु वस्तुओं के संम्बन्ध में शिकायतें दर्ज करने का एप्लीकेशन है।

उपभोक्ताओं को इन्टरनेट तथा डिजिटल सुरक्षा प्राप्त करने के लिये माइक्रो साइड तैयार किया गया है। ई-कामर्स सम्बन्धी शिकायतों के लिये एक (1) नूँतम ऑनलाइन उपभोक्ता मधस्थस्ता केन्द्र स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता को मामले की स्थिति निर्यातनों और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं की नेटवर्किगं के लिये मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया ।

सतना जिले के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण- खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उद्देश्य के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये और आपूर्ति और खाद्यान पेट्रोलियम उत्पादों चीनी और अन्य अधिसूचित वस्तुओं की व्यापार में कदाचरण की जाँच के लिए इन वस्तुओं को खुले बाजार में बेहतर तरीकें से वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध है। सतना जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रशाकीय कीमतों पर कमजोर वर्गो के लिए उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं को बनाने के लिए अर्थ है कि विभाग सतना जिले के सुदृढ़ कोने में भी आपूर्ति निश्चित करना चाहता है। सार्वजनिक वितरण योजना और नियंत्रण आदेश और राज्य सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्यान्वन का जोर सबसे नीचे वर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति सुनिश्चित किया आ सकें। उपभोक्तआ संरक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन पंजीकृत और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण आपूर्ति के माध्यम से नियंत्रण बांट और माप उपभोक्ता प्रति तोषण भण्डारण आदि व्यवस्था की जाती है।

प्रभाव- लश्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और प्रभावी बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने नियंत्रण तंत्र द्वारा और सतरकर्ता में सुधार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली कों पारदर्शिता बढ़ाकर आदर्श नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर सूचना और संचार प्रयोद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करके उचित दर दुकानां के अन्तरव्यवहार में सुधार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण कों मजबूत बनाने हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्तरोत्तर अवश्यक सुधार करने का प्रयास किया गया है।

खाद्यानों की TPDS दुकानों तक सुर्पोदगी सभी स्तरों पर लेन-देन रिकार्ड करने में पारदर्शिता सूचना और संचार प्रायोद्योगिकी का प्रयोग उपभोक्ताओं के लिए बायोमैट्रिक मशीनों का उपयोग उचित संरक्षण दर दुकानों की लायसेंसों स्वयं सेवी समूहों को वारीयता वस्तुओं का विविधिकरण अनाज बैंकों का निर्माण के द्वारा उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीतिगति मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना व्याख्यान सेमीनार कार्यशालाएँ आयोजित करना। जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण हों उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पास परिवारों को चिहिंत करना उन्हें राशनकार्ड जारी करना। उचित दर दुकानों को परियाविक्षण कार्य करना है।

उपसंहार- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की खाद्य अर्थ व्यवस्था के प्रबन्धन के लिए सतत् प्रयासशील है। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भण्डारण वितरण खाद्य सामग्री एजेंसियों तक पहुचाने की व्यवस्था पारदर्शिता डिजिटल तकनीक का उपयोग लाइसेंस की व्यवस्था उपभोक्ताओं का संरक्षण शिकायत का निपटान उचित प्रतितोषण की व्यवस्था उपभोक्ता सहकारी समितियों का सहयोग के द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण दोहन किया जाता है। सतना जिले में सार्वजनिक वितरण का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यानों की यथा समय और कार्यकुशल क्रय के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खाद्यानों की खरीद करना स्टॉक रखना रख-रखाव करना खाद्यानों के उत्पादन स्टॉक मूलस्तरों की निगरानी करना किसानों के उत्पाद के न्यूनतम सर्मथन मूल्य द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करना। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यानों का वितरण करना। अन्त्योदय अन्य योजना का उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना। अनाज बैंक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कों प्रभावी करना एवं उपभोक्ताओं का संरक्षण प्रदान करना नीतिगत योजना हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. ग्रामीण एवं कृषि विपणन डॉ. एस. सी. जैन कैलाश पुस्तक सदन भोपाल
2. प्रक्षेप प्रबन्ध एवं उत्पादन अर्थशास्त्र हरसरनदास, रामा पवलिसिंग हाउस कड़ौत मेरठ
3. http://food.mp.gov.in
4. जैन एससी (2018) ग्रामीण एवं कृषि विपणन कैलाश पुस्तक सदन भोपाल
5. गंगराड़े, डॉ. साधना (2018) खेती के उन्नत तरीके रबी फसलें कृषक जगत पब्लिशर्स, भोपाल

Centre for Research Studies Rewa-486001 (M.P.) India

Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0975-4083

9 770975 408002

Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications Rewa- 486001 (M.P.)
Printed at Glory Offset, Nagpur